सोमवार, 9 दिसंबर, 1996

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(ग्यारहवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

9 दिसम्बर, 1996 के लोक सभा वाद-विवाद
के हिन्दी संस्करण का शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
(i)	22	उत्पादों	उत्पादकों
103	नीचे से 3	तथा	तथापि
114	नीचे से 16	संसाधनान	संसाधनों
132	9	(ग)	(ख) और (ग)
151	17	श्री के. एन. मुनियप्पा	श्री के. एच. मुनियप्पा
195	नीचे से 10 और 9	"(ख)" और "(ग)"	"(ग)" और "(ख)"
298	अन्तिम	यदि इस तरह का	यदि इस तरह का व्यवहार किसी
331	4	उपलब्ध किए	उपलब्ध कराए

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 7, तीसरा सत्र, 1996/1918 (शक)
अंक 13, सोमवार, 9 दिसम्बर, 1996/18 अग्रहायण, 1918 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
* तारांकित प्रश्न संख्या	241 से 244	1—26
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	245 से 260	26—56
अतारांकित प्रश्न संख्या	2289 से 2519	57—283
सभा पटल पर रखे गये पत्र		284—290
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति		291
संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—**प्रस्तुत**		291—292
संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य—**सभा पटल पर रखा गया**		292—294
तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री कुमारी जे. जयललिता को चेन्नई सेंट्रल जेल में रखने के बारे में		294—300
नियम 377 के अधीन मामले		328—332
(एक) जौनपुर, उत्तर प्रदेश के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 पर रेलवे फाटक पर एक उपरिपुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता — श्री राजकेशर सिंह		328
(दो) गन्ना उत्पादों के हितों की रक्षा करने के लिए तत्काल कदम उठाये जाने की आवश्यकता — श्री अमर पाल सिंह		328—329
(तीन) केरल में विशेषकर शौरनूर और मंगलौर क्षेत्र में रेल पटरियों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए पर्याप्त धनराशि का नियतन किये जाने की आवश्यकता — श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन		329
(चार) कृषकों और काजू श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए काजू बोर्ड की स्थापना किए जाने की आवश्यकता — श्री कोडीकुनील सुरेश		329—330
(पांच) उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट एक बाई-पास पुल के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता — कुंवर सर्वराज सिंह		330
(छह) आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में समुद्री तूफान से प्रभावित झींगा मछली पकड़ने वाले मछुआरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता — डा. एम. जगन्नाथ		331

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
(सात) उत्तरी बंगाल की तीस्ता बैराज परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता	
श्री अमर राय प्रधान	331—332
(आठ) पृथक उत्तरांचल राज्य की स्थापना के लिए कार्यवाही आरंभ किए जाने की आवश्यकता	
श्री बची सिंह रावत 'बचदा'	332
दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक	333—348
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री जगमोहन	333—338
श्री नवल किशोर राय	338—341
श्री जय प्रकाश अग्रवाल	341—346
डा. असीम बाला	346—348

लोक सभा

सोमवार, 9 दिसम्बर, 1996/18, अग्रहायण, 1918 (शक)

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय **पीठासीन हुए**)

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह (चितौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, क्या आज प्रश्न काल होगा?

अध्यक्ष महोदय : हां।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है। उस पर क्या निर्णय लिया? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जीरो आवर में देखेंगे।

प्रश्नो के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

परिवार नियोजन कार्यक्रम

***241. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन के विषय में ग्रामीण जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1995-96 के दौरान गांव स्तर पर शुरू किये गये परिवार नियोजन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान प्रत्येक राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर कितना व्यय किया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान जन्म दर में कमी लाने में क्या प्रगति हुई?

[अनुवाद]

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) परिवार कल्याण विभाग की प्रमुख स्कीमें शिशु टीकाकरण, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं, चिकित्सा एवं पराचिकित्सा कर्मचारियों को परिवार नियोजन तरीकों के बारे में प्रशिक्षण और सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण हैं।

(ख) निधियां रिलीज करने संबंधी एक राज्यवार विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ग) नमूना पंजीयन पद्धति, 1995 के अनुसार जन्म-दर 41.7 (1951-61) से कम हो कर 28.3 हो गई है (अनन्तिम)।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	राज्य बजट के माध्यम से राज्यों को उपलब्ध कराई गई निधियां	केन्द्रीय प्रावधान के अंतर्गत राज्य सरकारों को उपलब्ध कराई गई निधियां	कुल (लाख रु.)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	13117.18	532.33	13649.51
2.	असम	4007.94	112.85	4120.79
3.	बिहार	11898.21	430.43	12328.64
4.	गुजरात	5535.01	847.99	6383.00
5.	हरियाणा	3084.78	285.43	3370.21
6.	हिमाचल प्रदेश	1963.62	101.19	2064.81
7.	जम्मू और कश्मीर	1499.26	75.58	1574.84
8.	कर्नाटक	7556.71	328.75	7885.46
9.	केरल	3465.11	223.12	3688.23
10.	मध्य प्रदेश	10118.63	1669.11	11787.74
11.	महाराष्ट्र	12710.23	959.36	13669.59
12.	मणिपुर	723.83	46.36	770.19
13.	मेघालय	385.58	26.73	412.31
14.	नागालैंड	336.79	33.54	370.33
15.	उड़ीसा	4364.97	421.87	4786.84
16.	पंजाब	2989.22	531.15	3520.37
17.	राजस्थान	9412.13	531.98	9944.11
18.	सिक्किम	451.90	17.12	469.02
19.	तमिलनाडु	11533.23	545.40	12078.63
20.	त्रिपुरा	721.16	31.36	752.52
21.	उत्तर प्रदेश	21116.27	3761.77*	24878.04
22.	पश्चिम बंगाल	8188.18	339.52	8527.70
23.	अरुणाचल प्रदेश	250.46	59.07	309.53
24.	गोवा	169.12	15.94	185.06
25.	मिजोरम	241.81	16.08	257.89
26.	पांडिचेरी	172.32	10.61	182.93
27.	दिल्ली	1862.15	198.17	2060.32

1	2	3	4	5
28.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	77.84	8.73	86.57
29.	चंडीगढ़	117.35	17.14	134.49
30.	दादर व नगर हवेली	25.77	5.44	31.21
31.	लक्षद्वीप	11.50	3.62	15.12
32.	दमन व द्वीव	28.66	9.80	38.46
		138136.92	12197.54	150334.46

* इसमें एफ आई एफ पी एस को प्रदान की गई निधियां भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : श्रीमान अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण जनता में परिवार नियोजन के विषय में जागृति पैदा करना सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और होना भी चाहिए, लेकिन मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया है, उसको देखने से मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की इसके बारे में कोई चिन्ता नहीं है। मैं जिस संसदीय क्षेत्र से चुनकर आया हूं, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और इसमें ज्यादा गरीबों और किसानों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जो भूमिहीन किसान या मजदूर हैं, उनको यदि इस योजना में वे शामिल होंगे, तो उनको जमीन देने का वायदा किया था, लेकिन मुझे सही जानकारी है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में जिनके साथ ऐसा वायदा किया गया था, उनको जमीनों के पट्टे आज तक नहीं मिले हैं वे हर अधिकारी के दरवाजे पर घूम रहे हैं। हमारे पास भी आ रहे हैं, लेकिन उनको इस परिवार नियोजन के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और उनको सहायता देने के लिए जो प्रस्तावित किया गया था और जो वायदा इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किया गया था उनको आज तक भूमि प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि परिवार नियोजन के कार्यक्रम की जो जानकारी है वह नीचे के स्तर तक कितनी प्रभावी है? क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार आपका यह कार्यक्रम केवल कागज पर ही रह गया है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने यह कार्यक्रम लागू हो रहा है या नहीं इसकी जांच करवाई है, यदि हां तो उसकी रपट क्या है और यदि नहीं करवाई है, तो क्या इसकी जांच करवाने व इसको समयबद्ध कार्यक्रम घोषित करेंगे?

श्री योगेन्द्र के. अलघ : अध्यक्ष महोदय, इस फेमिली प्लानिंग प्रोग्राम में जमीन देने का वायदा किसने किया है, यह यू.पी. में एक स्कीम है जो कि इंटरनैशनल असिस्टेंस के साथ खासरूप से वहां लगाई गई है जिसको राज्य सरकार वहां इम्प्लीमेंट कर रही है, लेकिन

[अनुवाद]

जहां तक मुझे जानकारी है, परिवार नियोजन योजना में किसानों को प्रोत्साहन के रूप मे भूमि देना शामिल नहीं है। तथापि, चूंकि माननीय सदस्य एक ऐसी योजना का संदर्भ दे रहे हैं, जो राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं और एक ऐसे विशेष प्रश्न का संदर्भ दे रहे हैं, जिसके बारे में मैं राज्य सरकार से पूछताछ कर सकता हूं कि क्या ऐसा प्रावधान वहां है।

[हिन्दी]

मैंने जो आंकड़े दिये हैं उसमें हमारा बर्थ रेट काफी गिर रहा है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का उत्तर नहीं मिला है।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : आपके पहले सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं और दूसरा सवाल यह था कि हमारा लक्ष्य ...**(व्यवधान)**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से साफ पूछा है कि इस कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए मेरे संसदीय क्षेत्र में गरीब लोगों को 4 एकड़ भूमि का पट्टा देने का जो वायदा किया गया है या इसी प्रकार आपने अपने कार्यक्रमों की जो जानकारी दी है, वे लागू नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इसकी जांच करायेंगे और अगर करायेंगे तो कौन-कौन से कार्यक्रम लागू करेंगे। आप हमें अपनी समयबद्ध कार्यक्रम की जानकारी देने की कृपा करें।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : मैंने आपको जो जवाब दिया है, उसे मैं फिर दोहराता हूं। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय स्तर पर एक स्कीम है। जहां तक मैं जानता हूं जमीन के पट्टे देने की सुविधा नार्मली फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में नहीं होती।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : प्रोत्साहित करने के लिए है।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : अगर क्षेत्रीय स्तर पर किसी ने राज्य सरकार या आप क्षेत्र में कहा है तो मैं उसकी जांच करवाऊंगा। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो हम आपको बतायेंगे। दूसरी बात आपने कही है कि प्रोग्राम में सफलता नहीं मिल रही है, यह बात कुछ हद तक सही है लेकिन हमने कहा था कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में बर्थ रेट 2.1 से लेकर 1.8 तक चला जायेगा। वह अभी 1.93 पर है। ऐसा कह देना कि हमें उसमें कोई सफलता नहीं मिली, यह तो गलत होगा। लेकिन आपकी यह बात सही है कि 1996-97 में जो टारगेट था, जो प्रोजेक्शन थी, वह हम नहीं पा सकेंगे। कहने का मतलब यह है कि हमारी जो बर्थ रेट है, वह गिर रही है। डेथ रेट भी गिर रही है लेकिन डेथ रेट ज्यादा गिर रही है। डेथ रेट की .9 का जो टारगेट था, वह हम एचीव कर चुके हैं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : आप उसके कारण बताइये और उसकी जांच कराइये।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : हमारे यहां इन प्रोग्राम्स पर तीन तरह से इवैलूएशन होती है। एक रैपीड सर्वे करवाया जाता है।

दूसरा, एक टेक्नीकल इवैल्यूएशन करवाया जाता है। और तीसरा एक मंथली मोनटरिंग एक्टिवटी होती है। अगर आप चाहें तो वह रिपोर्ट आपको दे सकता हूं। मुझे खुशी है कि आपने यह सवाल पूछा है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : आप कब तक देंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें अन्य प्रश्नों को भी लेना है।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : महोदय, हम ये निगरानी रिपोर्ट उसे दे सकते हैं और हम उन पर उसका परामर्श चाहेंगे।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : मेरा दूसरा सवाल यह है कि 1955-56 के दौरान जन्म दर में कमी लाने के लिए सरकार का लक्ष्य क्या था? क्योंकि आपने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, मैं इस सदन में यह दावा करता हूं कि यह आंकड़े गलत हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उनको पूरा करने के लिए आप कौन-कौन से प्रभावी कदम उठायेंगे?

श्री योगेन्द्र के. अलघ : यदि आप आठवीं पंचवर्षीय योजना को देखें ...**(व्यवधान)**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : मैं 1955-56 की बात कर रहा हूं।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : 1955-56 की बात इस समय करना व्यावहारिक नहीं होगा। ...**(व्यवधान)**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : नहीं, नहीं, मैं 1995-96 की बात कर रहा हूं। ...**(व्यवधान)** मैंने ठीक कर लिया है।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : मार्च 1996 के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में यह प्रोजैक्शन थी कि जनसंख्या बढ़ने की दर 1.81 प्रतिशत होगी।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : आपका लक्ष्य क्या था?

श्री योगेन्द्र के. अलघ : लक्ष्य की बात मैं अभी बताता हूं। ...**(व्यवधान)** 1995 में 1.93 प्रतिशत पर पहुंच चुके हैं जबकि 1991 में 2 प्रतिशत से ज्यादा पर थे। लक्ष्य में यह है कि हमने प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन के अंडर एक उच्चस्तरीय एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। जैसा कि आप जानते हैं, वे बड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। उन्होंने कहा कि आप उन प्रदेशों में टारगैट नहीं रखें जहां बहनों के लिए, माताओं के लिए पूरी फैसिलिटी नहीं है क्योंकि स्थानीय अफसर लोग उनको तंग करते हैं। उन्होंने कहा कि आपके फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का तरीका पार्टीसिपेशन के साथ होना चाहिए। लोगों को ऐजूकेट कीजिए, कोशिश कीजिए कि वे आएं। अब इस प्रोग्राम में डिपार्टमैंट ऑफ फैमिली प्लानिंग वाले टारगैट नहीं रखते । इसलिए योजना आयोग प्रोजैक्शन करता है। जैसा मैंने कहा, हम पूरा प्रोजैक्शन नहीं पा सके हैं। इसलिए सन् 2000 के प्रोजैक्शन को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। 1991 से हमारी बर्थ रेट काफी कम हुई है और डैथ रेट का टारगैट तो हम ऐचीव कर गए हैं। ग्रोथ रेट थोड़ा इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि डैथ रेट का एक हजार पर नौ का जो टारगैट था, वह हम ऐचीव कर गए हैं। लेकिन वह उतना नहीं घटा जितने की बात आठवीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया है कि चिकित्सा के मामले में ऐलोपैथी टोटली फेल है। इसलिए आपने इस वर्ष मलेरिया के नियंत्रण के लिए आयुष-64 नामक औषधि की ढाई करोड़ गोलियां खरीदी हैं। इसी प्रकार से परिवार नियोजन के मामले में खाने के लिए माला-डी के अलावा कोई दवाई नहीं है और वह शत-प्रतिशत सफल नहीं है। इसलिए आयुर्वेद की पीप्लायदि योग नामक औषधि, जो 94 प्रतिशत सफल है, बनाई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप इस औषधि का प्रयोग करने का आदेश देंगे।

आयुर्वेद में निम्बादी तेल के नाम से पिच्छू बनाया है। क्या इन दोनों फार्मूलों को परिवार नियोजन विभाग स्वीकार करने के लिए तैयार है और ऐलोपैथी के पास कोई दवाई नहीं है, क्या यह स्वीकार करने को तैयार है?

श्री योगेन्द्र के. अलघ : अध्यक्ष महोदय, कन्ट्रासैपटिव रिसर्च के लिए हमारा काफी अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। उसमें नैशनल इंस्टीटयूट ऑफ इमुनोलौजी से नीम के क्लीनीकल ऑयल चल रहे हैं और भी कई प्रोग्राम्स हैं। यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं उनको बताउंगा चूंकि उन्होंने आयुर्वेद ड्रग्स के बारे में कहा है।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : पीप्लायादि योग पर भी बताइये, उसका तो 94 परसेंट रिजल्ट है। ...**(व्यवधान)**

श्री योगेन्द्र के. अलघ : उसकी मैं तहकीकात करवाऊंगा। हम साइंस और टैक्नोलोजी मिनिस्टर को भी कहेंगे, क्योंकि उनके वहां भी आयुर्वेदिक ड्रग्स के ऊपर काफी संशोधन हो रहा है। एक बार उन्होंने आपको बताया था कि एक मैमोरी प्लस ड्रग भी आई है। उनसे हम इस बात की तहकीकात करवाएंगे।

कुमारी उमा भारती : माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। मुझे आपके माध्यम से अपने सवाल के तीन हिस्से, वे भी बहुत छोटे-छोटे हैं, तीन सेंटेसेंज में पूछने हैं। जनसंख्या इस देश की सबसे बड़ी समस्या है, यह निर्विवाद रूप से सबको स्वीकार्य है। जनसंख्या की समस्या का निवारण हम नहीं कर पाये हैं तो उसका एक मुख्य कारण देश की अल्पसंख्यकवाद और तुष्टीकरण की राजनीति भी है। इन सब चीजों को परे रखकर मैं सिर्फ तीन सवाल तीन सेंटेंसेज में करूंगी। जैसे चीन ने कठोर कानून जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए बनाया, क्या इस प्रकार के कठोर कानून का प्रावधान करने के बारे में सरकार विचार कर रही है? दूसरे जमीन देने की बात जो राजेन्द्र जी ने कही, वह उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी कही गई व तीसरी बात, पुरूषों के आपरेशन हो जाने के बाद भी कई जगह पर स्त्रियों के संतान पैदा हुई, उनके लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति हुई और ऐसे मध्य प्रदेश में

लाखों केसेज हुए हैं, क्या इसकी जानकारी मंत्री महोदय के सामने है? ये तीन बातें मुझे रखनी हैं, इनका उत्तर दें।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : सभापति महोदय, भारत की पोपुलेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट का स्टेटमेंट मैंने आपके सामने पिछले सप्ताह टेबल किया था, उसमें हम यह चाहेंगे कि माननीय सदस्य हमको ज्यादा से ज्यादा अपने सुझाव दें, क्योंकि जैसा आपने कहा, उसमें सारे देश के लिए एक यूनानिमस एप्रोच निकालना बहुत जरूरी है।

कुमारी उमा भारती : आप चीन के कानून पढ़िये न।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : मैं चीन की बात ही कर रहा हूं, उसमें हम जो कोअर्शन है या फोर्स है, उसके खिलाफ हैं। हमारे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का यह प्रयत्न है कि हमारे समाज को, हमारी पंचायतों को, हमारे गांवों को, हमारे नॉन गवर्नमेंटल आर्गेनाइजेशंस को, पोलिटिकल पार्टीज को हम इन्वोल्व करें, तब यह एक नेशनल मूवमेंट हो। चीन का जो प्रोग्राम है, वे भी कुछ हद तक अपने प्रोग्राम को बदल रहे हैं, अब वे भी फोर्स की कम बात कर रहे हैं और हम फोर्स को एक अच्छा तरीका नहीं मानते। कुछ विशेषज्ञों का यह कहना है कि जब हमने बहुत ज्यादा कोअर्शन चलाया तो उस जमाने में मेल स्टर्लाइजेशन कम हो गया। इसलिए हम यह चाहते हैं कि एजुकेशन के साथ, प्रचार के साथ और कम्युनिकेशन के साथ, हमारी पंचायती संस्थाओं और हमारे लोगों को मिलाकर इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करें।

कुमारी उमा भारती : इसमें बहुत जरूरी दो बातें छूट गईं। जमीनों के वायदे मध्य प्रदेश में भी किये गये और आपरेशन बहुत संख्या में असफल भी हुए, जिसमें महिलाओं को समाज में, परिवार में, मौहल्ले में बहुत शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा। क्या ऐसे केसेज आपके सामने आये हैं और अगर नहीं आये हैं तो हम नोटिस में लाएंगे तो आप कार्रवाई करेंगे क्या, यह मैंने पूछा था?

श्री योगेन्द्र के. अलघ : जमीन की बात जो आप कह रही हैं, मैंने तो अभी तक इसके बारे में नहीं सुना और ...**(व्यवधान)**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : आप भी उत्तर प्रदेश के हैं, बाहर के नहीं हैं, आपको सब जानकारी है, बोलिये।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : हमारा जो डिपार्टमेंट है, वह भी कहता है कि उनके पास कोई ऐसी इन्फोर्मेशन नहीं है कि जमीन के वायदे किये गये, फिर भी मध्य प्रदेश सरकार से हम यह पुछवाएंगे। मैं उसका पता लगाऊंगा।

कुमारी उमा भारती : जो आपरेशन असफल हुए हैं, उनके बारे में तो आप बताइये। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप पता लगा कर माननीय सदस्यो को बता सकते हैं।

[अनुवाद]

नैदानिक परीक्षण

+

***242. श्री हन्नान मोल्लाह :**

श्री उधव बर्मन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के नियंत्रणाधीन सफदरजंग अस्पताल तथा अन्य अस्पतालों द्वारा मरीजों को रोगों के निदान हेतु आधुनिकतम परीक्षण कराने के लिए अन्यत्र भेजा जा रहा है;

(ख) क्या सफदरजंग अस्पताल तथा अन्य सरकारी अस्पतालों के लेबोरेट्री मेडीसिन विभाग द्वारा नैदानिक परीक्षण नहीं किए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन अस्पतालों द्वारा विभिन्न प्रकार के परीक्षण हेतु हजारों रुपये मूल्य के नैदानिक परीक्षण संबंधी उपस्करों के क्रयादेश दिए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन अस्पतालों में परीक्षण संबंधी उक्त उपस्करों की संभावित उपयोगिता क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सरकारी अस्पतालों में बहुत सारे नैदानिक परीक्षण किए जाते हैं। तथापि कुछ जटिल परीक्षणों जैसे एम आर आई, तानिकाशोथ, यकृतशोथ, टार्च काम्प्लेक्स, थायराइड स्कैनिंग आदि के त्वरित निदान के संबंध में, जिसके लिए सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, रोगियों को जांच कराने के लिए अन्य अस्पतालों/संस्थानों में भेजा जाता है।

(ख) सफदरजंग अस्पताल का प्रयोगशाला चिकित्सा विभाग परीक्षण कर रहा है। औसतन 35000 परीक्षण प्रतिमाह किए जाते हैं। इसी प्रकार अन्य अस्पताल भी अनेक प्रकार के नैदानिक परीक्षण कर रहे हैं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ). एलिसा तकनीक पर आधारित द्रुत परीक्षण अर्थात एड्स का पता लगाने के लिए, विभिन्न गम्भीर रोगों के शीघ्र प्रयोगशाला निदान के लिए ऑटोएनालाइजर, रक्त-गैस एनालाइजर आदि की नैदानिक किटें प्राप्त की जा रही हैं। उपयोगिता का प्रबोधन

किया जाता है और सामान्यतया अलग-अलग विभागों द्वारा प्रस्तावित अपेक्षाओं का ध्यान रखा जाता है।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलुबेरिया) : अध्यक्ष महोदय, इस विवरण में सरकार द्वारा वर्तमान अनियमितताओं तथा जनता की कठिनाइयों को नकारा गया है। इस संबंध में समाचार में काफी खबरें छपी हैं। जब कभी आप अपने मरीज के साथ अस्पताल जाते हैं, आपको भी ऐसा ही अनुभव होगा। आप जानते हैं कि पहले क्लीनिकल टैस्ट कम करवाया जाता था। पहले डाक्टर मरीज का अपने अनुभव से इलाज करते थे। लेकिन अब सभी डाक्टर एक नैदानिक परीक्षण की रिपोर्ट मांगते हैं। उक्त परीक्षण की लागत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यह आम आदमी की क्षमता से बाहर जा रही हैं। फिर, निजी संगठन हर जगह अस्पतालों के इर्द गिर्द फैले हुए हैं और वे स्थिति का फायदा उठा रहे हैं। यहां तक कि काफी हद तक ये लोगों का शोषण भी करते हैं। यह भी खबर है कि राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में यहां तक कि लाखों रुपये के उपकरणों का भी परीक्षण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। बल्कि डाक्टर मरीजों से बाहर से परीक्षण करवाने के लिए कहते हैं। हो सकता है कि उन्हें इन निजी अस्पतालों से कुछ कमीशन मिलता हो। अतः, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस तरह के तथ्यों से अवगत है और यदि हां, तो ऐसे मामलों में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री योगेन्द्र के. अलघ : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के अस्पतालों में काफी परीक्षण निःशुल्क किए जाते हैं। वास्तव में, सफदरजंग अस्पताल में, पिछले वर्ष 18.9 लाख टैस्ट किए गये थे। प्रयोगशाला औषधि तथा जीव रसायन विज्ञान विभागों में 8.36 लाख टैस्ट किए गये थे। तथापि, माननीय सदस्य का यह कहना सही है कि ई.सी.जी. अथवा कैट स्कैन जैसे कतिपय परीक्षणों में कुछ थोड़ी सी फीस ली जाती है। अधिकांश परीक्षणों के लिए यह 100 रुपये है। लेकिन कैट स्कैन परीक्षण के लिए यह 500 रुपये है। लेकिन वहां भी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक छात्र मामलों में इसे माफ कर सकते हैं।

मैं इस बात से सहमत हूं कि वहां बहुत गरीब व्यक्ति कतिपय परीक्षण करवाने वहां जाते हैं। इसलिए चिकित्सा अधीक्षक को, ऐसे मामलों में, इसे माफ कर देना चाहिए। एक बीमार व्यक्ति को सरकारी अस्पताल से बाहर केवल इसलिए नहीं जाने देना चाहिए कि उसके पास पैसा नहीं है। यदि डाक्टरों द्वारा अनियमितताएं करने संबंधी कोई विशेष आरोप है, और यदि माननीय सदस्य मुझे इसका ब्यौरा प्रदान करें तो मैं अवश्य ही इसकी जांच करवाऊंगा क्योंकि एक डाक्टर द्वारा एक मरीज को इस तरह का परामर्श देना बहुत गलत होगा। एक डाक्टर का कमीशन के लिए एक मरीज को किसी अन्य प्रयोगशाला में भेजना चिकित्सा आचार संहिता के विरूद्ध है। यदि कोई विशेष मामले हैं तो मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि उनके बारे में मुझे बताएं। मैं उन मामलों की जांच करूंगा।

श्री हन्नान मोल्लाह : स्टेट्समैन में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि एक रिपोर्टर ने सफदरजंग अस्पताल में कुछ पूछताछ की थी। प्रश्न यह है कि वे कतिपय बीमारियों के निदान के लिए किट्स खरीदते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि 35 परीक्षणों—जैसे कि कार्सिनोमा तथा एतमा, फोटो प्रोटीन का पता लगाना, सीए-15-3 सी-ए 15-9 तथा सी ए-125 के लिए किटस खरीदी जाती है और उसके बावजूद क्या उन किट्स का अस्पतालों में प्रयोग नहीं किया जाता।

रिपोर्ट में उन परीक्षणों का उल्लेख किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इससे अवगत है अथवा क्या सरकार इस संबंध में जांच करेगी और दोषी लोगों को दंड देगी।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : चूंकि यह एक विशिष्ट आरोप है, मैं इसकी जांच करवाऊंगा।

कुमारी ममता बनर्जी : आप कृपया इस मामले की जांच करे क्योंकि यह मामला श्री रूद्रेन्द्र बन्दोपाध्य से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय : ममता जी, मैंने आपको इसकी अनुमति नहीं दी है।

श्री उधव वर्मन : उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि एम.आर.आई. रैपिड डायगनोशिस आफ मैनिंजाइटिस, हैपाटाइटिस थायराइड स्केमिंग आदि परीक्षणों के लिए सुविधाएं यहां तक कि सफदरजंग जैसे मुख्य अस्पताल तथा अन्य सरकारी अस्पतालों में भी उपलब्ध नहीं है। यह देखा गया है कि चिकित्सा देखभाल तथा परीक्षणों की लागत में वृद्धि हो रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी अस्पतालों में ऐसे परीक्षणों की व्यवस्था करेंगे और उसके लिए क्या सरकार इस संबंध में आवश्यक उपाय कर रही है। यहां तक कि दिल्ली में भी सफदरजंग जैसे प्रमुख अस्पताल में ऐसी सुविधाओं का अभाव है। मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र से निर्वाचित होकर आया हूं और वहां सरकारी अस्पतालों में भी चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। इस सभी को देखते हुए, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अस्पतालों में आसान परीक्षण सुविधा की व्यवस्था करेगी और क्या सभी सरकारी अस्पतालों को आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति की जायेगी ताकि आम आदमी को आसानी से चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हो सकें।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : इन्हीं कारणों से कुछ विशेष परीक्षणों के लिए कुछ थोड़ी सी फीस लगायी गई है। जैसाकि मैंने कहा है कि कुछ मामलों में चिकित्सा अधीक्षक किन्हीं प्रावधानों के तहत फीस माफ कर सकता है। तथापि, नौवीं योजना में हम अवश्य ही योजना आयोग से प्रस्ताव करेंगे कि अस्पतालों में परीक्षण सुविधाओं को यथोचित रूप से सुदृढ़ किया जाये। वास्तव में, इस संबंध में उपाय किये जा रहे हैं।

श्री रूपचन्द पाल : क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार ने देश के चार महानगरों में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों को भी निजी अस्पतालों में इलाज करवाने की अनुमति देने का निर्णय किया है? यदि हां, तो इस निर्णय के क्या कारण हैं?

श्री योगेन्द्र के. अलघ : मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि सरकारी अस्पतालों में अथवा सरकारी क्षेत्र से बाहर चुने गये अस्पतालों में सीमित सुविधाओं को देखते हुए, सी.जी.एच. एस कार्ड धारकों को निर्धारित इलाज करवाने की सुविधा प्रदान की गई है जिनके लिए सुस्थापित दरों के अनुसार पुनर्भुगतान किया जाता है।

श्री रूप चन्द पाल : मेरा प्रश्न भिन्न था। मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि सी.जी.एच.एस. कार्ड धारक चार महानगरों में प्राइवेट इलाज सुविधा के अधिकारी होंगे? क्या यह निर्णय निर्णय था?

[हिन्दी]

प्रो. ओम पाल सिंह 'निडर' : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि महानगरों के बारे में तो आपने बता दिया लेकिन अस्सी प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है। क्या आपने उनके लिए कोई सेंटर बनाया है जहां उनका परीक्षण हो सके और दूसरा प्रश्न यह है कि दिल्ली के बारे में आपने कह दिया लेकिन उत्तर प्रदेश में तो एक भी अस्पताल ऐसा नहीं है जहां नियमितता बरती जा रही हैं। सब जगह अनियमिततायें बढ़ती जा रही हैं। तीन-तीन साल से डिसपैंसरीज में डाक्टर्स नहीं पहुंचते हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या आप इसकी जांच कराकर दोषियों को दंड देंगे?

श्री योगेन्द्र के. अलघ : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली को छोड़कर पुणे, हैदराबाद और कलकत्ता में और जैसा कि मैंने महानगरों के बारे में उल्लेख किया कुछ प्राइवेट अस्पतालों को सी.जी.एच.एस. के अन्तर्गत मान्यता प्रदान की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अभी जो ढांचा है, उसमें टैस्टिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट लैवल पर या रैफरल हास्पिटल्स में केसेज भेजे जाते हैं। अभी प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्स में या गांव के स्तर पर एडवांस टैस्टिंग की फैसिलिटीस नहीं है।

प्रो. ओम पाल सिंह 'निडर' : जिला अस्पताल में कभी डाक्टर नहीं आता है, कभी बिजली नहीं आती है और कभी उपकरण खराब होता है। मैं जानना चाहता हूं, इस बारे में क्या व्यवस्था है?

श्री योगेन्द्र कु. अलघ : अध्यक्ष महोदय, हम इसकी कोशिश करते हैं कि इसको मोनिटर करें और राज्य सरकारों को इस बारे में इन्फार्मेशन भेजते हैं, क्योंकि खास कर सैन्ट्रली स्पान्सर्ड स्कीम्स में जब हमें पता चलता है कि हास्पिटल्स में डाक्टर नहीं है या दवायें नहीं है, तो हम इसका निवारण करने की कोशिश करते हैं। एक स्टेट लैवल हैल्थ सिस्टम के लिए और फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए स्कीम हास्पिटल्स की ली जा रही है। अभी आन्ध्र प्रदेश, बंगाल, पंजाब और कर्नाटक में उसको इम्पलीमेंट किया जा रहा है।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस प्रश्न की अनुमति प्रदान की है।

दिल्ली, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के अन्य राज्यों में केन्द्र सरकार के अस्पताल है लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्रों तथा पूर्वी क्षेत्रों में केन्द्र सरकार का कोई अस्पताल नहीं है। नैदानिक परीक्षण के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहां राज्य सरकार के अस्पतालों में गरीब लोगों के लिए यहां तक कि जेलुसिल भी उपलब्ध नहीं है।

इलाज के लिए उन्हें असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा से कलकत्ता होकर चेन्नई अथवा दिल्ली आना होता है। अतः इन सात राज्यों में रोगियों के लिए विशेषकर किडनी ट्रांसप्लांटेशन तथा सर्जरी के लिए बहुत धन खर्च करना पड़ता है।

अतः मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया इस मामले की जांच करें और पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा पूर्वी क्षेत्रों में जहां केन्द्र सरकार के अस्पतालों की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां केन्द्र सरकार के अस्पतालों की तुरन्त स्थापना की जाये जिनमें सभी अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : महोदय, जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं, पूर्वोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्र में हमारे पास कुछ बहुत पुराने तथा कुछ बहुत अच्छे अस्पताल हैं, उदाहरण के लिए जोरहाट तथा डिब्रूगढ में जिनकी दशकों से लम्बी परम्परा हैं। लेकिन यदि इन सुविधाओं की किसी पुनरीक्षा की आवश्यकता है ...

कुमारी ममता बनर्जी : हां, इसकी आवश्यकता है। वहां कुछ भी उपलब्ध नहीं है। वहां कोई उपकरण उपलब्ध नहीं है।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि शिलांग में केन्द्र सरकार द्वारा स्नातकोत्तर अध्ययन तथा अनुसंधान के लिए एक संस्थान की स्थापना की जा रही है।

कुमारी ममता बनर्जी : संस्थान केवल एक है जबकि राज्य सात हैं।

[हिन्दी]

कुष्ठ रोग उन्मूलन केन्द्र

+

*243. **श्री शिवराज सिंह :**

श्री एन.जे. राठवा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में, विशेषकर गुजरात में आदिवासी, जनजातीय, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में अब तक कार्यरत कुष्ठ रोग उन्मूलन केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान खोले गए ऐसे केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान इन केन्द्रों को केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता राशि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान कितने कुष्ठ रोगियों को लाभ पहुंचा; और

(ङ) इस संबंध में अब तक, विशेषकर गुजरात में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित केन्द्र कार्य कर रहे हैं :-

		संख्या
1.	कुष्ठ नियंत्रण एकक/ संशोधित नियंत्रण एकक	780
2.	शहरी कुष्ठ केन्द्र	906
3.	सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार केन्द्र	5747
4.	अस्थाई अस्पताल वार्ड	289
5.	चलते फिरते कुष्ठ उपचार एकक	350

गुजरात के आदिवासी, जनजातीय, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के कुष्ठ उन्मूलन केन्द्र इस प्रकार है :—

एकक	ग्रामीण क्षेत्र	आदिवासी क्षेत्र
कुष्ठ नियंत्रण एकक/संशोधित कुष्ठ नियंत्रण एकक	11	10
अस्थाई अस्पताल वार्ड	2	5
सर्वेक्षण शिक्षा और प्रशिक्षण केन्द्र	200	141

(ख) शून्य

(ग) 1995-96 के दौरान संघीय सरकार द्वारा राज्यवार प्रदान की गई नकद सहायता की धनराशि अनुबंध में सलंग्न है।

इसके अतिरिक्त, आवश्यकताओं के अनुसार सभी राज्यों को कुष्ठ-रोधी औषधों की आपूर्ति की गई है। जिला कुष्ठ सोसाइटियों के धन विमुक्त कर दिया गया है।

(घ) और (ङ). देश में 1995-96 के दौरान ठीक किए गए कुष्ठ रोगियों की संख्या 6,13,141 है जिनमें गुजरात में ठीक किए गए 10748 रोगी भी शामिल हैं।

अनुबंध

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम 1995-96 के दौरान केन्द्रीय सहायता को विमुक्त की गई धनराशि

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विमुक्त की गई धनराशि 1995-96
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	195.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	18.50
3.	असम	20.00
4.	बिहार	111.50
5.	गोवा	0.44
6.	गुजरात	16.00
7.	हरियाणा	7.00
8.	हिमाचल प्रदेश	7.00
9.	जम्मू और कश्मीर	4.45
10.	कर्नाटक	103.00
11.	केरल	76.00
12.	मध्य प्रदेश	129.75
13.	महाराष्ट्र	16.00
14.	मणिपुर	5.50
15.	मेघालय	7.93
16.	मिजोरम	18.00
17.	नागालैंड	7.00
18.	उड़ीसा	158.75
19.	पंजाब	21.00
20.	राजस्थान	29.00
21.	सिक्किम	20.00
22.	तमिलनाडु	114.00
23.	त्रिपुरा	19.00
24.	उत्तर प्रदेश	182.62
25.	पश्चिम बंगाल	95.00
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	7.00
27.	चंडीगढ़	0.50
28.	दादर व नगर हवेली	1.00

1	2	3
29.	दमन व द्वीव	3.00
30.	दिल्ली	0.50
31.	लक्षद्वीप	2.00
32.	पांडिचेरी	2.50
	उप योग :	1399.44
	केन्द्रीय क्षेत्र	2312.96
	कुल योग	3712.40

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि वर्ष 1995 में 34 करोड़ रुपए कुष्ठ रोगी उन्मूलन पर खर्च किए हैं, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि शहरों में हाथ में कटोरा लेकर वीभत्स स्थिति में और गांवों में दर-दर भटकते हुए कुष्ठ रोगी पाए जाते हैं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ये तिरस्कृत दृष्टि से और घृणा के भाव से देखे जाते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कुष्ठ रोग को ढूंढ कर, पहचान कर उनका इलाज करवाने की, उनको कुष्ठ रोग के केन्द्र में ले जाने की सरकार ने व्यवस्था की है? अध्यक्ष जी, जैसे पल्स पोलियों के लिए भी हमने इसलिए बच्चों को दवाई पिलाई है कि भविष्य में उनको पोलियों न हो, वैसे ही भविष्य में कुष्ठ रोग न हो इसके लिए बचपन में ही बच्चों को वह दवाई पिलाई जाए ताकि भविष्य में कुष्ठ रोग न हो, क्या ऐसा कोई अनुसंधान हुआ है? क्या ऐसा कोई इलाज करने की सरकार की कोई योजना है?

[अनुवाद]

श्री योगेन्द्र के. अलघ : जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं कुष्ठ रोग के लिए हमारे पास जिला स्तरीय कार्यक्रम है। वास्तव में एम. डी.टी. इलाज बहुत प्रभावशाली है तथा कुष्ठ रोग में काफी कमी आई है। ...**(व्यवधान)** माननीय सदस्य जानत हैं कि दस वर्ष पहले भी बी. आई.सी.पी. के चेयरमैन के नाते मैंने इस कार्यक्रम की जांच की थी। मुझे इसके बारे में कुछ मालूम है। जब मैंने इन दवाइयों की बात की है मैंने उनकी कीमत भी बताई है।

यह तथ्य है कि भारत में कुष्ठ रोग के मामलों में काफी कमी आई है। हमारे पास जिला स्तरीय कार्यक्रम है तथा स्वैच्छिक संगठन भी इसमें शामिल है। मेरे ख्याल से 250 से भी अधिक स्वैच्छिक संगठन इसमें शामिल है। जिन क्षेत्रों में यह रोग ज्यादा पाया जाता है वहां ऐसे मामलों पर नजर रखना और ऐसे मामलों का पता लगाना भी इस कार्यक्रम का हिस्सा है। माननीय सदस्य से मेरा आग्रह है हम इस कार्यक्रम में अच्छी प्रगति करने की ओर अग्रसर है ताकि इस सदी के अंत तक हम इस बीमारी पर काबू पा सकेंगे। लेकिन यदि कुछ विशिष्ट सुझाव है तो आप उन्हें दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य मेरे राज्य गुजरात से है। राज्य में ऐसे जिले हैं जहां यह समस्या बहुधा पाई जाती है लेकिन मेरे विचार से इन जिलों में भी कुछ प्रगति हुई है।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 95-96 में मध्य प्रदेश में कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए 129 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। मैं माननीय जी से जानना चाहता हूं कि ये रुपए स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से खर्च किए गए हैं या सरकार ने स्वयं उन केन्द्रों में खर्च किया है, यह पैसा कहां-कहां खर्च हुआ है इस बारे में माननीय मंत्री जी जानकारी दें?

श्री योगेन्द्र के. अलघ : यह खर्चा ज्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर्स हैं, वे हालांकि कलेक्टर के अंदर है उनके पास आटोनोमी है। लेकिन यह सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, तो ज्यादातर खर्चा सरकारी सूत्रों से ही होता है।

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं, आपने बताया है कि गुजरात के 10,748 रोगियों को ठीक किया है और पूरे देश के 6 लाख 13 हजार 141 रोगियों को ठीक किया है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि गुजरात के कुल रोगी कितने थे, जिसमें कि आपने 10,748 रोगियों को ठीक किया। दूसरी बात यह है कि गुजरात में चार करोड़ की जनता है। आपने बताया है कि वहां स्थाई अस्पताल वार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में दो ही हैं तो क्या आप ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे वार्ड बनाएंगे?

श्री योगेन्द्र के. अलघ : ग्रामीण क्षेत्रों में एलसीयूस वलसाड में दो हैं, सूरत में, भड़ूच में, पंचमहल में और जूनागढ़ में एक है। एमएलसीयूस पंचमहल में एक है, बनातखेड़ा में एक है, मेहसाणा और भावनगर में एक है, सिर्फ जो टेम्परेरी होस्पिटलाइजेशन वार्ड हैं वे ग्रामीण क्षेत्रों में दो हैं लेकिन लिप्रसी के अपने सेंटर्स हैं, वे गुजरात में ग्रामीण क्षेत्रों में काफी सारे हैं।

डा. गिरिजा व्यास : माननीय अध्यक्ष जी, कुष्ठ रोग के निवारण का कार्यक्रम तब तक अधूरा रहेगा, जब तक कुष्ठ रोगियों के पुनर्स्थापन की व्यवस्था नहीं की जाएगी। अस्पतालों में जाने पर रोगियों का एक ही सवाल होता है कि उनके ठीक हो जाने के बाद उनकी स्थिति क्या होगी? मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि विभिन्न मंत्रालयों से विचार-विमर्श करके क्या आप उनके पुनर्स्थापन के लिए कोई योजना बनाने जा रहे हैं, अगर हां, तो उसका स्वरूप क्या होगा और अगर नहीं तो क्यों नहीं?

श्री योगेन्द्र के. अलघ : इस प्रोग्राम में वालंटरी ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल मिशन्स, नॉन-गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन खास करके भाग

लेते हैं। इस तरह की हमारे पास 248 संस्थाएं हैं जो ये काम करती हैं और कम्युनिटी पार्टीशिपेशन से जैसा माननीय सदस्या कह रही हैं तथा रिहैबीलिटेशन प्रोग्रामों के अलावा सोशल एक्सपर्टस के प्रोग्राम भी इम्प्लीमेंट करने चाहिए और इसके लिए अगर किसी स्पेशल ग्रांट की जरूरत तो सरकार सोच सकती है। सरकार का प्रोग्राम रोग का डिटेक्शन, अली क्योर तथा रिहैबीलिटेशन का है।

[अनुवाद]

यह पहचान करने, शीघ्र देखभाल करने तथा पुनर्वास से संबंधित है।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या सरकार को मालूम है कि कुष्ठ रोग की घटनाएं उन जिलों में भी बढ़ रही हैं जहां पर बहुऔषध इलाज कार्यक्रम है। यदि हां, तो कुष्ठ रोग के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है? स्वामीनाथन समिति ने 2000 ई. तक कुष्ठ रोग को रोकने हेतु कुछ कदम उठाने की सिफारिश की थी। क्या हमारे देश में कुष्ठरोग को रोकथाम के संबंध में स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को सरकार ने क्रियान्वित किया है?

श्री योगेन्द्र के. अलघ : हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार मेरे पास कुछ आंकड़े हैं- मामलों की अनुमानित संख्या तथा रिकार्ड संख्या में वास्तव में गिरावट आई है। यदि कोई सूचना विशेष जो माननीय सदस्य जानना चाहते हैं ...**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : मेरे जिले पुरूलिया में ...**(व्यवधान)**

श्री योगेन्द्र के. अलघ : बंगाल में हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार मेरे पास इस समय जिलावार आंकड़े नहीं है। 1981 में अनुमानित मामलों की संख्या 4.3 लाख थी तथा इस समय रिकार्ड के अनुसार इन मामलों की संख्या 60,000 से भी कम है लेकिन यदि कोई जिला विशेष ऐसा है जहां स्थिति बहुत खराब है तो मैं चाहूंगा कि मुझे इस बारे में बताया जाए ताकि हम उचित कदम उठा सकें। हम पुरूलिया के बारे में आंकडे देखेंगे।

जहां तक वर्ष 2000 ई. तक कुष्ठ रोग के निवारण हेतु स्वामीनाथन समिति की मुख्य सिफारिशों का संबंध है, मेरा निवेदन है कि सभा इस विचार करे कि ऐसा हो सकता है। 1981 में 39.3 लाख मामले सामने आए थे तथा अब हम लगभग 5.5. लाख मामलों की बात कर रहे हैं। आंशिक प्रगति करना संभव होगा क्योंकि विशेषकर ग्रामीण जिलों में मूलभूत सुविधाएं हैं। मेरा आग्रह है कि—जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं—यदि इसमें कोई कमी आई होती तो मैंने आपको स्पष्ट तौर पर यह बता दिया होता। लेकिन काली खांसी, पोलियो और कुष्ठ रोगों पर काबू पाने में हमने काफी तरक्की की है तथा हमें अपने कर्मचारियों को अंतिम उपाय करने हेतु आगे आने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि इस बारे में कोई विशिष्ट सुझाव हो तो हम उनका स्वागत करेंगे।

[हिन्दी]

अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा

***244. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा संबंधी संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या योजना तैयार की गयी है;

(ख) मध्याह्न भोजन तथा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसी विभिन्न योजनाओं तथा अन्य शैक्षिक योजनाओं के लिए राज्य-वार तथा योजना-वार प्रदत्त अनुदानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजनायें कहां तक उपयोगी सिद्ध हुई हैं?

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धान्तों के अनुच्छेद 45 के अनुसरण में 14 राज्यों और 4 संघ शासित प्रदेशों ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून बनाया है। अधिकांश राज्यों ने प्राथमिक स्कूलों के सभी बच्चों को शिक्षा शुल्क का भुगतान करने से छूट प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने संविधान के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए तौर तरीके निर्धारित किए हैं।

(ख) आपरेशन ब्लैक बोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1995-96 में प्रदान किए गए अनुदानों का राज्यवार और योजनावार ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम, जिसे सामान्यतः मध्याह्न भोजन योजना के रूप में जाना जाता है के अंतर्गत राज्यों को भारतीय खाद्यान्न निगम के माध्यम से खाद्यान्न प्रदान किया जाता है और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कोई अनुदान प्रदान नहीं किया जाता। इस विभाग ने वर्ष 1995-96 में इस उद्देश्य के लिए भारतीय खाद्यान्न निगम को 441. 21 करोड़ रु. की राशि प्रदान की है।

(ग) इन केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं ने प्राथमिक स्कूलों के आधारभूत ढांचे में सुधार करके, एक शिक्षक के प्राथमिक स्कूलों को दो शिक्षक स्कूलों में परिवर्तित करके और आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत आवश्यक पठन-पाठन सामग्रियां प्रदान करके 6 से 14 आयु वर्ग के लगभग 70 लाख बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा के अवसर प्रदान करके और 4426 ब्लाकों में 5.54 करोड़ प्राथमिक स्कूली बच्चों के लिए पोषाहार सहायता प्रदान करके प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए राज्य सरकारों के प्रयास को बढ़ावा दिया

है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम समेकित योजना और विकेन्द्रीकृत कार्यान्वयन के माध्यम से चुनिन्दा जिलों में प्राथमिक शिक्षा पद्धति को जीवन्त रूप प्रदान करता है।

अनुबंध

वर्ष 1995-96 में प्रारंभिक शिक्षा की योजनाओं के अंतर्गत प्रदान किए गए अनुदान का राज्यवार ब्यौरा

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	राज्य सरकार/ संघ शासित प्रदेश	आपरेशन ब्लैक बोर्ड (1995-96)	अनौपचारिक शिक्षा (1995-96)	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (1995-96)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2025.00	888.92	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	109.57	7.84	-
3.	असम	3250.00	778.71	1929.18
4.	बिहार	1939.84	3154.79	-
5.	गोवा	55.03	-	-
6.	गुजरात	1696.60	100.27	-
7.	हरियाणा	25.52	49.83	1560.95
8.	हिमाचल प्रदेश	813.82	16.17	-
9.	जम्मू और कश्मीर	1355.86	99.86	-
10.	कर्नाटक	1381.10	19.53	2214.91
11.	केरल	767.48	-	1901.85
12.	मध्य प्रदेश	96.66	2506.99	6718.65
13.	महाराष्ट्र	5559.72	128.05	2929.92
14.	मणिपुर	-	183.34	-
15.	मेघालय	897.38	-	-
16.	मिजोरम	20.72	9.03	-
17.	नागालैंड	184.50	-	-
18.	उड़ीसा	3899.57	1900.31	-
19.	पंजाब	-	-	-
20.	राजस्थान	2591.93	1152.99	-
21.	सिक्किम	-	-	-
22.	तमिलनाडु	-	189.33	2138.65
23.	त्रिपुरा	27.78	-	-
24.	उत्तर प्रदेश	-	4039.45	-
25.	पश्चिम बंगाल	-	59.64	-
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	-	-	-
27.	चंडीगढ़	-	3.52	-
28.	दादर व नगर हवेली	-	3.17	-
29.	दमन व द्वीव	-	-	-
30.	दिल्ली	76.44	49.21	-
31.	लक्षद्वीप	-	-	-
32.	पांडिचेरी	19.20	-	-
	जोड़	26793.40	15340.95	19394.02

[हिन्दी]

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह (बिहार) : निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का जो हमारा दायित्व है, इसे पूरा करने के लिए अनुबंध में जो आंकड़ा दिया है, उसमें शिक्षा के क्षेत्र में बिहार, उड़ीसा आदि जो पिछड़े राज्य हैं उनमें जिला प्राथमिक कार्यक्रम 1995-96 के तहत अनुदान न देने का क्या कारण है?

[अनुवाद]

श्री एस.आर. बोम्मई : महोदय, सभी राज्यों को अनुदान किए गए हैं। अनुबंध में दिए गए आंकड़े केवल वर्ष 1995-96 के लिए है। अन्य राज्यों को अनुदान पहले दिया गया है। मैं उन राज्यों के बारे में आंकड़े देना चाहूंगा। मेरे पास आंकड़े हैं।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार राज्य को 160.26 करोड़ रुपये दिए गए।

[हिन्दी]

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम पर ..(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस.आर. बोम्मई : हमने उस बारे में बताया है। अनुबंध में केवल वर्ष 1995-96 के आंकड़े दिए गए हैं। यह योजना पिछले सात या आठ वर्ष से चल रही है। उन राज्यों को पूर्व के वर्षों में भी सहायता दी गई है।

[हिन्दी]

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर पढ़ा ही नहीं। मैं स्पष्टतः पूछ रहा हूं कि शिक्षा क्षेत्र में जो पिछड़े हुए राज्य हैं जिसमें बिहार है, उड़ीसा है, आपने जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तृतीय वर्ष 1995-96 में इन राज्यों के लिए किसी भी प्रकार की राशि क्यों आवंटित नहीं की?

[अनुवाद]

श्री एस.आर. बोम्मई : महोदय, भिन्न योजनाएं हैं, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को धन दिया गया है। मैं अलग-अलग आंकड़े देना चाहता हूं जैसा कि माननीय सदस्य चाहते हैं।

डी.पी.ई.पी. ग्यारह राज्यों में क्रियान्वित की गई है। असम के लिए वर्ष 1994-95 के दौरान 707.82 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई है। 1995-96 के दौरान 1959.18 लाख रुपये आवंटित किए गए थे।

अध्यक्ष महोदय : आप ये सभी आंकड़े सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री एस.आर. बोम्मई : मैं इसे सभा पटल पर रखूंगा।

[हिन्दी]

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मैं जो कुछ पूछ रहा हूं, उसका मंत्री जी जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि बिहार को पैसा न दिए जाने का क्या कारण है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप उन्हें बिहार के बारे में बताएं। आप केवल बिहार के आंकड़े दें।

श्री एस.आर. बोम्मई : मैंने बिहार के आंकड़े भी दिए हैं।

[हिन्दी]

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : इसमें बिल है। आप कृपया आंकड़े पढ़िए ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोय : कृपया माननीय मंत्री की बात सुनिए।

श्री एस.आर. बोम्मई : दोपहर के भोजन की योजना के अंतर्गत हमने खाद्यान्न दिए हैं। गेहूं दिया गया है।

श्री मधुकर सरपोतदार : प्रश्न कुछ और है तथा उत्तर कुछ और दिया गया है।

श्री एस.आर. बोम्मई : महोदय विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता दी गई है।

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : मैं जिला प्राथमिकी शिक्षा कार्यक्रम के आंकड़े चाहता हूं।

श्री एस.आर. बोम्मई : बिहार राज्य में योजना क्रियान्वित नहीं की गई है।

अध्यक्ष महोदय : बिहार में योजना क्रियान्वित नहीं की गई है।

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : ऐसा क्यों?

श्री एस.आर. बोम्मई : महोदय, जो राज्य आगे आते हैं वहां पर इस योजना को क्रियान्वित किया जाता है। यदि बिहार सरकार इस योजना की मांग हेतु आगे आती है तो हम वहां भी इसे क्रियान्वित करेंगे।

[हिन्दी]

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : बिहार सरकार ने अपना प्रतिवेदन भेज दिया है जो कि इनके मंत्रालय में लम्बित है। क्या सरकार इतनी जांच करा कर बिहार और उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों की मदद करना चाहती है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने कहा है कि यदि बिहार राज्य से अनुरोध प्राप्त होता है तो हम इन पर विचार करेंगे।

श्री एस.आर. बोम्मई : महोदय, हम अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे तथा हम इसे क्रियान्वित कराने की कोशिश करेंगे।

[हिन्दी]

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमैंट्री है ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपका तीसरा भी हो गया है।

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, नहीं हुआ है। मेरे एक सवाल का जवाब तीन बार में दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, जितनी प्राथमिक पाठशालाएं भवन-विहीन हैं, वहां सरकार कब तक भवन बना देगी?

[अनुवाद]

श्री एस.आर. बोम्मई : महोदय, बिहार के लिए हमारे पास डी पी ई पी न होकर एक अलग योजना है। बिहार शिक्षा कार्यक्रम की इस अलग योजना के अन्तर्गत हमने 31.30 करोड़ रु. दिये हैं ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया माननीय मंत्री को उलझन में मत डालो। उन्हें प्रश्न सुनना है।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : महोदय, प्राथमिक शिक्षा को भारत के संविधान के अन्तर्गत मौलिक बनाने के लिए अनेक प्रदेशों से निरन्तर मांग की जा रही है। क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार इस विशेष पहलू पर गम्भीरता से विचार कर रही है? यदि हां, तो प्राथमिक शिक्षा को संविधान के अन्तर्गत एक मौलिक अधिकार बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से सकारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं?

श्री एस.आर. बोम्मई : संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा स्वीकृत सांझा न्यूनतम कार्यक्रम में हमने यह विश्वास दिलाया है कि शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया जायेगा। उस निर्णय को लागू करने के लिए पहले ही तैयारी की जा रही है। ...**(व्यवधान)**

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : मेरा प्रश्न यह था कि सरकार द्वारा क्या सकारात्मक कदम उठाये गये हैं ...**(व्यवधान)**

श्री एस.आर. बोम्मई : आवश्यक संशोधन किया जायेगा। ...**(व्यवधान)** प्रारूप संशोधन पहले ही विचाराधीन है। हम यथा सम्भव शीघ्र संशोधन का प्रस्ताव करेंगे। ...**(व्यवधान)**

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : महोदय, हम वर्षों से ऐसा सुन रहे हैं ...**(व्यवधान)**

श्री शिवराज वी. पाटिल : हमें वास्तव में खुशी है कि सरकार ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार सम्बंधी अध्याय में शामिल करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार को बधाई दी जानी चाहिए। इसके साथ-साथ हम कम से कम उस योजना, जिसे सरकार ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार सम्बन्धी अध्याय में शामिल करने के लिए बनाया है और उस तंत्र, जिसका उपयोग बच्चों को यह अधिकार दिलाने के लिए किया जायेगा, का कुछ ब्यौरा जानना चाहेंगे।

श्री एस.आर. बोम्मई : महोदय, इस सरकार के सत्ता में आने के पश्चात दो महीने के अन्दर मैंने मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी जिसमें इस मामले पर चर्चा की गई थी। सभी मुख्यमंत्रियों ने प्राथमिक शिक्षा को उच्च प्राथमिकता देने पर सहमति व्यक्त की है। उसके पश्चात मैंने सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा सचिवों की बैठक बुलाई और दो दिनों तक इस मामले पर चर्चा की कि इस शताब्दी के अन्त तक सम्पूर्ण साक्षरता कैसे प्राप्त की जाये और इसे मौलिक अधिकार कैसे बनाया जाये। विचार विमर्श के पश्चात एक उप समिति का गठन किया गया।

श्री नीतीश कुमार : क्या यह लक्ष्य इस शताब्दी के अन्त से पहले अथवा अगली शताब्दी में प्राप्त किया जा सकेगा?

श्री एस.आर. बोम्मई : मैंने कहा है कि शताब्दी के अन्त...

श्री नीतीश कुमार : मैंने सोचा कि इसे अगली शताब्दी के अन्त से पहले प्राप्त किया जायेगा।

श्री एस.आर. बोम्मई : ठीक है, यदि आप उस तरीके से सोचते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा, अपेक्षित संसाधनों, स्कूल भवनों और अध्यापकों, प्रयोगशालाओं और पाठ्य पुस्तिकाओं की आवश्यकता का पता लगाने के लिए इस मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री एम.आर. सैकिया की अध्यक्षता में सभी राज्य मंत्रियों की एक उपसमिति गठित की गई थी। इस उप-समिति की तीन बैठकें हुई है। अन्त में इसकी बैठक के राय में हुई है और यह 15 दिनों के अन्दर मुझे रिपोर्ट देगी। तत्पश्चात मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन प्राप्त करने हेतु मंत्री जी के पास जाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आपने उत्तर प्रदेश के ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और डी.पी. ई.पी. कार्यक्रमों में वर्ष 1995-96 में शून्य राशि देना दर्शाया है। सिर्फ जो आपका एन.ई.पी. प्रोग्राम है उसके अंदर आपने 40 करोड़ रुपये की राशि प्रदेश सरकार को देना दिखाया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि अभी आपने बिहार के प्रश्न के उत्तर में जो यह बताया कि बिहार सरकार ने डी.पी.ई.पी. प्रोग्राम में कोई धन की मांग नहीं की है या कोई प्रोग्राम नहीं भेजा है। आज उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है। क्या उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के दौरान वर्ष 1995-96 में कोई भी धन की मांग डी.पी.ई.पी. के लिए की गई थी या नहीं की गई थी और अगर नहीं की गई थी तो केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के दायित्व का वहन करते हुए इस विषय में प्रदेश सरकार को कोई निर्देश दिये। यह मेरा पहला प्रश्न है और मेरा दूसरा प्रश्न जो की अति महत्वपूर्ण है वह यह है कि आपने जो नॉन फार्मल एजुकेशन के लिए 40 करोड़ रुपया दिया है, अध्यक्ष महोदय, यह पूरा पैसा नाली में जा रहा है, व्यर्थ हो रहा है। मैं गोंडा जिले से आता हूं। गोंडा जिले के अन्दर पिछले दिनों में हमारे एक बेसिक शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड किया गया था। क्योंकि नॉन-फार्मल एजुकेशन का 50 लाख रुपया तीन-चार लोगों ने मिलकर निकाल लिया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नॉन-फार्मल एजुकेशन के मामले में जो भ्रष्टाचार है, उसके निवारण के लिए तथा इस प्रोग्राम को इफैक्टिव तरीके से लागू करने के लिए सरकार क्या उपाय अपनाएगी? मेरे दो प्रश्न हैं और दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं इसलिए दोनों का उत्तर आना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री एस.आर. बोम्मई : महोदय, जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है वहां पर डी.पी.ई.पी. योजना लागू नहीं है लेकिन अन्य योजनाओं को उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश के लिए पर्याप्त धन भी जारी किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा परियोजना को विशेषरूप से उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से लागू किया जा रहा है।

जहां तक धन के दुरूपयोग का संबंध है, मैं मानता हूं कि धन के दुरूपयोग के मामले प्रकाश में आए हैं। हम इस पर अधिकाधिक निगरानी रखने का प्रयत्न कर रहे हैं और इस मामले में ग्राम-पंचायतों तथा स्वंय सेवी संगठनों की सहायता लेना चाहेंगे।

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह : मेरा प्रश्न यह है कि गोड़ा जिले में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराने के लिए क्या मंत्री जी आदेश देंगे ...**(व्यवधान)** एक उदाहरण आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से इस स्कीम के धन का दुरूपयोग हो रहा है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

मैं आपको एक साधारण सा उदाहरण दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : अभी कोई उदाहरण मत दीजिए।

(व्यवधान)

श्री एस.आर. बोम्मई : अगर आप मुझे उस विशेष मामले के बारे में बताएं तो मैं उसकी छानबीन करूंगा।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : महोदय, अभी आज सुबह हमने अपने संविधान को याद करते हुए एक समारोह किया था। क्या मंत्री महोदय को पता है कि हमारे संविधान में यह नीति निदेशक सिद्धान्त है कि 14 वर्ष की उम्र तक बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी? यदि संविधान में यह नीति-निदेशक सिद्धान्त है तो बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने हेतु यह सब प्रयास क्यों किया जा रहा है? जब उसकी व्यवस्था संविधान में पहले से मौजूद है तो सरकार ने संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों को क्रियान्वित करने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाए? वह क्यों राज्य के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन तथा जो प्रयास वह कर रहे हैं उसकी कहानी सुनाते हैं? ...**(व्यवधान)**

श्री एस.आर. बोम्मई : मैं माननीय सदस्य तथा हमारे पूर्व प्रधान मंत्री की बात से पूर्णतया सहमत हूं। यह दुर्भाग्य की बात है कि अनुच्छेद 45 में इसकी व्यवस्था होने के बावजूद हमारे देश में अभी भी 40 प्रतिशत से ज्यादा लोग निरक्षर हैं। कुछ राज्यों में 60 प्रतिशत से भी ज्यादा लोग, विशेषरूप से महिलाएं निरक्षर हैं। कुछ राज्यों में ऐसे जिले हैं जहां केवल पांच प्रतिशत महिलाएं ही साक्षर हैं। यहां तक कि उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि सरकार का दायित्व है कि वह अनिवार्य और निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा प्रदान करे। अभिप्राय यह है कि यदि इसे संशोधित किया जाता है और मौलिक अधिकार बनाया जाता है तो किसी के लिए भी न्यायालय में जाना और न्याय की मांग करना उसका अधिकार होगा।

श्री चन्द्रशेखर : क्या एक निरक्षर आदिवासी न्यायालय में जाकर मुकदमा लड़ने में सक्षम हो पायेगा? हमें इन बातों में नहीं उलझना चाहिए। ये गंभीर मामले हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री एस.आर. बोम्मई : मैं आपसे सहमत हूं। हमें इसमें संशोधन करना है। हमारा उद्देश्य यह है कि इस शताब्दी के अंत तक हम देश में सबको शिक्षित करना चाहते हैं और हम ऐसा करने का प्रयत्न कर रहे हैं ...**(व्यवधान)**

डा. असीम बाला : यह प्रश्न निःशुल्क शिक्षा के बारे में है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, दोपहर के भोजन को उपलब्ध कराने संबंधी योजना और अन्य परियोजनाएं भी चल रही हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों वाले क्षेत्रों में भी शिक्षा को लेकर कोई प्रगति नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार अगली पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों वाले इलाकों के लिए कोई विशेष कार्यक्रम लागू करने जा रही है?

श्री एस.आर. बोम्मई : हम अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए अधिकाधिक आवासीय स्कूलों को खोलने पर विचार कर रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना

***245. डा. मुरली मनोहर जोशी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार को इस संबंध में रिपोर्ट भेजने के लिए कब कहा गया था और केन्द्र सरकार द्वारा उक्त विश्वविद्यालय को अपने नियंत्रण में लेने के लिए निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) और (ख). इलाहाबाद विश्वविद्यालय को एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का मुद्दा कुछ समय से सरकार के पास विचाराधीन है। अप्रैल, 1991 में तत्कालीन प्रधान मंत्री द्वारा बुलाई गई एक बैठक में यह विचार सामने आया था कि ऐसे राज्य विश्वविद्यालयों को जो 100 वर्ष पहले स्थापित हुए थे, उन्हें केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया जा सकता है। यदि संबंधित राज्य सरकार इससे सहमत हो और संस्था के परिवर्तन के बाद भी अनुमानित योजनेत्तर व्यय वहन करने को तैयार हो।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मामले में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों की एक समिति गठित की गई थी जो इस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय के वर्ष 1990-91 के नियामक योजनेत्तर व्यय का आकलन करेगी। इस समिति ने इस व्यय का अनुमान 8.55 करोड़ रु. लगाया है। तथापि, राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय के वर्ष 1990-91 के दौरान योजनेत्तर व्यय के वास्तविक योगदान के लिए 6.46 करोड़ रु. का व्यय वहन करने का वचन दिया। तत्पश्चात, शीघ्र ही केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को भी वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि बजट में कमी के कारण इन विश्वविद्यालयों को सहायता का स्तर उनकी प्रक्षिप्त आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं था।

विद्यमान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के सामने आने वाले संसाधनों के अभाव को ध्यान में रखते हुए तथा विश्विविद्यालय अनुदान आयोग समिति द्वारा वर्ष 1990-91 के अनुमानित योजनेत्तर व्यय को

राज्य सरकार द्वारा पूरा करने में असमर्थ होने के कारण इलाहाबाद विश्वविद्यालय को एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करना निकट भविष्य में संभव नहीं है।

प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं

***246. श्री पी.सी. थामस :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने अनेक राज्यों को प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की है, और गत पांच वर्षों के दौरान राज्य-वार तथा परियोजना-वार दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केरल की "मुवत्तुपुजा घाटी सिंचाई परियोजना" को इस तरह की या अन्य कोई (किसी दूसरी) एजेन्सी द्वारा सहायता दी गई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा निर्धारित की गई या दी गई धनराशि और उसकी उपयोगिता का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा परियोजना का कार्य किस चरण में है;

(ग) क्या इस योजना के लिए आबंटित की गई धनराशि अन्य कार्य में लगाई गई है या अस्थायी रूप से वापस ले ली गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या कार्य के समय पर पूरा कर लिए जाने हेतु उक्त राशि को जारी कर दिया जाएगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

वृहद सिंचाई परियोजनाओं के लिए मार्च, 1992 से विशेष केन्द्रीय सहायता का विवरण निम्नलिखित है :-

राज्य का नाम	परियोजना का नाम	1992-93 से 1995-96 तक केन्द्रीय सहायता की राशि (करोड़ रु.)	1996-97 के लिए केन्द्रीय सहायता का अनुमोदित परिव्यय (करोड़ रु.)	टिप्पणी
राजस्थान	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	244.00	60.00 (परिव्यय)	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत
हरियाणा (अंतर्राष्ट्रीय)	सतलुज-यमुना लिंक नहर	22.95	8.00	केन्द्रीय वित्तपोषित परियोजना
पश्चिम बंगाल	तीस्ता परियोजना	111.00	32.00	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता
उड़ीसा	पोट्टारू सिंचाई परियोजना	34.80	4.77	पुनर्स्थापना और पुनर्वास परियोजना (1996-97) को दौरान अब तक निर्मुक्त राशि 4.00 करोड़ रुपए है।

सरदार सरोवर परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय ऋण सहायता का अनुमोदन किया गया था क्योंकि मार्च, 1993 में इस परियोजना को विश्व सहायता से अलग कर दिया गया था अब तक 330.76 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए हैं। (गुजरात 132.53 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश 134.51 करोड़ रुपए तथा महाराष्ट्र 63.72 करोड़ रुपए)।

वर्ष 1996-97 के दौरान, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत चालू सिंचाई और बहुप्रयोजनी परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए राज्यों को केन्द्रीय ऋण सहायता देने के लिए जल संसाधन मंत्रालय के बजट में 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वृहद और बहुप्रयोजनी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित की गई और निर्मुक्त की गई केन्द्रीय ऋण सहायता की राशि का राज्यवार, परियोजना-वार विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	केन्द्रीय ऋण सहायता की राशि (करोड़ रुपए में)	
			अनुमोदित की गई	निर्मुक्त की गई
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	श्रीरामसागर चरण-I	63.00	31.50
2.	बिहार	कोसी परियोजना (पश्चिम कोसी नहर)	20.00	10.00
		अपर कियूल	5.00	2.50
3.	गुजरात	सरदार सरोवर	93.00	46.50
4.	हरियाणा	जल संसाधन समेकन परियोजना	40.00	20.00
		गुडगांव नहर	5.00	2.50
5.	कर्नाटक	अपर कृष्णा परियोजना चरण-I	114.00	57.00
		मालाप्रभा	3.00	1.50
6.	केरल	कल्लडा	5.00	2.50
7.	मध्य प्रदेश	बाणसागर	31.00	15.50
		इंदिरासागर	51.00	25.00
8.	महाराष्ट्र	गोसीखुर्द	20.00	10.00
9.	उड़ीसा	रेंगाली सिंचाई	15.00	7.50
		अपर इन्द्रावती दायां तट नहर	38.00	19.00
		सुवर्णरेखा सिंचाई	36.00	18.00
10.	पंजाब	रणजीत सागर बांध	90.00	45.00

1	2	3	4	5
11.	तमिलनाडु	जल संसाधन समेकन परियोजना	40.00	20.00
12.	उत्तर प्रदेश	राजघाट बांध	6.00	3.00
		शारदा सहायक	20.00	10.00
		सरजू नहर	18.00	9.00
		मध्य गंगा सहित अपर गंगा का आधुनिकीकरण	20.00	10.00
13.	पश्चिम बंगाल	तीस्ता	5.00	2..50

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा मुवत्तुपुजा घाटी सिंचाई परियोजना के लिए केरल सरकार को कोई विशेष केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई हैं।

(ग) सिंचाई राज्य का विषय है और सिंचाई स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए निधियां राज्यों द्वारा उनके वार्षिक बजट से उपलब्ध कराई जाती है। केन्द्रीय सहायता ब्लॉक अनुदानों और ऋण के रूप में होती है जो विकास के किसी क्षेत्र अथवा परियोजना से जुड़ी नहीं होती है। केरल सरकार द्वारा परियोजना से निधियों का व्यपवर्तन अथवा अस्थाई निकासी के संबंध में केन्द्र में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) केरल सरकार ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता के लिए परियोजना को शामिल करने का प्रस्ताव किया है। वर्ष 1996-97 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत इस परियोजना के लिए निधियों का प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

पोलियो के रोगी

***247. श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय पोलियो के रोगियों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) पोलियो के रोगियों की संख्या में वृद्धि होने के क्या कारण हैं;

(ग) पोलियो के रोगियों की बढ़ती संख्या में कमी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार का इस प्रयोजनार्थ कौन-कौन सी योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) वर्ष 1995 में 30.10.1996 तक जिलों से पोलियो माइलिटिस के 779 रोगियों की सूचना मिली है।

(ख) सूचित रोगियों की संख्या 1987 में 28343 से घट कर 1995 में 8675 (आंकड़े अनन्तिम, स्रोत केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो) हो गई है।

(ग) और (घ). पोलियो के रोगियों में कोई वृद्धि नहीं हुई है तथापि, भारत सरकार ने 1995-96 में पोलियो माइलिटिस के उन्मूलन के लिए पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम आरम्भ किया है।

[अनुवाद]

असम में खेल-कूद परियोजना विकास क्षेत्र

***248. श्री दारका नाथ दास :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम तथा अन्य राज्यों में स्थापित किए गए खेल-कूद परियोजना विकास क्षेत्रों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दक्षिणी असम में भी कोई खेल-कूद परियोजना विकास क्षेत्र है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) असम के गोलाघाट में केवल एक खेल परियोजना विकास क्षेत्र (एस. पी.डी.ए.) की स्थापना की गई हैं।

अन्य राज्यों में स्थापित किए गए खेल परियोजना विकास क्षेत्र केन्द्रों का स्थान-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग). जी, नहीं। दक्षिणी असम में किसी भी खेल परियोजना विकास क्षेत्र के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

कार्यशील खेल परियोजना विकास क्षेत्रों/केन्द्रों का विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	खेल परियोजना विकास क्षेत्र/ केन्द्रों का स्थापना स्थल
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1. इलूरू
		2. निजामाबाद
2.	असम	1. गोलाघाट
3.	गुजरात	1. राजकोट
		2. देवगढ़ बारिया
4.	हरियाणा	1. कुरूक्षेत्र

1	2	3
5.	हिमाचल प्रदेश	1. धर्मशाला
6.	कर्नाटक	1. मेदिकरी
		2. धारवाड़
7.	केरल	1. कोल्लम
		2. त्रिसुर
8.	मध्य प्रदेश	1. धार
		2. जबलपुर
9.	महाराष्ट्र	1. बुलडाना
10.	मेघालय	1. शिलांग
11.	उड़ीसा	1. धेनकनाल
12.	पंजाब	1. लुधियाना
		2. पटियाला
13.	राजस्थान	1. अजमेर
		2. जोधपुर
14	तमिलनाडु	1. सलेम
15	उत्तर प्रदेश	1. सेफाई
		2. राय बरेली
16	पश्चिम बंगाल	1. लेबोंग
		2. बर्दवान

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना से संबद्ध गैर-सरकारी अस्पताल

***249. श्री प्रमोद महाजन :**

श्री तारीक अनवर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस आशय के अनुदेश जारी किए हैं कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाओं का लाभ उठाने के पात्र सरकारी कर्मचारी और सभी अन्य लोग गैर-सरकारी अस्पतालों में अपना उपचार करवा सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो अनुमत्य सुविधाओं/विशेष उपचार का ब्यौरा क्या है और उन गैर-सरकारी अस्पतालों के नाम क्या हैं जिनमें ऐसा उपचार कराने की अनुमति दी गई है;

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों द्वारा इन गैर-सरकारी अस्पतालों में उपचार कराने की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है और उपचार पर किए गए खर्च की पूर्ति कैसे की जाएगी;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को अस्पतालों के डाक्टरों की दया पर निर्भर रहने के लिए छोड़ दिया गया है जो उनके मामलों को गैर-सरकारी अस्पतालों को भेजने के लिए प्राधिकृत हैं;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों का सरकारी अस्पतालों के डाक्टरों के अनावश्यक हस्तक्षेप के बिना सक्षम गैर-सरकारी अस्पतालों में उपयुक्त इलाज हो सके; और

(च) इस प्रक्रिया से सरकारी अस्पतालों पर दबाव किस प्रकार से कम हो सकेगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत सुविधाएं बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने पुणे, कलकत्ता, हैदराबाद तथा दिल्ली में अनेक प्राइवेट अस्पतालों और नैदानिक केन्द्रों को मान्यता दी है।

21.6.1996 से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत सुविधाएं उपलब्ध कर रहे या तो सरकारी अस्पतालों अथवा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के विशेषज्ञ या सरकारी अस्पताल, जैसी भी स्थिति हो, की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पताल में विशेषज्ञ उपचार प्राप्त करने का विकल्प है। ऐसे अस्पतालों की एक सूची विवरण में संलग्न है, जिसमें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त प्रत्येक अस्पताल के लिए चिकित्सीय प्रक्रियाएं भी दी गई हैं।

सेवारत कर्मचारियों के मामले में अनुमति कर्मचारियों के मूल विभाग/कार्यालय द्वारा तथा पेंशनभोगियों, संसद सदस्यों, भूतपूर्व राज्यपालों आदि के मामले में अनुमति संबंधित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दी जा सकती है।

इस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति पैकेज डील दरों/समय-समय पर सरकार द्वारा अनुमोदित दरों तक सीमित होगी।

यदि कोई लाभार्थी उस शहर के बाहर उपचार की सुविधा पाना चाहता है जिस शहर में उसका टोकन कार्ड जारी किया गया है, तो ऐसे उपचार के लिए अनुमति शहर के निदेशक/अपर निदेशक (के.स. स्वा.यो.) द्वारा दी जा सकती है लेकिन इसके लिए कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा। यदि उस शहर में विशेषज्ञ सुविधा उपलब्ध है जिस शहर में वह केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभार्थी है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों द्वारा सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति लेने पर ही केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है।

(घ) से (ङ). जी नहीं। वास्तव में सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए रेफरल प्रणाली को सरल बनाया है। लाभार्थियों को योजना/सरकारी अस्पताल के विशेषज्ञों द्वारा विधिवत संस्तुति के बाद अब अपनी इच्छानुसार योजना के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त अस्पताल में इलाज कराने का विकल्प प्रदान किया गया है। अब सरकारी अस्पताल से "पलंग उपलब्ध नहीं" प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की भी आवश्यकता नहीं है।

(च) चूंकि अब केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को अपनी इच्छा अनुसार निजी अस्पतालों और नैदानिक केन्द्रों में जाने का विकल्प है, इसलिए सरकारी अस्पतालों पर भार में उसी अनुपात में कमी हो सकेगी।

विवरण

पुणे

1. शारदा क्लिनिक
408/1, घोरपाडे पेट, पुणे-042,
केवल आर्थोपेडिक

2. हार्दिकर अस्पताल
गनेशकिन्द रोड, पुणे, 005,
केवल आर्थोपेडिक

3. पुणे मेडिकल फाउंडेशन (रूबी क्लिनिक)
40, साससून रोड, पुणे-001
सभी प्रयोजनों के लिए

4. एन.एम. वाडिया इंडिस्टट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी
32, साससून रोड, पुणे-001
केवल कार्डियोलॉजी

5. त्रिउंफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड रिसर्च
32, साससून रोड, पुणे-001
केवल न्यूक्लियर मेडिसिन

6. संचेती ईस्टिट्यूट फॉर आर्थोपेडिक और पुनर्वास
16, शिवाजी नगर, पुणे-005
केवल आर्थोपेडिक

7. यूनी -स्केन सेन्टर
16, शिवाजी नगर, ईस्टिट्यूट कैम्पस, पुणे-005
केवल सी.टी. स्केन

8. के.ई. एम अस्पताल
सरकार मुदालयार रोड, रास्ता पेट, पुणे-001
एम.आई.आर. को छोड़कर सभी प्रयोजनों के लिए लिथोट्रिप्सी, रेडियोथिरेपी और लीवर ट्रांसप्लांट।

9. कोलोनी नर्सिंग होम
नवीपेट, पेट-030
ओ.बी.एस. और गायनी के लिए केवल

10. नेशनल ईस्टिट्यूट ऑफ ओप्थामोलोजी
1187/30, ऑफ घोल रोड, नीयर फूल म्यूजियम, शिवाजी नगर, पुणे-005
ओप्थामोलोजी केवल

11. आयन्स स्केन सेन्टर
जहांगीर अस्पताल और मेडिकल सेन्टर कैम्पस, 32,
साससून रोड, पुणे-001
केवल सी.टी. स्केन

12. मेडिनोवा डायग्नोस्टिक सर्विसेज लिमिटेड,
1319, जंगली महाराज रोड, मॉडर्न हाई स्कूल
के सामने, शिवाजी नगर, पुणे-004
केवल सी.टी. स्केन, कार्डियोलोजिकल, यूरोडायनेमिक और यूरोफ्लो स्टडीज, अन्य जांचें (डायग्नोस्टिक)

13. मेडिविजन
पाटिल प्लाजा, मित्र मंडल के सामने, नीयर सारस बाग, पुणे-019
केवल अल्ट्रासाउंड और सी.टी. स्केन

14. पुणे अस्पताल और रिसर्च सेन्टर
27, सदाशिव पेट, पुणे-030-एम.आर.आई. लिथोट्रिप्सी, लीवर ट्रांसप्लांट और रेडियोथिरेपी को छोड़कर सभी प्रयोजनों के लिए।

सामान्य :

1. ए.सी.टी. जनरल हॉस्पिटल सर्वे नं. 51/2, वनवारी विलेज, पुणे-040
सभी प्रयोजनों के लिए

2. श्री धर्म लीला डाग्नोस्टिक सेन्टर, पुणे-011
रेडियोलोजिकल जांच के लिए केवल

3. किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल,
सरदार मुदालयार रोड, रास्ता पेट, पुणे-011
डेंटल वास्कुलर को छोड़कर सभी प्रयोजनों के लिए

4. पाथक्वेस्ट पैथालाजी और इंडोक्रिनोलॉजी लेबोरेटी 8, वेलांकार, प्रथम मंजिल, लकी बेकरी के ऊपर, पार्वती दर्शन रोड, पुणे -009
केवल इंडोक्रिनोलॉजी

5. शारदा क्लिनिक
409/1, घोरपाडे पेट, पुणे-042
आर्थोपेडिक केवल

6. डा. टोकास एक्स-रे
128, टार्लिंग सेन्टर, प्रथम तल, अरोड़ा टावर के सामने, पुणे।
केवल एक्स-रे

7. पूना मेडिकल फाउंडेशन(रूबी हाल क्लिनिक)
40, सासून रोड, पुणे-001
सभी प्रयोजनों के लिए।

8. कोटबागी हॉस्पिटल
163, डी.पी.रोड, अयुंध, पुणे-007
डेंटल वास्कुलर सर्जरी को छोड़कर सभी प्रयोजनों के लिए।

9. पूना हॉस्पिटल और रिसर्च सेन्टर
27, सदाशिव पेट, पुणे-030
डेंटल वर्न वास्कुलर सर्जरी को छोड़कर सभी प्रयोजनों के लिए।

10. हल्दीकार हॉस्पिटल
गनेशकिन्द रोड, पुणे-005
केवल आर्थोपेडिक

11. संजीवन हॉस्पिटल
23, कर्वे रोड, पुणे-004
सभी प्रयोजनों के लिए

12. लोकमान्य हॉस्पिटल
चिंचवाड़, पुणे-003
सभी प्रयोजनों के लिए

13. मेडिनोवा डायग्नोस्टिक सर्विसेज लिमिटेड
1319, जंगली महाराज रोड, माडर्न, हाई स्कूल के सामने,
शिवाजी नगर, पुणे-004
केवल डायग्नोस्टिक, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, पैथ सी टी,
कार्यविधि

14. गुलाटी सोनोग्राफिक क्लिनिक
11, टार्लिंग सेन्टर, प्रथम तल, अरोड़ा टावर के सामने
एम.जी. रोड, पुणे-001
केवल अल्ट्रासाउंड

15. द्वारिका संगमसिकार मेडिकल फाउंडेशन,
नवी पेट, पुणे-030
पैथालॉजी, सी.टी. ओबीएस, और गायनी।

16. नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओप्थामोलॉजी
1187/30, ऑफ घोल रोड, नीयर फूल म्यूजियम, शिवाजीनगर,
पुणे-005।
केवल ऑप्थामोलॉजी।

17. होप फाउंडेशन कल्पना मोनोग्राफी सेन्टर
नीयर कांग्रेस भवन, पुणे।
केवल मेनोग्राफी।

18. दीन दयाल मेमोरियल हॉस्पिटल
926, खार्जुस्सन कालेज रोड, पुणे-2

19. भारती हास्पिटल
कटराज, धनकोरी, पुणे-043
प्लास्टिक सर्जरी, कोर्डिक सर्जरी,
न्यूरो सर्जरी, वास्कुलर सर्जरी को छोड़कर सभी प्रयोजनों के
लिए।

20. संचेती इंस्टिट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिक और पुनर्वास 16, शिवाजी
नगर, पुणे-005
ऑर्थोपेडिक, फिजियोथिरेपी, प्लास्टिक सर्जरी।

21. कृष्णा जनरल हास्टिपल और स्त्री क्लिनिक
2, अनजान रेल, प्रशांत सोसायटी, पौड रोड, पुणे-029
सभी प्रयोजनों के लिए।

22. एन.एम. वाडिया हॉस्पिटल
283, शु क्रवार पेट, पुणे-002
ई एन टी, अल्ट्रासाउंड और सी.टी. को छोड़कर सभी प्रयोजनों
के लिए।

मान्यता प्राप्त अस्पतालों की सूची

कलकत्ता

1. मेडिनोवा डायग्नोस्टिक सर्विसेज,
1-शरत चटर्जी एवेन्यू, कलकत्ता-29
-सी.टी. कार्डियोलॉजी जांचें और अन्य जांचों सहित सभी
जांच क्रियाविधियां

2. सुरक्षा डायग्नोस्टिक एवं आई. रिसर्च (प्राइवेट) लिमि.
पो-118, सी.आई.सी. रोड़, फुल बाग के नजदीक, कलकत्ता-54
सी.टी. कार्डियोलॉजी जांचों, यूरो-डायनेमिक,अन्य जांचों
सहित सभी जांच क्रियाविधियां और दिवस परिचर्या

3. बैल व्यू क्लिनिक
यू. ब्रह्मचारी रोड, कलकत्ता-20
सभी जांच क्रियाविधियों सहित डे-केयर, स्किन, आंख, नाक,
गला और आर्थोपैडिक को छोड़कर

4. क्लिनिक लेब्रोटरीज प्राइवेट लिमिटेड,
2-ए, चितरंजन एवेन्यू, कलकत्ता-72,
जांचें अर्थात् क्लिनिक पैथालॉजी, हैमाटोलॉजी, बायो-कैमिस्ट्री
हिस्ट्रोपैथालॉजी, बैक्टीरियाजॉजी और सिरोलॉजी।

5. बंसल हेल्थ केयर सेंटर,
276, रविन्द्र सरानी, कलकत्ता-7
जांचें अर्थात् एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, क्लिनिकल पैथालाजी,
हैमाटोलाजी बायो-केमिस्ट्री, हिस्ट्रोलॉजी, बैक्टीरियालॉजी
और सिरोलॉजी

6. मां दुर्गा डायग्नोस्टिक रिसर्च इंस्टीट्यूट
गुडलक हाऊस, पो-62, सी.आई.टी. स्कीम नं. 7(एम)
कलकत्ता 52 -जांचे अर्थात् क्लीनिकल पैथालॉजी, हैमाटोलॉजी,
बायो कैमिस्ट्री हिस्ट्रोपैथालॉजी, बैक्टीरियालॉजी और सिरोलॉजी।

7. कैंसर सेंटर एंड वैलफ़ेयर होम, ठाकुर पुकर, कलकत्ता।
-कैंसर का इलाज, स्किन और सभी जांच क्रियाविधियां

8. रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान अस्पताल,
शरत बोस रोड, कलकत्ता-20
सभी उपचार और नैदानिक क्रियाविधियां

9. कलकत्ता हार्ट रिसर्च सेंटर
114-बी, शरत बोस रोड, कलकत्ता-20
-सभी जांच क्रियाविधियां, सी टी स्किन को छोड़कर

10. बहेला बाला नंद ब्रह्मचारी अस्पताल,
151-153, डायमंड हैरबर रोड, कलकत्ता-34
-सभी उपचार और नैदानिक क्रियाविधियां।

11. नाइटिंगेल डायग्नोस्टिक सेंटर,
11, शेक्सपियर सरानी, कलकत्ता-71
-सभी क्रियाविधियां और डे-केयर आर्थोपेडिक्स को छोड़कर।

12. हेल्थ केयर एंड अल्ट्रासाउंड स्केन सेंटर,
33/1, नार्थन एवेन्यू, कलकत्ता-30,
केवल ई.सी.जो. और अल्ट्रासाउंड

13. वाकर्ड मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर,
शरत बोस रोड, कलकत्ता-20
-सी.टी. कार्डियोलाजिकल जांचें, लिथोट्रिप्सी, यूरोलॉजी और लैप्रोस्कोपो सर्जरी।

14. डा. निहार मुंशी आई फाउंडेशन,
1/3, डोवर पैलेस, कलकत्ता-19
आई.ओ. एल. सहित अपथोमलॉजी

15. जनप्रिय अस्पताल कार्पोरेशन लिमिटेड (डंकन अपोलो)
लील राय सरानी, कलकत्ता-20
सभी नैदानिक क्रियाविधियां।

हैदराबाद

1. श्री मेडिकल केयर (मेडिसिटी)
5-9-22, सरोवर सैकट्रीएट रोड, हैदराबाद-4
सामान्य और विशेषज्ञता-तीव्र चिकित्सा परिचर्या, कार्डियोलॉजी, कार्डियोपोसिस,जठरांत्र रोग विज्ञानी, नैफोथोलॉजी, प्रयोगशाला विज्ञान और विकिरण विज्ञानी

2. मेडिविन अस्पताल,
राघव रत्न, टावर, चिराग, अली लेन, हैदराबाद-1
लिथोट्रिप्सी को छोड़कर सभी विषय प्रयोजन (सामान्य और विशिष्ट)

3. विजय डायग्नोस्टिक सेंटर,
3-6-20, तिरूमल्ला अपार्टमेंट, स्काईलैंड थियेटर, लेंस, बशीर बाग, हैदराबाद-29
(सी.टी. स्कैन, एक्स-रे, अल्ट्रा-साउंड सहित नैदानिक क्रियाविधियां (सामान्य और विशिष्ट)

4. गगन महल नर्सिंग होम,
1-2-379, गगन महल, हैदराबाद-29
-सामान्य प्रयोजन, प्रसूति और स्त्री रोग केवल

5. सी.डी.आर. अस्पताल, 3-6-287,
हैदर गुडडा, हैदराबाद,-29
(सामान्य और विशिष्ट)

6. अपोलो अस्पताल,
जुबली हिल, हैदराबाद-33
विकिरण सीरा विज्ञान सहित सभी प्रयोजन (सामान्य और विशिष्ट)

7. एल.वी. प्रसाद आई अस्पताल,
रोड, नं0-2, बंजारा हिल, हैदराबाद-24
केवल चेत्र चिकित्सा

8. मेडिनोवा डायग्नोस्टिक सेंटर,
6-3-352, सोमाजी गुड्डा, हैदराबाद-82
-एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, कलर डोपलर, इको, सी.टी. स्कैन सहित सामान्य और नैदानिक क्रियाविधियां

9. यशोदा सुपर स्पैस्लीटि अस्पताल,
मालक पेठ, हैदराबाद-36
तीव्र चिकित्सा परिचर्या, कार्डियोलॉजी और सामान्य किस्म का उपचार और नैदानिक क्रिया विधियां।

10. श्रवण नर्सिंग होम,
5-3-847, मोजमा की मार्किट हैदराबाद-1
-सामान्य उपचार सुविधाएं और नेगी नैदानिक क्रियाविधियां

11. कैलाश डायग्नोस्टिक और रिहैब्लीटेशन सेंटर,
5-4-183, टिवन सिटी मार्किट, जे.एन.रोड, बुरामजाही मार्किट हैदराबाद-1
-एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, ईई.जी. और फिजियोथिरेपी सहित नैदानिक सुविधाएं।

12. तपीडिया डायग्नोस्टिक सेंटर,
1-7-1072/ए, सप्तगिरी थियेटर के सामने, डायरिया नर्सिंग होम के साथ, आर.टी.सी. एक्स रोड, हैदराबाद-20

13. ईश्वर लक्ष्मी अस्पताल,
प्लाट नं. 9, गांधी नगर, हैदराबाद-48
नेमी नैदानिक क्रियाविधियों के साथ सामान्य उपचार

14. सागर लाल मेमोरियल अस्पताल,
1-5-551, मुर्शीदाबाद, हैदराबाद-48
-सामान्य उपचार और नेमी नैदानिक क्रियाविधियां।

15. न्यू सिटी अस्पताल,
न्यू सिटी 35, सरोजिनी देवी रोड, सिकंदराबाद-3
-सामान्य उपचार और नेमी नैदानिक क्रियाविधियां

16. गीता मैट्रनिटी एंड नर्सिंग होम,
वैस्ट मार्क पल्ली, सिकंदराबाद
-सामान्य उपचार और नेमी नैदानिक क्रियाविधियां

17. अशोक कुमार अस्पताल
3-4-136/ए, बरतपुरा,
हैदराबाद-27
-सामान्य किस्म की ई.एन.टी. उपचार क्रियाविधियां

18. सी.सी. शॉर्फ मेमोरियल अस्पताल,
3-4-801, बरवतपुरा,
हैदराबाद-27
-नेमी नैदानिक क्रियाविधियों के साथ सामान्य उपचार

19. सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट,
14-7-24/27, पित्रुछाया, शवानी, ट्रांसपोर्ट के सामने, बेगम बाजार, हैदराबाद-12
-सामान्य प्रयोजन नैदानिक क्रियाविधियां।

20. प्रिंससिज धरू शेवर चिल्ड्रन अस्पताल
पुरानी हवेली, हैदराबाद-2
-सामान्य प्रयोजन उपचार एवं नैमी नैदानिक क्रियाविधियां।

21. हरी प्रसाद मेमोरियल अस्पताल,
रकाब गंज, उत्तर गड्डी हैदराबाद-2
-सामान्य प्रयोजन उपचार एवं नेमी नैदानिक क्रियाविधियां।

22. श्री भगवान देवी मेटरनिटी एवं ओरथोपैडिक अस्पताल,
21-1-191, चार कमान, हैदराबाद-2
-सामान्य प्रयोजन विकलांग एवं स्त्री और प्रसूति रोग उपचार क्रियाविधियां।

23. कैमनिनी अस्पताल,
एल.बी. नगर, हैदराबाद, आर.आर. जिला
-सामान्य प्रयोजन (सामान्य एवं विशेष)

मान्यताप्राप्त अस्पतालों की सूची

दिल्ली

1. नरेन्द्र मोहन अस्पताल,
मोहन नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
-सी.टी. कार्डियोथीरासिस सर्जरी, वैषकुलर सर्जरी, प्रतिरोपण, लिथाट्रीप्सी, विकिरण चिकित्सा को छोड़कर विशिष्ट और सामान्य प्रयोजन वाले उपचार और नैदानिक प्रक्रिया दोनों।

2. बतरा अस्पताल एवं चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र 1, तुगलकाबाद इन्डस्ट्रीयल एरिया, एम बी रोड, न. दिल्ली-62
-एम आर आई, लिथोट्रीप्सी, प्रतिरोपण को छोड़कर विशिष्ट और सामान्य प्रयोजन वाले उपचार और नैदानिक प्रक्रिया दोनों।

3. एसकोर्ट अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, फरीदाबाद, हरियाणा
-सामान्य प्रयोजन, उपचार एवं नैदानिक प्रक्रिया

4. डा. आनन्द अल्ट्रासाउंड एंड सी टी स्कैन
एफ-24, प्रीत विहार, विकास मार्ग, दिल्ली-92
-अल्ट्रासाउंड, सी टी स्कैन और एक्स-रे

5. आनन्द अस्पताल
21, कम्युनिटी सेंटर, प्रीत विहार, दिल्ली-92
-एम आर आई, कार्डियोथीरासिस सर्जरी, लिथोट्रीप्सी, प्रतिरोपण को छोड़कर विशिष्ट और सामान्य प्रयोजन वाले उपचार और नैदानिक प्रक्रिया

6. ओरथोनोवा
22-23, लोकल शापिंग काम्प्लेक्स, मदनगिर, नई दिल्ली-62
-विकलांग उपचार एवं संबंधी नैदानिक प्रक्रिया गहन चिकित्सा परिचर्या

7. मूलचन्द खैराती राम अस्पताल
लाजपत नगर-III, नई दिल्ली-24
-सामान्य प्रयोजन उपचार और नैदानिक प्रक्रिया और हृदय रोग विज्ञान एवं डायलिसिस

8. सर्वोदया चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र,
जी डी-28, प्रीतम पुरा, दिल्ली-34
केवल सी टी स्कैन

9. नार्थ प्लाइंट अस्पताल प्रा. लि.
1-ग, जंगपुरा, नई दिल्ली
केवल लथोट्रीप्सी

10. आर जी स्टोन यूरोलौजीकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट,
एफ-7,ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली-65
-नेफ्रोलोजी/यूरोलोजी, लिथोट्रीप्सी और संबंधित नैदानिक प्रक्रियाएं

11. कैलाश अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र
एच-33, सैक्टर-27, नौएड़ा-201301, उत्तर प्रदेश
-सामान्य प्रयोजन उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं

12. जी एम आर इन्टीटट्यूट आफ इमेजिंग, रिसर्च, एम आर एस स्कैन सेन्टर, 35-बी, पूसा रोड, नई दिल्ली-5
-अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे, एम आर आई

13. मेडिकल लैबोरेटरी सर्विसेज,
ई-67, साकेत, नई दिल्ली-17
-सामान्य प्रयोजन नैदानिक प्रक्रियाएं केवल

14. साउथ दिल्ली अल्ट्रासाउंड एण्ड एक्स-रे क्लिनिक
ए-44, हौज खास, नई दिल्ली-16
केवल एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड

15. जी.एम. मोदी अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, मंदिर मार्ग, साकेत, नई दिल्ली-17
-सामान्य प्रयोजन, उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं

16. जयपुर गोल्डन अस्पताल
2, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, रोहणी, नई दिल्ली-85
-सामान्य प्रयोजन, उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं

17. नौएडा मेडिकल सेंटर लि.
16-सी, सेक्टर-30, नोएडा, उत्तर प्रदेश
-सामान्य प्रयोजन, उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं

18. इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल
सरिता विहार, दिल्ली-मथुरा रोड, नई दिल्ली-44
-सामान्य एवं विशिष्ट उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं

19. दिल्ली सी टी एंड एम आर आई केन्द्र
आशलोक अस्पताल, 25-ए, ब्लाक-ए बी, कम्युनिटी सेंटर
सफदरजंग एंक्लेव (कमल सिनेमा के पीछे), नई दिल्ली-29
केवल सी टी स्कैन एवं एम आर आई

20. धर्मशिला कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र
वसुंधरा एन्क्लेव, दिल्ली-96
-कैंसर नैदानिक प्रक्रियाएं एंव उपचार

21. डा. हाण्डा एक्स-रे एंड नैदानिक केन्द्र,
बी-87 डिफेंस कालोनी, एंड्रयूजगंज क्रासिंग के पास,
नई दिल्ली-49
-एक्स रे और अल्ट्रासाउंड

22. सैंट स्टीफेन अस्पताल
तीस हजारी, दिल्ली-54
-एम आर आई, लिथोट्रीप्सी, डाइलिसिस और अंग प्रत्यारोपण को छोड़कर सभी प्रयोजनों के लिए

23. एस्कोर्ट हार्ट इन्स्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर,
ओखला, नई दिल्ली-65
-कार्डियोलोजी, कार्डियोरासिस और वैस्कुलर सर्जरी

24. नेशनल हार्ट इन्स्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर
सपना कामर्शियल काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-65
-कोर्डियोलोजी, कार्डियोथोरेसिस और वैस्कुलर सर्जरी

चिकित्सा स्टाफ को प्रशिक्षण

***250. डा. कृपासिन्धु भोई :**
श्री के.पी. सिंह देव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी के लिए स्वास्थ्य अवधारणा को साकार बनाने की दृष्टि से चिकित्सा अधिकारियों, उनके स्टाफ तथा स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं को अपेक्षित प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कोई विशिष्ट योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं और डाक्टरों के प्रशिक्षण को पूरा करने हेतु कोई विशेष समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस कार्य हेतु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का चयन करते समय क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है; और

(च) इस वर्ष के दौरान कितने चिकित्सा अधिकारियों तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किए जाने का प्रस्ताव है तथा इस संबंध में अन्य ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (च). परिवार कल्याण विभाग ने चिकित्सा अधिकारियों तथा परिवार कल्याण के कामगारों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए दिशा-निर्देश तैयार कर लिए हैं और सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित कर दिए हैं।

परिवार कल्याण कार्यक्रमों के सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण की योजना तथा कार्यान्वयन को जिला स्तर पर विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है। जिला प्रशिक्षण योजनाओं में सभी कार्यकर्ताओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर प्रशिक्षण समेकित करने हेतु कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य, महिला और शिशु विकास, शिक्षा, शहरी रोजगार तथा गरीबी निवारण विभागों तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रशिक्षण घटकों को, जो परिवार कल्याण विभाग के प्रशिक्षण संबंधी उपक्रमों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मुद्दों को प्रभावित करते हैं, समेकित करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है।

अब से कार्यों के आधार पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा तथा उसमें नैदानिक, संचार तथा प्रबंधकीय कुशलताओं में होने वाली कमियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चूंकि प्रशिक्षण एक निरंतर प्रक्रिया है, अतः कार्यकर्ताओं को जिला स्तर पर राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्धारित किए जाने वाले नियमित अंतरालों पर प्रशिक्षण आवर्तनों से अवगत कराया जाएगा।

स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का चयन तैयार की जा रही जिला प्रशिक्षण योजना में जिलों द्वारा किया जाएगा। 1997-98 में शुरू हो रहे अनंतिम प्रशिक्षण कार्यभार जिसके चरणों में कवर होने और 5 वर्षों से अधिक की अवधि में पूरे किए जाने की आशा है, नीचे दिए गए हैं :-

कार्मिकों की श्रेणी	प्रशिक्षित किए जाने वालों की संख्या
विशेषज्ञ डाक्टर	2621
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर	26583
खंड विस्तार शिक्षक	5616
स्वास्थ्य सहायक (पुरूष)	15879
स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष)	61607
स्वास्थ्य सहायक (महिला)	19019
स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)	133452
फार्मासिस्ट	19225
प्रयोगशाला तकनीशियन	10163
नर्स मिडवाइफ	12600
रेडियोग्राफर	1274

राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम

*251. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में "राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम" केन्द्र सरकार के मार्गदर्शन और निगरानी में कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में यह कार्यक्रम किन अधिकारियों/कर्मियों की निगरानी में कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ग) विभिन्न राज्यों में इस कार्यक्रम को किस नाम से जाना जाता है;

(घ) क्या विभिन्न राज्यों में तैनात कर्मियों के वेतनमान और सेवा शर्तें एक समान हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उन्हें समान स्तर पर लाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) परा-चिकित्सा नेत्र विज्ञान सहायक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का आधारभूत कार्यकर्ता होता है, जो केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के पर्यवेक्षण में कार्य करता है।

(ग) यह कार्यक्रम "राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम" के रूप में जाना जाता है।

(घ) और (ङ). स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के नाते कार्यक्रम में लगे कर्मियों के वेतनमानों और सेवा शर्तों को संबंधित राज्यों द्वारा निर्धारित किया जाता है।

[हिन्दी]

भारतीयों को पाक वीजा

*252. **श्री मुनव्वर हसन :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि भारत स्थित पाकिस्तान उच्चायोग द्वारा पाकिस्तान जाने वाले भारतीयों को जारी किए जाने वीजा की संख्या को सीमित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) पाकिस्तान भारतीय राष्ट्रिकों के जारी किए गए वीजा की संख्या के बारे में हमें सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं समझता है। तथापि ऐसा समझा जाता है कि पाकिस्तान ने ऐसी जटिल क्रियाविधि अपनाई है जिसने भारतीय राष्ट्रिकों के लिए उनकी वीजा नीति को अत्यन्त प्रतिबंधात्मक बना दिया है।

(ख) हमारा ऐसा मानना है कि लोगों से लोगों के बीच सम्पर्कों को संवर्द्धित करने से दोनों देशों के बीच विश्वास, मैत्री और सहयोग के संबंध स्थापित करने में सहायता मिलेगी। अतः हमने भारत आने के इच्छुक पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को वीजा प्रदान करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए कई एकतरफा उपाय किए हैं। पाकिस्तान की वीजा नीति द्विपक्षीय संबंधों के बारे में उनके नकारात्मक दृष्टिकोण को परिलक्षित करती है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

*253. **श्री पिनाकी मिश्र :**

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्य योजना 2001 के अंतर्गत चलाये जा रहे राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के बावजूद इस वर्ष मलेरिया ने राजस्थान और उत्तर भारत के अन्य राज्यों में खतरनाक रूप ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र में कौन-कौन से क्षेत्र इससे प्रभावित हुए हैं; कितने मामलों का पता चला है तथा इससे कितनी जानें गई हैं और पिछले दो वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) देश के विभिन्न भागों के विशेषकर मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा इस वर्ष क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार उत्तर भारतीय राज्यों नामतः बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर , पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, और संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ में मलेरिया की बढ़ती हुई घटना 1996 के दौरान देखी गई है। राजस्थान के अलवर, भरतपुर, दौसा, धोलपुर, सीकर, डुंगरपुर और सवाई माधोपुर जिलों तथा हरियाणा के गुडगांव जिले के मेवात क्षेत्र में वर्तमान वर्ष के दौरान प्रकोपों की सूचना मिली है।

(ख) सूचना विवरण में संलग्न है।

(ग) राज्यों में प्रकोपों को रोकने तथा रोग को नियंत्रित करने के लिए निम्नांकित कदम उठाए गए हैं :-

(i) हरियाणा के गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों को औषधों, कीटनाशियों एवं फॉगिंग मशीनों की अतिरिक्त सप्लाई की गई। हरियाणा सरकार को पहली बार सिंथेटिक पायरेथ्रायड की सप्लाई की गई।

(2) केन्द्रीय सरकार ने पर्याप्त मात्रा में मलेरिया-रोधी औषधों और कीटनाशियों को सप्लाई राज्यों में की है।

(3) तकनीकी सहायता के रूप में, प्रभावित क्षेत्रों का आवधिक रूप से दौरा करने के लिए केन्द्र से विशेषज्ञ दल भेजे गए ताकि स्थिति से निपटने हेतु तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई करने की सलाह दी जा सके।

(4) मलेरिया की स्थिति का प्रभावी अनुवीक्षण करने के लिए केन्द्र एवं राज्यों दोनों में गहरा तालमेल, नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं।

(5) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे रोग संचरण को ऋतु प्रारंभ होने से पूर्व निवारक उपायों को निम्नलिखित पर विशेष जोर देकर तेज करें :-

- ग्रामीण स्तर पर औषध वितरण केन्द्रों, ज्वर उपचार डिपुओं की स्थापना के जरिए मलेरिया के रोगियों का शुरू में निदान तथा द्रुत उपचार करना।
- तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की गई समय अनुसूची के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कीटनाशी छिड़काव और शहरी क्षेत्रों में लार्वारोधी आपरेशन के जरिए वेक्टर नियंत्रण।
- सूचना, शिक्षा व संचार गतिविधियों का तीव्रकरण तथा समुदाय सहभागिता पर विश्वास।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		वर्ष	मलेरिया रोगी	मौतें	प्रभावित क्षेत्र
1		2	3	4	5
1.	हरियाणा	1994	29810	शून्य	गुडगांव जिले का मेवात
		1995	59621	शून्य	क्षेत्र
		1996	80584	1820	(2.12.96 तक बुखार से हुई मौतें) **
		1995	31475	शून्य	(2.12.95 तक)
2.	राजस्थान	1994	241255	452	अलवर, भरतपुर, दौसा,
		1995	250780	74	धौलपुर, डूंगरपुर, सीकर
		1996*	172480	80	(2.11.96 तक-सवाई माधोपुर (करौली)
		1995*	198308	72	(2.11.95 तक)
3.	बिहार	1994	71900	12	
		1995	86722	50	शून्य
		1996*	35921	शून्य	
		1995*	34369		
4.	हिमाचल प्रदेश	1994	3091	शून्य	शून्य
		1995	6675	शून्य	
		1996*	6965	शून्य	
		1995*	5329		
5.	जम्मू व कश्मीर	1994	2760	शून्य	शून्य
		1995	9005	शून्य	
		1996*	12436	शून्य	
		1995*	7804	शून्य	
6.	पंजाब	1994	15601	1	
		1995	28609	8	
		1996*	29900	3	शून्य
		1995*	20791	शून्य	

1		2	3	4	5
7.	उत्तर प्रदेश	1994	89617	शून्य	
		1995	105235	शून्य	
		1996*	76023	शून्य	
		1995*	61557	शून्य	
8.	दिल्ली	1994	7229	शून्य	शून्य
		1995	7470	शून्य	
		1996*	7501	शून्य	
		1995*	6200	शून्य	
9.	चंडीगढ़	1994	7853	शून्य	शून्य
		1995	9875	शून्य	
		1996*	8755	शून्य	
		1995*	7938	शून्य	

* समान अवधि (13.11.1996) के तुलनात्मक आंकड़े।

** गुडगांव जिले के मेवात क्षेत्र में मलेरिया और बुखार से हुई मौतों की उच्च घटना अभूतपूर्व वर्षा, बाढ़, लोगों की कम पोषणज स्थिति, कम हीमोग्लोबिन स्तर, भारी जल जमाव के कारण मलेरिया के फैलाव के कारण हुई हैं और ये सभी रूग्णता और मृत्युदर स्तरों में वृद्धि के लिए जिममेदार हैं। कई तकनीकी टीमें तैनात करके; औषधें और कीटनाशी प्रदान करके राज्य और प्रभावित क्षेत्रों को सहायता देने हेतु काफी उपाय किए गए।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण तथा विकास हेतु धनराशि

***254. श्री सत महाजन :**

श्री भक्त चरण दास :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और विकास हेतु विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) आठवीं योजना के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और विकास हेतु कुल कितनी राशि की मांग की गई; और

(घ) आठवीं योजना की बकाया अवधि के दौरान इस कार्य के लिये राज्यवार कितनी अतिरिक्त राशि आवंटित करने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख).

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	1992-93 आबंटन	1993-94 आबंटन	1994-95 आबंटन	1995-96 आबंटन	1996-97 आबंटन
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	2600.00	4450.00	4590.50	4010.00	3700.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	80.00	100.00	130.00	0.00	0.00
3.	असम	1275.00	1400.00	1485.00	1650.00	1700.00
4.	बिहार	1385.00	1900.00	1875.00	1750.00	1500.00
5.	चंडीगढ़	25.00	20.00	25.00	25.00	24.00
6.	दिल्ली	700.00	50.00	150.00	400.00	400.00

1	2	3	4	5	6	7
7.	गोवा	850.00	550.00	375.00	500.00	700.00
8.	गुजरात	4650.00	6200.00	5650.00	4398.00	2800.00
9.	हरियाणा	1870.00	3220.00	5160.00	5535.00	7900.00
10.	हिमाचल प्रदेश	1150.00	1200.00	1350.00	1600.00	1200.00
11.	जम्मू और कश्मीर	50.00	40.00	45.00	50.00	100.00
12.	कर्नाटक	1880.36	2450.00	2425.00	2600.00	3300.00
13.	केरल	1400.00	3039.00	2750.00	3980.00	5000.00
14.	मध्य प्रदेश	1915.00	1450.00	1534.50	2020.00	1020.00
15.	महाराष्ट्र	3280.00	2500.00	2675.00	2899.00	1920.00
16.	मणिपुर	250.00	300.00	325.00	500.00	360.00
17.	मेघालय	387.00	470.00	500.00	600.00	900.00
18.	नागालैंड	50.00	45.00	40.00	50.00	10.00
19.	उड़ीसा	1375.00	1050.00	3390.00	3304.00	5510.00
20.	पांडिचेरी	44.64	50.00	50.00	50.00	50.00
21.	पंजाब	2800.00	2200.00	3500.00	5860.00	5800.00
22.	राजस्थान	3095.00	3800.00	4350.00	6070.00	4200.00
23.	तमिलनाडु	1600.00	2950.00	2503.50	1100.00	1905.00
24.	उत्तर प्रदेश	4995.00	4250.00	6264.00	7670.00	7610.00
25.	पश्चिम बंगाल	2230.00	3500.00	3937.00	3810.00	3410.00
26.	बी आर डी बी	3850.00	4850.00	4800.00	5100.00	5300.00
27.	जोगीघोपा	2000.00	2000.00	3160.00	2000.00	2790.00
28.	मंत्रालय	0.00	0.00	214.00	3218.00	4455.00
	जोड़	45787.00	52034.00	63303.50	70749.00	75964.00

(ग) और (घ). राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है। तथापि उपलब्ध निधियां आवश्यकताओं का लगभग 40 प्रतिशत रही हैं। इसलिए सभी राज्यों की मांगों को पूर्णतः पूरा नहीं किया जा सका। 8वीं योजना के दौरान राज्यों के लिए 3078 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।

[अनुवाद]

अन्तर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण को धनराशि

***255. श्री शान्तिलाल पुरषोत्तम दास पटेल :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95, 1995-96, तथा 1996-97 के दौरान अन्तर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण हेतु कितनी राशि आवंटित की गई;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान कोई भी नवीन मुख्य परियोजनाएं शुरू नहीं की गई हैं;

(ग) क्या चालू परियोजनाओं का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है और ऐसी आशंका है कि इन परियोजनाओं का कार्य आठवीं योजना के दौरान पूरा नहीं हो सकेगा; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को किया गया वर्षवार आबंटन नीचे दर्शाया गया है :-

1994-95	6.30 करोड़ रु.
1995-96	6.65 करोड रु.
1996-97	16.65 करोड़ रु.

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ). तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के आकलन से संबंधित अध्ययन इत्यादि जैसे विभिन्न प्रकार के अध्ययन कार्यों पर लगने वाले समय के कारण आठवीं पंचवर्षीय योजना के आरंभिक वर्षों के दौरान विभिन्न स्कीमें तैयार करने में कुछ विलम्ब हुआ है। तथापि, आबंटित धनराशि के उपयोग से संबंधित स्थिति में सुधार हुआ है और वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान क्रमशः 96 प्रतिशत और 92 प्रतिशत धनराशि उपयोग में लाई गई।

[हिन्दी]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का कार्यकरण

***256. श्रीमती शीला गौतम :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कार्यकरण के संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य अनुसंधान फाउंडेशन के माध्यम से कोई अध्ययन कराया था;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उनसे संबद्ध उप-केन्द्रों के कार्यकरण में सुधार लाने की दृष्टि से क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) सामुदायिक स्वास्थ्य अनुसंधान फाउंडेशन (फाउंडेशन फार रिसर्च इन कम्यूनिटी हैल्थ) मुम्बई को स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी के क्षेत्र में पहले ही प्रकाशित अनुसंधान पर अधारित पांच मुख्य विषयों को कवर करने के लिए अक्तूबर, 1992 में एक अध्ययन संबंधी कार्य सौंपा गया था।

(ख) मुख्य निष्कर्ष अन्य बातों के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधनों के प्रावधानों में अंतर्राज्यीय प्राथमिकताओं, विभिन्न स्थानों पर लाभार्थियों की पसंद, शहरी एंव ग्रामीण क्षेत्रों में कमियां आदि से संबंधित है।

(ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेन्द्रों द्वारा उचित ढंग से कार्य की जिम्मेवारी राज्य की होती है। न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां (राज्य क्षेत्र) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेन्द्रों जैसे ग्रामीण स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए निर्धारित होती हैं। केन्द्र सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे के माध्यम से चलाए जा रहे अनेक कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन तैयार करने और वित्तीय सहायता देने में राज्यों की सहायता कर रही है। इनमें स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण, शिशु जीवन रक्षा व सुरक्षित मातृत्व और मलेरिया, कुष्ठ, दृष्टिहीनता, क्षयरोग, एड्स आदि जैसे रोग नियंत्रण कार्यक्रम शामिल हैं।

समुद्री दीवार

***257. श्री टी. गोविन्दन :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केरल में भू-क्षरण रोकने के लिए बनाई गई समुद्री दीवार की सुरक्षा के लिए विश्व बैंक सहायता उपलब्ध कराने संबंधी केरल सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) भूमि-कटाव रोकने के लिए केरल में बनाई गई समुद्री दीवार की सुरक्षा के लिए विश्व बैंक सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित ऐसा कोई प्रस्ताव केरल सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन

*** 258. श्री बीर सिंह महतो :**
श्री चित्त बसु :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, 96 में आयोजित राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करने हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : 10 अगस्त, 1996 को नई दिल्ली में आयोजित शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने संबंधी प्रस्ताव की रूपात्मकताएं तैयार करने हेतु तथा प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित संसाधनों का पता लगाने के लिए शिक्षा राज्य मंत्री श्री मुही राम सैकिया की अध्यक्षता में राज्य शिक्षा मंत्रियों की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। इसमें यह भी निर्णय लिया गया कि स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन, माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण तथा योग को बढ़ावा-इन तीन महत्वपूर्ण केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को राज्य क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जाए।

राज्य शिक्षा मंत्रियों की समिति की अभी तक तीन बैठकें आयोजित हुई हैं, और जनवरी, 1997 तक समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने की आशा है। केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को राज्यों के पास स्थानान्तरित करने के लिए योजना आयोग से निधियों के संबंध में राज्यों की पात्रता संबंधी स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों/पुलों को क्षति

***259. श्री अजमीरा चन्दूलाल :**

श्री सिद्दव्या कोटा :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में हाल ही में आए तूफान के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों/पुलों को हुई क्षति के कारण कुल कितनी हानि हुई;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इन सड़कों/पुलों की मरम्मत के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने इन क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों/पुलों की मरम्मत हेतु विशेष केन्द्रीय कोष से धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) आंध्र प्रदेश में हाल ही में आए चक्रवात के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 5 और 18 को भारी क्षति पहुंचने की सूचना मिली है। मरम्मत संबंधी विस्तृत प्रस्ताव राज्य से अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) से (च). क्षति की तत्काल मरम्मत हेतु आंध्र प्रदेश राज्य के लिए 4.00 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

शिशु मृत्यु दर

***260. प्रो. अजित कुमार मेहता :**

श्री एन. डेनिस :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सरकार द्वारा अभी तक शुरू किए गए कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) वर्ष 1994, 1995 और 1996 (आज तक) में शिशु मृत्यु दर की तुलनात्मक प्रतिशतता एवं उपलब्धियां क्या हैं;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनका पिछड़े क्षेत्रों में रहन-सहन के पुराने तरीकों, पर्यावरण की परिस्थितियों और स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों में सुधार संबंधी कार्य निष्पादन निरंतर असंतोषजनक रहा है;

(घ) क्या देश में अनियंत्रित शिशु मृत्यु दर को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार इस संबंध में एक विस्तृत नीति बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) 1992 से कार्यान्वित किए जा रहे शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम में छह वैक्सीन निवार्य रोगों का प्रतिरक्षण करके, अतिसारीय रोगों और गंभीर श्वसनीय संक्रमणों को नियंत्रित करके; विटामिन "ए" की कमी से बचाव करके तथा आवश्यक नवजात शिशु परिचर्या प्रदान करके शिशु मृत्यु दर को कम करने का प्रयास किया गया है।

(ख) नमूना पंजीयन पद्धति के अनुसार शिशु मृत्यु दर 1981 में 110 प्रति हजार जीवित जन्मों से घटर कर 1992 में 79 रह गई है। शिशु मृत्यु दर 1994 और 1995 में 74 थी। 1996 की शिशु मृत्यु दर उपलब्ध नहीं है।

(ग) पिछड़े क्षेत्रों में रहन-सहन को प्राचीन स्थितियों में सुधार करने में हुए असंतोषजनक निष्पादन से संबंधित सूचना केन्द्र स्तर पर संकलित नहीं की जाती है। उप केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के बारे में हुई राज्यवार प्रगति संलग्न विवरण में है।

(घ) और (ङ). शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अधीन शिशु मृत्यु दर को कम करने के उपायों को 1997-98 में शुरू किए जाने वाले प्रजनक और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम में जारी रखने तथा सुदृढ़ किए जाने का विचार है।

विवरण

आठवीं योजना के दौरान उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करने में हुई प्रगति (राज्यों से उपलब्ध हुई सूचना के अनुसार)

(31.12.1995 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपकेन्द्र		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	165		300	-	160	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	100		15	10	5	3

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	80		245	90	15	19
4.	बिहार	3260		1078	शून्य	75	1
5.	गोवा	10	2	2	शून्य	1	-
6.	गुजरात	0		82	47	25	24
7.	हरियाणा	0		0	3	40	21
8.	हिमाचल प्रदेश	0	55	67	53	5	15
9.	जम्मू और कश्मीर	800		95	40	65	8
10.	कर्नाटक	1000		300	166	20	21
11.	केरल	1556		72	51	31	-
12.	मध्य प्रदेश	1217		620	शून्य	100	-
13.	महाराष्ट्र	800	348	100	20	50	5
14.	मणिपुर	84		8	6	4	4
15.	मेघालय	150		26	17	10	4
16.	मिजोरम	70	4	8	5	3	1
17.	नागालैंड	80		20	-	5	1
18.	उड़ीसा	143		170	60	162	5
19.	पंजाब	0		44	-	52	
20.	राजस्थान	1000	385	200	191	75	38
21.	सिक्किम	5		1	-	2	-
22.	तमिलनाडु	0		0	-	78	-
23.	त्रिपुरा	150	1	55	8	14	3
24.	उत्तर प्रदेश	4000		300	109	165	34
25.	पश्चिम बंगाल	2300		625	12	100	2
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	25		4	-	1	-
27.	चंडीगढ़	4		1	-	-	-
28.	दादर व नगर हवेली	6		1	1	2	-
29.	दमन व द्वीव	5		1	-	-	-
30.	दिल्ली	0		0	-	-	-
31.	लक्षद्वीप	0		0	-	1	3
32.	पांडिचेरी	10		10	-	3	-
	जोड़	17030	795	4450	889	1269	212

[हिन्दी]

दिल्ली विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच

2289. श्री आर.एल.पी. वर्मा : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं को बदल देने संबंधी मामला प्रकाश में आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) छात्रों की शिकायतों पर कितने मामलों में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तिकाओं की पुनः जांच के आदेश दिए गए हैं; और

(घ) इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक घोटाला

2290. श्री अशोक प्रधान :

श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने हाल ही में उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक औषध घोटाले तथा कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्त धन हथियाने के संबंध में एक मामले के संबंध में कुछ स्थानों पर छापे मारे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछेक अधिकारियों/भूतपूर्व अधिकारियों/अन्य संबद्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन मामलों में अब तक क्या क्या प्रगति हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

रिक्त पद

2291. श्री ए.जी.एस. रामबाबू : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत चिकित्सा अधिकारियों (2200-4000 रुपये के वेतनमान) के कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1994 में आयोजित संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा के परिणाम के आधार पर चिकित्सा अधिकारियों के संवर्ग परिवर्तन कर रेल मंत्रालय से दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत नियुक्त करने संबंधी कितने मामले लम्बित/अस्वीकृत किये गये हैं;

(ग) जब रेल मंत्रालय को उक्त संवर्ग परिवर्तन पर कोई आपत्ति नहीं है तो केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत नियुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं जबकि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में रिक्तियां भी हैं; और

(घ) 1994 की संयुक्त सेवा चिकित्सा परीक्षा के आधार पर नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के संबंध में संवर्ग परिवर्तन के ऐसे मामलों पर कब तक निर्णय ले लिये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (घ). उपलब्ध सूचना के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सामान्य ड्यूटी उप संवर्ग में लगभग 40 रिक्तियां हैं। इन रिक्तियों को संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा 1995 बैच से अभ्यर्थियों को तैनात करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा 1994 (सामान्य श्रेणी से संबंधित) के एक अभ्यर्थी जिसे रेल मंत्रालय को आवंटित किया गया था, ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अर्थात दिल्ली प्रशासन में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा को पुनराबंटन का अनुरोध किया। जबकि रेलवे मंत्रालय ने इस मामले में अपनी अनापत्ति दे दी थी फिर भी अभ्यर्थी के पुनराबंटन के लिए एक मानदंड यह है कि अभ्यर्थी को उसके द्वारा मांगी गई सेवा में आवंटन के लिए श्रेणीवार पात्र होना चाहिए था। अतः चूंकि संबंधित अभ्यर्थी केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा को आवंटित सामान्य श्रेणी के अन्तिम अभ्यर्थी से श्रेणी में काफी नीचे था इसलिए उसका अनुरोध माना नहीं गया और उसे तत्काल सूचित कर दिया गया।

क्षेत्रीय पार-पत्र कार्यालय, कलकत्ता में लम्बित आवेदन पत्र

2292. डा. असीम बाला : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता से कई आवेदकों को अपने पासपोर्ट नहीं मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) नवम्बर, 1996 के अंत में कितने आवेदन-पत्र लम्बित थे;

(घ) क्या इन आवेदन पत्रों के शीघ्र निपटारे हेतु कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा कुछ आवेदकों को पासपोर्ट जारी करने में हुई देरी के मामले हुए हैं।

(ख) विलंब होने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :-

(एक) नकारात्मक अथवा अपूर्ण पुलिस रिपोर्टों का प्राप्त होना।

(दो) आवेदकों द्वारा जमा किए गए दस्तावेज में विसंगतियां/कमियों का पाया जाना।

(तीन) आवेदकों से अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जाने पर उनका जवाब समय पर न मिलना।

(ग) नवंबर, 1996 के अन्त तक बकाया लम्बित पड़े आवेदनों की संख्या 6,751 है।

(घ) और (ङ). जी हां। आवेदन पत्रों के निपटान में तेजी लाने तथा पिछले बकाया कार्य को निपटाने के लिए एक विशेष अभियान छेड़ा गया है। इस उद्देश्य के लिए 10 अतिरिक्त कर्मचारियों की अस्थायी तौर पर नियुक्ति की गई है। आवेदकों से संपर्क करने तथा उनसे अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध करने हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जुलाई, 1996 में बकाया आवेदनों की संख्या 18, 610 थी जो नवम्बर, 1996 के अन्त तक घट कर 6,751 रह गई हैं।

मेरिन विभाग में तैनाती और स्थानान्तरण

2293. श्री ए. सम्पथ : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन प्रबन्धन ने मेरिन विभाग में स्थानान्तरण और तैनाती नियम संहिता में कतिपय संशोधन किए हैं;

(ख) क्या सरकार ने कोचीन पत्तन न्यास के अध्यक्ष को इस मामले पर श्रमिक संघों के साथ विभिन्न स्तरों पर चर्चा करने का निर्देश दिया था;

(ग) श्रमिक संघों के साथ इस मामले पर चर्चा न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या कोचीन पत्तन का प्रतिनिधित्व करने वाले श्रमिक संघों ने मेरिन विभाग में तैनाती और स्थानान्तरण संबंधी नयी नियम संहिता को मनमाने ढंग से कार्यान्वित करने के विरोध में कोई आन्दोलन छेड़ने का निर्णय लिया है;

(ङ) क्या सरकार आन्दोलन से बचने के लिए इस मामले पर चर्चा करने हेतु कदम उठा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) कोचीन पत्तन न्यास के मैरिन विभाग में कोई निर्धारित स्थानांतरण और तैनाती संहिता नहीं है। मैरिन विभाग में कार्मिकों की नवीनतम तैनाती और स्थानांतरण 1.10.1996 से किया गया था। तैनाती और स्थानांतरण करने में अधिकांशतः मौजूदा पद्धति अपनाई गई तथा उप संरक्षण द्वारा तैनाती के बारे में संघों के साथ विचार-विमर्श के बाद तथा मैरिन विभाग में इसकी संभावना होने पर ही ये स्थानांतरण और तैनाती की गई थी।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च). केवल एक संघ अर्थात् कोचीन पत्तन कर्मचारी संगठन ने स्थानांतरण और तैनाती के विरूद्ध आन्दोलन शुरू किया था। संबंधित संघ और कोचीन पत्तन न्यास के अध्यक्ष के बीच विचार विमर्श के बाद 3 नवम्बर, 1996 को आन्दोलन समाप्त कर दिया गया है।

मंत्री स्तर पर रक्षा वार्ताएं

2294. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात विश्व में रक्षा क्षेत्र में भारत की भागीदारी के संबंध में हाल ही में रूस, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमरीका के साथ हुई मंत्री स्तरीय रक्षा वार्ताओं के क्या परिणाम रहे;

(ख) क्या भारत रूस के साथ अपने संबंधों को उतनी ही गंभीरता से ले रहा है जैसे कि संयुक्त राज्य अमरीका के साथ संबंधों को; और

(ग) यदि हां, तो भारत के रॉकेट कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजिन प्रोद्योगिकी के अन्तरण के लिए रूस का क्या दृष्टिकोण है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) और (ख). अक्तूबर, 1996 में रूस के रक्षा मंत्री की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने और उसमें वृद्धि करने के बारे में दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई थी। दोनों देशों के बीच सेना-से-सेना को सहयोग देने संबंधी एक करार पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। इस करार के अंतर्गत प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग, सैन्य विशेषज्ञों द्वारा एक दूसरे के देश का दौरा, संयुक्त सैन्य अभ्यासों में भाग लेने के लिए कार्यक्रम तैयार करना, सेमिनारों/गोष्ठियों में भाग लेना व एक दूसरे के देशों की सद्भावना यात्रा करना आदि शामिल हैं।

अक्तूबर, 1996 में जर्मनी के रक्षा मंत्री के साथ मंत्री स्तर की वार्ता एवं अमरीकी प्रतिनिधिमंडल से अधिकारी स्तर की वार्ता से सुरक्षा से जुड़े मामलों एवं दुनियाभर में चल रही गतिविधियों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का मौका मिला।

(ग) अक्तूबर, 1996 में रूस के रक्षा मंत्री की भारत यात्रा के दौरान क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी के अन्तरण के मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई थी।

आन्ध्र प्रदेश में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र

2295. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने परियोजना पूरी करने के लिए 300 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र बनाने हेतु धन प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि दी गई और राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि का उपयोग किया गया; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ वर्ष 1996-97 के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) आंध्र प्रदेश सरकार से 300 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनों के निर्माण के लिए निधियों के अनुरोध हेतु कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में मतदान की पद्धति

2296. श्री कृष्ण लाल शर्मा :

श्री सुशील चन्द्र :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए चुनाव में मतदान के लिए अपनाए गए तरीकों के संबंध में भारतीय मिशनों द्वारा किए गए आकलन के संबंध में रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने आंकलन प्राप्त हो चुके हैं तथा ये किस प्रकार के हैं;

(ग) भारतीय प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में चुनाव से पूर्व क्या सलाह दी गई थी;

(घ) क्या मतदान में भाग लेने वाले देशों में स्थित भारतीय राजदूतों ने चुनाव के संबंध में कोई रिपोर्ट भेजी है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इससे क्या निष्कर्ष निकाले गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ङ). विदेश स्थित भारतीय राजदूतों और हाई कमिश्नरों को अपने-अपने प्रत्यायन और सह-प्रत्यायन के देशों के साथ अपनी उम्मीदवारी के संबंध में उनका समर्थन जुटाने के लिए उच्चतम स्तरों पर संपर्क स्थापित करने के लिए निर्देश दिए गए थे। उनसे विभिन्न देशों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं की जानकारी को मंत्रालय और न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन दोनों को भेजने के लिए भी कहा गया था। समर्थन के बारे में कई संकेत मिले भी थे, फिर भी चुनाव गुप्त मतदान से हुआ था तथा अनेक देशों में वोट देने का अपना मन्तव्य पूरी तरह से स्पष्ट किया था। चुनाव अभियान के समय, हमारे मिशन प्रमुखों और संयुक्त राष्ट्र के अन्य देशों के स्थायी प्रतिनिधियों से प्राप्त अतिरिक्त संपुष्टियों द्वारा अलग-अलग देशों द्वारा दिए गए आश्वासनों के पुनः पुष्टिकरणों से ऐसे संकेत मिल थे कि भारत की उम्मीदवारी को पर्याप्त समर्थन हासिल है। मतदान होने तक यह एक आम धारणा थी। हमारी विश्वसनीयताओं में व्यक्त विश्वास और उनका अनुसरण करने की इच्छा से ही हमने चुनाव मैदान में बने रहने का फैसला किया था।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति

2297. श्री कड़िया मुण्डा :

श्री चित्रसेन सिंकू :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खुली प्रतिस्पर्धा/प्रतिनियुक्ति/विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से समूह-वार/मद-वार/वर्ष-वार कितने कर्मचारी नियुक्त किए गए और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के गठन से लेकर उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार कितने हैं;

(ख) उक्त (क) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित पदों की संख्या क्या है तथा जी.पी.सी./खुली प्रतिस्पर्धा हेतु 40 पाइन्ट रोस्टर को किस सीमा तक बनाये रखा जा रहा है;

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान नियमित/प्रतिनियुक्ति के लिए "क" और "ख" श्रेणी के पदों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से प्राप्त आवेदन/बायोडाटा संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी नियुक्ति के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का आरक्षित कोटा पूरा न किए जाने के क्या कारण हैं और इसे कब तक पूरा किया जायेगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). वर्ष 1995-96 के दौरान, प्रतिनियुक्ति पर उप महाप्रबंधक (प्रशासन) के पद के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रुप "क" के 6 अवर सचिवों जिनमें अनुसूचित जाति के दो उम्मीदवार भी शामिल हैं, से आवेदन प्राप्त हुए हैं और चयन को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। सभी नियुक्तियां सरकारी नियमों के अनुसार की जाती हैं।

विवरण

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में 1989 में इसके प्रारंभ से आज तक कर्मचारियों की ग्रुपवार/पदवार/वर्षवार नियुक्ति

विवरण	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ग्रुप "क"									
अध्यक्ष				1		1			
सदस्य						1	2	2	
महाप्रबंधक	1						7	2	*एक प्रबंधक से पदोन्नत
उप महाप्रबंधक							*6	1	शामिल है
प्रबंधक	1(एबी/डीआर)						5	**3(डीआर)	**अ.जा. = 1 अ.ज.जा. = 1 अ.पि.वर्ग = 1
ग्रुप "ख"									
लेखा अधिकारी							1		
निजी सचिव							4		
वैयक्तिक सहायक							7		
कैशियर							1		
केयरटेकर							1		
ग्रुप "ग"									
आशुलिपिक							3(डीआर)	*3डीआर	*2अ.ज.और 1अ.पि.वर्ग अ.ज.जा. के उम्मीदवार के उपलब्ध न होने के कारण 1 रिक्त का अग्रहीत किया गया
ड्राइवर									
ग्रुप "घ"									
	जमादार						1		1 (डीआर) * 1 अ.जा. = 1
	चपरासी						1		

संक्षेपाक्षर ए बी/डीआर = आमेलन/सीधी भर्ती शेष : प्रतिनियुक्ति वाले

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का बंद होना

2298. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हाल में बन्द होने से अवगत हैं;

(ख) यदि हां, तो इस विश्वविद्यालय को बंद किए जाने के कारण का औचित्य क्या है;

(ग) क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने, जिससे एक छात्र की मृत्यु तथा अनेकों घायल हुए थे, के संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी हां।

(ख) 2 अक्तूबर, 1996 को सुबह एक विद्यार्थी के मारे जाने की घटना के कारण विद्यार्थियों में फैले असंतोष के सामान्य होने तक विश्वविद्यालय अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया था।

(ग) से (ङ). उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिये गये आदेश के अनुसार घटना की जांच प्रगति पर है।

उत्तर प्रदेश में गंगा और भूमिगत जल का उपयोग

2299. श्री हाराधन राय :
श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और बिहार अपनी सिंचाई आवश्यकताओं के लिए भूमिगत जल से अधिक गंगाजल का उपयोग कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार इन राज्यों को अपनी सिंचाई आवश्यकताओं के लिए अधिक भूमिगत जल का उपयोग करने के संबंध में परामर्श देने पर विचार कर रही है जिससे कि नदी में अधिक जल का प्रवाह बना रहे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विशेष रूप से सूखे के मौसम में गंगा में अधिक जलप्रवाह बनाए रखने के लिए अन्य क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य सिंचाई के लिए सतही जल जिसमें गंगा जल शामिल है, की तुलना में भूजल का अधिक प्रयोग करता है जबकि बिहार राज्य सिंचाई प्रयोजनों के लिए भूजल की तुलना में गंगा जल सहित सतही जल का अधिक प्रयोग करता है।

(ख) और (ग). जी नहीं। सिंचाई सहित विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल के उपयोग की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। तथापि, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड ने उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वी राज्यों तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भूजल के विकास की एक स्कीम तैयार की है जो परामर्शी अवस्था में है।

(घ) सरकारा द्वार अभी तक ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा

2300. श्री मोहन रावले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा पर विचार करने हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समिति की अब तक कितनी बैठकें हुई हैं;

(घ) समिति की बैठक में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के प्रस्ताव पर वित्तीय, प्रशासनिक, विधायी और शैक्षिक दृष्टि से विचार करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री (शिक्षा) श्री मुही राम सैकिया की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है।

(ख) इस गठित समिति के सदस्यों का ब्यौरा, उनकी शर्तें और अवधि इस विभाग के दिनांक 29 अगस्त, 1996 के आदेश को प्रा। संलग्न विवरण में दी गई हैं। इस समिति की अवधि 15.1.1997 तक बढ़ा दी गई है।

(ग) इस समिति की अभी तक तीन बैठकें आयोजित हो चुकी हैं।

(घ) इस समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सं एफ 1-53/92-ई.ई
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 अगस्त, 1996

आदेश

संयुक्त मोर्चा सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में, इस शताब्दी के अंत तक प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने संबंधी मौलिक अधिकार का संकल्प किया गया है। यह प्रस्ताव इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समूचे देश को आवश्यक सम्बल प्रदान करेगा तथा इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित संसाधनों को जुटाने में सहायक सिद्ध होगा। 10 अगस्त, 1996 को आयोजित राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में इस प्रस्ताव के गुण-दोषों पर विचार किया गया। प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन के महत्व को ध्यान में रखते हुए सम्मेलन में यह महसूस किया गया कि इस प्रस्ताव से संबंधी कानूनी वित्तीय, प्रशासनिक और शैक्षिक कठिनाइयों पर गहन विचार करने के लिए राजनैतिक स्तर पर व्यापक विचार-विमर्श करना आवश्यक था। तदनुसार, इस प्रस्ताव में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों (कानूनी, वित्तीय, प्रशासनिक और शैक्षिक) की जांच करने के लिए मंत्रियों की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। इस समिति का गठन इस प्रकार होगा :-

1. श्री मुही राम सैकिया, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार

   अध्यक्ष
2. श्री जय प्रकाश नारायण यादव, शिक्षा मंत्री, बिहार
3. श्री कान्ति विश्वास, प्रभारी मंत्री, स्कूल शिक्षा, पश्चिम बंगाल
4. माननीय प्रो. ए. अनबाझागन, शिक्षा मंत्री, तमिलनाडु
5. श्री पी.जे. जोसेफ, शिक्षा मंत्री, केरल
6. श्री एच.जी. गोविन्दा गौड़ा, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री, कर्नाटक
7. श्री सुधीर जोशी, स्कूल शिक्षा मंत्री, महाराष्ट्र
8. श्री मुकेश नायक, स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्य प्रदेश
9. श्री राम विलास शर्मा, शिक्षा मंत्री, हरियाणा
10. श्री गुलाब चन्द कटारिया, शिक्षा मंत्री, राजस्थान
11. श्री जय देश जना, स्कूल और जन शिक्षा मंत्री, उड़ीसा
12. श्री इराबत सिंह, शिक्षा मंत्री, मणिपुर
13. श्री बी. दुर्गा प्रसाद राव, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री, आंध्र प्रदेश
14. श्रीमती चित्रा नायक, सदस्य, योजना आयोग
15. श्री ए. मोहन दास मोसेस, सलाहकार, जम्मू और कश्मीर
16. श्री अभिमन्यु सिंह, संयुक्त सचिव ई.ई. (शिक्षा विभाग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (सदस्य-सचिव)

विशेष आमंत्रित व्यक्ति

17. विधि सचिव या उनका नामित व्यक्ति जिसका स्तर संयुक्त सचिव से कम न हो।
18. डा. आर. वी. वैद्यनाथ अय्यर, अपर सचिव
19. श्री आर.एस. पाण्डेय, संयुक्त सचिव (डी.पी.ई.पी.)
20. श्री एस. सत्यमूर्ति, वित्तीय सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

2. इस समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :-

   (i) निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान में संशोधन करने के प्रस्ताव संबंधी कानूनी, शैक्षिक, प्रशासनिक और वित्तीय दिक्कतों की जांच करना और उन पर विचार करना।

   (ii) इस मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए उपयुक्त संवैधानिक तरीके सुझाना।

   (iii) सुविधाएं, जो प्रदान न की गई हो तथापि जिन्हें प्रदान करना न्यायसंगत है, को दर्शाने वाले दिशा-निर्देशों का सुझाव देना।

3. समिति के अध्यक्ष को समिति के कार्यों में सहयोग प्रदान करने के लिए सदस्यों को सहयोजित करने तथा उप-समितियों के गठन के अधिकार प्राप्त होंगे।

4. आशा है कि समिति बैठक की अपनी रिपोर्ट पहली तारीख से दो माह की अवधि के भीतर ही प्रस्तुत कर देगी।

5. प्रारंभिक शिक्षा ब्यूरो समिति के कार्य के लिए आवश्यक कार्यालयीन सहायता प्रदान करेगा।

6. गैर-सरकारी सदस्य, सहयोजित सदस्य अथवा उप-समिति के सदस्य भारत सरकार के नियमों के अनुसार यात्रा और दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

ह0/-
(अतुल बगई)
उपसचिव (ई.ई.)
दूरभाष : 3307781

प्रतिलिपि सूचना और कार्रवाई हेतु प्रेषित :

1. समिति के सदस्य
2. सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के शिक्षा सचिव।
3. सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के शिक्षा निदेशक।

4. आई.एफ.डी/स्थापना-I शिक्षा सचिव के वैयक्तिक सचिव।

5. शिक्षा सचिव, भारत सरकार।

केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों का स्थानान्तरण

2301. श्री मुरलीधर जेना : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय के अध्यापकों के स्थानान्तरण के लिए क्या मानदण्ड हैं;

(ख) क्या नियमों में चूकों के लिए कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और की गई कार्यवाही क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) संलग्न विवरण के अनुसार

(ख) और (ग). क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

विषय : शासी बोर्ड द्वारा दिनांक 22.08.90 को आयोजित अपनी बैठक में यथा अनुमोदित, शैक्षणिक सत्र 1990-91 से उप प्रधानाचार्यों, प्रधानाचार्यों तथा उनसे ऊपर की श्रेणी के अधिकारियों सहित, शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए दिशा-निर्देश।

शासी बोर्ड ने दिनांक 22.8.1990 को आयोजित अपनी बैठक में उप प्रधानाचार्यों, प्रधानाचार्यों और उनसे ऊपर की श्रेणी के अधिकारियों सहित शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश अनुमोदित किए हैं। ये शैक्षणिक वर्ष 1990-91 से प्रभावी होंगे।

1. सामान्य नीति यह होगी कि शिक्षकों, जिनमें प्रधानाचार्य भी शामिल हैं, का स्थानांतरण बार-बार न किया जाए। सामान्य स्थानांतरण संगठनात्मक कारणों अथवा अनुरोध अथवा चिकित्सीय आधार पर ही किए जाएंगे।

2. ऐसी कोई निश्चित कार्य अवधि नहीं होगी, जिसके पूरा होने पर किसी शिक्षक/उप-प्रधानचार्य/प्रधानाचार्य/शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त का स्थानांतरण किया जा सके (अगले वर्ष से उप प्रधानाचार्यों और उनसे ऊपर की श्रेणी के अधिकारियों के लिए 5 वर्ष की अवधि होगी)।

3. पदोन्नति तैनातियों, स्थानांतरणों, इत्यादि के सम्बंध में सामान्यतः निम्नलिखित क्रम का अनुपालन किया जाएगा :—

(एक) पदोन्नति पर स्थानांतरण

(दो) अंतक्षेत्रीय स्थानांतरण

(तीन) अंतरा-क्षेत्रीय स्थानांतरण

(चार) सीधी भर्तियों का तैनाती

4. वार्षिक स्थानांतरणों को यथा-संभव गर्मी की छुट्टियों में किया जाए। हालांकि, कोई स्थानांतरण तभी किया जाए जब वह

(एक) प्रशासनिक आधार पर हो, और;

(दो) पति/पत्नी की मृत्यु सहित गंभीर बीमारी के आधार पर स्थानांतरण 31 अक्तूबर के पश्चात किये जाएंगे।

5. स्थानांतरण, दिशा-निर्देशों के खण्ड-3 को दृष्टिगत रखते हुए किए जाएंगे।

6. निम्नलिखित प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर स्थानांतरण किए जाएंगे :—

(क) प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण (यथा उपर्युक्त पैरा 4)

(ख) अनुरोध पर स्थानांतरण

(एक) गंभीर बीमारी के आधार पर स्थानांतरण जो कि आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन की संतुष्टि पर, उनके द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिसमें वर्तमान नियुक्ति के स्थान से अन्यत्र स्थान पर उपचार हेतु आवश्यक हो।

(दो) कठिन स्थानों से पूर्वोत्तर क्षेत्र से स्नातकोत्तर शिक्षकों और उनके ऊपर की श्रेणी के शिक्षकों/अधिकारियों का सेवा अवधि पूरी होने पर स्थानान्तरण

(तीन) पति/पत्नी के मामले :

- एक वर्ष की निर्धारित (कट ऑफ) अवधि पूरी करने के पश्चात अपने परिवार के साथ पुनः रहने के लिए पति/पत्नी का स्थानांतरण।

(चार) एक वर्ष की निर्धारित अवधि पूरी होने के पश्चात अविवाहित महिलाओं/तलाक शुदा महिलाओं/विधवाओं का उनके लिए सुविधाजनक स्थान पर स्थानांतरण।

(पांच) एक वर्ष की निर्धारित अवधि पूरी होने के पश्चात विकलांगों का स्थानांतरण, बशर्ते कि विकलांगता केन्द्रीय विद्यालय संगठन में सेवा की अवधि के दौरान हुई हो।

(छः) सामान्य मामले।

(सात) पारस्परिक स्थानांतरण बशर्ते कि दोनों स्टेशनों के लिए उच्चतर प्राथमिकता का कोई अन्य दावेदार नहीं हो।

7. स्थानांतरण के लिए सामान्यतः कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि शिक्षक ने तीन शैक्षणिक सत्र पूरे न किए हों, केवल उपर्युक्त 6(I) (III) (IV) (V) एवं (VII) में उल्लिखित मामलों को छोड़कर

8. पी.आर.टी., टी.जी.टी. और समान वेतनमानों में कार्यरत शिक्षकों के अन्य वर्गों को सामान्यतः उनके चयन क्षेत्र से अन्यत्र नियुक्त नहीं किया जाएगा।

9. नियुक्ति पर सभी वर्गों के शिक्षकों की नियुक्ति यथा-संभव अंदरूनी क्षेत्रों के स्कूलों में की जाएगी।

10. रिक्ति की उपलब्धता के अनुसार पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती पर, उप-प्रधानाचार्यों/प्रधनाचार्यों/शिक्षा अधिकारियों/सहायक आयुक्तों की नियुक्ति, जहां वे नियुक्त किए गए हों अथवा जहां उनकी रिहाइश रही हो वहां से अन्यत्र की जाएगी और उन्हें सामान्यतः उस राज्य से कम से कम 5 वर्ष से पूर्व स्थानांतरित नहीं किया जाएगा जब तक कि इसके बाध्यकारी कारण न हों।

11. सेवानिवृत्ति में तीन वर्ष अथवा उससे कम अवधि बची हो, तो उप-प्रधानाचार्यों/प्रधानाचार्यों/शिक्षा अधिकारियों/सहायक आयुक्तों को पदोन्नति/सीधी भर्ती पर बाहर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, यदि वे पहले से अपने गृह राज्य में कार्य कर रहे हों, बशर्ते, रिक्तियां उपलब्ध हों। इसी प्रकार जिनकी सेवा निवृत्ति में 3 वर्ष या उससे कम अवधि बची हो और जो अपने गृह राज्य से बाहर कार्य कर रहे हों, उन्हें उनके गृह राज्य के लिए प्राथमिकता पर पदोन्नति अनुमत्य होगी, बशर्ते रिक्ति उपलब्ध हो।

12. किसी भी आधार पर अनुरोध पर किए गए स्थानांतरण के लिए स्थानांतरण यात्रा भत्ते नहीं प्रदान किया जाएगें जब तक कि शिक्षक ने अपनी मौजूदा नियुक्ति के स्थान पर पांच वर्ष की अवधि पूरी नहीं की हो। (अनुरोध पर स्थानांतरण के लिए पॉच वर्ष और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और कठिन स्थानों के लिए 3 वर्ष पढ़े)।

13. सहायक आयुक्त प्रशासनिक आधार पर किसी शिक्षक के मुख्यालय का परिवर्तन किसी ऐसे अन्य स्थान पर करने और उस शिक्षक को उस स्थान पर कार्य करने का निदेश देने के लिए सक्षम होगा जिसे वह उपयुक्त समझे। सहायक आयुक्त, पुष्टि एवं निदेशों के लिए, जैसाकि आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो, मामले के सभी तथ्यों की रिपोर्ट इसके पश्चात आयुक्त को करेंगे।

14. उपर्युक्त दिशा-निर्देशों में कोई भी उप बंध होने के बावजूद आयुक्त दिशा-निर्देशों से अन्यत्र ऐसा कार्य करने के लिए सक्षम है जिसे वह संगठन के हित में आवश्यक समझे।

ह0/-
(वी.के. जैन)
सहायक आयुक्त (मुख्यालय)

प्रति सभी सहायक आयुक्तों, क्षेत्रीय कार्यालयों, केन्द्रीय विद्यालय संगठन दो दिशा-निर्देशन एवं सूचनार्थ।

ह0/-
(वी.के. जैन)
सहायक आयुक्त (मुख्यालय)

[हिन्दी]

बड़े नगरों में केन्द्रीय बिस्तर ब्यूरो

2302. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान की धारा 21 के बारे में की गयी नई व्याख्या का अध्ययन किया है, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा बड़े अस्पतालों में रोगियों को आवश्यक उपचार उपलब्ध कराने की बात कही गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार बड़े शहरों में केन्द्रीय बिस्तर ब्यूरो स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). याचिका (सिविल) संख्या 795/1992 पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य नामक मुदकमे में दिए गए निर्णय के प्रकाश में, निर्णय को उपयुक्त रूप से लागू करने के लिए राज्य/संघ राज्य सरकारों से बात की जा रही है।

[अनुवाद]

दिल्ली में भूमिगत जल

2303. श्री बी.एल. शर्मा "प्रेम" : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली वासियों की अधिकांश जलापूर्ति भूमिगत जल संसाधन से की जाती है;

(ख) क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि गत 15-20 वर्षों से दिल्ली में भूमिगत जल का स्तर काफी तेजी से नीचे जा रहा है;

(ग) क्या डब्ल्यू ए पी सी ओ या अन्य किसी के सहयोग से दिल्ली में भूमिगत जल निकास के लिए कोई कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) दिल्ली की जल की आवश्यकताओं का कुछ भाग भूजल संसाधनों से पूरा किया जाता है।

(ख) पिछले 15-20 वर्षों के दौरान दिल्ली के कुछ भागों में भूजल स्तर में 4 से 8 मीटर तक गिरावट पाई गई है।

(ग) और (घ). दिल्ली में भूजल के विकास के लिए जल एवं विद्युत परामर्शी सेवाएं (मर्यादित) के साथ कोई भी कदम नहीं उठाया गया अथवा उठाए जाने के लिए प्रस्ताव किया गया है. तथापि केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने "दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूजल संसाधनों का विकास और वृद्धि" शीर्षक से एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट की प्रतिलिपि अनुवर्ती कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को भेजी गई है।

कलकत्ता के निकट गंगा पर पुल

2304. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के निकट गंगा नदी पर तीसरा पुल बनाने का निर्णय लिया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि इसकी घोषणा भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने कलकत्ता में हुगली पर दूसरे पुल के उद्घाटन के दौरान की थी;

(ग) क्या इस संबंध में कोई और कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) प्रस्तावित पुल का निर्माण कार्य शुरू किए जाने की संभावित तिथि क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (ङ). बी ओ टी स्कीम के अंतर्गत कलकत्ता के समीप गंगा नदी पर दूसरे विवेकानन्द पुल के निर्माण का प्रस्ताव है और अभी यह बता पाना संभव नहीं है कि यह कार्य कब शुरू होगा।

मण्डपेश्वर गुफा

2305. श्री राम नाईक : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुम्बई में बोरीवली (पश्चिम) में मण्डपेश्वर नामक एक गुफा है जो कि अपने पौराणिक और पुरातत्व महत्व के लिए प्रसिद्ध है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि ठीक रखरखाव और मरम्मत के अभाव में इस समय इस गुफा की हालत बुरी है तथा इसके खम्बों में दरार आ गई है जिनको और तुरन्त तथा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है;

(ग) क्या सरकार का महाराष्ट्र के पुरातत्व विभाग के निदेशक को अविलम्ब सूचना रिपोर्ट देने, इसकी मरम्मत के लिए वित्तीय आकलन सहित प्रस्ताव भेजने का निदेश देने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) जी हां। मुम्बई में बोरीवली (पश्चिम) में मण्डपेश्वर गुफा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन एक केन्द्रीय संरक्षित स्मारक है।

(ख) जैसा कि यह गुफाएं बहुत कमजोर चट्टानों से निर्मित की गई हैं, गुफाओं में स्तम्भों सहित संरचनात्मक दोष दिखाई देते हैं। स्मारक के समुचित संरक्षण के आवश्यक उपाय किए गए हैं।

(ग) और (घ). केन्द्र की ओर से संरक्षित किए जाने की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की नियति

2306. श्री आई.डी. स्वामी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 सितम्बर, 1996 के "दि टाइम्स ऑफ इण्डिया" में "डी.यू. स्टूडेन्ट्स फेट इज सीलड इन सिक्स मिनट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). समाचार पत्र में लगाए गए आरोपों के संबंध में एक वास्तविक रिपोर्ट विश्वविद्यालय से मांगी गई है और इस संबंध में आगे की कार्रवाई उसके प्राप्त होने के बाद ही संभव होगी।

अनिवार्य एन.सी.सी. ट्रेनिंग

2307. श्री पी.आर. दासमुंशी : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय राष्ट्रीय केडिट कोर के "सी" प्रमाणपत्र प्राप्त छात्रों को सेना की नौकरी के लिए चुनने के उद्देश्य से 11वीं से स्नातक पाठ्यक्रम तक राष्ट्रीय केडिट कोर का अनिवार्य प्रशिक्षण देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय से इस आशय की सिफारिश करने का विचार कर रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो विश्वविद्यालयों के छात्रों को भारतीय सशस्त्र बलों की नौकरी के लिए प्रोत्साहित करने हेतु किन अन्य वैकल्पिक उपायों पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) और जी, नहीं।

(ख) और (ग). एक परिपूर्णक कैरियर के रूप में सशस्त्र सैनाओं की विशिष्ट सकारात्मक विशेषताओं को उजागर करने के लिए एक व्यापक इमेज प्रोजेक्शन अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है।

कलकत्ता-हल्दिया पत्तन का आधुनिकीकरण

2308. श्री तरित बरण तोपदार :
प्रो. जितेन्द्र नाथ दास :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता-हल्दिया पत्तन के विस्तार और आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या अधिक माल की ढुलाई करने के लिए वहां और अधिक बर्थ शामिल किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस दिशा में अब तक क्या उपाय किये गये हैं; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) हल्दिया में और बर्थ बनाए जाने की योजना है।

(ग) और (घ). नौवी योजना के लिए कार्य दल ने हल्दिया में तीसरी तेल जैट्टी तथा जोखिमभरे और खतरनाक कार्गो की हैंडलिंग के लिए एक जैट्टी के निर्माण की सिफारिश की है।

पत्तन के विकास से संबंधित विभिन्न कार्य शुरू करने के लिए पत्तन सैक्टर को निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए भी खोल दिया गया है।

(ङ) नौवीं योजना और वार्षिक योजना 1997-98 को अभी अनुमोदित किया जाना है।

मुम्बई और पुणे में सैन्य भूमि का अतिक्रमण

2309. श्री मधुकर सरपोतदार : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रेटर मुम्बई क्षेत्र तथा पुणे छावनी क्षेत्र में सैन्य भूमि का बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस अतिक्रमण को हटाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) ग्रेटर मुबंई तथा पुणे छावनी क्षेत्रों में रक्षा भूमि पर अनधिकृत कब्जे हैं।

(ख) सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम 1971 के प्रावधानों के तहत अनाधिकृत कब्जों को हटाने के लिए समय समय पर कार्रवाई की गई है। सेना मुख्यालयों तथा रक्षा संपदा महानिदेशालय द्वारा स्थानीय प्राधिकारियों को रक्षा भूमि के चारों ओर बाड़ लगाकर, दीवार बनाकर तथा कड़ा पहरा व निगरानी रखकर अनाधिकृत कब्जों से उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के कड़े अनुदेश जारी किए गए हैं। स्थानीय प्राधिकारियों ने इस संबंध में राज्य सरकार से सहायता भी मांगी है।

[हिन्दी]

दिल्ली में सैनिक छावनी

2310. श्री विजय गोयल : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सैनिक छावनी का कुल क्षेत्र कितना है;

(ख) क्या मंत्रालय ने छावनी क्षेत्र की भूमि के उचित आयोग के लिए कोई योजना तैयार की है जिसके तहत फालतू और अनुपयोगी भूमि को उचित प्रकार से उपयोग किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सेना छावनी का कुल क्षेत्र 8563 एकड़ है।

(ख) और (ग). छावनी में स्थित सारी रक्षा भूमि सेनाओं द्वारा तैयार की गई जोनल योजनाओं के अनुसार उपयोग में लाई जाती है। कोई भी रक्षा भूमि फालतू नहीं है। खाली भूमि भी सेनाओं के भावी इस्तेमाल के लिए जोन में रखी जाती है।

[अनुवाद]

लोक कलाओं और संस्कृति का विकास

2311. श्री ललित ठरांव : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में लोक कला और संस्कृति के विकास हेतु कोई राष्ट्रीय नीति बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) और (ख). राष्ट्रीय संस्कृति नीति पर तैयार किया गया प्रारूप सरकार के विचाराधीन है।

पोलियो निवारण

2312. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पोलियो निवारण के लिए कुछ कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी क्या उपलब्धियां रहीं;

(ग) पोलियो के सर्वाधिक मामले किस राज्य में हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान पोलियो वैक्सीन के नुकसानदेह प्रभावों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग). देश में पोलियो माइलिटिस के उन्मूलन के लिए 1995-96 से पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया है। 9 दिसम्बर, 1995 को 8.7 करोड़ बच्चों को और 20 फरवरी, 1996 को 9.3 करोड़ बच्चों को पोलियो ड्राप प्रदान की गई। आंध्र प्रदेश से जुलाई 1995 तक सर्वाधिक मामलों की संख्या सूचित की गई है।

(घ) ओरल पोलियो वैक्सीन के वितरीत प्रभावों को पिछले तीन वर्षों में कोई सूचना नहीं मिली है।

रक्षा भूमि पर मजदूर संघ संगठन

2313. श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छावनी क्षेत्रों में रक्षा भूमि पर मजदूर संघ संगठनों के कार्यालयों के लिए स्थान देने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नियमानुसार मजदूर संघ संगठनों के कार्यालय रक्षा और सैन्य प्रतिष्ठानों के निकट नहीं होने चाहिए;

(ग) क्या ऐसे निषेधात्मक नियमों के बावजूद भी मध्य कमान का रक्षा "सम्पदा" निदेशालय इन नियमों का उल्लंघन कर रहा है और सैन्य प्रतिष्ठानों के निकट मजदूर संघ संगठनों के कार्यालय चलाने की अनुमति दे रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और कारण क्या हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) और (ख). मौजूदा भूमि नीति के अनुसार छावनी में ट्रेड यूनियन संगठन के कार्यालयों का स्थान बनाने के लिए रक्षा भूमि आवंटित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) और (घ). भारतीय राष्ट्रीय रक्षा कामगार संघ को एक विशेष छूट के रूप में कानपुर छावनी में वार्षिक किराया एवं किस्त के भगतान के आधार पर भूमि आवंटित की गई है।

सिंचाई क्षमता

2314. श्रीमती मीरा कुमार : क्या **जल-संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं और आठवीं योजनावधि के दौरान देश में वृहत और मध्यम क्षेत्र की परियोजनाओं द्वारा सृजित की गई सिंचाई क्षमता क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन परियोजनाओं पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई थी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). सातवीं योजना के दौरान तथा आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं के पहले चार वर्षों के दौरान देश में वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं द्वारा सृजित सिंचाई क्षमता और तुलनात्मक व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

योजनावधि	सृजित सिंचाई क्षमता (मिलियन हेक्टेयर)	व्यय (करोड़ रुपए)
सातवीं योजना (1985-90) के दौरान	2..22	11107.29
वार्षिक योजना	0.82	5459.15
आठवीं योजना (1992-97) के दौरान		
1992-94	0.86	6762.72
1994-96	1.44 (प्रत्याशित)	8643.56 (प्रत्याशित)

महाराष्ट्र में निर्माणाधीन परियोजनाएं

2315. श्री संदीपान थोरात : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में इस समय कितनी बड़ी तथा मध्यम परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और उनकी परियोजनावार अनुमानित लागत तथा सिंचाई क्षमता कितनी हैं;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकांश परियोजनाओं की निर्धारित अनुमानित लागत तथा पूर्ण होने की अवधि में वृद्धि हो गई है;

(ग) यदि हां, तो परियोजनावार निर्धारित से अधिक समय लगने तथा लागत वृद्धि संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन की गहन समीक्षा की है तथा उन परियोजनाओं का पता लगाया है जिनके असंतोषजनक कार्यान्वयन से लागत निर्धारित से 50 प्रतिशत से अधिक हो गई है, ऐसी परियोजना का ब्यौरा क्या है तथा उनको शीघ्र पूरा कराने के लिए क्या विशेष कार्यवाही किए जाने का विचार है; और

(ङ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है कि प्रत्येक परियोजना के लिए आवंटित धनराशि का किसी भी राज्य सरकार द्वारा अन्यत्र उपयोग नहीं किया जाएगा गत दस वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में कितनी धनराशि का अन्यत्र उपयोग किया गया?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) महाराष्ट्र को चालू वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग). जी हां। सामान्यतः वृहद परियोजनाओं को पूरा करने का समय 10-20 वर्ष लिया जाता है और मध्यम परियोजनाओं का 5 वर्ष। परियोजना पूरा करने का वास्तविक समय परियोजना के आकार पर निर्भर करता है। परियोजनाओं के क्रियान्वयन मे देरी के लिए उत्तरदायी महत्त्वपूर्ण कारक ये हैं- पर्याप्त निधियां उपलब्ध न होना, भूमि अधिग्रहण में समस्याएं, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना, जन आन्दोलन, ठेके संबंधी समस्याएं, कार्यान्वयन के दौरान परियोजना के डिजाइन और कार्यक्षेत्र में परिवर्तन आदि। लागत वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारण ये हैं - कार्यान्वयन के दौरान कीमतों में वृद्धि, परियोजना के डिजाइन और कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, भूमि अधिग्रहण के लिए अपर्याप्त प्रावधान, पुनर्वास और पुनर्स्थापना और अनुमान तैयार करते समय अन्य मदें आदि।

(घ) राज्यों के अधिकारियों के साथ वार्षिक योजना विचार-विमर्शों के दौरान चालू सिंचाई परियोजनाओं के कार्य-निष्पादन को पुनरीक्षा की जाती है।

(ङ) सिंचाई राज्य का विषय है और उनके क्रियान्वयन के लिए निधियां राज्यों द्वारा अपने बजट में आबंटित की जाती हैं। राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लॉक ऋणों तथा अनुदान के रूप मे दी जाती है जो विकास के किसी क्षेत्र अथवा परियोजना से जुड़ी नहीं होती हैं।

विवरण

महाराष्ट्र की चालू वृहद और मध्यम परियोजनाओं का ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

	परियोजना का नाम	किस योजना में शुरू की गई	अद्यतन अनुमानित लागत	संचित व्यय 3/96 तक	राज्य द्वारा वर्ष 96-97 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	चरम क्षमता
1	2	3	4	5	6	7
1.	जयाकवाडी	पांचवीं	796.87	627.09	15.00	141.64
	चरण । एवं ।।					135.57
2.	भातसा	पांचवीं	322.49	57.40	6.00	42.55
3.	अपर ताई	चौथी	115.57	91.28	1.00	55.14
4.	खड़कवासला	दूसरी	213.00	195.39	10.00	62.15
5.	कृष्णा	तीसरी	346.51	225.61	14.00	113.25
6.	लोअर वृन्ना	छठीं	187.00	110.41	11.60	20.78
7.	लोअर तरना	छठीं	129.67	103.96	9.75	20.26
			53.71	35.67	5.75	
8.	कारवा	छठीं	48.46	41.05	6.13	10.32
9.	विष्णुपुरी	78-80	193.22	117.32	4.00	33.73
10.	अरूणावती	छठीं	148.71	111.39	15.00	30.07
11.	तिल्लारी आई.एस.	78-80	371.65	48.38	4.82	7.01
12.	वान	छठीं	158.31	75.13	17.00	17.56
13.	[illegible]	चौथी	744.17	210.90	1.50	113.92
14.	कुकादी	66-69	916.74	415.29	26.50	156.27
15.	भीमा	तीसरी	641.54	526.47	40.00	162.50
16.	अपर पेनगंगा	पांचवां	861.99	344.51	44.73	111.53

1	2	3	4	5	6	7
17.	अपर गोदावरी	66-69	133.23	83.48	3.48	67.29
18.	अपर वर्धा	पांचवीं	503.70	313.28	40.80	80.25
19.	सूर्या	78-80	175.14	138.35	8.25	27.19
20.	बावा थाडी (आई.एस.)	78-80	261.00	29.21	5.00	25.31
21.	चसकमां	पांचवीं	268.00	105.78	7.00	38.62
22.	वाधूर	पांचवीं	109.40	25.58	1.50	23.58
23.	पूनाड	छठीं	81.97	7.29	0.50	16.86
24.	नंदूर माधमेश्वर (एन)	पांचवीं	146.40	44.73	7.45	45.16
	नंदूर (ए) माधमेश्वर (ए)		105.30	15.50	6.00	
25.	अपर परवई	पांचवीं	287.14	26.70	2.00	66.90
26.	गोसीखुर्द	छठीं	1345.00	153.31	30.00	130.00
27.	कृष्णा एल-1	छठीं	764.38	217.63	9.00	36.31
28.	दुध गंगा	पांचवीं	566.69	143.77	1.50	65.14
29.	तुलतुली	छठीं	147.17	3.79	0.10	30.39
30.	हुमान	छठीं	354.40	4.87	0.10	36.22
31.	लोअर वर्धा	छठीं	250.00	13.82	2.00	32.98
32.	तलम्बा	छठीं	238.85	8.26	0.10	16.75
33.	लेंडी (आई.एस.)	छठीं	204.50	11.61	0.50	19.58
34.	लोअर दुधुन्दा	आठवीं	347.83	2.95	1.00	29.80
35.	नीरा देवधर	आठवीं	358.15	16.74	0.50	31.21
36.	लोअर पेनगंगे	आठवीं	207.14	0.12		135.57
ख. मध्यम परियोजनाएं						
1.	सहनूर	छठीं	50.00	49.52	2.59	9.56
2.	सौरव	छठीं	30.70	24.25	4.00	2.83
3.	नागणक्या	छठीं	19.00	16.44	2.10	2.08
4.	दहातना	छठीं	34.28	14.71	0.50	4.95
5.	अराउ	पांचवीं	49.71	33.59	2.41	10.71
6.	मुन	छठीं	45.88	38.86	7.50	9.69
7.	वादीवाले	78-80	28.39	19.97	3.00	3.63
8.	जवालगांव	पांचवीं	17.5.	15.16	1.20	5.34
9.	कसारी	छठीं	23.25	21.78	2.81	9.46
10.	मसालगा	छठीं	17.47	13.79	2.69	2.43
11.	पाकडिगूडम	छठीं	20.23	15.60	2.54	3.71
12.	टियोरजन	छठीं	11.68	10.76	2.90	1.81

1	2	3	4	5	6	7
13.	सकोल	छठीं	12.37	11.42	1.23	2.06
14.	होटबाने	छठीं	130.37	57.59	3.00	12.83
15.	बहुला	पांचवीं	2.88	12.96	3.50	4.65
16.	पटगांव	छठीं	50.75	26.97	2.00	8.36
17.	हिवारा	पांचवीं	11.04	9.10	1.17	2.70
18.	कुम्भो	पांचवीं	48.44	14.51	0.50	8.89
19.	तम्बापुरी	पांचवीं	20.42	15.61	3.44	4.78
20.	कासर साई	छठीं	19.45	13.84	3.50	3.64
21.	कदवी	पांचवीं	66.43	21.90	1.00	9.22
22.	पुरनानियांपुर	पांचवीं	12.71	6.94	6.04	4.29
23.	अरूणावती	छठीं	34.80	13.45	4.00	3.25
24.	जंगमहट्टी	पांचवीं	29.50	15.47	5.00	3.14
25.	अंजना पलसी	पांचवीं	30.24	12.60	5.00	2.55
26.	सोनवाड़	छठीं	25.20	14.90	5.00	2.36
27.	अलन्दी	पांचवीं	16.06	14.90	0.93	6.30
28.	जाम	छठीं	52.12	22.71	2.00	8.71
29.	बोर दहगांव	छठी	18.64	14.38	2.58	3.12
30.	जमनापुर लिफ्ट सिंचाई	छठीं	18.19	6.74	0.50	2.74
31.	मोर	पांचवीं	30.49	5.12	0.50	1.54
32.	चिकोतरा	पांचवीं	47.72	5.12	0.50	4.69
33.	करवप्पानल्ला	छठीं	24.13	2.97	0.05	5.25
34.	उरमाड़ी	छठीं	20.46	3.07	0.50	9.04
35.	शिवना तकली	छठीं	46.31	10.80	4.00	7.49
36.	अपर मनार	छठीं	108.65	11.56	1.00	13.91
37.	दियांगड़	छठीं	85.88	27.00	5.23	8.35
38.	पेद्दारीनल्ला	पांचवीं	9.34	1.15	0.10	2.08
39.	बोरी (एस)	छठीं	16.71	0.39	0.01	10.45
40.	एर्दा	चौथी	13.26	0.13	0.05	2.51
41.	दोंगरगांव (सी)	छठीं	16.05	3.68	0.50	3.59
42.	चेन्ननागड़ी	पांचवीं	13.25	1.22	0.05	2.12
43.	मंगरूलपुर	पांचवीं	10.82	3.79	0.50	1.50
44.	तालानी	पांचवीं	7.00	2.86	0.00	2.44
45.	उमरझारी	78-80	11.52	5.34	5.00	2.03
46.	बीनीतुरा	आठवीं	22.35	18.66	0.69	2.51
47.	कजाला	आठवीं	11.21	9.70	1.72	1.35

1	2	3	4	5	6	7
48.	मदन टैंक	आठवीं	2.56	20.58	0.50	3.28
49.	गोदावरी	आठवीं	75.70	11.95	3.00	2.58
50.	नागान	आठवीं	49.19	7.40	1.50	2.49
51.	अक्कालपाद	आठवीं	70.83	7.46	2.69	6.19
52.	काशयापी	आठवीं	27.58	10.41	2.00	4.27
53.	नारगी सारांगी	आठवीं	18.85	11.13	6.00	2.94
54.	दारा	आठवीं	17.35	1.30	0.53	2.30
55.	ब्रह्ममागवान	आठवीं	9.46	9.17	0.69	3.21
56.	तोरना	आठवीं	10.78	6.35	3.66	8.80
57.	सयाकी	आठवीं	17.29	13.20	2.57	5.08
58.	कार	आठवीं	47.30	14.04	2.00	5.89
59.	कोराटीनल्ला	आठवीं	15.72	0.86	0.20	2.61
60.	साकात	आठवीं	18.54	14.77	0.00	2.36
61.	अपर मंजरा	आठवीं	37.42	24.97	5.68	3.35
62.	पेनताकली	आठवीं	91.87	19.80	7.00	6.55
63.	मोरना गुरीधार	आठवीं	39.42	1.92	0.50	-
64.	अंधाली	आठवीं	11.80	9.59	1.00	1.65
65.	छांदरा भागा	आठवीं	71.14	23.82	14.00	6.73

कम्प्यूटर शिक्षा

2316. श्री सौम्य रंजन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्प्यूटर शिक्षा हेतु आयातित कम्प्यूटर और अन्य साइबर 810 और 830 जिन्हें वास्तव में प्रयोग में लाया जा रहा है, भी केवल अंग्रेजी भाषा में ही हैं;

(ख) क्या सरकार ने हिंदी में कार्य करने वाले कम्प्यूटरों की आवश्यक संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ग) यदि हां, तो इन्हें प्रयोग हेतु कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग). भारत में कम्प्यूटर शिक्षा कार्य सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए प्रचालन प्रणाली सहित कम्प्यूटर आयात किये जाते हैं जो अंग्रेजी में अनुदेशों का प्रयोग करते हैं। साइबर 810 तथा 830 कम्प्यूटर प्रणालियां भी अंग्रेजी का प्रयोग करती हैं।

इलेक्ट्रानिकी विभाग ने हाल ही में "भारत में कम्प्यूटर व्यापन बढ़ाने संबंधी मिशन" पर एक रिपोर्ट तैयार की है। इसके अनुसार वर्ष 2000/2001 तक लगभग 10 लाख वैयक्तिक कम्प्यूटर जनसंख्या (अर्थात 1000 व्यक्तियों पर) के वर्तमान स्तर से 1 करोड वैयक्तिक कम्प्यूटर जनसंख्या (अर्थात 1000 व्यक्तियों पर 10) के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुझाई गई कार्यनीतियों में से एक है-हिंदी सहित क्षेत्रीय भाषाओं में प्रणाली और अनुप्रयोग साफ्टवेयर को बदलना। एक बार कार्यान्वित होने पर आशा है कि हिंदी में सहायता कार्य सहित वैयक्तिक कम्प्यूटर जनसंख्या कुल (पी. सी.) जनसंख्या का लगभग 30 प्रतिशत होगी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में बाईपास

2317. श्री धावरचन्द गेहलोत : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगरा से मुंबई तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर मध्य प्रदेश के देवास, इंदौर तथा शाहजापुर मार्ग पर

यातायात के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए बाईपास बनाने की कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो कार्य योजना के संबंध में शहरवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इंदौर तथा देवास के बीच उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेनों वाला बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक इसे पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख). रा.रा.-3 पर आगरा खंड के 590.228 कि.मी. से इंदौर-बम्बई खंड के 12.6 कि.मी. तक इंदौर कस्बे के आस-पास 7343.61 लाख रु. की लागत से बाईपास के निर्माण कार्य के लिए 26.3.1993 को स्वीकृति प्रदान की गई थी।

(ग) जी हां।

(घ) उपर्युक्त परियोजना (रा.रा.-3 पर इंदौर-देवास के बीच चार लेन बनाए जाने के साथ-साथ) के लिए पूर्व-अर्हक बोलीदाताओं का मूल्यांकन किया जा रहा है। इसलिए अभी से यह बता पाना संभव नहीं है कि इस परियोजना को कब तक पूरा कर लिया जाएगा।

[अनुवाद]

नागरिक सुरक्षा कर्मचारियों को पेंशन

2318. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा मुख्यालय में कार्य कर रहे उन असैनिक कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जिनकी पेंशन के भुगतान में गत तीन वर्षों से विलंब किया गया था और इसके क्या कारण हैं;

(ख) इन कारणों को दूर करने हेतु तथा यह सुनिश्चित करने हेतु कि सेवा निवृत हो रहे व्यक्तियों की पेंशन को जारी किये जाने में आगे कोई विलंब न हो, क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें सेवा पंजिका खो गयी है अथवा अधूरी है अथवा संबद्ध लेखा परीक्षक प्राधिकारियों द्वारा जिनका लेखा परीक्षा नहीं किया गया है; और

(घ) अब यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है कि सेवा पंजिकायें समुचित सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएं, उनमें प्रविष्टियां पूरी की जाएं और संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी लेखा परीक्षा हो और पारगमन में कोई विलंब न हो या दस्तावेज खोने न पाएं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) और (ख). सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों को सेवांत लाभ समय पर निर्मुक्त किए जाने के लिए पहले ही संस्थागत व्यवस्था मौजूद है। पिछले 3 वर्षों के दौरान सशस्त्र सेना मुख्यालय संवर्ग के 645 रक्षा सिविलियन कर्मचारी अधिवार्षिता की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त हुए। एक मामले को छोड़कर, जिसमें मुख्य नियंत्रक, रक्षा लेखा (पेंशन) का कार्यालय, इलाहाबाद में कम्प्यूटर प्रणाली के खराब हो जाने के कारण 45 दिन का विलंब हो गया था, शेष सभी मामलों में पेंशन भुगतान आदेश समय पर जारी कर दिए गए थे।

(ग) और (घ). ऐसा कोई मामला नहीं रहा है जिसमें सशस्त्र सेना मुख्यालय संवर्ग के कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएं उपलब्ध न होने से अथवा उनकी लेखापरीक्षा पूरी न होने से पेंशन मंजूर किए जाने में देरी हुई हो। इन कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएं सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाती हैं और इस आशय के स्थायी अनुदेश मौजूद हैं कि प्रविष्टियों की समय-समय पर लेखा परीक्षा की जाए विशेषकर 25 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी होने के मामले में।

[हिन्दी]

आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक कालेज

2319. वैद्य दाऊ दयाल जोशी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथिक विद्यालयों की कुल संख्या कितनी है और सरकार द्वारा उन पर प्रतिवर्ष कुल कितना धन व्यय किया जाता है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

2320. श्री रामशकल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्य कर रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में कार्य कर रहे ऐसे केन्द्रों की संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार का सभी पंचायत क्षेत्रों में ऐसे केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक उक्त केन्द्रों के खोले जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) देश में 31 दिसम्बर, 1995 तक कार्य कर रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या का विवरण संलग्न है।

(ख) केन्द्रीय सरकार जिलेवार ब्यौरे नहीं रखती है।

(ग) और (घ). मौजूदा स्कीम के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना राज्य सरकारों द्वारा मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 और पहाड़ी और दुर्गम स्थानों पर 80,000 जनसंख्या मानदण्डों के आधार पर की जाती है। इन्हें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित किया जाता है।

विवरण

देश में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की 31 दिसम्बर, 1995 को राज्यवार संख्या

	राज्य	
1.	आंध्र प्रदेश	46
2.	अरुणाचल प्रदेश	99
3.	असम	105
4.	बिहार	148
5.	गोवा	5
6.	गुजरात	185
7.	हरियाणा	62
8.	हिमाचल प्रदेश	50
9.	जम्मू और कश्मीर	45
10.	कर्नाटक	204
11.	केरल	54
12.	मध्य प्रदेश	190
13.	महाराष्ट्र	295
14.	मणिपुर	16
15.	मेघालय	10
16.	मिजोरम	6
17.	नागालैंड	5
18.	उड़ीसा	157
19.	पंजाब	104
20.	राजस्थान	254
21.	सिक्किम	2
22.	तमिलनाडु	72
23.	त्रिपुरा	11
24.	उत्तर प्रदेश	262
25.	पश्चिम बंगाल	89
	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	4
2.	चंडीगढ़	1
3.	दादर व नगर हवेली	0
4.	दमन व द्वीव	2
5.	दिल्ली	शून्य
6.	लक्षद्वीप	4
7.	पांडिचेरी	4
	जोड़	2401

समेकित बाल विकास योजना

2321. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनीसेफ द्वारा चलाई जा रही समेकित बाल विकास योजना का राज्यवार तथा जिलेवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या इन कार्यक्रमों की सफलता की देख-रेख तथा मूल्यांकन के लिए कोई मशीनरी तैयार की गई है/किये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) समेकित बाल विकास सेवा के अन्तर्गत कोई भी आई सी डी एस परियोजना यूनिसेफ द्वारा नहीं चलायी जा रही।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गढ़वा में नवोदय विद्यालय

2322. श्री ब्रजमोहन राम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के गढ़वा जिले में नवोदय विद्यालय खोलने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या राज्य सरकार द्वारा विद्यालय खोलने हेतु भूमि उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) से (ग). नवोदय विद्यालय योजना में देश के प्रत्येक जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय खोलना परिकल्पित है। तदनुसार, बिहार के गढ़वा जिले में भी एक जवाहर नवोदय विद्यालय खोलना प्रस्तावित है। तथापि राज्य सरकार से अब तक समिति के मानदण्डों के अनुसार कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

उत्तरी बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग

2323. प्रो. जितेन्द्र नाथ दास : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर बंगाल के राष्ट्रीय राजमार्गों की जीर्ण-शीर्ण दशा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख). इन सड़कों को उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है। राज्य के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और मरम्मत हेतु चालू वर्ष के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को 13.26 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग-52 को क्षति

2324. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोनाई से धेमाजी को जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग-52 हाल ही में आई बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी क्षति हुई तथा इस पर कितना खर्च होने की सम्भावना है; और

(ग) सरका द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरे वर्ष परिवहन योग्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिहवन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (ग). रा.रा. 52 का जोनई से धेमाजी के बीच का खंड अभी हाल में आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुआ था। रा.रा. 52 सहित राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत यातायात योग्य स्थिति में रखने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 1996-97 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए असम सरकार को 1430.84 लाख रु. आबंटित किए गए हैं।

निजाम संस्थान का विकास

2325. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने निजाम आयुर्विज्ञान संस्थान का विकास करने के लिए जापान से 30 करोड़ रुपए की सहायता के प्रस्ताव को केन्द्र सरकार को भेजा गया था:

(ख) क्या वर्ष 1991 से ये प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं;

(ग) क्या सरकार से आग्रह किया गया था कि वह ऋण सहायता प्राप्त करने के लिए जापान से अनुरोध करें;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने जापान से निजाम संस्थान को ऋण प्रदान के लिए अनुरोध किया था, यदि हां, तो जापान सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) उनके द्वारा कब तक ऋण प्रदान करने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ङ). जी हां। निजाम आयुर्विज्ञान संस्थान, हैदराबाद के लिए जापान (ओ ई सी एफ) से 30 करोड़ रुपए का परियोजना प्रस्ताव जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत विचार के लिए 27 सितम्बर, 1993 को जापान के दूतावास को प्रस्तुत किया था। तथापि जापान सरकार ने परियोजना पर विचार नहीं किया है।

[हिन्दी]

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आरक्षण

2326. श्री एस.पी. जायसवाल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार द्वारा पिछड़ों एवं दलितों को दी जा रही आरक्षण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अब तक क्रियान्वित नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख). केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण, संबंधित विश्वविद्यालयों की संविधि/अध्यादेशों में प्रदान किया जाता है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षण तथा गैर-शिक्षण दोनों पदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के संबंध में सरकार की नीति का अनुसरण कर रहा है। विश्वविद्यालय ने गैर-शिक्षण पदों में अन्य पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है। तथापि, विश्वविद्यालय ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण पदों में आरक्षण के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

[अनुवाद]

सुखोई-30 विमान की खरीद

2327. श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सुखोई-30 लडाकू विमान का देश में विनिर्माण करने का प्रस्ताव है ताकि विदेशी मुद्रा की भारी मात्रा को बचाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) और (ख). जी हां।, सु-30 वायुयान की खरीद के लिए की गई संविदा में संबद्ध उपस्करों एवं शस्त्रों सहित 40 वायुयानों की सीधी खरीद किए जाने का प्रावधान है और उसके बाद प्रौद्योगिकी के अन्तरण तथा बाद की आपूर्तियों के लिए हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा भारत में इन वायुयानों का लाइसेंस के आधार पर उत्पादन किए जाने की व्यवस्था है।

स्वास्थ्य कार्यक्रम

2328. श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के अंतर्गत अनेक स्वास्थ्य कार्यक्रम गैर-सरकारी संगठनों द्वारा सीधे संचालित किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उन्हें सौंपी गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कुछ राज्यों में सरकार से अधिकांश धनराशि प्राप्त कर ली जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

आक्रमण करके भागने की पाकिस्तानी नीति

2329. श्री सत्यदेव सिंह : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानाकारी है कि कश्मीर में वांछित परिणाम हासिल करने में असफल रहने पर पाकिस्तान ने अब "आक्रमण करके भाग जाने" की नीति अपनानी शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसका मुकाबला करने हेतु कुछ प्रभावी उपाय किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग). जम्मू-कश्मीर में सीमा पार के आतंकवाद का समर्थन करने और उसको बढ़ावा देने की पाकिस्तान की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

सरकार पाकिस्तान द्वारा भारत के विरूद्ध निर्दिष्ट आतंकवाद के समर्थन तथा उसके संवर्द्धन का प्रतिकार करने के उद्देश्य से सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए कृतसंकल्प हैं।

[अनुवाद]

विदेशों में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्कूल

2330. श्री मृत्युन्जय नायक :
श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा भारत को बाहर कितने स्कूलों को चलाने की अनुमति दी गई है;

(ख) जिन देशों में इन स्कूलों को चलाया जा रहा है उनके नाम क्या हैं;

(ग) इस संबंध में कौन सी नीति और मानदंड अपनाए जा रहे हैं;

(घ) इन स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की देशवार संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार के पास इन स्कूलों के शुल्क संबंधी ढांचे पर निगरानी रखने के लिए कोई तंत्र है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) से (घ). केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार, विदेशों में स्थित 75 स्कूल माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा के लिए बोर्ड से संबद्ध हैं। जिन देशों में ये स्कूल स्थित हैं उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्धन चाहने वाले विदेश में स्थित किसी भी स्कूल को अपने देश के उच्चायोग/भारतीय दूतावास/महाकांसुलावास के माध्यम से अपना आवेदन देना होता है। इसके अलावा, स्कूलों को बोर्ड के संबद्धन उप-नियमों के प्रावधानों का भी पालन करना होता है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या के विषय में कोई रिकार्ड नहीं रखता है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

देश का नाम	सी.बी.एस.ई. से संबद्ध स्कूलों की संख्या
बंगला देश	1
बहरीन	3
बर्मा	1
इथोपिया	2
ईरान	1
सऊदी अरब	3
कुवैत	9
लिबिया	3
ओमान सल्तनत	8
नेपाल	2
खाड़ी	2
तंजानियां	1
यू ए ई	34
नाईजीरिया	1
पश्चिम अफ्रीका	1
यमन	1
अफगानिस्तान	1
रूस	1

सुवर्ण रेखा परियोजना

2331. श्री राम टहल चौधरी : क्या **जल संसाधन मंत्री** कृपा बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना (बिहार) का कार्य निर्धारित समय से पीछे चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस परियोजना की कुल लागत कितनी है तथा इसे पूरा करने में हुए विलंब के कारण लागत में कितनी वृद्धि हुई है;

(घ) इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या इस परियोजना से संबंधित पुनर्वास का कार्य संतोषजनक रूप से नहीं किया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में गत वर्ष संसद सदस्यों से कितने पत्र प्राप्त हुए हैं तथा इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). जी हां। निर्माण-कार्य मुख्य रूप से निधियों की कमी के कारण पिछड़ गए हैं।

(ग) तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा 480.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना को वर्ष 1982 में स्वीकृत किया गया था। वर्ष 1990 के मूल्यों के अनुसार नवीनतम अनुमानित लागत 1428.89 करोड़ रुपए हैं।

(घ) विश्व बैंक से सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

(ङ) और (च). बिहार के सिंचाई विभाग द्वारा स्वीकृत पुनर्स्थापना नीति के अनुसार पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास का कार्य किया जा रहा है।

(छ) वर्ष 1995 के दौरान, चांबिल और ईचा बांधों के विस्थापित लोगों द्वारा, सामना की जा रही समस्याओं के बारे में तथा संसद सदस्यों के एक दल द्वारा परियोजना की समीक्षा किए जाने के संबंध में श्री राम टहल चौधरी संसद सदस्य से 4-1-1995 के दो पत्र प्राप्त हुए थे। इन पत्रों का उत्तर माननीय तत्कालीन जल संसाधन राज्य मंत्री ने 12-2-1996 के पत्र द्वारा दे दिया था।

भारत-बांगलादेश के बीच अन्तर्देशीय जल परिवहन संबंधी संधि

2332. श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा बंगलादेश के बीच अंतर्देशीय जल परिवहन के संबंध में कोई संधि हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संधि के अंतर्गत दोनों देशों के बीच माल की कितनी ढुलाई की गयी है;

(ग) क्या इस संधि के अंतर्गत नदी मार्ग से माल की ढुलाई को बढ़ाने में प्रचालन संबंधी तथा अन्य कठिनाइयां हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारत तथा बंगलादेश के बीच माल की ढुलाई को बढ़ाने हेतु इस संधि की समीक्षा तथा यदि आवश्यक हो तो इसमें संशोधन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) जी हां। अंतर्देशीय जलमार्ग पारगमन और व्यापार संबंधी एक भारत-बंगला देश प्रोटोकॉल है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान के.अ.ज. परि. निगम द्वारा अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन से ढोए गए कार्गो की मात्रा इस प्रकार है :-

वर्ष	टन भार (एम टी)
1993-94	21,113
1994-95	25,536
1995-96	62,772

(ग) और (घ). कागों दुलाई में वृद्धि के लिए समीक्षा बैठक में मौजूदा संधि पर पुनः वार्ता करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

ए आई बी एस

2333. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्वरित सिंचाई लाभ योजना (ए आई बी एस) शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका प्रयोजन क्या है तथा सिंचाई सुविधाओं के विस्तार हेतु राज्य सरकारों को लिए आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और उक्त सहायता कब तक उपलब्ध कराई जाएगी;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत बिहार को कितनी राशि आवंटित की जाएगी; और

(घ) क्या पूर्णिया डिवीजन में क्षतिग्रस्त नहरों को सिंचाई के लिए पूर्णतः उपयुक्त बनाने हेतु धनराशि आवंटित की जाएगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). जी हां। 1000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली बड़ी सिंचाई तथा बहुप्रयोजनो परियोजनाओं जो राज्यों की संसाधन क्षमता (800 करोड़ रु.) से बाहर है तथा पूरी होने के अग्रिम चरण में है तथा थोड़े से अतिरिक्त संसाधनों द्वारा पूरी की जा सकने वाली परियोजनाओं तथा ऐसे क्षेत्रों में जहां अगले चार कृष्य मौसमों (100 करोड़ रुपए) में से एक मौसम में पहली फसल को लाभ पहुंचाने के लिए किसानों को 1,00,000 हेक्टेयर को आश्वासित जल आपूर्ति का लाभ पहुंचाने के लिए, को पूरा किए जाने में तेजी लाने हेतु त्वरित लाभ सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को केन्द्रीय ऋण सहायता देने के लिए जल संसाधन मंत्रालय के वर्ष 1996-97 के बजट में 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केवल उन परियोजाओं जिन्हें योजना आयोग से निवेश स्वीकृति प्राप्त हो गई है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त पोषण को पात्र हैं। राज्य सरकारों को अपने-अपने संसाधनों से समान निधियां प्रदान करानी हैं। यह सहायता वर्ष 1996-97 के दौरान 13 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर और बाद के वर्षों में वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर ऋण के रूप में है। ऋण की वापिसी अदायगी 20 बराबर-बराबर किस्तों में तथा अगले वर्ष से बकाया राशि पर ब्याज की वूसली के साथ की जाएगी। तथापि, इन ऋणों की 50 प्रतिशत की राशि के लिए 5 वर्ष की प्रारंभिक अवधि रियायती अवधि होगी, तत्पश्चात् इन ऋणों का वापिसी भुगतान 15 बराबर-बराबर किस्तों में किया जाएगा। वार्षिक आधार पर देय ऋण (मूलधन एवं ब्याज के रूप में) की वसूली दस बराबर-बराबर मासिक किस्तों में की जाएगी, जो 15 जून से प्रारम्भ होगी।

(ग) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1996-97 के लिए बिहार राज्य को 25 करोड़ रुपए 20 करोड़ रुपए पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए तथा 5 करोड़ रुपए ऊपरी क्यूल परियोजना के लिए, की कुल केन्द्रीय ऋण सहायता मंजूर की गई थी। स्वीकृत केन्द्रीय ऋण सहायता की 50 प्रतिशत की राशि अर्थात् 12.5 करोड़ रुपए प्रथम किस्त के रूप में निर्मुक्ति आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

(घ) पूर्णिया मंडल में क्षतिग्रस्त नहर प्रणाली के नवीकरण से संबंधित प्रस्ताव तैयार करने तथा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता के लिए मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी बिहार राज्य सरकार की है।

स्वास्थ्य रक्षा

2334. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को विभिन्न बीमारियों जैसे गुर्दे का कार्य करना बन्द कर देना, दिल का दौरा, कैंसर, यक्ष्मा आदि को रोकने तथा इनकी चिकित्सा हेतु कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है और मदवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य परिचर्या/औषधियों पर प्रति व्यक्ति कितना व्यय किया गया है;

(ग) क्या तत्संबंधी वर्तमान व्यय सीमा में वृद्धि करने के संबंध में कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) स्वास्थ्य राज्यों का विषय है इसलिए राज्य ही अपने निजी स्रोतों से, लोगों की निवारक प्रोत्साहक तथा उपचारात्मक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्तरदायी हैं। तथापि केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1995-96 के दौरान मध्य प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं समेत प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों तथा उनके आवंटन को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा अपने निजी स्रोतों से औषधियों की प्राप्ति तथा आपूर्ति की जाती है। यद्यपि राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों में उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1992-93 के लिए स्वास्थ्य पर मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति सरकारी व्यय 39 रुपये है।

(ग) और (घ). विश्व बैंक जैसे विदेशी अभिकरणों से मांगी गई सहायता के अतिरिक्त राज्य क्षेत्र के स्वास्थ्य कार्यक्रमों तथा रोगों के नियंत्रण/उन्मूलन के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं तथा वर्षानुवर्ष स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए योजना आवंटन में वृद्धि की गई है।

विवरण

प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए वर्ष 1995-96 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य को धन का आवंटन

कार्यक्रम का नाम	आवंटित धनराशि लाख रुपए
राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	1228.26
राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	372.70
राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	357.83
राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	273.50
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	137.00
राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम	52.50
राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम	14364.55

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यापकों को आन ड्यूटी स्टडी लीव मंजूर करने हेतु नियम

2335. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों को पूर्णकालिक उच्च अध्ययन हेतु वेतन सहित अथवा आन ड्यूटी स्टडी लीव मंजूर करने हेत कुछ प्रावधान हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या इस प्रकार की छुट्टियां अन्य स्थानों पर विषय/डिग्री के अध्ययन हेतु दी जा सकती हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ग) और (घ). अध्ययन अवकाश को अभिशासित करने वाले प्रावधानों में उस स्थान को विनिर्धारित नहीं किया गया है जहां अध्ययन किया जाना है।

विवरण

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड ने निम्नलिखित संशोधनों के साथ केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 में निहित अध्ययन अवकाश नियमों के, आवश्यक परिवर्तनों सहित विस्तार को अनुमोदित किया है :-

1. भारत में अथवा विदेश में अध्यन अवकाश केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 50 में विनिर्धारित उद्देश्य के अतिरिक्त साहित्यिक तथा शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रधानाचार्य के स्तर तक के शिक्षण स्टाफ को संकाय सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन अवकाश प्रदान किया जा सकता है;

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 50 में विनिर्धारित उद्देश्य के लिए शिक्षा अधिकारियों तथा अन्य सभी उच्च अधिकारियों और शिक्षणेतर स्टाफ को अध्ययन अवकाश प्रदान किया जा सकता है;

3. संगठन में कम से कम 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वालों को ही अध्ययन अवकाश प्रदान करने पर विचार किया जाए;

4 यहां तक कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के उन अधिकारियों को भी अध्ययन अवकाश प्रदान किया जा सकता है जिनको सेवा-निवृत्त होने में 8 वर्ष से भी कम रह गए हैं बशर्ते उनके अध्ययन के निष्कर्ष में केन्द्रीय विद्यालय संगठन अथवा विद्यालय स्तर पर कर्मचारी के नैतिक बल, प्रबंध पद्धति, मानवीय संबंधों, संगठनात्मक ढांचे आदि से संबंधित संगठन के सुधार की सीधे छाप होगी।

5. अध्ययन अवकाश उपाध्यक्ष, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अनुमोदन के आधार पर प्रदान किया जाएगा;

6. अध्ययन अवकाश एक बार में किसी संवर्ग में 1 प्रतिशत नियमित कर्मचारियों से अधिक को प्रदान नहीं किया जाएगा; और

7. अध्ययन अवकाश संपूर्ण सेवावधि में केवल एक बार अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए ही प्रदान किया जा सकता है।

भूमिगत जल का स्तर

2336. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिगत जल के गिरते स्तर को देखते हुए जबलपुर जिले में शीघ्रातिशीघ्र एक विशेष परियोजना आरंभ की जा रही है जिसके अंतर्गत जिले के पुराने तालाबों की मरम्मत और नवीकरण कार्य आरंभ किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का व्यापक लागत ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता आदि प्रदान की गई है; और

(ग) यह परियोजना कब तक लागू कर दी जाएगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार जबलपुर जिले में ऐसी कोई विशेष परियोजना प्रारंभ नहीं की गई है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

संयुक्त राज्य अमरीका के साथ प्रत्यर्पण सन्धि

2337. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका के साथ प्रत्यर्पण सन्धि करने के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार ने प्रत्यर्पण सन्धि के प्रारूप का अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) क्या इस सन्धि पर हस्ताक्षर हो चुके हैं;

(ङ) यदि हां, तो यह सन्धि कब हुई थी; और

(च) दोनों देशों द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने सहित आतंकवाद से लड़ने के लिए क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (घ). भारत और संयुक्त राज्य अमरीका ने 1993 में नई प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव पर औपचारिक वार्ता शुरू की। 28 सितम्बर, से 1 अक्तूबर, 1993 तक नई दिल्ली में तथा 19-21 अक्तूबर, 1994 तक वाशिंगटन में इस वार्ता के दो दौर हुए। तत्पश्चात दोनों पक्षों द्वारा दिए गए सुझावों पर प्रत्येक पक्ष ने विस्तार से विचार किया। बातचीत सम्पन्न हो चुकी है, इस समय भारत और संयुक्त राज्य अमरीका अपनी-अपनी प्रणालियों के अंतर्गत हस्ताक्षर करने के लिए इसकी विषय-वस्तु को तैयार करने में लगे हुए हैं। नई प्रत्यर्पण संधि का प्रारूप प्रत्यर्पण कानून तथा व्यवहार में आधुनिक प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए मौजूदा प्रत्यर्पण व्यवस्थाओं में संशोधन करने की दोनों सरकारों द्वारा महसूस की गइ आवश्यकता का समाधान करता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) सरकार का विश्वास है कि मैक्रो-आतंकवाद और स्वापक दवाओं के अवैध आवागमन सहित आतंकवाद का सामना करने क लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। आतंकवाद का प्रतिकार करने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच सहयोग की निर्धारित प्रक्रियाएं हैं जिनमें सूचनाओं के आदान-प्रदान, प्रशिक्षण एवं अभियोजन के लिए परस्पर सहायता शामिल है। स्वापक के संबंध में भारत और संयुक्त राज्य अमरीका का संयुक्त कार्यदल है जिसकी वर्ष में एक बैठक होती है। दोनों पक्षों के नारकोटिक्स/राजस्व अधिकारियों के बीच कार्यकलाप को संवर्धित करने से नशीली दवाओं का उत्पादन, उनका अवैध व्यापार और उनका दुरूपयोग रोकने सहित सभी स्तरों पर नशीली दवाओं के अवैध व्यापार से निपटने में सहयोग करने में मदद मिली है।

नई रेजिमेंट

2338. श्री शरत पटनायक :
श्री के.एच. मुनियप्पा :
श्री के.पी. सिंह देव :
श्री के.सी. कोंडय्या :
श्री भगवान शंकर रावत :
डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :
श्री हाराधन राय :
श्री आर. साम्बासिवा राव :
श्री तरित बरण तोपदार :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दोरान नई रेजिमेंट बनाने क निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई रेजिमेंट स्थापित करने के लिए सेना को आधुनिक शस्त्रों की खरीद के लिए अपनी धनराशि में कटौती करनी पड़ेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्तमान में सेना में विभिन्न श्रेणियों में रिक्त पदों की संख्या क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार नई रेजिमेंट स्थापित करने से पहले इन रिक्त पदों को भरने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) से (छ). हाल ही में, प्रधान मंत्री जी ने सेना में कर्नाटक रेजिमेंट स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया है। इस मामले में अभी सेना मुख्यालय के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है। इस रेजिमेंट की स्थापना पर आने वाली लागत तथा अन्य ब्यौरों की अभी गणना की जानी है।

इस समय, सेना में विद्यमान विभिन्न रैंकों में रिक्त पदों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

(क) **अफसर** (सेनांग तथा सेनाएं)

जनरल	-	शून्य
लेफ्टिनेंट जनरल	-	02
मेजर जनरल	-	02
ब्रिगेडियर	-	02
कर्नल	-	111
लेफ्टिनेंट कर्नल	-	79

	मेजर	-	3706
	कैप्टन और उससे नीचे	-	8259
	कुल	-	12161

(ख) **अफसर**

सेना चिकित्सा कोर	-	332
सैन्य नर्सिंग सेवा	-	449
सेना दंत चिकित्सा कोर		44
कुल	-	825

(ग) सेनांगों तथा सेनाओं में जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों और अन्य रैंकों में यह कमी 58300 सेना कार्मिकों की है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

2339. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
जस्टिस गुमान मल लोढा :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1951 में देश में कुल माल यातायात का 25 प्रतिशत सड़क परिवहन द्वारा होता था;

(ख) यदिहां, तो क्या 2000 तक इसके 87 प्रतिशत तक हो जाने की सम्भावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का अनुमान क्या है;

(घ) क्या सड़क नेटवर्क पर बढ़ते हुए दबाव को ध्यान में रखते हुए सड़क नेटवर्क के विकास को प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत है; और

(ङ) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और विकास हेतु प्रस्तावित लक्ष्य क्या हैं तथा इस संबंध में कितना व्यय होगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (ङ). राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति (एन टी पी सी) के अनुसार वर्ष 1950-51 में मालभाड़ा यातायात के मामले में सड़क और रेल का भाग 11:89 था, जो 1978 में 32:68 हो गया। यद्यपि, उसके बाद यातायात मांग का आकलन नहीं किया गया है, लेकिन सड़क पर मालभाड़ा यातायात में काफी वृद्धि हुई है। तथापि संसाधनों के अभाव के कारण नेटवर्क का पर्याप्त विस्तार करना संभव नहीं हो पाया है।

बाया ब्रह्मपुत्र जल परिवहन की सुविधा

2340. डा. जयंत रंगपी : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ब्रह्मपुत्र नदी से होकर गुवाहाटी तथा देश के अन्य भागों में जल परिवहन की सुविधा शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख). सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी एक राष्ट्रीय जलमार्ग है तथा बंगलादेश और सुन्दरबन से पारगमन और व्यापार प्रोटोकाल मार्ग द्वारा कलकत्ता/हल्दिया पत्तनों से जुडा हुआ है। गुवाहटी से हल्दिया/कलकत्ता तक पूरे जलमार्ग में वर्ष भर यंत्रीकृत नोदित जलयान चल सकते हैं और कार्गो जलयान बंगलादेश होकर गुवाहटी और कलकत्ता के बीच प्रचालन करते हैं। यह जल परिवहन मार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा-भागीरथी-हुगली) के साथ साथ कलकत्ता से इलाहाबाद तक फैला हुआ है।

विदेशी उद्योगों द्वारा कार्गो हैंडलिंग बर्थस इत्यादि की स्थापना

2341. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कतिपय विदेशी उद्योगों ने सामान चढ़ाई-उतराई व्यवस्था करने वाली विशिष्ट गोदियां, कंटेनर टर्मिनल तथा तेल जेटीज स्थापित करने में अत्यधिक रूचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन प्रस्तावों की जांच पडताल की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (घ). निजी उद्यमियों तथा विदेशी निवेशकों को संलग्न विवरण-I में दर्शाए गए क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की सहभागिता संबंधी प्रस्तावों में भागीदारी की अनुमति दी गई है। विदेशी निवेशकों से संबंधित अनुमोदित प्रस्तावों की एक सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

पत्तन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए खुले क्षेत्र

सरकार ने पत्तनों के निम्नलिखित क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए स्पष्ट और पारदर्शी दिशानिर्देश अनुमोदित किए हैं :-

(1) पत्तन की मौजूदा परिसम्पत्तियों को पट्टे पर देना

(2) अतिरिक्त परिसंपत्तियों का निर्माण/सृजन जैसे कि :

(क) कंटेनर टर्मिनलों का निर्माण और प्रचालन।

(ख) बल्क, ब्रेक बल्क, बहुउद्देशीय और विशिष्ट कार्गो बर्थों का निर्माण और प्रचालन।

(ग) भंडारण, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, संग्रहण सुविधाएं और टैंक फार्म।

(घ) क्रेनेज/हैंडलिंग उपकरण।

(ङ) आबद्ध ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना।

(च) शुष्क गोदी और जहाज मरम्मत सुविधाएं।

(3) पत्तन हैंडलिंग के लिए उपकरण पट्टे पर देना तथा निजी क्षेत्र से फ्लोटिंग क्राफ्ट पर लेना।

(4) पायलटेज (केवल भारतीय नागरिकों के लिए)।

(5) पत्तन आधारित उद्योगों के लिए आबद्ध सुविधाएं।

विवरण-II

विदेशी निवेश/सहयोग के लिए अनुमोदित निजी क्षेत्र की सहभागिता संबंधी परियोजनाओं की सूची

पत्तन की मौजूदा बर्थों/परिसम्पत्तियों को पट्टे पर देना

कांडला पत्तन की बर्थ सं. 6 को बल्क और ब्रेक बल्क कार्गो हैंडल करने के लिए मै. जीपी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बैंकाक को पट्टे पर देना।

2. मद्रास पत्तन न्यास ने मै. बंगाल टाइगर लाइन्स, जर्मनी के साथ एक दीर्घकालीन बर्थ अनुरक्षण समझौता किया है।

3. बम्बई पत्तन न्यास ने इंदिरा गोदी परिसर में बर्थ सं. 1 के उपयोग के लिए मै. अमेरिकन प्रेसीडेंट लाइन्स के साथ एक समझौता किया है।

शुष्क गोदी, जहाज मरम्मत सुविधाओं की स्थापना

4. मै. एल आई एस एन वी ई, पुर्तगाल के साथ तकनीकी सहयोग से मै. वैस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा मुरगांव पत्तन में एक फ्लोटिंग शुष्क गोदी और जहाज मरम्मत सुविधाओं की स्थापना।

5. मै. के ई पी पी ई एल, सिंगापुर के साथ तकनीकी सहयोग से मै. चौखानी इंटरनेशनल लि. द्वारा मद्रास पत्तन में जहाज मरम्मत सुविधाओं की स्थापना।

नई बर्थों का निर्माण

6. मै. सोसीडाडे डी फोमेंटो इंडस्ट्रियल लि. द्वारा मुरगांव तट से दूर अपतटीय स्टेकयार्ड और बर्थ (ओ एस बी) का निर्माण।

[हिन्दी]

नर्सों की वर्दी

2342. श्री डी.पी. यादव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तथा दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में कार्यरत नर्सों के बीच उनके परिधान को लेकर कोई विवाद है;

(ख) क्या सरकार ने नर्सों की इन मांगों को स्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग). दिल्ली नर्स यूनियन ने 2 नवम्बर, 1995 को परम्परागत सफेद रंग की वर्दी से भूरे रंग की वर्दी बदलने का एकतरफा निर्णय लिया था। यूनियन से बार-बार सफेद वर्दी पहनने का अनुरोध किया गया। क्योंकि यह वर्दी शुद्धता तथा व्यावसायिक सम्मान की प्रतीक है और सम्पूर्ण विश्व में नर्सें परम्परागत सफेद वर्दी ही पहनती हैं। तथापि दिल्ली नर्स यूनियन तथा सरकार के साथ 4 दिसम्बर, 1996 को एक सौहार्दपूर्ण समझौता हो गया है।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए सहायता

2343. श्री नामदेव दिवाथे : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को सिंचाई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पहली अगस्त, 96, 16 अक्तूबर, 96 और 15 नवम्बर, 1996 के अपने पत्रों द्वारा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, जिसके लिए जल संसाधन मंत्रालय के वर्ष 1996-97 के बजट में 900 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है, के तहत महाराष्ट्र की चालू सिंचाई परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता के लिए अनुरोध किया है।

(ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा केन्द्रीय ऋण सहायता के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) महाराष्ट्र सरकार को वर्ष 1996-97 के लिए गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता स्वीकृत की गई है। केन्द्रीय ऋण सहायता की पहली किश्त 10 करोड़ रुपये की राशि के नियुक्ति आदेश भी जारी कर दिए गये हैं।

विवरण

महाराष्ट्र सरकार द्वारा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत ऋण सहायता के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा।

(करोड़ रु. में/हजार हैक्टेयर)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अद्यतन अनुमानित लागत	चरम सिंचाई क्षमता
1	2	3	4
1.	गोसीखुर्द	1454.10	154.00
2.	लोवर वुना	183.72	25.54
3.	वैन	166.79	19.18
4.	टिलारी	393.63	36.67
5.	लोवर दुधाना	381.16	39.60
6.	मंगस्ल	11.34	1.93
7.	अंजना पलसी	31.88	2.03
8.	पूर्णा नूपुर	13.31	1.69
9.	शिवाना टकली	49.87	6.60
10.	करल	50.83	6.98
11.	कासेरी	22.25	9.16
12.	सकोल	12.37	2.06
13.	सयाकी	17.29	2.32
14.	वडीवले	28.39	5.00
15.	लोअर तरना	187.62	31.05
16.	सूर्या	177.95	27.19
17.	अरूणावती	152.35	25.15
18.	अपर वर्धा	521.21	80.25
19.	विष्णुपुरी	200.86	28.34
20.	नन्दूर मदमेश्वर	270.92	45.58
21.	वाघर	117.78	23.58
22.	अमरावती	36.93	3.80
23.	चन्द्रभगा	75.90	6.73
24.	लालनाला	25.33	7.70
25.	भीमा	641.54	226.16
26.	खड़क वासला	218.00	62.14
27.	लोअर दुन्ना	177.00	25.54
28.	अपर गोदावरी	138.23	67.28
29.	अपर टेपी	115.57	55.14
30.	अरन (पिम्परी)	48.71	10.07
31.	बाहुला	21.88	4.55
32.	चितरो	21.40	5.35
33.	जैम	52.12	7.77
34.	जंगामहाटी	29.50	3.70
35.	सांख	31.70	3.10
36.	शाहनूर	50.00	9.36

[अनुवाद]

पाकिस्तान और बंगलादेश के साथ भू-सीमा करार

2344. श्री अमर राय प्रधान : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान/बंगलादेश के साथ भू-सीमा करार को कार्यान्वित करने से संबंधित तीन बकाया मसले क्या हैं;

(ख) उन 23 भारतीय परिक्षेत्रों (एनक्लेवों) के नाम क्या हैं जिन्हें अविनिमेय पाया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या देश के विभाजन के समय से ही परिक्षेत्रों (एनक्लेवों) के विनिमेय की समस्या विद्यमान रही है;

(घ) इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इनका कब तक समाधान कर लिए जाने की संभावना है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ङ). भारत-बंगलादेश भू-सीमा करार, 1974 से सम्बन्धित तीन अनसुलझे मसले हैं : (1) एक-दूसरे के प्रदेश में स्थिति विदेशी अंतःक्षेत्रों का आदान-प्रदान; (2) एक-दूसरे के प्रदेश में स्थिति अधिकृत क्षेत्रों का अन्तरण; और (3) भू-सीमांकन का कार्य पूरा करना।

भारत और उस समय के पूर्वी पाकिस्तान जो अब बंगलादेश है, के बीच विभाजन रेडक्लिफ अवार्ड के आधार पर किया गया था जिसके अनुसार भारत और पूर्वी पाकिस्तान/बंगलादेश के कुछ छोटे अंतः क्षेत्र एक दूसरे के प्रदेश में छूट गए थे। हमारे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार बंगलादेश में भारत के अहस्तान्तरणीय अन्तः क्षेत्र थे अहस्तान्तरणीय अन्तःक्षेत्रों का अभिप्राय अन्तःक्षेत्रों के भीतर अंतःक्षेत्र अथवा ऐसे क्षेत्रों से है जिन्हें पहले अन्तःक्षेत्र माना जाना था, किन्तु जो सीमाकंन के पश्चात सट गए हैं और इस प्रकार अब अन्तःक्षेत्र नहीं रह गए हैं।

अन्तःक्षेत्रों का आदान-प्रदान प्रत्यक्ष रूप से बंगलादेश के साथ सीमांकन से जुड़ा हुआ है और सीमांकन करते समय इसका आवश्यक रूप से ध्यान रखा जाएगा। भारत-बंगलादेश भू-सीमा के लगभग 41

किलोमीटर का सीमाकंन अभी पूरा किया जाना है। सरकार ने बंगलादेश के साथ सीमांकन के कार्य को संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से पूरा करने का प्रस्ताव किया है।

[हिन्दी]

विशेष कोष

2345. श्रीमती सुषमा स्वराज :

श्री नीतीश कुमार :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सड़क विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विशेष कोष की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस उद्देश्य हेतु संसाधनों का चयन कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस कार्य को शुरू करने के लिए प्रारंभ में कुल कितनी राशि जमा कराने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (ङ). यह प्रस्ताव अब भी वैचारिक स्तर पर है।

[अनुवाद]

पोषण स्तर

2346. श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :

श्री के.एच. मुनियप्पा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पोषण का स्तर गिर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो देश में विशेषरूप से स्कूल जाने वाले बच्चों में कुपोषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) जी, नहीं। वास्तव में, देश में पोषाहारीय स्तर में सुधार हुआ है। प्राचीन पोषाहारीय कमियों, जैसे बेरी-बेरी, पैलाग्रा, स्कर्वी आदि का उन्मूलन हो चुका है। बच्चों में गम्भीर तथा अल्प कुपोषण को काफी हद तक कम कर दिया गया है। न्यूट्रीशन ट्रैंड्स इन इन्डिया आई.सी.एस.आर. 1993 के अनुसार, ग्रामीण वयस्कों के पोषाहारीय स्तर में 1975-90 की अवधि के दौरान सुधार हुआ है।

(ख) सरकार कुपोषण के नियंत्रण हेतु विभिन्न क्षेत्रों के जरिए पोषाहार तथा पोषाहार से संबंधित कई कार्यक्रम चला रही है, जैसे समेकित बाल विकास सेवा स्कीम, पोषाहार शिक्षा कार्यकलाप, बाल उत्तरजीविता तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम, राष्ट्रीय पोषाहारीय रक्ताल्पता नियन्त्रण कार्यक्रम, विटामिन "ए" रोगनिरोधन कार्यक्रम तथा स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम आदि।

एड्स

2347. डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एड्स संबंधी निगरानी पद्धति को सुदृढ़ बनाने हेतु केन्द्र सरकार ने हाल ही में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों की संख्या तथा निदेश-पंद क्या हैं;

(ग) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के सर्वेक्षण के अनुसार देश में एच.आई.वी. रोगाणुग्रस्त व्यक्तियों की अनुमानित संख्या सरकारी आंकड़ों से भिन्न-भिन्न है;

(घ) यदि हां, तो सरकार को एड्स से पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक संख्या का कब तक पता लगेगा; और

(ङ) उक्त बीमारी के उन्मूलन हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से क्या प्रयास किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

एच.आई.वी. अनुमानों और निगरानी कार्य में सुधार लाने के बारे में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया है।

(ख) गठन और विचारार्थ विषयों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ). विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक्स्ट्रापोलेशन के आधार पर सांख्यिकीय अनुमान लगाए हैं। भारत में संकमित व्यक्तियों की सुस्पष्ट संख्या देना कठिन है। एच आई वी अनुमान पर विशेषज्ञ दल भारत में एच आई वी पाजीटिव व्यक्तियों की अनुमान संबंधी प्रणाली और प्रक्रियाकी जांच करेगा। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन में 31-10-96 तक सूचित किए गए एच आई वी पाजीटिव तथा एड्स रोगियों की संख्या नीचे दी गई है :-

जांच किए गए व्यक्तियों की संख्या	2905910
सीरो-पाजीटिव व्यक्तियों की संख्या	48033
एड्स रोगियों की संख्या	2996

(ङ) विश्व स्वास्थ्य संगठन इस रोग के फैलाव को रोकने के लिए तकनीकी सहायता के रूप में 1.5 मिलियन डालर प्रदान कर रहा है।

विवरण

टी.17020/1/96-नाको
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन

आई आर सी एस बिल्डिंग
1, रेडक्रास रोड, नई दिल्ली
दिनांक 8 अगस्त, 1996

आदेश

राष्ट्रपति एच.आई.वी. "अनुमानों के बारे में एक विशेषज्ञ दल" गठित करते हैं। प्रस्तावित विशेषज्ञ दल का गठन इस प्रकार होगा :-

1. डॉ. एस.पी. त्रिपाठी, अध्यक्ष
निदेशक, पारिवारिक स्वास्थ्य एवं अनुसंधान
एस ई ए आर ओ/विश्व स्वास्थ्य संगठन,
नई दिल्ली

2. प्रो. एल.एम. नाथ (भूतपूर्व निदेशक, अ.भा.आ.सं.), सदस्य
निदेशक
स्वास्थ्य पर्यावरण और विकास संघ,
ई-21, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली

3. डा. पदम सिंह, सदस्य
निदेशक, अनुसंधान एवं चिकित्सा आंकड़े संस्थान
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद मुख्यालय परिसर
अंसारी नगर, नई दिल्ली

4. डा. टी. जैकब जॉन, सदस्य
प्रो. अवकाश प्राप्त
विषाणु विज्ञान विभाग,
क्रिश्चियन मेडिकल कालेज,
वैल्लौर

5. डा. एस.आर. सालुंके, सदस्य
निदेशक
स्वास्थ्य सेवाएं,
महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई

6. डा. प्रदीप सेठ, सदस्य
प्रो. एवं विभागाध्यक्ष,
सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

7. डा. एस.के. सत्पथी, सदस्य
अवर परियोजना निदेशक (तकनीकी)
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, नई दिल्ली

इस विशेषज्ञ दल के लिए प्रमुख विचारार्थ विषय होंगे :-

1. समय-समय पर "देश में एच आई वी अनुमानों पर दस्तावेज" की समीक्षा तथा अनुमोदन करना।

2. एच आई वी/एड्स पर निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए दिशा निर्देशों की सिफारिश करना।

3. आंकड़ों को और अधिक विश्वसनीय और पूर्ण बनाने के लिए निगरानी प्रणाली पर अन्य संबंधित मुद्दों पर सलाह देना।

बैठक में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता के बारे में व्यय का समय-समय पर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के बजट में से भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। तथापि, सरकारी सदस्य बैठक में भाग लेने के लिए अपना यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता उसी स्रोत से प्राप्त करेंगे जिससे वे अपना वेतन लेते हैं।

विशेषज्ञ दल की बैठक कम से कम छः माह में एक बार होगी।

ह0/- एस.के.नाग
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि :

1. विशेषज्ञ दल के सभी सदस्य
2. वेतन एवं लेखा अधिकारी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
3. स्वस्थ्य सेवा महानिदेशक, निर्माण भवन, नई दिल्ली
4. महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
5. राज्य मंत्री के निजी सचिव
6. सचिव(स्वास्थ्य/परिवार कल्याण) के प्रधान निजी सचिव
7. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सभी अधिकारी एवं अनुभाग, निर्माण भवन, नई दिल्ली
8. प्रशावन-I अनुभाग, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
9. 25 अतिरिक्त प्रतियां

ह0/- एस.के. नाग
अवर सचिव, भारत सरकार

राष्ट्रीय सांस्कृतिक नीति

2348. श्री संतोष मोहन देव :
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा तैयार राष्ट्रीय सांस्कृतिक नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) लोग इससे किस हद तक लाभान्वित होंगे; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) से (ग). राष्ट्रीय सांस्कृतिक नीति पर तैयार किया गया प्रारूप सरकार के विचाराधीन है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

2349. श्री दिनशा पटेल : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के संबंध में बहुत कम प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख). संभवतः माननीय सदस्य का आशय 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार से है। निधियों के अभाव के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में अब तक मात्र 609 कि.मी. का विस्तार किया गया है।

बी.आर.डी. संस्कृत महाविद्यालय, बिल्लौर के कर्मचारियों को वेतन न देना

2350. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बाबा रघुनंदन दास संस्कृत महाविद्यालय, बिल्लौर, कानपुर के शिक्षकों को गत पांच माह से वेतन नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सड़कों पर व्यय

2351. श्री नीतीश कुमार :
जस्टिस गुमान मल लोढा :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की 6 प्रतिशत राशि सड़क मार्गों, विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और विस्तार पर खर्च की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सड़क मार्गों पर सकल घरेलू उत्पाद की 3 से 4 प्रतिशत राशि खर्च की गई थी;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और सड़क शोधों पर व्यय में निरन्तर कमी के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (ग). यह सच है कि राष्ट्रीय राजमार्गों सहित सड़क सैक्टर पर किया जाने वाला निवेश प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल योजनागत व्यय के 6.89 प्रतिशत से घटकर आठवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 3 प्रतिशत पर आ गया है।

(घ) संसाधनों के समग्र अभाव और अन्य सामाजिक क्षेत्रों की आवश्यकता के कारण, सड़क सैक्टर में किया जाने वाला निवेश घट रहा है

(ङ) यह मंत्रालय मुख्यतया राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए जिम्मेदार है, जिसके लिए सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु पहले ही प्रयास आरंभ कर दिए हैं। कुछ राज्य सरकारों ने भी राज्य सड़कों के मामले में इसी प्रकार के उपाय किए हैं।

विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा

2352. श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा संबंधी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने शारीरिक शिक्षा को सभी विद्यालयों में अनिवार्य बनाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी राज्य सरकारों ने सिफारिशों को लागू करने के बारे में कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में कितने विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया है; और

(ङ). केन्द्रीय सरकार का इन सिफारिशों को सभी राज्य सरकारों द्वारा प्रभावी रूप से लागू किए जाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ङ). केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सी ए बी ई) ने प्रशिक्षित शिक्षक के पर्यवेक्षण में स्कूलों में शारीरिक शिक्षा और खेलकूद को अनिवार्य बनाने तथा रोजाना प्रथम घंटे के रूप में अधिमानतः कम से कम 40 मिनट देने की सिफारिश की थी। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति की सिफारिशों को सामान्यतः स्वीकार कर लिया गया है और कार्यान्वयन के लिए सभी संबंधितों के पास भेज दी गई है। सिफारिशों का कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है। केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के प्रगति की जांच करने के लिए जून, 1995 में एक मानीटरिंग समिति का गठन किया है। मानीटरिंग समिति ने राज्यों को सलाह दी है कि वे सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए परिप्रेक्ष्य योजनाएं तैयार करें।

विश्व बैंक की सहायता

2353. श्री सनत मेहता : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार द्वारा केंद्र सरकार को भेजे गए उत्तरी गुजरात के अत्यधिक दोहित क्षेत्रों में भूमिगत जल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए 110.65 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली परियोजना हेतु विदेशी ऋण/विश्व बैंक की सहायता संबंधी प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा निवेश के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को दिए गए सुझावों पर आधारित संशोधित परियोजना प्रस्ताव क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग). उत्तरी गुजरात के अत्यधिक दोहित जलभृतों में सतही जल के पुनर्भरण में वृद्धि करने के लिए 110.65 करोड़ रुपए की लागत का परियोजना प्रस्ताव मार्च, 1996 में वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) को संस्तुत किया गया है, जिससे इसे किसी विदेशी दाता अभिकरण को सहायता के लिए प्रस्तुत किया जा सके। इस संबंध में उत्तर की प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्तियां

2354. श्री विजय पटेल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में सृजित होने वाली सभी संभावित रिक्तियां केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से ही भरने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि आयोग ने 31 जुलाई, 1996 को आयोजित अपनी बैठक में केन्द्रीय और सम-विश्व-विद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की और अन्य बातों के साथ-साथ अध्यापन और गैर-अध्यापन आरक्षित पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने का निर्णय लिया तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को, विश्वविद्यालय द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में सूचित किया जा सकता है। विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापन की एक प्रति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजी जानी चाहिए। रोस्टर के अंतर्गत रिक्त पदों को केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा ही भरा जाना चाहिए तथा इस संबंध में सरकार के विनियमों का अनुसरण किए बिना उन्हें अनारक्षित नहीं किया जाना चाहिए।

आयोग के निर्णय के बारे में सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/सम विश्वविद्यालयों को अक्तूबर, 1996 को सूचित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

केरल में समुद्र तट कटाव रोकने संबंधी कार्य

2355. श्री वी.एम. सुधीरन : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समुद्र तट कटाव वाले राज्यों जैसे केरल में बड़े पैमाने पर समुद्र तट कटाव रोकने संबंधी कार्य की आवश्यकता से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केरल राज्य में पूरे समुद्र तट को व्यापार समुद्र तट कटाव योजना में शामिल करने के लिए पर्याप्त योजना परिव्यय उपलब्ध कराने का है ताकि समुद्र तट का बचाव किया जा सके और पहले से तट पर बनी समुद्री दीवार में सुधार किया जा सके;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को समुद्र तट कटाव रोकने संबंधी कार्य शुरू करने के लिए अंतरिम उपायों के रूप में केरल सरकार से कुछ योजनाएं प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने तथा राज्य को वित्तीय सहायता देने हेतु तत्काल क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) राज्य सरकार द्वारा लगाये गये अनुमान के अनुसार, केरल राज्य में 560 कि.मी. की कुल तटीय लम्बाई में से लगभग 480 कि.मी. कटाव से असुरक्षित है। इस समस्या को कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्कीमें शुरू की जाती हैं।

(ख) एन डी सी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, समुद्री कटावरोधी कार्यों के लिए राज्यों को केन्द्रीय ऋण सहायता वर्ष 1991-92 के बाद से बन्द कर दी गई। नौवीं योजना के लिए बाढ़ प्रबंध सम्बन्धी कार्यकारी दल ने गंभीर स्वरूप के समुद्री कटावरोधी कार्यों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में 150 करोड़ रुपए के प्रावधान की सिफारिश की है।

(ग) और (घ). केरल सरकार ने योजना आयोग से समुद्री कटावरोधी कार्यों, नदी सुरक्षा और गाद हटाने के कार्यों के लिए 22.55 करोड़ रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया था। चूंकि कार्य आवश्यक रूप से रखरखाव स्वरूप के हैं, इसलिए राज्य सरकार से इस आवश्यकता को राज्य की गैर-योजना निधि में से पूरा करने का अनुरोध किया गया था।

राज्य साक्षरता मिशनों का गठन

2356. श्री परसराम भारद्वाज :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने साक्षरता कार्यक्रम के विकेन्द्रीकरण और राज्य स्तर पर परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए सभी राज्य सरकारों को राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों के गठन हेतु मार्गनिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने औपचारिक रूप से ऐसे राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों की स्थापना और पंजीकरण कर लिया है; और

(घ) शेष राज्यों द्वारा ऐसे प्राधिकरण कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य साक्षरता मिशनों की स्थापना के लिए दिशा-निर्देशों की कुछ विशिष्ट विशेषताएं निम्नलिखित हैं :-

(एक) राज्य साक्षरता मिशन एक पंजीकृत निकाय होगा जिसका ज्ञापन/संस्था की अन्तर्नियमावली और नियम और विनियमों का एक उपयुक्त संविधान होगा।

(दो) इसकी एक साधारण परिषद और एक कार्यकारी समिति होगी।

(तीन) इसकी परियोजनाओं को संस्वीकृत करने के लिए एक परियोजना अनुमोदन समिति होगी।

(चार) प्रौढ़ शिक्षा राज्य निदेशालय राज्य साक्षरता मिशन के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

(पांच) साक्षरता और शिक्षा कार्यक्रमों के लिए उच्चतम स्तर पर राज्य सरकारों की सहमति सुनिश्चित करने के पश्चात् और संस्वीकृत सम्पूर्ण/उत्तर साक्षरता जिलों की कम से कम 50 प्रतिशत सन्तोषजनक उपलब्धि प्राप्त करने पर ही राज्य साक्षरता मिशनों को परियोजनाओं को संस्वीकृत करने का अधिकार है।

(ग) जिन राज्यों में साक्षरता मिशन स्थापित और पंजीकृत किए गए हैं, वे राज्य आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश हैं।

(घ) शेष सभी राज्यों से शीघ्रातिशीघ्र राज्य साक्षरता मिशन स्थापित करने का अनुरोध किया गया है।

दिल्ली में स्मारकों का संरक्षण

2357. श्री के.एस. रायुडू : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा दिल्ली के अनेक स्मारकों का संरक्षण कोषाभाव के कारण नहीं किया जा रहा है जैसा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा उपेक्षित दिल्ली के सभी स्मारकों के संरक्षण हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारतीय संविधान के अन्तर्गत पुरातत्व एक समवर्ती विषय है और स्मारकों का रखरखाव एवं परिरक्षण करना केन्द्र तथा राज्यों दोनों की जिम्मेदारी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दिल्ली स्थित उन 166 स्मारकों के रखरखाव, संरक्षण एवं परिरक्षण के लिए उत्तरदायी है जिन्हें केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों के रूप में अधिसूचित किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का पुरातत्व विभाग दिल्ली स्थित 19 स्मारकों का रखरखाव एवं संरक्षण कर रहा है। इसके साथ-साथ उनका 100 स्मारकों का संरक्षण करने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा पुरातत्वीय महत्व के अनेक स्मारकों तथा अवशेषों का रखरखाव दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर निगम जैसे स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी]

औरंगा जलाशय

2358. श्री धीरेन्द्र अग्रवाल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के औरंगा जलाशय की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) इस पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है;

(ग) उक्त परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) औरंगा परियोजना योजना आयोग द्वारा 125.40 करोड़ रुपए की लागत पर सितम्बर, 1983 में स्वीकृत की गई थी। 1987-88 के मूल्यों पर 297.81 करोड़ रुपए का संशोधित अनुमान कुछ शर्तों के अधीन तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत कर दिया गया था। केन्द्रीय जल आयोग में 7.10.1996 को आयोजित नवीनतम पुनरीक्षा बैठक में परियोजना प्राधिकारियों ने नवीनतम मूल्य स्तरों पर प्राक्कलनों को अद्यतन बनाने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है। इसमें जल वैज्ञानिक पहलुओं समेत शेष मामलों की अनुपालना भी शामिल है।

(ख) मार्च 1996 तक प्रत्याशित व्यय 20.10 करोड़ रुपए है।

(ग) और (घ). परियोजना का पूरा किया जाना राज्य सरकार द्वारा दी गई प्राथमिकता पर निर्भर करता है। इसे पूरा करने में विलम्ब का मुख्य कारण राज्य सरकार के पास निधियों की अपर्याप्तता का होना है।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बिक्री कर

2359. श्री जी. वेंकट स्वामी :
श्री उत्तम सिंह पवार :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. के मामले में 31 मार्च, 1996 को बकाया बिक्री कर की क्या अनुमानित राशि है;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार से कंपनी की वित्तीय स्थिति को देखते हुए उक्त बकाया को माफ करने के लिए आग्रह किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) 31.3.96 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश सरकार के बिक्री कर विभाग ने लगभग 53 करोड़ रु. की मांग की है। तथापि, हिन्दुस्तान शिपयार्ड ने विरोध प्रकट करते हुए 14 करोड़ रु. का भुगतान कर दिया है, 32 करोड़ रु. की राशि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के तहत आती है। शेष 7 करोड़ रु. की राशि के बारे में उच्च न्यायालय/न्यायाधिकरण/अपीलीय प्राधिकरणों में अपील की हुई हैं।

(ख) जी हां।

(ग) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार का कहना है कि राज्य सरकार की अर्थोपाय संबंधी वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए वह बिक्री कर की बकाया राशि को छोड़ देने की स्थिति में नहीं है। तथापि, राज्य सरकार ने वाणिज्यिक कर विभाग को निदेश दिए हैं कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड के साथ बातचीत करके लंबित मामलों का समाधान निकालें।

[हिन्दी]

अपने खर्च पर विश्वविद्यालयों द्वारा एडवांस कोर्स संचालित करना

2360. डा. राम लखन सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश में सभी विश्वविद्यालयों को अपने खर्चे पर एडवांस कोर्स संचालित करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन कोर्सों हेतु शुल्क और दान राशि निजी शैक्षिक संस्थाओं के बराबर है जिसके परिणामस्वरूप उन कोर्सों को पढ़ने वालों को बड़ी कठिनाई झेलनी पड़ रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

वैद्यनाथन समिति

2361. श्री सुरेश प्रभु : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार जल के संबंध में वैद्यनाथन समिति की अनुशंसाओं को लागू करने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग). जल का मूल्य निर्धारण करने के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य डा. ए. वैद्यनाथन की अध्यक्षता में अक्तूबर, 1991 को योजना आयोग द्वारा सिंचाई जल के मूल्य निर्धारण पर एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी

रिपोर्ट सितंबर, 1992 को प्रस्तुत की थी। वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों का अध्ययन दिसंबर, 1992 में योजना आयोग द्वारा गठित अधिकारी दल द्वारा किया गया जिसके अध्यक्ष सदस्य सचिव, योजना आयोग थे। अधिकारी दल ने अपनी दिसम्बर, 1994 की रिपोर्ट में वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों को विस्तृत रूप से शामिल किया था। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ सिंचाई जल दरों को चरणों में निर्धारित करने के आधार के रूप में वार्षिक प्रचालन और अनुरक्षण लागत की वसूली, गैर-कृष्य उपयोगों से पूरी लागत की वसूली, पुरानी सिंचाई प्रणालियों का आधुनिकीकरण और नवीकरण, सिंचाई जल दलों का आवधिक संशोधन सिंचाई प्रबंध के उपयोगकर्त्ता किसानों आदि को अंतरित करने का बढ़ावा देना आदि का सुझाव दिया गया था। योजना आयोग ने अधिकारी दल की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, वैद्यनाथन समिति की रिपोर्ट के साथ-साथ अधिकारी दल की सिफारिशें, विचार एवं यथावश्यक कार्रवाई के लिए सभी राज्य सरकारों को भेजी गई हैं।

राष्ट्रीय खेल नीति

2362. डा. महादीपक सिंह शाक्य :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में खेल कूद को प्रोत्साहन देने हेतु कोई नई राष्ट्रीय खेल नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई खेल नीति तैयार करने के लिए लोगों से इस संबंध में सुझाव प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा कोई ठोस कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उपरोक्त नई खेल नीति के अंतर्गत खेल प्राथमिकताओं का पता लगाने के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री धनुषकोड़ी आदित्यन आर.) : (क) और (ख). जी, हां। वर्तमान राष्ट्रीय खेल नीति को पुनः तैयार करने का प्रस्ताव है ताकि इसे और अधिक आवश्यकता आधारित बनाया जा सके।

(ग) और (घ). जी, हां। विभिन्न राज्यों/संघ शासित सरकारों, राष्ट्रीय खेल परिसंघों और अन्य संबंधित एजेंसियों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं.

(ङ) और (च). जी, हां। प्राथमिकता प्राप्त खेल विधाओं पर ध्यान देने के लिए विभिन्न संबंधित एजेंसियों जैसे कि केन्द्र सरकार, राज्य/संघ शासित सरकारों, राष्ट्रीय खेल निकायों आदि की भूमिका का जिक्र किया गया है।

[हिन्दी]

विज्ञान केन्द्र

2363. श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा' : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में विज्ञान मंदिरों (विज्ञान केन्द्रों) की स्थापना की है;

(ख) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश उत्तरांचल क्षेत्र में किसी विज्ञान मंदिर की स्थापना का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् की वर्तमान नीति के संदर्भ में विज्ञान केन्द्र स्थापित किया जा सकता है। बशर्ते कि संबंधित राज्य सरकार एक विकसित स्थल उपलब्ध कराए तथा निर्माण लागत में हिस्सेदारी के लिए सहमत हो।

लखनऊ स्थित विद्यमान क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र के अलावा उत्तर प्रदेश में किसी अन्य विज्ञान केन्द्र की स्थापना के संबंध में कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में भूमि कटाव रोकने संबंधी योजना

2364. श्री रूप चंद पाल :
प्रो. जितेन्द्र नाथ दास :
श्री बलाई चंद्र राय :
श्री चित्त बसु :
श्री मेहबूब जहेदी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के कतिपय भागों में गंगा तट के कटाव को रोकने संबंधी कोई व्यापक योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में गंगा और भागीरथी नदियों द्वारा भूमि कटाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) पश्चिम बंगाल में इन नदियों द्वारा भूमि कटाव के परिणामस्वरूप कितनी क्षति हुई है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार से कोई योजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है/और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग). योजना आयोग ने पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में गंगा-पदमा नदी की तट कटाव समस्या को हल करने के लिए सतत नीति तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में गंगा-पद्मा-भागीरथी नदी प्रणालियों सहित तट और मिट्टी कटाव को रोकने के लिए 100.50 करोड़ रुपए की लागत वाली 39 स्कीमें भी तैयार की हैं।

(घ) गंगा-पद्मा-भागीरथी नदी प्रणाली के कारण पश्चिम बंगाल में मिट्टी कटाव की वजह से हुई हानियों के अनुमान केन्द्र के पास उपलब्ध नहीं है।

(ङ) और (च). केन्द्र सरकार ने एक करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली स्कीमों का मूल्यांकन प्रारंभ किया है। वर्ष 1995-96 के दौरान, मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में ऐसी 8 स्कीमों का मूल्यांकन प्रारंभ किया गया।

सिंचाई क्षमता की लागत

2365. श्री हरिन पाठक : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाओं की तुलना में लघु सिंचाई परियोजनाओं प्रति हेक्टेयर सिंचाई पर कम लागत आती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजाओं की तुलना में लघु सिंचाई परियोजनाओं से एक है. सिंचाई क्षमता के सृजन की लागत के विवरण निम्न अनुसार हैं :-

चालू मूल्यों पर सिंचाई क्षमता के सृजन की प्रति है. लागत (करोड़ रुपए में)

योजना अवधि	लघु सिंचाई परियोजना द्वारा	वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजना द्वारा
प्रथम योजना (1951-56),	566	1200
द्वितीय योजना (1956-61)	2342	1810
तृतीय योजना (1961-66)	1969	2526
वार्षिक योजनायें (1966-69)	2805	2893
चतुर्थ योजना (1969-74)	2607	4758
पांचवीं योजना (1974-78)	3709	6075
वार्षिक योजनायें (1978-80)	3637	10940
छठीं योजना (1980-85)	4544	21610
सातवीं योजना (1985-90)	6798	50000
वार्षिक योजनायें (1990-92)	8102	66570
आठवी योजना के प्रथम 2 वर्ष (1992-94)	12730	78636

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा स्वयंसेवी संगठनों को सहायता

2366. श्री उत्तम सिंह पवार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली द्वारा महाराष्ट्र में वित्तीय सहायता के लिए और अपने कार्यकलापों का प्रचार करने के लिए और संस्कृत का विकास करने के लिए संगठन-वार और कार्यकलाप-वार मान्यता दिये गए स्वयंसेवी संगठनों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या ऐसी सहायता का उपयुक्त उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान संगठनों को और अनुदान स्वीकृत करने से पूर्व, पिछले वर्षों के लिए स्वीकृत अनुदान के उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाता है।

विवरण

वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान महाराष्ट्र में निम्नलिखित संस्कृत संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

क्र.सं.	संस्था का नाम	1994-95 प्रयोजन	1994-95 राशि रुपये में	1995-96 प्रयोजन	1995-96 राशि रुपये में
1	2	3	4	5	6
1.	मुख्याध्यापक, जालना संस्कृत पाठशाला, सदर बाजार, जालना, जिला-जालना	एक संस्कृत अध्यापक के लिए वेतन	5400/-	एक संस्कृत अध्यापक के लिए वेतन	5400/-
2.	प्रधानाध्यापक समर्थ रामचन्द्र संस्कृत पाठशाला पोस्ट-मुखेड, जिला-नांदेड	वही	5400/-	वही	5400/-
3.	प्रधानाचार्य, श्री चक्रधर गुरूकुल संस्कृत महाविद्यालय, फैजपुर, जिला-जलगांव	दो संस्कृत अध्यापकों के लिए वेतन	10800/-	दो संस्कृत अध्यापकों के लिए वेतन	10800/-
4.	प्रधानाचार्य, जी.टी. संस्कृत महाविद्यालय अगस्त क्रांति मैदान, तेजपुर रोड, मुम्बई	क) 5 संस्कृत अध्यापकों के लिए वेतन	27000/-	5 संस्कृत अध्यापकों के लिए वेतन	27000/-
		ख) एक प्रधानाचार्य के लिए वेतन	7200/-	एक प्रधानाचार्य के लिए वेतन	7200/-
		ग) 11 संस्कृत छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां	9900/-	11 संस्कृत छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां	29700/-
			44100/-		63900/-
5.	निदेशक, अनन्ताचार्य भारत विद्या अनुसंधान संस्थान, जी.डी. सोमानी स्मारक स्कूल भवन, कोलाबा, मुम्बई	क) दो संस्कृत अध्यापकों के लिए वेतन	10800/-	दो संस्कृत अध्यापकों के लिए वेतन	10800/-
		ख) एक संस्कृत प्रोफेसर के लिए वेतन	7200/-	एक संस्कृत प्रोफेसर के लिए वेतन	7200/-
			18000/-		18000/-

1	2	3	4	5	6
6.	प्राचार्य जालना संस्कृत महाविद्यालय, जालना, जिला-जालना	एक संस्कृत अध्यापक के लिए वेतन	5400/-	एक संस्कृत अध्यापक के लिए वेतन	5400/-
7.	सचिव, श्री ब्रहम के.वी. संस्कृत पाठशाला, नागपुर	क) दो संस्कृत अध्यापकों के लिए वेतन	10800/-	दो संस्कृत अध्यापकों के लिए वेतन	10800/-
		ख) 8 संस्कृत छात्रों के लिए छासत्रवृत्तियां	7200/- 18000/-	8 संस्कृत छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां	21600/- 32400/-
8.	प्रधानाचार्य, राष्ट्रीय संस्कृत महाविद्यालय, माटुंगा, मुम्बई (मध्य रेलवे)	तीन संस्कृत अध्यापकों के लिए वेतन	16200/-	तीन संस्कृत अध्यापकों के लिए वेतन	16200/-
9.	प्रधानाचार्य, सुर-वाणी-ज्ञान मंदिर, नौपाड़ा, थाणे	दो संस्कृत अध्यापकों के लिए वेतन	10800/-	दो संस्कृत अध्यापकों के लिए वेतन	10800/-
10.	मंत्री, श्री राम संस्कृत महाविद्यालय, जालना, जिला-जालना	एक संस्कृत अध्यापक के लिए वेतन	5400/-	एक संस्कृत अध्यापक के के लिए वेतन	5400/-
11.	मुख्याध्यापक, सरस्वती संस्कृत विद्यालय, अम्बड, जिला-जालना	एक संस्कृत अध्यापक के लिए वेतन	5400/-	एक संस्कृत अध्यापक के लिए वेतन	5400/-
12.	मंत्री, शालिवाहन संस्कृत विद्यापीठ, जालना, जिला-जालना	एक संस्कृत अध्यापक के लिए वेतन	5400-/	एक संस्कृत अध्यापक के लिए वेतन	5400/-
13.	मंत्री, श्री राम संस्कृत विद्यालय, (पाठशाला), जालना	एक संस्कृत अध्यापक के लिए वेतन	5400/-	एक संस्कृत अध्यापक के लिए वेतन	5400/-
14.	सचिव, श्री भोंसाला वेद शास्त्र महाविद्यालय, अंयोचित मंदिर मार्ग, नागपुर	एक संस्कृत अध्यापक के लिए वेतन	5400/-	एक संस्कृत अध्यापक के लिए वेतन	5400/-
15.	प्राचार्य, विकेकानन्द आश्रम पाठशाला, विवेकानन्द नगर, जिला-बुलडाना	क) एक संस्कृत अध्यापक के लिए वेतन	5400/-	एक संस्कृत अध्यापक के लिए वेतन	5400/-
		ख) 10 संस्कृत छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां	9000/- 14400/-	10 संस्कृत छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां	27000/- 32400/-
16.	सचिव, संस्कृत भाषा प्रचारिणी सभा, (संस्कृत भवन), नागपुर	दो अंशकालिक संस्कृत अध्यापकों के लिए वेतन	4500/-	दो अंशकालिक संस्कृत अध्यापकों के लिए वेतन	4500/-

1	2	3	4	5	6
17.	संचालिका, श्रीवास्ता बाल मंदिर (संस्कृत माध्यम), गोखले रोड़ (दक्षिण), दादर, मुम्बई	दो संस्कृत अध्यापकों के लिए वेतन	10800/-	दो संस्कृत अध्यापकों के लिए वेतन	10800/-
18.	प्राजना पाठशाला मंडल वाई (सतारा)	कर्मचारियों के लिए वेतन (धर्म कोष परियोजना)	3,00,000/-	कर्मचारियों के लिए वेतन (धर्म कोष परियोजना)	1,83,000/-

[हिन्दी]

अमरनाथ यात्रा अवधि को बढ़ाया जाना

2367. कुमारी उमा भारती :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरनाथ यात्रा को सहज और सुरक्षित बनाने के लिए इसकी अवधि चार महीने तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरनाथ गुफा के विकास के लिए वैष्णो देवी बोर्ड की भांति एक बोर्ड गठित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत करने के लिए सहायता

2368. श्री कचरु भाऊ राउत : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए केन्द्र सरकार से कोई सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (ग). चालू वित्त वर्ष में (10/96 तक) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 1920.00 लाख रु. और रख-रखाव तथ मरम्मत के लिए 2496.04 लाख रु. की राशि आबंटित की जा चुकी है।

[अनुवाद]

सड़कों पर रबड़ बिछाना

2369. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सड़कों पर रबड़ बिछाने के लिए तकनीकी व्यवहार्यता के साथ-साथ लागत प्रभावी और अन्य कारकों की पड़ताल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सड़कों पर रबड़ बिछाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (घ). सड़कों पर रबड़ बिछाने अर्थात् इलाहाबाद के समीप रा.रा. 2 के कानपुर-बनारस खंड के प्रायोगिक हिस्सों पर एक संशोधक के तौर पर डाबर और रबड़ के घोल का प्रयोग करके सड़क की ऊपरी सतह के निर्माण की तकनीकी व्यवहार्यता के साथ-साथ लागत प्रभाविता और अन्य कारकों की जांच के लिए 7.46 लाख रु. की एक अनुसंधान स्कीम को मार्च, 1993 में मंजूरी दी गई थी। प्रायोगिक हिस्सों का निर्माण मार्च, 1995 में पूरा किया गया। कार्य निष्पादन अध्ययन (प्रगति पर) के आधार पर विनिर्देशों को अंतिम रूप देने का कार्य मार्च, 1999 तक पूरा किया जाना है।

परिवार कल्याण योजनाओं के लक्ष्य

2370. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान परिवार कल्याण योजनाओं पर प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कितनी धनराशि खर्च की गई है तथा कितने लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं;

(ख) 20 प्रतिशत से कम लक्ष्य प्राप्त करने वाले जिले/जिलों का ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) ऐसे प्रत्येक जिले में कितनी धनराशि खर्च की गई है तथा इसकी विफलता के कारणों सहित इसके क्या परिणाम रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान विभिन्न परिवार नियोजन तरीकों के संबंध में राज्यवार अवमुक्त सहायता अनुदान और प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्रमशः विवरण-I और विवरण-II से V में दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय स्तर पर जिलावार ब्यौरे नहीं रखे जाते।

विवरण-I

परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अवमुक्त सहायता अनुदान (नगद और सामग्री) का विवरण

(रुपए लाख में)

		1993-94			1994-95			1995-96		
		नगद	सामग्री	योग	नगद	सामग्री	योग	नगद	सामग्री	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	6601.17	1683.62	8284.79	7471.85	2301.35	9773.20	8752.96	2021.09	10774.05
2.	असम	2031.69	454.05	2485.74	2258.44	1229.94	3488.38	3075.38	896.14	3971.52
3.	बिहार	5702.60	1405.70	7108.30	7683.75	2589.23	10272.98	10003.46	2977.17	12980.63
4.	गुजरात	4772.31	1490.93	6263.24	4348.51	1562.28	5910.79	5536.01	1882.41	7418.42
5.	हरियाणा	2995.18	656.50	3651.65	1609.62	931.49	2541.11	2313.55	775.55	2990.10
6.	हिमाचल प्रदेश	1810.02	204.28	2014.30	1048.39	316.31	1364.70	1195.68	280.50	1456.18
7.	जम्मू और कश्मीर	2085.36	188.74	2274.10	2789.13	238.06	3027.19	1299.42	306.82	1606.24
8.	कर्नाटक	3590.02	1086.49	4676.51	5582.30	1392.31	6974.61	7557.81	1521.36	9079.17
9.	केरल	2573.72	544.10	3117.82	2358.92	824.69	3183.61	3335.75	870.21	4205.96
10.	मध्य प्रदेश	7360.31	2419.58	9779.89	6595.26	4206.37	10801.63	10126.12	4238.43	14364.55
11.	महाराष्ट्र	8633.09	1985.21	10618.30	355.90	2754.01	3109.91	11171.61	3036.70	14208.31
12.	मणिपुर	382.18	59.59	441.77	166.60	70.06	236.66	385.66	88.83	474.49
13.	मेघालय	260.62	29.15	289.77	6178.79	57.49	6236.28	487.63	118.93	606.56
14.	नागालैंड	214.37	14.87	229.24	268.57	23.63	292.20	285.24	74.68	359.92
15.	उड़ीसा	3637.17	856.00	4493.17	4623.45	1688.95	6312.40	5365.77	1224.97	6590.74
16.	पंजाब	2826.97	781.50	3608.47	2287.20	1473.73	3760.93	2989.72	1127.15	4116.87
17.	राजस्थान	5218.37	1331.57	6549.94	7074.14	2547.76	9621.90	9110.23	2213.36	11323.59
18.	सिक्किम	241.43	9.86	251.29	206.90	15.15	222.05	271.85	34.09	305.94
19.	तमिलनाडु	6636.16	1254.91	7891.07	5754.50	1604.60	7359.10	7882.94	1977.06	9860.00
20.	त्रिपुरा	315.12	55.32	370.44	411.34	78.59	489.93	444.01	98.32	542.33
21.	उत्तर प्रदेश	15485.21	3808.84	19294.06	16562.29	7221.23	23783.52	19953.46	5945.75	25899.21
22.	पश्चिम बंगाल	5549.50	1048.01	6597.51	4910.10	1537.41	6447.51	8189.78	1936.60	10126.38
23.	अरुणाचल प्रदेश	46.18	18.38	64.56	133.29	45.64	178.93	250.54	110.69	361.23
24.	गोवा	122.84	13.77	136.61	104.65	62.02	166.67	169.22	35.31	204.53
25.	मिजोरम	168.20	14.72	182.92	251.05	27.48	278.53	241.89	52.24	294.13
	जोड़ (राज्य)	89259.79	21415.69	110675.48	91034.94	34799.78	125834.72	120295.69	33825.36	154121.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	पांडिचेरी	29.49	18.08	47.57	73.50	19.38	92.88	89.10	39.18	128.28
2.	दिल्ली	773.50	388.57	1162.07	1053.00	539.11	1592.11	1600.50	410.55	2011.05
3.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	64.40	13.50	77.90	69.27	14.61	83.88	77.84	22.28	100.12
4.	दादर व नगर हवेली	21.30	3.36	24.66	23.58	15.14	38.72	25.77	7.03	32.80
5.	चंड़ीगढ़	123.40	18.02	141.42	141.49	21.37	162.86	117.35	33.21	150.56
6.	लक्षद्वीप	9.65	2.35	12.00	10.56	3.72	14.28	11.50	6.18	17.68
7.	दमन व दीव	20.30	17.63	37.93	21.61	3.62	25.23	28.66	5.70	34.36
	जोड़ (संघ राज्य)	1042.04	461.51	1503.55	1393.01	616.95	2009.96	1950.72	524.13	2474.85

विवरण–II

नसबन्दी के राज्यवार लक्ष्य/उपलब्धियों का प्रत्याशित स्तर, उपलब्धि और प्रतिशत उपलब्धि–वर्ष 1993–94, 1994–95 और 1995–96

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य/एजेंसी	1993–94			1994–95			1995–96		
		ई.एल.ए.	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि	ई.एल.ए.	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि	ई.एल.ए.	उपलब्धि**	प्रतिशत उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. प्रमुख राज्य (1 करोड़ या अधिक जनसंख्या)										
1.	आंध्र प्रदेश	600000	603909	100.7	600000	575728	96.0	550000	518986	94.4
2.	असम	130000	28106	21.6	130000	22450	17.3	130000	23866	18.4
3.	बिहार	500000	308266	61.7	600000	206188	34.4	679300	245483	36.1
4.	गुजरात	270000	287568	106.5	280000	301298	107.6	280000	280054	100.0
5.	हरियाणा	110000	102341	93.0	125000	103230	82.6	125000	98198	78.6
6.	कर्नाटक	380000	356344	93.8	418000	371535	88.9	473200	381634	80.6
7.	केरल	115000	131173	114.1	115000	133054	115.7	लक्ष्यमुक्त	118881	
8.	मध्य प्रदेश	400000	364323	91.1	400000	401855	100.5	415000	385295	92.8
9.	महाराष्ट्र	525000	539802	102.8	560000	582454	104.0	580000	558291	96.3
10.	उड़ीसा	144000	130038	90.3	200000	162085	81.0	200000	146587	73.3
11.	पंजाब	85000	130230	153.2	120000	125992	105.0	100000	114075	114.1
12.	राजस्थान	275000	203017	73.8	250000	203118	81.2	250000	167091	66.8
13.	तमिलनाडु	350000	352078	100.6	325000	325880	100.3	लक्ष्यमुक्त	308666	
14.	उत्तर प्रदेश	700000	420076	60.0	600000	516866	86.1	600000	529255	88.2
15.	पश्चिम बंगाल	400000	354909	88.7	400000	361191	90.3	440000	328986	74.8
II. छोटे राज्य										
1.	हिमाचल प्रदेश	40000	38496	96.2	44000	40954	93.1	44000	35856	81.5
2.	जम्मू और कश्मीर	22000	18320	83.3	20000	15470	77.4	22600	15662	69.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	मणिपुर	3500	2205	63.0	3500	2236	63.9	3500	2460	70.3
4.	मेघालय	1000	908	90.8	1000	849	84.9	870+	1023+	117.6
5.	नागालैंड	2500	636	25.4	2500	3003	120.1	3000	522	17.4
6.	सिक्किम	1100	328	29.8	1100	1592	144.7	1200	1061	88.4
7.	त्रिपुरा	11000	13369	121.5	11200	13196	117.8	11200	10225	91.3
8.	अंडमान व निकोबार	2000	1798	89.9	2000	1792	89.6	1600	1666	104.1
9.	अरुणाचल प्रदेश	2700	1375	50.9	1500	1727	115.1	1700	1654	97.3
10.	चंडीगढ़	2700	3095	114.6	2700	3036	112.4	लक्ष्यमुक्त	3077	
11.	दादर व नगर हवेली	600	455	75.8	600	602	100.3	700	495	70.7
12.	दिल्ली	42000	38763	92.3	42840	39655	92.6	42850	37833	88.3
13.	गोवा	4000	4344	108.6	4300	4316	100.4	4300	4145	96.4
14.	दमन व द्वीव	400	457	114.3	400	435	108.8	450	500	111.1
15.	लक्षद्वीप	100	24	24.0	40	27	67.5	50	24	48.0
16.	मिजोरम	3000	3455	115.2	3500	3476	99.3	3500	2834	81.0
17.	पांडिचेरी	7000	8307	118.7	6000	8827	147.1	6800	9612	141.4
III.	अन्य एजेंसियां									
1.	रक्षा मंत्रालय	21400	22940	107.2	22500	22807	101.4	22500	21533	95.7
2.	रेल मंत्रालय	32100	25995	81.0	33700	22590	67.0	38200	22529	59.0
		5183100	4497450	86.8	5326380	4579514	86.0	5031520	4378059	78.5#

** = आंकड़े अनन्तिम

ईएलए = उपलब्धियों का प्रत्याशित स्तर

= लक्ष्य मुक्त राज्यों की उपलब्धियों को शामिल नहीं किया गया

+ = फरवरी 1996 तक उपलब्धियों का प्रत्याशित स्तर और उपलब्धियां

विवरण–III

आई यू डी निवेशन के राज्यवार लक्ष्य/उपलब्धियों का प्रत्याशित स्तर, उपलब्धि और प्रतिशत उपलब्धि–वर्ष 1993–94, 1994–95 और 1995–96

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य एजेंसी	1993–94			1994–95			1995–96		
		ई.एल.ए.	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि	ई.एल.ए.	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि	ई.एल.ए.	उपलब्धि**	प्रतिशत उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	प्रमुख राज्य (1 करोड़ या अधिक जनसंख्या)									
1.	आंध्र प्रदेश	500000	332185	66.4	500000	338289	67.7	350000	281831	80.5
2.	असम	50000	25888	51.8	56000	34688	61.9	56000	34964	62.4
3.	बिहार	450000	199189	44.3	508000	206551	40.7	575200	250797	43.6
4.	गुजरात	450000	429759	95.5	460000	473651	103.0	460000	452077	98.3
5.	हरियाणा	183000	152578	83.4	207000	166407	80.4	207000	164016	79.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	कर्नाटक	300000	274084	91.4	331000	299504	90.5	374800	347637	92.8
7.	केरल	100000	84854	84.9	108000	88022	81.5	लक्ष्यमुक्त	78850	
8.	मध्य प्रदेश	1000000	705574	70.6	1000000	857822	85.8	1000000	796528	79.7
9.	महाराष्ट्र	525000	453035	86.3	566000	476283	84.1	515000	464724	90.2
10.	उड़ीसा	187000	165076	88.3	207000	193582	93.5	207000	207391	100.2
11.	पंजाब	450000	456670	101.5	496000	480101	96.8	561600	583402	103.9
12.	राजस्थान	250000	169577	67.8	282000	156060	55.3	282000	167596	59.4
13.	तमिलनाडु	350000	358456	102.4	350000	387989	110.9	लक्ष्यमुक्त	397999	
14.	उत्तर प्रदेश	1900000	1843384	97.0	2144000	2194522	102.4	2144000	2265210	105.7
15.	पश्चिम बंगाल	325000	164677	50.7	350000	140002	40.0	396300	129153	32.6
II.	**छोटे राज्य**									
1.	हिमाचल प्रदेश	60000	46013	76.7	66000	49750	75.4	66000	47562	72.1
2.	जम्मू और कश्मीर	25000	8631	34.5	27000	8384	31.1	30600	9026	29.5
3.	मणिपुर	20000	8160	40.8	25000	9080	36.3	25000	9643	38.6
4.	मेघालय	1500	1290	86.0	1700	1611	94.8	1479+	1803+	121.9
5.	नागालैंड	3200	1321	41.3	3500	4004	114.4	4000	1665	41.6
6.	सिक्किम	1400	1421	101.5	1500	840	56.0	1700	1317	77.5
7.	त्रिपुरा	2300	3123	135.8	2500	4243	169.7	2500	3423	136.9
8.	अंडमान व निकोबार	1900	1632	85.9	2000	1603	80.2	1400	1473	105.2
9.	अरुणाचल प्रदेश	3200	2500	78.1	2500	2516	100.6	2800	2513	89.8
10.	चंडीगढ़	10000	7738	77.4	10800	7790	72.1	लक्ष्यमुक्त	6519	
11.	दादर व नगर हवेली	200	212	106.0	200	217	108.5	200	193	96.5
12.	दिल्ली	130000	80985	62.3	105800	80028	75.6	100000	75480	75.5
13.	गोवा	3500	3833	109.5	3200	3633	113.5	3500	3252	92.9
14.	दमन व दीव	500	517	103.4	500	403	80.6	250	268	107.2
15.	लक्षद्वीप	200	107	53.5	150	145	96.7	170	75	44.1
16.	मिजोरम	2700	2508	92.9	3500	2727	77.9	3500	2438	69.7
17.	पांडिचेरी	4000	4050	101.3	4000	4346	108.7	4000	4503	112.6
III.	**अन्य एजेंसियां**									
1.	रक्षा मंत्रालय	20300	13058	64.3	22000	13510	61.4	22000	12750	58.0
2.	रेल मंत्रालय	20300	14629	72.1	22000	13692	62.2	24900	11602	46.6
		7330200	6016714	82.1	7868850	6701995	85.2	7422899	6817680	85.3#

** = आंकड़े अनन्तिम

ईएलए = उपलब्धियों का प्रत्याशित स्तर

= लक्ष्य मुक्त राज्यों की उपलब्धियों को शामिल नहीं किया गया

\+ = फरवरी 1996 तक उपलब्धियों का प्रत्याशित स्तर और उपलब्धियां

विवरण-IV

कण्डोम उपयोगकर्ताओं के राज्यवार लक्ष्य/उपलब्धियों का प्रत्याशित स्तर, उपलब्धि और प्रतिशत उपलब्धि-वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य/एजेंसी	1993-94			1994-95			1995-96***
		ई.एल.ए.	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि	ई.एल.ए.	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि	उपलब्धि**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. प्रमुख राज्य (1 करोड़ या अधिक जनसंख्या)								
1.	आंध्र प्रदेश	1382000	993741	71.9	1520000	1252752	82.4	823622
2.	असम	76000	41669	54.8	90000	46677	51.9	49767
3.	बिहार	510000	158745	31.1	603000	194497	32.3	177732
4.	गुजरात	917000	1070892	116.8	925000	1292247	139.7	1129672
5.	हरियाणा	637000	542897	85.2	700000	574525	82.1	510855
6.	कर्नाटक	357000	318512	89.2	393000	395110	100.5	373962
7.	केरल	382000	257169	67.3	421000	297969	70.8	253443
8.	मध्य प्रदेश	1656000	1632343	98.6	1957000	1993993	101.9	1997079
9.	महाराष्ट्र	1498000	1335353	89.1	1648000	1357480	82.4	1333715
10.	उड़ीसा	446000	382868	85.8	513000	466237	90.9	436517
11.	पंजाब	637000	708309	111.2	700000	670796	95.8	609035
12.	राजस्थान	573000	512237	89.4	677000	475272	70.2	491188
13.	तमिलनाडु	318000	320347	100.7	300000	322161	107.4	270024
14.	उत्तर प्रदेश	2248000	2426117	107.9	2656000	2778452	104.6	2520143
15.	पश्चिम बंगाल	573000	446098	77.9	659000	489140	74.2	444806
II. छोटे राज्य								
1.	हिमाचल प्रदश	89000	83704	94.0	98000	89762	91.6	78198
2.	जम्मू और कश्मीर	22000	16788	76.3	26000	12756	49.1	11483
3.	मणिपुर	15000	3726	24.8	15000	4444	29.6	5040
4.	मेघालय	4000	784	19.6	4700	1557	33.1	1342
5.	नागालैंड	2000	7	0.4	2300	42	1.8	50+
6.	सिक्किम	500	427	85.4	600	398	66.3	464
7.	त्रिपुरा	2800	3342	119.4	3000	15490	516.3	15113
8.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	2300	2587	112.5	2500	2629	105.2	2875
9.	अरुणाचल प्रदेश	1200	1069	89.1	1000	1055	105.5	930
10.	चंड़ीगढ़	10200	25832	253.3	11700	8364	71.5	8543

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	दादर व नगर हवेली	900	857	95.2	1000	599	59.9	24
12.	दिल्ली	439000	418777	95.4	504900	435943	86.3	330650
13.	गोवा	13000	15626	120.2	10650	15143	142.2	13769
14.	दमन व द्वीप	1000	1509	15.9	1200	1569	130.8	1466
15:	लक्षद्वीप	2200	267	12.1	600	201	33.5	187
16.	मिजोरम	3800	1849	48.7	3500	2886	82.5	2398
17.	पांडिचेरी	10100	11756	116.4	11100	12712	114.5	12164
III.	अन्य एजेंसियां							
1.	रक्षा मंत्रालय	69000	39072	56.6	75900	36633	48.3	43521
2.	रेल मंत्रालय	447000	315934	70.7	491700	276661	56.3	236859
	व्यापारिक वितरण	6000000	5191667	86.5	6750000	4180833	61.9	5037222
	अखिल भारतीय	19345000	17282877	89.3	21777350	17706985	81.3	17223858

** = आंकड़े अनन्तिम

ईएलए = उपलब्धियों का प्रत्याशित स्तर

*** = कण्डोम प्रयोगकर्ताओं के लिए कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किए गए

\+ = आंकड़े फरवरी, 1996 तक

विवरण–V

मुख सेव्य गर्भ निरोधक गोली उपयोगकर्ताओं के राज्यवार लक्ष्य/उपलब्धियों का प्रत्याशित स्तर, उपलब्धि और प्रतिशत उपलब्धि–वर्ष 1993–94, 1994–95 और 1995–96

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य/ एजेंसी	1993-94			1994–95			1995-96		
		ई.एल.ए.	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि	ई.एल.ए.	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि	ई.एल.ए.	उपलब्धि**	प्रतिशत उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	प्रमुख राज्य (1 करोड़ या अधिक जनसंख्या)									
1.	आंध्र प्रदेश	300000	245643	81.9	325000	261864	80.6	372000	269537	72.5
2.	असम	40000	7212	18.0	41000	21847	53.3	41000	24059	58.7
3.	बिहार	140000	47805	34.1	159000	65430	41.2	180000	63406	35.2
4.	गुजरात	160000	148302	92.7	165000	179060	108.5	165000	172985	104.8
5.	हरियाणा	50000	40652	81.3	57000	50516	88.6	57000	52869	92.8
6.	कर्नाटक	140000	108711	77.7	155000	137818	88.9	175500	150528	85.8
7.	केरल	55000	32492	59.1	60000	39971	66.6	लक्ष्यमुक्त	37065	
8.	मध्य प्रदेश	400000	351503	87.9	453000	476282	105.1	512800	505437	98.6
9.	महाराष्ट्र	475000	366350	77.1	514000	418194	81.4	581900	431089	74.1
10.	उड़ीसा	85000	69728	82.0	94000	93904	99.9	94000	99716	106.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	पंजाब	85000	91391	107.5	94000	106179	113.0	106400	111458	104.8
12.	राजस्थान	110000	90335	82.1	125000	92268	73.8	150000	163997	109.3
13.	तमिलनाडु	200000	148897	74.4	200000	216062	108.0	लक्ष्यमुक्त	208786	
14.	उत्तर प्रदेश	403000	425742	105.6	457000	487244	106.6	457000	578349	126.6
15.	पश्चिम बंगाल	275000	184716+	67.2	298000	267418	89.7	337400	257696	76.4
II.	छोटे राज्य									
1.	हिमाचल प्रदेश	31000	19969	64.4	35000	22006	62.9	35000	23308	66.6
2.	जम्मू और कश्मीर	10000	4160	41.6	10000	3609	36.1	11300	3024	26.8
3.	मणिपुर	6000	1223	20.4	6000	1636	27.3	6000	1955	32.6
4.	मेघालय	1500	907	60.5	1700	1585	93.2	1690+	1302+	77.0
5.	नागालैंड	2500	42	1.7	2700	369	13.7	2000	501	25.1
6.	सिक्किम	1000	2067	206.7	1100	2434	221.3	1200	2448	204.0
7.	त्रिपुरा	3000	3359	112.0	3000	12518	417.3	3000	15480	516.0
8.	अंडमान व निकोबार	1000	585	58.5	1100	921	83.7	700	971	138.7
9.	अरुणाचल प्रदेश	2200	1174	53.4	1200	1587	132.3	1400	1865	133.2
10.	चंडीगढ़	500	466	93.2	500	370	74.0	लक्ष्यमुक्त	319	
11.	दादर व नगर हवेली	150	145	96.7	200	186	93.0	250	190	76.0
12.	दिल्ली	11000	9749	88.6	12000	10581	88.2	13000	10258	78.9
13.	गोवा	3000	2996	99.9	2125	2955	139.1	2400	2579	107.5
14.	दमन व दीव	200	252	126.0	300	252	84.0	350	279	79.7
15.	लक्षद्वीप	500	96	19.2	200	107	53.5	200	150	75.0
16.	मिजोरम	1000	698	69.8	1500	1630	108.7	1500	1816	121.1
17.	पांडिचेरी	1000	925	92.5	1080	1015	94.0	1100	1020	92.7
III.	अन्य एजेंसियां									
1.	रक्षा मंत्रालय	5200	2759	53.1	5600	2901	51.8	5600	5001	89.3
2.	रेल मंत्रालय	5250	5019	95.6	5600	5038	90.0	6300	4347	69.0
3.	व्यापारिक वितरण	2000000	1886107	94.3	2180000	1887554	86.6	2470000	1947677	78.9
	अखिल भारत	5004000	4302177	86.0	5467905	483311	89.1	5792490	5151467	84.7#

** = आंकड़े अनन्तिम

ईएलए = उपलब्धियों का प्रत्याशित स्तर

= लक्ष्य मुक्त राज्यों की उपलब्धियों को शामिल नहीं किया गया

+ = फरवरी 1996 तक उपलब्धियों का प्रत्याशित स्तर और उपलब्धियां

पश्चिम बंगाल में भूमि कटाव की समस्या

2371. श्री अमर पाल सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में गंगा पद्मा बेसिन में भूमि कटाव की समस्या से निबटने के लिए स्थायी नीति तैयार करने के संबंध में कोई विशेषज्ञ समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस समिति द्वारा रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग). योजना आयोग ने पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में गंगा-पद्मा नदी की तट कटाव समस्या को हल करने के लिए सतत नीति तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। सदस्य (आर.एम.) केन्द्रीय जल आयोग इस विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष हैं और पूर्व प्रमुख अभियन्ता, बिहार, पूर्व सचिव (सिंचाई, जलमार्ग विभाग), पश्चिम बंगाल सरकार, अध्यक्ष गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, प्रमुख अभियन्ता (जल संसाधन विभाग), उड़ीसा सरकार योजना आयोग के संयुक्त सलाहकार, सदस्य और सचिव (सिंचाई एवं जलमार्ग विभाग), पश्चिम बंगाल सरकार समिति के सदस्य सचिव हैं। समिति को अपनी रिपोर्ट जल्दी ही प्रस्तुत करनी है।

अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ रोग सम्मेलन

2372. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में कुष्ठ रोग के उन्मूलन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है और उसमें भाग लेने वाले देशों के क्या नाम हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी हां।

(ख) विचार विमर्श में कुछेक महत्वपूर्ण पहलुओं में निम्नलिखित शामिल हैं: जनस्वास्थ्य समस्या के रूप में कुष्ठ के उन्मूलन के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता को तेज करने के उपाय।

- पता न लगे और पहुंच-बाह्य रोगियों का पता लगाने के लिए विशेष गहन कार्यक्रम तैयार करने के लिए कार्यक्रम प्रबन्धकों को प्रोत्साहित करना।
- मानदंडों को बढ़ाने के लिए सामान्य स्वास्थ्य सेवा के साथ कुष्ठ नियंत्रित कार्यकलापों का समेकीकरण।
- व्रण पैकों में औषधों की आपूर्ति।
- इस रोग और इसकी साध्यता के बारे में लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने संबंधी प्रयासों में तेजी लाना।
- कुष्ठ के कारण विकलांग व्यक्तियों को लाने और समुदाय में सभी विकलांगों को सामान्य सीमा के भीतर उनके पुनर्वास के लिए कार्यनीतियां।
- विशेषतौर से प्रचालनात्मक पक्षों के संदर्भ में कुष्ठ में अनुसंधान संबंधी कार्यकलाप।

भाग लेने वाले देशों में भारत, ब्राजील, बांग्लादेश, इन्डोनेशिया, म्यांमार, नाइजीरिया, जायरे, सूडान, नेपाल, फिलीपीन, इथोपिया, मोजाम्बीक, वियतनाम, माले, मैडागास्कर, चैड, काम्बोडिया, नेजर, गिनी, मिश्र, थाईलैंड, मैक्सिको, पाकिस्तान और चीन थे।

मेहरोत्रा समिति की रिपोर्ट

2373. श्री विजय हाण्डिक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित मेहरोत्रा समिति की रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उत्तरदायित्व, वृत्तिका/व्यावसायिक विकास शिक्षकों का मूल्यांकन, सेवा की शर्तों तथा वेतनमानों के प्रस्तावित पुनरीक्षण के औचित्य संबंधी मदों का विशेष उल्लेख करते हुए इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख). मेहरोत्रा समिति की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने जून, 1987 में विश्वविद्यालय तथा कालेज शिक्षकों के वेतनमान में संशोधन की योजना जारी की जिसके अंतर्गत योजना के कार्यान्वयन के लिए कुछ शर्तों के आधार पर राज्य सरकारों को 80 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। केन्द्रीय वेतन आयोग की नियुक्ति के अनुसरण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अगस्त, 1994 में प्रो. आर.पी. रस्तोगी की अध्यक्षता में एक वेतन पुनरीक्षण समिति का गठन किया जो विश्वविद्यालय तथा कालेज शिक्षकों, पुस्कालयाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा निदेशकों आदि की सेवा की परिलब्धियों तथा शर्तों के वर्तमान ढांचे की जांच करेगी। यह समिति इसके साथ-साथ विश्वविद्यालय तथ कालेज शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों, शारीरिक शिक्षा निदेशकों तथा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रारों के लिए अनुमोदित संशोधित वेतनमानों की योजना के अंतर्गत सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व निर्णयों का भी पुनरीक्षण करेगी तथा इस प्रक्रिया में वहां तक मूल्यांकन करेगी जिनके अनुसार योग्यता, सेवा शर्तों, वेतनमान आदि के संबंध में पूर्व सिफारिशें कार्यान्वित की गई थी।

पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्ग

2374. श्री सुखबीर सिंह बादल : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पंजाब में बाढ़, वर्षा तथा अन्य आपदाओं के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग की कितनी किलोमीटर क्षति हुई है; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख). बाढ़ और वर्षा के कारण जहां कहीं भी राष्ट्रीय राजमार्गों को क्षति पहुचती है, उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत उनकी मरम्मत की जाती है और यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है।

पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए निम्नलिखित आबंटन किए गए हैं :

वर्ष	आबंटित निधियां
	(लाख रु.)
1993-94	661.30
1994-95	736.97
1995-96	770.72

केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान

2375. श्री पी. नामग्याल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेह में चोगलामसर में केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान की स्थापना कब की गई थी और इसका वर्तमान दर्जा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन संस्थान की स्थापना केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान की स्थापना के काफी बाद में की गई थी, परन्तु उसे डीम विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया है, और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान की वर्तमान निराशाजनक स्थिति के क्या कारण हैं और इस संस्थान को व्यवस्थित बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह की स्थापना वर्ष 1959 में की गयी थी। भारत सरकार (संस्कृति विभाग) ने वर्ष 1962 में इसका अधिग्रहण किया। यह संस्थान जम्मू एवं कश्मीर पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी है।

(ख) केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान सारनाथ (सी. आई.एच.टी.एस.) की स्थापना वर्ष 1967 में हुई और वर्ष 1977 में इसे भारत सरकार (संस्कृति विभाग) के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया तथा वर्ष 1988 में इसे सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया।

(ग) केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह ने वर्ष 1959 से अपनी स्थापना के बाद बौद्ध दर्शन के स्कूल के रूप में काफी प्रगति की है। आज यह संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, तिब्बती साहित्य और बौद्ध दर्शन में पाठ्यक्रम आयोजित करता है, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, गणित, पाली, तुलनात्मक दर्शन शास्त्र तिब्बती चिकित्सा और चित्रकारी जैसे ऐच्छिक विषयों का भी अध्यापन होता है। इसकी शास्त्री, शिक्षा-शास्त्र और आचार्य की डिग्रियां, जम्मू व कश्मीर विश्वविद्यालय की क्रमशः कला स्नातक, शिक्षा स्नातक और कला-निष्णात की डिग्रियों के समतुल्य हैं।

प्रत्येक संस्थान का विकास उसकी अपनी आंतरिक गतिशीलता और लक्षित समूहों की जिन तक यह पहुंचने और उद्देश्य पूरा करने का प्रयास करता है, मांग के अनुसार होता है। अपनी अवस्थिति और पर्यावरण के कारण ही, केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान के लिए एक दूरगामी पद्धति का निर्माण किया जाना अत्यधिक महत्वपूर्ण था, जिसने इसे अपने 24 गोन्पा विद्यालयों और डुजिन पीपिटिंग विद्यालय, जान्सकर के माध्यम से कर लिया है।

खेलों का विकास

2376. श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का देश में खेलों के स्तर में सुधार लाने के लिए पृथक खेल निधि बनाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का देश में खेलों के स्तर के विकास के लिए स्वयंसेवी संगठनों, व्यक्तियों और विभिन्न केन्द्रीय/राज्य विभागों की भी सहायता लेने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री धनुषकोडी आदित्यन आर.) : (क) जी, हां। एक राष्ट्रीय खेल विकास निधि बनाने का प्रस्ताव है।

(ख) जी, हां।

(ग) देश में खेलों के स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार का सभी संबंधित एजेंसियों का सहयोग प्राप्त करने का विचार है। खेलों का विकास वस्तुतः विभिन्न खेल परिसंघों/संघों के हाथ में है जो स्वैच्छिक संगठन हैं। भारत के संविधान की राज्य सूची में भी खेल को एक विषय के रूप में दिखाया गया है।

हिन्द महासागर घेरा राज्य संगठन

2377. श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्री पिनाकी मिश्र :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, मारीशस, दक्षिण अफ्रीका और अन्य हिन्द महासागर घेरा राज्य विश्व व्यापार संगठन के निर्माण के संदर्भ में

पारस्परिक आर्थिक सहयोग के लिए और विकसित देशों से अपरिहार्य प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए हिन्द महासागर घेरा राज्य संगठन बनाने की दिशा में कार्य करते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस नये संगठन के उद्देश्य क्या हैं और इसमें भारत की क्या स्थिति है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग). जी हां। भारत ने मार्च 1995 में मारीशस द्वारा आयोजित हिंद महासागर के सात तटीय देशों (अर्थात ऑस्ट्रेलिया, भारत, कीनिया, मारीशस, ओमान, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका) की प्रथम अन्तर-सरकारी बैठक में भाग लिया था; इस बैठक का आयोजन आर्थिक सहयोग की संभावनाओं और गुंजाइश का पता लगाने और क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम संघ (आई ओ आर ए आर सी) की स्थापना के लिए संपर्कों की शुरूआत करने के लिए किया गया था। इस बैठक में व्यापार, पूंजी-निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यटन और मानव संसाधन विकास में सहयोग का संवर्धन करने के उद्देश्य से एक क्षेत्रीय आर्थिक समूह बनाने के लिए भावी कार्रवाई कार्यक्रम के सिद्धान्तों, लक्ष्यों और दिशा निर्देशों पर सहमति हुई। सहयोग परियोजनाओं का एक चार्टर और कार्य कार्यक्रम तैयार करने के लिए अगस्त, 1995 में और मई, 1996 में मारीशस में कार्यकारी दल की बैठकें आयोजित की गई जिससे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहायता मिली।

चौदह आई ओ आर-ए आर सी देशों (अर्थात् ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंडोनेशिया, कीनिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मारीशस, मोजांबिक, ओमान, सिंगापुर, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, तजानिया और यमन) की दूसरी अन्तर-सरकारी बैठक सितंबर 1996 में मारीशस में हुई जिसमें आई ओ आर-ए आर सी चार्टर और सहयोग के कार्यकारी कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया गया।

क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम संघ की औपचारिक रूप से शुरूआत मार्च, 1997 में मारीशस द्वारा आयोजित की जाने वाली विदेश मंत्री स्तर की बैठक में की जाएगी।

इस नए संघ के उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

- इस क्षेत्र और सदस्य राज्यों की ठोस उन्नति और संतुलित विकास का संवर्धन करना और क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के लिए समान आधार तैयार करना;
- आर्थिक सहयोग के उन क्षेत्रों पर ध्यान देना जो समान हितों का विकास करने और परस्पर लाभ कमाने के अधिकतम अवसर मुहैया कराते हैं। इस प्रयोजन की दिशा में। व्यापार के सरलीकरण, संवर्धन और उदारीकरण, विदेशी पूंजी निवेश के संवर्धन, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय आदान-प्रदान और पर्यटन, मूल निवासियों और सेवा प्रबंधकों की आवाजाही; और आधारभूत संरचना तथा मानव संसाधनों के विकास से संबंधित आर्थिक सहयोग के लिए परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार करना तथा उन्हें क्रियान्वित करना;
- सदस्य देशों को व्यापार और उद्योग, शैक्षिक संस्थाओं, विद्वानों और लोगों के बीच घनिष्ठ क्रियाकलाप को प्रोत्साहन देना;
- सार्वभौमिक आर्थिक मसलों पर अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर सदस्य देशों के बीच सहयोग और बातचीत को बढ़ावा देना;
- मानव संसाधनों के विकास में विशेष रूप से सदस्य देशों की प्रशिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और अन्य विशेषज्ञता प्राप्त संस्थाओं के बीच घनिष्ठ संपर्क के जरिये सहयोग को बढ़ावा देना।

[हिन्दी]

जल आयोग में राजभाषा हिंदी का प्रयोग

2378. श्री सुख लाल कुशवाहा : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि मंत्रालय और जल आयोग में राजभाषा हिंदी को लागू करने के लिए किए गए उपायों के साथ-साथ इसके प्रभारी अधिकारी का नाम तथा उसकी योग्यताएं क्या हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन के लिए जल संसाधन मंत्रालय और केन्द्रीय जल आयोग में अलग-अलग हिंदी अनुभाग एवं राजभाषा कार्यान्वयन समितियां हैं। जल संसाधन मंत्रालय में "हिंदी सलाहकार समिति" भी है।

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की मानीटरी और समीक्षा बैठकों, रिपोर्टों और निरीक्षणों के जरिए की जाती है।

इसके प्रभारी अधिकारी और उनकी शैक्षिक योग्यताएं इस प्रकार हैं :-

1. जल संसाधन मंत्रालय में श्री ललित कुमार जोशी, संयुक्त सचिव (प्रशा.)। वे एम.एस.सी. (भौतिकी) और एम.ए (आधुनिक इतिहास) हैं। वे हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं और उनकी मातृभाषा हिंदी है।
2. केंद्रीय जल आयोग में श्री जफरूल हसन। वे बी.एस. सी. (इंजीनियरी) (सिविल) ऑनर्स हैं। उन्होंने हिंदी बारहवीं कक्षा तक पढ़ी है।

[अनुवाद]

लिंगभेद समाप्त करना

2379. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने लिंग भेद समाप्त करने के अपने प्रयास की दिशा में आवेदन-पत्रों, परीक्षा पत्रों, प्रमाण पत्रों,

में माता का नाम शामिल करने के लिए राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो माता के तलाकशुदा होने अथवा बच्चों के अन्य अभिभावकों द्वारा गोद लेने के मामले में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार, शिक्षा विभाग ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को निर्देश जारी कर दिए हैं कि फार्मों तथा प्रमाण पत्रों में माता-पिता दोनों के नाम शामिल किये जाएं। केवल उन्हीं आपवादिक मामलों को छोड़ दिया जाये जहां माता-पिता अलग-अलग रह रहे हों और बच्चा किसी एक के साथ रहता हो। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे भी स्कूल-बोर्डों को इसी प्रकार के निर्देश जारी करने के विषय पर विचार करें।

पल्स पोलियो ड्राप्स

2380. श्री के.एन. मुनियप्पा :
श्री भक्त चरण दास :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों को पल्स पोलियो ड्राप्स देने में कुछ स्थानों ने सफलता पायी है;

(ख) इस कार्यक्रम को पूरा करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान कितने बच्चों को ओरल वेक्सिन दिया गया है;

(घ) क्या जुलाई, 1996 के दौरान सभी प्राथमिक विद्यालयों में एक वृहत स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम चलाया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग). 9 दिसम्बर, 1995 और 20 जनवरी, 1996 को चलाए गए पल्स पोलियो रोग प्रतिरक्षण अभियान में सभी राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों ने भाग लिया। 9.12.95 को 8.7 करोड़ बच्चों और 20.1.95 को 9.3 करोड़ बच्चों को पोलियो ड्राप्स दी गई थी।

(घ) और (ङ). जी हां। 22 से 27 जुलाई, 1996 तक 27 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए एक विशेष स्कूल स्वास्थ्य जांच योजना कार्यान्वित की गई है। शेष राज्यों को जुलाई-अक्तूबर, 1996 को कवर किया गया।

अब तक 441 जिलों से रिपोर्ट प्राप्त हो गई हैं। 75.9 प्रतिशत स्कूलों को कवर किया गया और प्राथमिक स्कूल के पंजीकृत किए गए 84.91 प्रतिशत बच्चों को सामान्य बीमारियों, जिनमें रक्ताल्पता, कृमि-उत्पीड़न, रतौंधी, आयोडीन अल्पता जन्य रोग (गलगण्ड), कर्णस्राव, स्केबीज, त्वक्पूयता दृष्टि विकार और दंत संबंधी समस्याएं शामिल हैं, के लिए जांच की गई। राज्यवार कवरेज और जांचे गए और विभिन्न बीमारियों से पीड़ित पाये गए बच्चों की संख्या का ब्यौरा विवरण-I और विवरण-II के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

स्कूलों के कवरेज और जांच किए गए बच्चों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य (शहरी + ग्रामीण)	जिले		स्कूलों की संख्या			बच्चों की संख्या		
		संख्या	सूचित किया गया	योग	कवर किए गए	प्रतिशतता	नामांकित (पंजीकृत)	जांचे गए	प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	22	22	60761	उपलब्ध नहीं	0.00	8046141	6907472	85.85
2.	अरुणाचल प्रदेश	13	13	1478	1239	83.83	121693	106982	87.91
3.	असम	23	23	34478	30475	88.39	2987848	2375439	79.50
4.	बिहार	50	23	34880	33714	96.66	4707358	3593339	76.33
5.	दिल्ली	1	1	2180	2141	98.21	855264	728677	85.20
6.	गोवा	2	2	1280	1280	100.00	98818	91063	92.15
7.	गुजरात	19	19	33094	32316	97.65	7090141	6234344	87.93
8.	हरियाणा	17	17	16163	16129	99.79	2567401	2377417	92.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	हिमाचल प्रदेश	12	3	2473	2472	99.96	231895	225861	97.40
10.	जम्मू और कश्मीर	14	14	15136	14831	97.98	1025553	899814	87.74
11.	कर्नाटक	20	20	41393	41365	99.93	4747180	3985971	83.97
12.	केरल	14	14	11050	11005	99.59	2315450	2145971	92.68
13.	मध्य प्रदेश	45	45	85965	85060	98.95	10026944	6938147	69.20
14.	महाराष्ट्र	31	2	3567	3567	100.00	372116	359319	96.56
15.	मणिपुर	8	8	3754	3592	95.68	315535	275920	87.45
16.	मेघालय	7	7	5087	4878	95.89	370042	286227	77.35
17.	मिजोरम	4	4	1156	1156	100.00	106383	98628	92.71
18.	नागालैंड	7	7	1871	1814	96.95	170404	153704	90.20
19.	उड़ीसा	30	27	39059	38855	99.48	3590312	2830395	78.83
20.	पंजाब	17	17	19606	19562	99.78	2737182	2533318	92.55
21.	राजस्थान	31	26	40331	उपलब्ध नहीं	0.00	4317965	4267043	98.82
22.	सिक्किम	4	4	873	868	99.43	105203	72609	69.02
23.	तमिलनाडु	23	23	40201	उपलब्ध नहीं	0.00	5836846	5425049	92.94
24.	त्रिपुरा	4	4	2843	2808	98.77	474041	403816	85.19
25.	उत्तर प्रदेश	66	66	104526	92951	88.93	12993025	11302966	86.99
26.	पश्चिम बंगाल	19	19	45792	45002	98.27	6928894	5957992	85.99
27.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	2	2	289	271	93.77	40573	37869	93.34
28.	चंडीगढ़	1	1	185	146	78.92	75000	63239	84.32
29.	दादर व नगर हवेली	1	1	191	187	97.91	26715	20603	77.12
30.	दमन व दीव	2	2	75	75	100.00	14492	13768	95.00
31.	लक्षद्वीप	2	1	28	28	100.00	8723	8679	99.50
32.	पांडिचेरी	4	4	582	580	99.66	98885	97148	98.24
	जोड़	515	441	650347	488367	75.09	83404022	70818789	84.91

विवरण–II(i)

प्राथमिक स्कूलों के लिए विशेष स्कूल स्वास्थ्य जांच स्कूलों की कवरेज और जांचे गए बच्चों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	जांचे गए बच्चे	रक्ताल्पता		कृमि संक्रमित		रतौंधी		आयोडीन अल्पता जन्य रोग (गलगण्ड)		क्रान्न	
			योग	प्रतिशतता	योग	प्रतिशतता	योग	प्रतिशतता	योग	प्रतिशतता	योग	प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	6907472	739907	10.71	207334	3.00	122826	1.78	उ.न.	0.00	151723	2.20
2.	अरुणाचल प्रदेश	106982	4868	4.55	11200	10.47	1438	1.34	71	0.07	4749	4.44
3.	असम	2375439	144162	6.07	163850	6.90	53249	2.24	0	0.00	82317	3.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	बिहार	3593339	354191	9.86	462715	12.88	74286	2.07	884	0.02	191775	5.34
5.	दिल्ली	728677	107220	14.71	84720	11.63	7251	1.00	86	0.01	29229	4.01
6.	गोवा	91063	5902	6.48	8115	8.91	134	0.15	42	0.05	3297	3.62
7.	गुजरात	6234344	458779	7.36	303009	4.86	45937	0.74	11738	0.19	155624	2.50
8.	हरियाणा	2377417	142860	6.01	62724	2.64	5935	0.25	572	0.02	50466	2.12
9.	हिमाचल प्रदेश	225861	33967	15.04	28088	12.44	564	0.25	257	0.11	6265	2.77
10.	जम्मू और कश्मीर	899814		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
11.	कर्नाटक	3985971	526058	13.20	356427	8.94	124280	3.12	4833	0.12	98120	2.46
12.	केरल	2145971	260561	12.14	130073	6.06	21734	1.01	8791	0.41	72639	3.38
13.	मध्य प्रदेश	6938147	764725	11.02	322678	4.65	246707	3.56	10082	0.15	161373	2.33
14.	महाराष्ट्र	359319	18475	5.14	40477	11.26	687	0.19	0	0.00	7866	2.19
15.	मणिपुर	275920	22290	8.08	31181	11.30	5677	2.06	129	0.05	9093	3.30
16.	मेघालय	286227	21979	7.68	24990	8.73	10078	3.52	144	0.05	9813	3.43
17.	मिजोरम	98628	4622	4.69	6224	6.31	756	0.77	405	0.41	2792	2.83
18.	नागालैंड	153704	5432	3.53	14000	9.11	731	0.48	49	0.03	5081	3.31
19.	उड़ीसा	2830395	518811	18.33	506248	17.89	77232	2.73	4997	0.18	145356	5.14
20.	पंजाब	2533318	357195	14.10	162203	6.40	4450	0.18	1306	0.05	60431	2.39
21.	राजस्थान	4267043	275530	6.46	125925	2.95	20058	0.47	3115	0.07	105475	2.47
22.	सिक्किम	72609	11370	15.66	16023	22.07	739	1.02	510	0.70	3602	4.96
23.	तमिलनाडु	5425049	620869	11.44	769078	14.18	77098	1.42	3422	0.06	98327	1.81
24.	त्रिपुरा	403816	40539	10.04	44092	10.92	8343	2.07	395	0.10	15824	3.92
25.	उत्तर प्रदेश	11302966	100715	0.89	525426	4.65	109710	0.97		0.00	386977	3.42
26.	पश्चिम बंगाल	5957992	1241365	20.84	1526846	25.63	190420	3.20	14736	0.25	333667	5.60
27.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	37869	3341	8.82	5072	13.39	246	0.65	265	0.70	944	2.49
28.	चंडीगढ़	63239	12015	19.00	10709	16.93	114	0.18	0	0.00	1387	2.19
29.	दादर व नगर हवेली	20603	1865	9.05	2124	10.31	452	2.19	41	0.20	1012	4.91
30.	दमन व दीव	13768	597	4.34	467	3.39	29	0.21	5	0.04	290	2.11
31.	लक्षद्वीप	8679	1036	11.94	1282	14.77	4	0.05	9	0.10	356	4.10
32.	पांडिचेरी	97148	13106	13.49	18271	18.81	1312	1.35	7	0.01	1685	1.73
	जोड़	70818789	6814352	9.62	5971571	8.43	1212477	1.71	66891	0.09	2197555	3.10

विवरण–II (ii)

प्राथमिक स्कूलों के लिए विशेष स्कूल स्वास्थ्य जांच स्कूलों की कवरेज और जांचे गए बच्चों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	स्कैबीज		प्योउरमा		आंख		दंत-चिकित्सा		अन्य		स्वास्थ्य पी.आर.	
		योग	प्रतिशतता	योग	प्रतिशतता	योग	प्रतिशतता	योग	प्रतिशतता	योग	प्रतिशतता	योग	प्रतिशतता
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	आंध्र प्रदेश	187403	2.71	163346	2.36	79795	1.16	518657	7.51	उप. नहीं	0.00	2170991	31.43
2.	अरुणाचल प्रदेश	4116	3.85	1795	1.68	2550	2.38	13179	12.32	8318	7.78	52284	48.87
3.	असम	52547	2.21	46603	1.96	41733	1.76	157675	6.64	98949	4.17	841085	35.41
4.	बिहार	94552	2.63	99072	2.76	72039	2.00	279152	7.77	122263	3.40	1750929	48.73
5.	दिल्ली	7846	1.08	30738	4.22	50969	6.99	111563	15.31	37479	5.14	467101	64.10
6.	गोवा	2106	231	2329	2.56	2614	2.87	31923	35.06	4620	5.07	61082	67.08
7.	गुजरात	84737	1.36	176357	2.83	121899	1.96	663830	10.65	61813	0.99	2083723	33.42
8.	हरियाणा	10838	0.46	64276	2.70	32550	1.37	156431	6.58	34552	1.45	561204	23.61
9.	हिमाचल प्रदेश	2897	1.28	4939	2.19	3751	1.66	27163	12.03	5764	2.55	113655	50.32
10.	जम्मू और कश्मीर		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0	0.00
11.	कर्नाटक	69266	1.74	85747	2.15	48325	1.21	709786	17.81	119763	3.00	2142605	53.75
12.	केरल	76558	3.57	44898	2.09	54399	2.53	493101	22.98	138775	6.47	1301529	60.65
13.	मध्य प्रदेश	245742	3.54	218447	3.15	105663	1.52	366474	5.28	426412	6.15	2868303	41.34
14.	महाराष्ट्र	3457	0.96	7888	2.20	6792	1.89	62969	17.52	29986	8.35	178597	49.70
15.	मणिपुर	11535	4.18	4803	1.74	9030	3.27	37120	13.45	13844	5.02	144702	52.44
16.	मेघालय	10610	3.71	5327	1.86	10060	3.51	38479	13.44	20038	7.00	151518	52.94
17.	मिजोरम	596	0.60	1189	1.21	4393	4.45	16045	16.27	4430	4.49	41452	42.03
18.	नागालैंड	6183	4.02	2081	1.35	2377	1.55	14410	9.38	4222	2.75	54566	35.50
19.	उड़ीसा	252415	8.92	124055	4.38	80240	2.83	639779	22.60	190720	6.74	2539853	89.73
20.	पंजाब	59589	2.35	138621	5.47	49166	1.94	276531	10.92	68210	2.69	1177702	46.49
21.	राजस्थान	43128	1.01	147236	3.45	62758	1.47	124288	2.91	88514	2.07	996027	23.34
22.	सिक्किम	3093	4.26	3359	4.63	3145	4.33	19961	27.49	6815	9.39	68617	94.50
23.	तमिलनाडु	124649	2.30	138009	2.54	134094	2.47	1040283	19.18	765545	14.11	3771374	69.52
24.	त्रिपुरा	15676	3.88	5460	1.35	1102	0.27	58101	14.39	37141	9.20	226673	56.13
25.	उत्तर प्रदेश	238914	2.11	256869	2.27	175188	1.55	525322	4.65	194249	1.72	2513370	22.24
26.	पश्चिम बंगाल	547747	9.19	161848	2.72	215090	3.61	1445435	24.26	533113	8.95	6210267	104.23
27.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1398	3.69	589	1.56	863	2.28	9006	23.78	2101	5.55	23825	62.91
28.	चंड़ीगढ़	778	1.23	1976	3.12	1984	3.14	15907	25.15	2894	4.58	47764	75.53
29.	दादर व नगर हवेली	1110	5.39	913	4.43	531	2.58	4510	21.89	418	2.03	12976	62.98
30.	दमन व दीव	201	1.46	534	3.88	238	1.73	1507	10.95	313	2.27	4181	30.37
31.	लक्षद्वीप	384	4.42	197	2.27	180	2.07	1301	14.99		0.00	4749	54.72
32.	पांडिचेरी	3672	3.78	3172	3.27	2628	2.71	21470	2210	9883	10.17	75206	77.41
	जोड़	2163743	3.06	1942673	2.74	1376146	1.94	7881358	11.13	3031144	4.28	32657910	46.11

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में निधोली कलां में महाविद्यालय खोला जाना

2381. **प्रो. ओमपाल सिंह "निडर"** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विद्यार्थियों की कठिनाइयों को देखते हुए निधोली कलां उत्तर प्रदेश में एक महाविद्यालय खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक खोले जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपनी ओर से कोई कालेज स्थापित नहीं करता है। कालेज सामान्यतः राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/निजी प्रबंधों द्वारा संसाधनों की उपलब्धता तथा उच्च शिक्षा की मांग को ध्यान में रखकर स्थापित किये जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब कभी भी प्रस्ताव तैयार हो। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को ध्यान देना अपेक्षित है।

[अनुवाद]

कैंसर उन्मूलन कार्यक्रम

2382. **श्री एन.एस.वी. चित्तन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान कैंसर उन्मूलन कार्यक्रम हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों तथा धर्मार्थ अस्पतालों को कुल कितना वार्षिक अनुदान दिया जाता है;

(ख) इन अनुदानों हेतु क्या मानदंड और दिशानिर्देश अपनाए गए हैं;

(ग) इस प्रकार की मांग के कितने मामले लम्बित हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन मामलों को कब तक निपटा दिया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 में 15.98 करोड़ रुपए की राशि अवमुक्त की गई है। कार्यक्रम के लिए वर्ष 1996-97 में 18 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

(ख) से (घ). कोबाल्ट थिरेपी यूनिटों और ऑनकालोजी विंगों के विकास के लिए अनुदान अवमुक्त करने के प्रस्तावों पर राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की स्थाई समिति द्वारा विचार किया जाता है।

वित्तीय सहायता निम्नलिखित के लिए प्रदान की जाती है :—

(एक) संस्थाओं/क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों को कोबाल्ट थिरेपी यूनिटों और अन्य उपस्करों की अधिप्राप्ति।

(दो) कैंसर का आरम्भिक अवस्था में ही पता लगाना ओर चुने हुए जिलों में पीड़ा राहत उपायों से सम्बन्धित कार्यकलापों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना।

(तीन) मेडिकल कालेजों/अस्पतालों में ऑनकालोजी विंगों का विकास।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 20 मामलों पर विचार किया जाना है। सहायता निर्धारित शर्तों के पूरा करने और निधियों की उपलब्धता पर प्रदान की जाएगी।

ऐथेलेटिक टीमें

2383. **श्री के.डी. सुल्तानपुरी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारी ऐथेलेटिक टीमों ने पिछले छह महीनों के दौरान कितनी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया;

(ख) इन टीमों के लिए खिलाड़ियों के चयन के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए;

(ग) हमारी टीमों की उन प्रतिस्पर्धाओं में क्या उपलब्धियां रहीं; और

(घ) भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हमारे खिलाड़ियों के निष्पादन स्तर को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री धनुषकोडी आदित्यन आर.) : (क) चार।

(ख) अपनाया गया मानदण्ड "खुली चयन परीक्षा" तथा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में प्राप्त कार्य निष्पादन था।

(ग) टीमों (दलों) द्वारा प्राप्त परिणाम निम्न प्रकार थे :-

प्रतियोगता	परिणाम
1	2
(1) जुलाई-अगस्त, 96 के दौरान : ओलंपिक खेल, अटलांटा।	भारतीय एथलीटों द्वारा कोई पदक जीते नहीं गए।
(2) अगस्त, 96 के दौरान सिडनी : में विश्व जूनियर एथलेटिक चैम्पियनशिप।	2 एथलीटों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। यद्यपि उनमें से किसी ने भी पदक नहीं जीता। फिर भी उन्होंने अपनी सम्बद्ध प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय रिकार्ड बनाए।

1	2
(3) अक्तूबर, 96 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मैराथन, सियोल तथा	: हमारे किसी भी एथलीट ने कोई भी पदक नहीं जीता।
(4) 1 दिसंबर, 96 को अंतर्राष्ट्रीय मैराथन, सिंगापुर।	:

(घ) खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए उठाए जा रहे कदमों में शैक्षिक संस्थाओं तथा साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों पर जोर देना, खेल विधाओं को प्राथमिकता देना, जूनियरों तथा सब-जूनियरों के विकास पर बल देना, राष्ट्रीय परिसंघों के परामर्श से दीर्घकालिक विकास योजनाएं तैयार करना, कंपनी क्षेत्र की सम्बद्धता, खेल संबंधी बुनियादी सुविधाओं का विकास, खिलाड़ियों को वैज्ञानिक समर्थन देना आदि शामिल हैं।

आई.एस.सी. को अनुदान

2384. श्रीमती कृष्णा बोस : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय प्रभाग के निदेशक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 1996 में सेंट एंटनी कालेज, आक्सफोर्ड के "द ईंडियन स्टडीज सेंटर" का निरीक्षण किए जाने के पश्चात भी, जो वहां हो रहे कार्य से अत्यधिक प्रभावित थे, वर्ष 1983 से दिए जाने वाले अनुदान राशि को बंद कर दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या अनुदान को जारी रखने हेतु शीघ्र कदम उठाए जाने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि यह "सेंटर" विदेशों में भारत के अकादिमक अध्ययन को बढ़ावा देता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग). वर्ष 1982 में तत्कालीन प्रधान मंत्री के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया था कि सेंट एंटनी कालेज, आक्सफोर्ड में तीन वर्ष की अवधि के लिए एक भारतीय अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। कालेज को 20,000 डालर प्रति वर्ष की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की गई। तत्पश्चात् वित्तीय सहायता को और चार वर्षों अर्थात् 1986-87, 1989-90 तक के लिए बढ़ा दिया गया था और साथ ही यह स्पष्ट कर दिया गया था कि इसके बाद वित्तीय सहायता प्रदान करना संभव नहीं होगा। नवंबर, 1992 में यह निर्णय लिया गया था कि केन्द्र को अगले 2-3 वर्षों तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तब तक वे स्वयं ही व्यय वहन करने की स्थिति में हो जाएंगे।

संस्थान को यह सहायता इस स्पष्टत निर्देश के साथ दी गई है कि इसके बाद वित्तीय सहायता प्रदान करना संभव न होगा तथा संस्थान को अपने कार्यकलापों के लिए स्वयं साधन जुटाने होंगे। सरकार को इस संबंध में सैंट एंथोनी कालेज द्वारा किये गये प्रयासों की जानकारी नहीं है।

अवैध अप्रवासी

2385. श्री जी.एम. बनातवाला : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी सरकारों के साथ भारत में अवैध आप्रवासियों के मामले उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो कब और किस देश के साथ; और

(ग) ऐसे देशों द्वारा दिये गये प्रत्युत्तर का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग). गृह मंत्रालय ने गैर-कानूनी अप्रवासन के प्रश्न को बंगलादेश की सरकार के साथ उठाया है। अक्तूबर, 1993 में हमारे गृह सचिव की ढाका यात्रा के दौरान इस मसले पर विस्तार से चर्चा की गई। बंगलादेश पक्ष हमारे साथ सीमा उल्लंघन के कारणों का अध्ययन करने, इस उल्लघंन को रोकने के उपाय सुझाने और बंगलादेश राइफल सीमा एवं सुरक्षा बल के बीच पीछे धकेल देने की व्यवस्था बहाल करने के लिए सहमत हुआ था। मार्च, 1994 और अप्रैल, 1995 में बाद में आयोजित संयुक्त कार्य दल की बाद की बैठकों में भी इस मामले पर विचार किया गया।

महिलाओं के लिये राष्ट्रीय नीति

2386. श्री अनन्त कुमार हेगड़े : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति का पुनर्मूल्यांकन करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) और (ख). सरकार ने राष्ट्रीय महिला शक्ति सम्पन्नता नीति को अभी अनुमोदित नहीं किया है।

स्वास्थ्य योजनाएं

2387. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में स्वास्थ्य योजनाओं में धर्मार्थ और स्वैच्छिक संगठनों की कितनी भागीदारी हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष कितने बजट का प्रावधान किया गया तथा कितनी राशि वास्तव में खर्च की गई; और

(ग) इन योजनाओं पर निगरानी रखने तथा इन्हें लागू करने का क्या तरीका है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है।

पेयजल की आपूर्ति हेत केंद्रीय जल आयोग को योजना भेजना

2388. श्रीमती जयवंती नवीनचंद्र मेहता : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई को पेयजल की आपूर्ति संबंधी कोई योजना स्वीकृति हेतु केंद्रीय जल आयोग के पास भेजी है;

(ख) योजना को स्वीकृति दिए जाने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो इस योजना को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार इस योजना के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके किस स्रोत से धन उपलब्ध कराया जाएगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) इस स्कीम की जांच केन्द्रीय जल आयोग में की गई थी और महाराष्ट्र सरकार से कतिपय तकनीकी टिप्पणियों पर विचार करते हुए स्कीम को पुनः तैयार करने के लिए कहा गया है। महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग को अभी तक संशोधित स्कीम नहीं भेजी है।

(ग) परियोजना के संशोधन और राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित स्वीकृति को देखते हुए इस समय कोई निश्चित समयावधि सूचित नहीं की जा सकती।

(घ) से (च). महाराष्ट्र सरकार ने शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय को "बोम्बे-4 मिडिल वैतारिणी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट" प्रस्तुत की है, जिसकी लागत लगभग 570 करोड़ रुपए हैं ताकि विश्व बैंक को सहायता के लिए परियोजना प्रस्तुत की जा सके। विभिन्न अभिकरणों से स्वीकृति लेने से संबंधित मामले पर शहरी कार्य एंव रोजगार मंत्रालय तथा महाराष्ट्र सरकार के बीच पत्राचार चल रहा है।

चीन द्वारा पाकिस्तान को आणविक उपस्करों की बिक्री

2389 श्री के. परसुरामन :
प्रो. पी.जे. कुरियन :
प्रो. अजित कुमार मेहता :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अक्तूबर, 1996 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित "चाइना सेल्स एन इक्विपमंट टू पाक" और 10 अक्तूबर, 1996 के "हिन्दू" में प्रकाशित "चाइना सोल्ड मोर एन-आर्मस टैंक टू पाक" समाचारों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो चीन द्वारा पाकिस्तान को आणविक उपस्करों की बिक्री का ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस खतरे का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां। सरकार ने चीन द्वारा पाकिस्तान को नाभिकीय उपकरण के हस्तान्तरण से संबंधित समाचार पढ़े हैं।

(ख) और (ग). सरकार को पाकिस्तान के गुप्त प्रकार के नाभिकीय शस्त्र कार्यक्रम की पूरी-पूरी जानकारी है। भारत की सुरक्षा-स्थिति पर, विशेषरूप से पड़ोसी देशों की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, निरन्तर नजर रखी जाती है। सरकार राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उत्पन्न होने वाले किसी भी खतरे से निबटने के लिए निरन्तर सभी आवश्यक कदम उठाती रहती है।

दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत

2390. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली राज्य से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या ये राष्ट्रीय राजमार्ग मरम्मत के अभाव में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) पांच राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से गुजरते हैं।

(ख) से (घ). इन सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

विदेशों में तीर्थयात्रा

2391. डा. बल्लभ भाई कठीरिया : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने तीर्थयात्रियों ने विदेश स्थित विभिन्न धार्मिक स्थलों की धार्मिक स्थल-वार यात्रा की;

(ख) धार्मिक स्थल-वार उनके चयन हेतु अपनाए जा रहे मानदंड क्या हैं;

(ग) धार्मिक स्थल-वार तीर्थ-यात्रियों को कितनी वित्तीय/परिवहन/खान-पान एवं आवास/संगठनात्मक सहायता उपलब्ध कराई जा रही हैं; और

(घ) वर्ष 1997 में इन धार्मिक स्थलों की यात्रा हेतु कितने तीर्थयात्री जाएंगे?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों में विभिन्न तीर्थ-स्थलों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या इस प्रकार है (इन आंकड़ों में उन तीर्थयात्रियों की संख्या शामिल नहीं है जो प्राइवेट टूर आपरेटरों के जरिए जाते हैं);

	1994	1995	1996
सऊदी अरब की हज यात्रा	25685	30503	50346
पाकिस्तान के लिए सिख और सहजधारी जत्थे	5380	5210	5085
कैलाश-मानसरोवर यात्रा	370	350	435

(ख) हज यात्रियों का राज्यवार कोटा प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर नियम किया जाता है। राज्य हज समितियों द्वारा प्राप्त आवेदनों के आधार पर कुर्रा (लाटरी) के जरिए चयन किया जाता है। तथापि, हज-95 और हज-96 के दौरान हज यात्रा पर जाने वाले सभी हाजियों को शामिल कर लिया गया था।

2. पाकिस्तान में स्थित पवित्र तीर्थ स्थानों की यात्रा करने वाले सिख/सहजधारी/हिन्दू जत्थों की सूचियां विभिन्न सिख/शादानी दरबार/हिन्दू संगठनों द्वारा तैयार की जाती है और वे नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन द्वारा वीजा जारी करने को सुविधाजनक बनाने के लिए उन्हें संबंधित राज्य सरकारों के जरिए इस मंत्रालय को भेजते हैं।

3. कैलाश-मानसरोवर यात्रा के लिए मंत्रालय प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने में समाचार-पत्रों, टेलीवीजन और रेडियो पर आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में विज्ञापन देता है जिन्हें पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर संकलित किया जाता है। चूंकि यह एक दुर्गम यात्रा है इसलिए आवेदकों के लिए शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है और उनके लिए इस संबंध में चिकित्सा जांच रिपोर्टों का एक सैट प्रस्तुत करना जरूरी होता है। यात्रा शुरू करने/चीनी क्षेत्र में सीमा पार करने की अनुमति देने से पूर्व नई दिल्ली और गुंजी, उत्तर प्रदेश में भी उनकी चिकित्सा जांच कराई जाती है।

(ग) सऊदी अरब की हज यात्रा के लिए भारत सरकार ने तीर्थयात्रियों को जो राज-सहायता दी है वह इस प्रकार है :—

1994	24.62 करोड़ रुपए
1995	17.95 करोड़ रुपए
1996	42.02 करोड़ रुपए

इसके अलावा, सरकार ने सऊदी अरब के लिए प्रशासनिक तथा चिकित्सा अधिकारियों की टुकड़ियां (चिकित्सक और अर्द्ध-चिकित्सक) भेजी हैं तथा भारत से दवाईयां और देश-रेख सुविधाएं भी भेजी हैं जैसे एम्बुलेंस, कैम्प डिस्पेंशरियां आदि ताकि हाजियों की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

भारत से पाकिस्तान जाने वाले सिख/सहजधारी और हिन्दू जत्थों के मामले में कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है क्योंकि इस संबंध में होने वाला खर्च वहन किया जा सकता है। परन्तु सरकार निम्नलिखित में सहायता करती है : वीजा जारी करना, भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से विदेशी मुद्रा जारी करने, तीर्थ यात्रा पर जाने तथा वहां से वापसी के लिए विशेष रेल सेवाओं की व्यवस्था करने, इस्लामाबाद स्थित भारत के हाई कमीशन, से एक सम्पर्क अधिकारी यात्रा करने वाले जत्थों के साथ सम्बद्ध करने के रूप में सहायता करती हैं ताकि तीर्थयात्रियों द्वारा किसी प्रकार की सहायता की मांग के संबंध में वह तीर्थयात्रियों की सहायता कर सके।

3. 1996 में सरकार ने भोजन, प्रवास तथा परिवहन व्यवस्थाओं के लिए कुमाऊ मंडल विकास निगम को प्रति यात्री 3250 रुपये की राज-सहायता दी। इसके अलावा, सरकार तीर्थयात्रियों के जान के जोखिम की स्थिति से निपटने के लिए वायु सेना के सहयोग से हवाई जहाज से उतारने की सुविधा की व्यवस्था करता है और इस यात्रा के दौरान भारत तथा तिब्बत के बीच वायरलैस संचार सम्पर्क बनाए रखने के लिए चीनी पक्ष को 7000 अमरीकी डालर वार्षिक प्रभार के रूप में देती है। 25 से 35 यात्रियों के प्रत्येक बैच के लिए सरकारी खर्च पर एक सम्पर्क अधिकारी होता है जो तीर्थयात्रियों के हित-कल्याण की देखभाल करता है।

(घ) यह अनुमान है कि 1997 में विदेशों में विभिन्न तीर्थयात्रियों के लिए तीर्थयात्रियों की संख्या, यदि इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती है, तो वही रहेगी जो 1996 में थी।

भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलौर को धन का आवंटन

2392. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलौर को कितना आवंटन किया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वित्तीय प्रतिबंधों के कारण भारतीय प्रबंधन संस्थान की गतिविधियां रूक गई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलौर ने ज्यादा बजटीय सहायता मांगी है;

(घ) क्या भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलौर ने शैक्षिक बांड चालू करने की अनुमति मांगी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) 962.00 लाख रुपए की राशि 1995-96 के दौरान दी गई है और वर्ष 1996-97 के दौरान बजट आबंटन 693.00 लाख रुपए है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ). भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिसमें शिक्षा बांड चालू करने की अनुमति मांगी हो।

मौलाना अबुल कलाम आजाद उर्दू विश्वविद्यालय

2393. श्री मुख्तार अनीस : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित मौलाना अबुल कलाम आजाद उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस विश्वविद्यालय परियोजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई और अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है; और

(ग) इस विश्वविद्यालय की स्थापना कब तक किए जाने की सम्भावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग). हैदराबाद में मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय को स्थापित तथा निगमित करने सम्बंधी विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है तथा अब लोक सभा में विचाराधीन है।

प्रस्तावित विश्वविद्यालय का अगले तीन वर्षों के लिए अनावर्ती व्यय का अनुमान 6.00 करोड़ रुपये लगाया गया है। एक बार विश्वविद्यालय कार्य करना प्रारंभ कर देगा तो अनुमानित आवश्यक आवर्ती व्यय 5.00 करोड़ रु. वार्षिक होगी। अभी तक कोई व्यय नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों का स्तर

2394. श्री राधा मोहन सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का ध्यान दिनांक 8 नवम्बर, 1996 के 'जनसत्ता' में "केन्द्रीय विद्यालयों के स्तर में गिरावट का मामला ऊपर तक पहुंचा" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). केन्द्रीय विद्यालयों के कक्षा 10 और कक्षा 12 के परीक्षा परिणाम केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कुल परिणामों से बेहतर होते हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने शैलजा समिति की सैंतीस सिफारिशें कार्यान्वित कर ली हैं। शेष बारह सिफारिशों के कार्यान्वयन की कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है।

संयुक्त अरब अमीरात से लौटे भारतीय श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार

2395. प्रो. पी.जे. कुरियन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों और भारतीय सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा संयुक्त अरब अमीरात द्वारा अवैध घोषित किए गए और भारत वापिस भेजे गए भारतीय श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायतें मिली हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा इन शिकायतों पर गौर किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या दोषी पाए गए व्यक्तियों को दंडित किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) भारतीय आप्रवासन या सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा संयुक्त अरब अमीरात द्वारा अवैध घोषित किए गए और भारत वापिस भेजे गए भारतीय श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने का कोई दृष्टांत भारत सरकार की जानकारी में नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इग्नो का अध्ययन केन्द्र

2396. श्री दत्ता मेघे : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र में इंदिरा गांधी मुक्त विश्व विद्यालय का एक अध्ययन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख). इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा महाराष्ट्र में पहले ही 15 अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। जो निम्न प्रकार से हैं :—

मुबंई	-	3
पुणे	-	1
सतारा	-	1
कोल्हापुर	-	1
नागपुर	-	1
नासिक	-	1
अमरावती	-	1
औरंगाबाद	-	1
जलगांव	-	1
शोलापुर	-	1
नांदेड	-	1
चंद्रपुर	-	1
तारापुर	-	1

[अनुवाद]

शिक्षा का व्यवसायीकरण

2397. श्री बी.एल. शंकर :
श्री के.पी. सिंह देव :
श्री एस.डी. एन.आर. वाडियार :
श्री शान्तिलाल पुरषोत्तम दास पटेल :
श्री दिनशा पटेल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शिक्षा के व्यवसायीकरण पर जोर दे रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों को कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गयी है और क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं तथा इस संबंध में आठवीं योजना के दौरान राज्यवार क्या उपलब्धि रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार नौवीं योजना में व्यावसायिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने हेतु कोई कदम उठाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान अधिकांश राज्यों द्वारा उक्त योजना हेतु रखी गयी धनराशि का उपयोग उचित प्रकार से नहीं किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(छ) केन्द्र सरकार द्वारा योजना को नया रूप देने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ख) जी, हां। फरवरी, 1988 में शुरू की गई माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कूलों में + 2 स्तर पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से लागू की जा रही है।

अब तक 1995-96 के अंत तक इस योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 554.31 करोड़ रु. की राशि संस्वीकृत की गई है। इस अवधि के दौरान 6476 स्कूलों में 18709 व्यावसायिक अनुभाग संस्वीकृत किए गए हैं। जारी की गई निधियों की राज्यवार स्थिति तथा स्कूलों में अनुमोदित व्यावसायिक अनुभागों की संख्या क्रमशः विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) से (छ). व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम को संशोधित करने तथा लोकप्रिय बनाने के लिए कार्यक्रम के समेकन और गुणात्मक सुधार पर बल दिया जा रहा है।

कुछ राज्यों में निधियों के उपयोग की गति धीमी रही है। तथापि योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां उनसे प्राप्त प्रस्तावों, उपयोग स्थिति तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हुई प्रगति के आधार पर जारी की जाती हैं। निधियां जारी करते समय खर्च की गई निधियों को समायोजित किया जाता है।

विवरण–I

माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना

अनुदान राशि (रु. लाखों में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	1987–88	1988–89	1989–90	1990–91	1991–92	1992–93	1993–94	1994–95	1995–96	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	562.63	730.32	177.06	886.85	1010.23	1584.91	640.58	327.45	–	5920.03
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	6.35	–	–	–	–	6.35
3.	असम	30.10	82.61	–	42.62	140.28	100.25	291.54	164.42	108.52	960.34
4.	बिहार	136.09	–	7.41	558.61	0.75	–	408.51	157.87	415.39	1684.63
5.	गोवा	68.53	28.47	64.59	80.63	49.65	92.56	56.93	100.42	115.04	656.82
6.	गुजरात	–	236.64	1173.31	778.03	879.37	1070.74	781.73	–	–	4919.82
7.	हरियाणा	276.12	353.04	129.87	184.83	155.00	131.44	228.18	379.14	621.85	2459.47
8.	हिमाचल प्रदेश	30.90	1.86	98.06	177.47	56.86	59.42	–	–	1.33	425.90
9.	जम्मू और कश्मीर	–	–	–	16.50	15.80	–	22.55	–	–	54.85
10.	कर्नाटक	93.00	244.70	49.21	156.80	325.00	727.47	1012.69	729.55	328.32	3666.74
11.	केरल	–	226.42	223.44	353.23	346.90	410.78	352.40	885.23	929.35	3727.75
12.	मध्य प्रदेश	57.16	745.00	1121.48	1221.42	3.00	–	–	20.80	–	3168.86
13.	महाराष्ट्र	495.90	469.66	509.38	267.20	1230.25	2195.33	2035.74	2449.69	3134.44	12787.59
14.	मणिपुर	–	11.68	–	–	44.00	7.18	7.40	40.24	35.24	145.74
15.	मेघालय		–	–	20.75	–	–	–	–	13.67	34.42
16.	मिजोरम	21.42	7.12	–	16.68	–	24.88	21.92	–	8.80	100.82
17.	नागालैंड	8.00	–	–	14.84	–	–	1.40	–	–	24.24
18.	उड़ीसा	156.49	600.00	83.72	510.40	–	1.22	650.00	102.20	–	2104.03
19.	पंजाब	211.59	–	50.25	371.71	222.25	320.62	253.74	265.02	434.53	2129.71
20.	राजस्थान	58.34	159.22	72.35	561.54	323.56	340.39	385.19	556.54	–	2457.13
21.	सिक्किम	–	–	–	5.32	0.04	5.32	7.15	–	–	17.83
22.	तमिलनाडु	112.56	225.00	358.11	279.56	727.90	–	700.16	706.55	–	3109.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–	4.12	–	–	4.12
24.	उत्तर प्रदेश	829.88	800.00	203.69	707.25	99.15	581.39	258.42	265.39	502.40	4248.07
25.	पश्चिम बंगाल	40.69	–	–	–	–	–	–	–	–	40.69
	संघ शासित क्षेत्र										
1.	अंडमान व निकोबार	–	–	*3.24	3.24	–	–	–	–	–	6.48
2.	चंडीगढ़	–	*42.70	*42.70	12.34	20.77	8.65	22.77	23.99	26.86	200.78
3.	दादर व नगर हवेली	–	–	–	–	–	5.25	2.79	–	–	8.04
4.	दमन व दीव	–	–	–	–	–	–	3.09	2.66	5.06	10.81
5.	दिल्ली	*36.52	–	4.18	*42.86	0.30	*46.38	–	105.00	50.23	285.47
6.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	पांडिचेरी	–	–	–	16.63	–	–	17.44	16.26	14.06	64.39
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	36.52	42.70	50.12	75.07	21.07	60.28	46.09	147.91	96.21	575.97
	कुल (राज्य)	3189.40	4921.74	4321.93	7212.24	5636.34	7653.90	8120.35	7151.01	6648.88	54855.79
	कुल योग	3225.92	4964.44	4372.05	7207.31	5657.41	7714.18	8166.44	7298.92	6745.09	55431.76

* दावा नहीं किया गया।

विवरण–II

व्यावसायिक शिक्षा

अनुमोदित व्यावसायिक अनुभाग तथा शामिल स्कूलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासन	1987–88		1988–89		1989–90		1990–91		1991–92		1992–93		1993–94		1994–95		1995–96		जोड़	
		व्यावसायिक स्कूल अनुभागों की संख्या										व्यावसायिक अनुभागों की संख्या								व्यावसायिक अनुभागों की सं.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	आंध्र प्रदेश	325	182	314	171	11	–	329	184	501	46	200	66	–	–	200	19	–	–	1880	668
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4
3.	असम	30	10	80	40	–	–	–	–	100	50	100	50	50	–	100	50	–	–	460	200
4.	बिहार	129	43	–	–	–	–	324	108	–	–	–	–	300	100	–	–	–	–	753	251
5.	गोवा	65	20	–	–	–	–	13	6	–	–	4	2	14	5	3	3	2	2	101	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
6.	गुजरात	-	-	477	159	-	-	141	47	207	85	186	62	21	11	-	-	-	-	1032	364
7.	हरियाणा	284	41	116	24	-	-	86	-	-	-	50	10	-	-	-	-	115	20	651	95
8.	हिमाचल प्रदेश	30	15	-	-	20	10	27	15	5	-	-	-	-	-	-	-	-		82	40
9.	जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-	-	-	11	11	5	5	-	-	22	22	-	-	-	-	38	38
10.	कर्नाटक	100	69	140	80	-	-	50	50	300	100	237	65	400	100	200	100	-	-	1427	564
11.	केरल	-	-	200	100	150	50	50	25	100	35	30	15	42	10	200	50	50	25	822	310
12.	मध्य प्रदेश	44	13	1025	356	-	-	43	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1112	390
13.	महाराष्ट्र	507	169	450	150	-	-	-	-	450	150	589	198	592	187	450	165	442	137	3480	1156
14.	मणिपुर	-	-	9	2	-	-	-	-	48	16	-	-	-	-	-	-	-	-	57	19
15.	मेघालय	-	-	-	-	-	-	20	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	10
16.	मिजोरम	17	4	-	-	-	-	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	17
17.	नागालैंड	8	4	-	-	-	-	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	8
18.	उड़ीसा	124	31	600	150	-	-	-	-	-	-	-	-	200	50	-	-	-	-	924	231
19.	पंजाब	201	67	-	-	-	-	285	95	90	30	120	40	150	50	-	-	-	-	846	282
20.	राजस्थान	84	51	55	24	-	-	182	50	114	20	-	-	30	10	-	-	-	-	465	155
21.	सिक्किम	-	-	-	-	-	-	7	5	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	9	7
22.	तमिलनाडु	340	100	300	100	300	100	300	100	300	100	-	-	300	100	300	100	-	-	2140	700
23.	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2
24.	उत्तर प्रदेश	800	200	450	150	-	-	500	260	-	-	200	100	-	-	200	100	-	-	2150	810
25.	पश्चिम बंगाल	39	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	39
(ख)	संघ शासित प्रदेश																				
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	-	-	-	-	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6
2.	चंडीगढ़	-	-	18	3	-	-	6	2	9	3	3	3	-	-	-	-	11	5	47	16
3.	दादर व नगर हवेली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	4	4
4.	दमन व दीव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	3	2
5.	दिल्ली	40	10	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	50	25	-	-	-	-	93	38
6.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	पांडिचेरी	-	-	-	-	-	-	16	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	12
	जोड़	3167	1068	4237	1511	484	163	2428	1024	2233	644	1723	615	2178	676	1655	589	620	189	18709	6476

[हिन्दी]

सैन्य बलों के पास हथियारों की कमी

2398. श्री नारायण अठावले : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आधुनिक हथियारों की कमी के कारण भारतीय सेना और सुरक्षा बलों को कश्मीर में आतंकवाद का मुकाबला करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गये हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) और (ख). भारतीय सेना अपनी परम्परागत भूमिका को निभाने के लिए हथियारों से सुसज्जित है। जम्मू तथा कश्मीर में आतंकवाद के प्रारम्भिक चरण के दौरान, सेना ने आतंकवादियों के विरूद्ध अपनी संक्रियाएं परम्परागत हथियारों से कीं। तथापि, इनमें से कुछ हथियार आतंकवादियों के विरूद्ध संक्रियाओं के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त नहीं थे क्योंकि घाटी में सक्रिय आतंकवादी गुटों ने ए के श्रृंखला की राइफलों, स्निपर राइफलों जैसे अत्याधुनिक हथियार भारी मात्रा में प्राप्त करने शुरू कर दिए थे। जिनसे वे बहुत नजदीक से भारी मात्रा में तेज गोली बारी करने में समर्थ हो गए। मालूम हुआ है कि ये हथियार इस राज्य में आतंकवाद की सहायता करने और उसे भड़काने के उद्देश्य से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी द्वारा सप्लाई किए जा रहे हैं। आतंकवादियों से कारगर ढंग से निपटने की दृष्टि से जम्मू और कश्मीर में कार्यरत सेना यूनिटों को समुचित शस्त्रों से लैस करने के लिए कदम उठाए गए हैं। भारतीय सेना की आधुनिकीकरण योजना के एक भाग के रूप में 5.56 मि.मी. श्रृंखला के हथियार शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त आतंकवादियों से लड़ने के लिए अत्यधिक उपयुक्त ए के श्रृंखला की राइफलें और गोला-बारूद भी चयनात्मक रूप से शामिल किए गए हैं।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश तथा बिहार में सिंचाई परियोजना

2399. श्रीमती छबिला अरविंद नेताम :

श्री तारीक अनवर :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश तथा बिहार राज्य सरकारों से सिंचाई परियोजना संबंधी कितने प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए;

(ख) उनमें से कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई; और

(ग) अब तक कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं तथा उन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश सरकार से एक नई वृहद सिंचाई परियोजना अर्थात् अपर नर्मदा परियोजना प्राप्त हुई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार सरकार से कोई नई परियोजना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) उनमें से कोई भी सिंचाई परियोजना अनुमोदित नहीं की गई है।

(ग) अब तक लम्बित सिंचाई परियोजनाओं के नाम निम्न प्रकार है :-

बिहार

वृहद

1. सोन नहर आधुनिकीकरण चरण-I
2. पुनासी जलाशय
3. सुवर्णरेखा बहुप्रयोजनी
4. पुनपुन मोरहर दरधा सिंचाई

मध्यम

5. कुंडघाट जलाशय

मध्य प्रदेश

वृहद

1. बाणसागर यूनिट-II (नहरें)
2. महानदी जलाशय
3. सिंध फेज-II
4. बार्गी बहुप्रयोजनी
5. कोलार परियोजना
6. थनवर टैंक
7. पेंच दिक्परिवर्तन
8. माहन
9. ओमकारेश्वर बहुप्रयोजनी
10. राजघाट नहर
11. अपर नर्मदा

मध्यम

12. सतियापेट टैंक
13. अपर बेदा
14. ऊरीबाग

यद्यपि परियोजना के मूल्यांकन के लिए समय-सीमा निर्धारित है, विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना और राज्य सरकारों द्वारा पर्यावरण/वन/पुनर्वास और पुनर्स्थापना स्वीकृतियां प्राप्त करने में विलंब के कारण से स्वीकृति प्रदान करने में विलंब होता है।

हथियार संबंधी कोई सौदा नहीं

2400. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 अक्तूबर, 1996 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में "नौ आर्मस डील्स विद ऐनी कन्ट्री इनीमिकल टु इंडिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार दौरे पर आए रूसी उप प्रधान मंत्री और विदेशी आर्थिक संबंध मंत्री, श्री ओलेग देविदोव के इस वक्तव्य का स्वागत करती है कि रूसी सरकार ने हमेशा भारत के साथ प्रगाढ़ संबंध विकसित किए हैं और इसी वजह से उन देशों को शस्त्र बेचना अस्वीकार किया है जिनकी कार्रवाईयां भारतीय हितों के प्रतिकूल हैं।

विवेकानन्द रॉक मेमोरियल

2401. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :
श्री टी. गोपाल कृष्ण :
कुमारी सुशीला तिरिया :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 16 सितम्बर, 1996 के दिल्ली के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में "विवेकान्नद रॉक मेमोरियल में बी लॉस्ट फार एवर" नामक शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय की सूचना के अनुसार उसमें उल्लिखित तथ्य क्या हैं;

(ग) उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) समुद्री क्षरण से विवेकानन्द मेमोरियल को बचाने और आगामी समय में इसकी देख-रेख के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). कन्याकुमारी स्थित विवेकानन्द शिला स्मारक की विवेकानंद स्मारक ट्रस्ट द्वारा देखभाल की जाती है। समाचार में बताए गए अनुसार, इसके नष्ट होने का कारण नमक का प्रभाव है। विवेकानंद स्मारक ट्रस्ट ने स्मारक के उपर सिलिकान पेंट प्रतिरोधक को लगाने का कार्य संभाला है। चूंकि स्मारक समुद्र के अन्दर स्थित है इसलिए इसके ध्वस्त होने की समस्या पर नियमित रूप से ध्यान दिया जाता है।

रक्षा बजट आबंटन

2402. श्री टी. गोपाल कृष्ण : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थल सेनाध्यक्ष ने रक्षा बजट को रक्षा संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने तथा रक्षा क्षेत्र के लिये आबंटन की प्रक्रिया को सुचारू बनाने का आह्वान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किसी हथियार प्रणाली की खरीद संबंधी निर्णय लेने से पूर्व अनुपालन की जाने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी नीति तथा खरीदे जाने वाले हथियार के बीच संबंध स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) और (ख). जी, नहीं। सेनाध्यक्ष ने पूर्व वित्त सलाहकार (रक्षा सेवाएं) द्वारा लिखी गई पुस्तक के विमोचन के अवसर पर बिना पूर्व तैयारी के बोलते हुए इस संबंध में यह उल्लेख किया कि- "रक्षा बजट की व्यवस्था रक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए"। इसके लिए सेना मुख्यालयों और एकीकृत वित्त प्रभाग के साथ परामर्श करके खतरे की संभावनाओं और संविदागत, बाध्यकारी, नियमित और पुनरावर्ती वचनबद्धताओं के आधार पर रक्षा आवश्यकताओं का प्राक्कलन तैयार करने की सुपरिभाषित पद्धति है। आवश्यकता के प्राक्कलनों और रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई सुरक्षा चिन्ताओं, उपलब्ध संसाधनों और अन्य क्षेत्रों की मांगों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय रक्षा आबंटन के बारे में निर्णय लेता है।

(ग) नीतिगत मामले के रूप में रक्षा आवश्यकताएं राष्ट्रीय सामरिक और सुरक्षा नीति के अनुरूप कार्यान्वित की जाती हैं। अर्जन योजना को अंतिम रूप दिए जाते समय अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय सुरक्षा परिवेश और प्रौद्योगिकीय परिवेश को भी ध्यान में रखा जाता है। तीनों सेनाओं के लिए शस्त्र प्रणालियों के आधुनिकीकरण क्रय के प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों को हमारी राष्ट्रीय नीति के अनुरूप कार्यान्वित किया जाता है और उन्हें इस तरह बनाया जाता है कि उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग हो सके।

[हिन्दी]

मोदाह बांध परियोजना

2403. श्री गंगा चरण राजपूत : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में मोदाह बांध परियोजना, जो पिछले 21 वर्षों से निर्माणाधीन थी और जिसके 10 वर्षों के भीतर पूरी हो जाने की संभावना थी, के पूरी न होने के क्या कारण हैं;

(ख) इसकी अनुमानित लागत, वर्तमान तिथि तक उस पर आई लागत और हर्जाने के रूप में सरकार द्वारा दी गई धनराशि कितनी है;

(ग) बांध के पूरा होने से पहले ही इसमें आई दरारों के तकनीकी कारण क्या हैं और क्या सरकार ने इसमें किसी प्रकार की जांच के आदेश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस रिपोर्ट को जल्द ही सभा पटल पर रखे जाने की संभावना है;

(ङ) क्या बांध में आई दरारों का कारण अधिकारियों द्वारा बरती गई लापरवाही है;

(च) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(छ) इस परियोजना के कब तक पूर्ण हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) उत्तर प्रदेश की मौदाह बांध परियोजना मुख्य रूप से निधियों की कमी के कारण और भूमि अधिग्रहण समस्याओं के कारण अभी तक पूरी नहीं की जा सकी है।

(ख) 1.4.95 की दरों के अनुसार परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत 80.3 करोड़ रुपए है जिसमें से 8/96 तक 75.8 करोड़ रुपए व्यय किए गए।

(ग) से (च). निर्माण के दौरान बांध को दांए फलैक पर 13.9.92 को एक बार दरार आ गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 17.9.92 के कार्यालय ज्ञापन के तहत बांध के दरार के कारणों का अन्वेषण करने के लिए एक समिति का गठन किया था। समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा 5 अधिकारियों और 6 कर्मचारियों के खिलाफ आरोप पत्र जारी करके कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

(छ) चरखरी पंप नहर जिसकी मार्च, 1998 तक पूरा होने की संभावना है, को छोड़कर इस परियोजना के मार्च, 1997 तक पूरा होने की संभावना है।

[अनुवाद]

बीमारियों से प्रभावित जनसंख्या

2404. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों में जनसंख्या का उच्च प्रतिशत गंभीर बीमारी और कुपोषण की चपेट में है; और

(ख) यदि हां, तो गंभीर बीमारी और कुपोषण की रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) संक्रामक और अन्य गंभीर रोगों की समस्या गहरी चिन्ता का विषय बनी हुई हैं। इन रोगों का विस्तार नये रोग होने और उन रोगों, जिनके लिए कभी सोचा गया था कि उनका उन्मूलन हो चुका है, के पुनः प्रादुर्भाव हो रहा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1992-93 के अनुसार लगभग 53.4 प्रतिशत जनसंख्या कुपोषित थी। राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने भी सूचित किया है कि 1993 में लगभग 50 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या चिरकालिक ऊर्जा की कमी से प्रभावित थी।

(ख) गंभीर रोगों की रोकथाम के लिए मलेरिया, काला-आजार, क्षय-रोग, कुष्ठ, कैंसर इत्यादि से संबंधित राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक राष्ट्र-व्यापी रोग निगरानी नेटवर्क तैयार करने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय शीर्षस्थ परामर्शी समिति का गठन कर दिया गया है। रोग निगरानी योजना के अन्तर्गत परिकल्पित कार्यकाही योग्य मुद्दों में सूचना सकत्रीकरण और उसका प्रसार, प्रयोगशाला नैदानिक सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, केन्द्रों का जाल बिछाना और रोग व्याप्तता की सतत मानीटरिंग करना शामिल है।

भारत सरकार जनसंख्या, के पोषणिक स्तर में सुधार करने के लिए विभिन्न पोषणिक कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इन कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

i. पूरक आहार कार्यक्रम :

(एक) समेकित बाल विकास सेवाएं

(दो) मध्याह्न भोजन कार्यक्रम

(तीन) पूरक पोषण कार्यक्रम

(चार) बालबाड़ी पोषण कार्यक्रम

(पांच) गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम

2. विशिष्ट सूक्ष्म पोषक तत्व अल्पताजन्य रोगों की रोकथाम करने के कार्यक्रम :

(एक) राष्ट्रीय आयोडीन अल्पताजन्य विकार नियंत्रण कार्यक्रम

(दो) विटामिन "ए" की कमी की रोकथाम करने का कार्यक्रम

(तीन) लौह की कमी के कारण पोषणिक रक्ताल्पता की रोकथाम करने का कार्यक्रम

(चार) सूक्ष्म पोषक तत्व कुपोषण के विरूद्ध मार्गदर्शी कार्यक्रम

लोगों में पोषण के प्रति जागरूकता लाने के लिए पोषण शिक्षा कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। अन्य उपायों में (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से रियायती लागत पर अनिवार्य खाद्यान्नों की व्यवस्था और (ख) आय-अर्जन संबंधी योजनाओं के माध्यम से लोगों की क्रय शक्ति में सुधार लाना शामिल है।

[हिन्दी]

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थाई सीट के लिये चुनाव

2405. श्री भगवान शंकर रावत :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री कृष्ण लाल शर्मा :
श्री जसवंत सिंह :
श्रीमती कृष्णा बोस :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र परिषद में अस्थाई सीट के लिये हाल में हुये चुनाव से पूर्व वोटिंग पैटर्न आकलन करने का कोई प्रयास किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त आकलन के परिणाम के रूप में क्या कदम उठाए गये; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग). सरकार ने भारत का पक्ष रखने और अन्य देशों से प्रत्युत्तर प्राप्त करने के लिए सभी सम्भव कदम उठाए थे। हालांकि, हमें बहुत से देशों से समर्थन प्राप्त होने के आसार नजर आ रहे थे, चुनाव गुप्त मतदान द्वारा सम्पन्न हुआ जिससे बहुत से मामलों में मत-रूझानों का पूरी तरह से पता नहीं चल सका। हमने चुनाव में अपनी उम्मीदवारी कायम रखने का निर्णय लिया था क्योंकि इससे उम्मीदवारी के हमारे कारण और उन पर दृढता से कायम रहने की हमारी इच्छा परिलक्षित होती थी।

[अनुवाद]

दमन तथा दीव में नदियों की गाद निकालना

2406. श्री गोपाल टंडेल : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दमन तथा दीव में नदियों की गाद निकालने का कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) यह कार्य कब तक शुरू होने तथा पूरे कर लिये जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (घ). दमन और दीव में नदियों के निकर्षण कार्य के लिए दमन और दीव संघ शासित प्रदेश जिम्मेदार है। इसलिए यह मामला गृह मंत्रालय के तहत आता है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय कार्ड

2407. डा. सी. सिल्वेरा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उनकी सेवा निवृत्ति पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय कार्ड जारी किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कार्डों हेतु निर्धारित किये गये प्रभारों सहित औपचारिकताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के किसी भी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय के लिए ऐसे कार्ड आवास की परवाह किये बिना जारी किये जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सेवानिवृत्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को "सी. जी.एच. एस." औषधालय कार्ड उनके अभ्यावेदन की प्रस्तुति के 48 घंटों के भीतर जारी कर दिये जाते हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). जी हां। के.स.स्वा. योजना के कार्डों को जारी करने के लिए सेवानिवृत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को निर्धारित फार्म भरने पड़ते हैं और पेंशन भुगतान आदेश, अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र, कार्ड के अन्तर्गत कवर किए जाने वाले सभी व्यक्तियों के फोटो के.स.स्वा. योजना के अंशदान इत्यादि जैसे अपेक्षित कागजों/दस्तावेजों सहित उन्हें प्रस्तुत करना होता है।

के.स.स्वा. योजना का, अंशदान विकसित किए गए उनके अन्तिम मूल वेतन/ मूल पेंशन पर आधारित है। इसके साथ अंशदान की वार्षिक दरें 5/-रु. (जो कर्मचारी 1200/- प्रति मास तक मूल वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे हैं) से 50/-रुपये (जो अधिकारी 5,000/-रुपये और इससे अधिक मूल वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे हैं) है।

(ग) और (घ). के.स.स्वा. योजना के टोकन कार्ड सामान्यत: निवास स्थित शहर के लिए जारी किए जाते हैं। लाभार्थियों को उनसे संबंधित क्षेत्रों में स्थित के.स.स्वा. योजना के औषाधालयों से जोडा जा रहा है। यदि पेंशन किसी ऐसे क्षेत्र में रहता है, जहां के.स.स्वा. योजना का औषधालय कार्य नहीं कर रहा हो तो उसे उस शहर के उसकी पसन्द के किसी भी के.स.स्वा. योजना के औषधालय का कार्ड जारी किया जा सकता है, बशर्ते कि प्रशासनिक अपेक्षाएं पूरी होती हों। ऐसे मामले में इस योजना के अन्तर्गत वह घर पर डाक्टर द्वारा उसे देखे जाने के सिवाय उपलब्ध सभी चिकित्सीय सुविधाएं पाने का पात्र होगा।

यदि पेंशन (किसी ऐसे शहर में रहता है जहां के.स.स्वा. योजना नहीं है तो उसके पास निकटतम शहर जहां के.स.स्वा. योजना कार्य कर रही है) में अपनी पसंद के किसी भी औषधालय के लिए अपना के.स.स्वा. योजना का कार्ड प्राप्त करने का विकल्प है।

(ङ) और (च). के.स.स्वा. योजना के कार्ड सामान्यतः सेवा-निवृत लाभार्थियों को उनके द्वारा अनुरोध प्रस्तुत करने के 48 घंटों के भीतर जारी कर दिए जाते हैं।

इंडियन काऊन्सिल आफ वर्ल्ड अफैयर्स

2408. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मामलों संबंधी स्थाई समिति द्वारा 27 अप्रैल, 1993 को संसद में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में की गई उन सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है कि इंडियन काऊंसिल आफ वर्ल्ड अफैयर्स को राष्ट्रीय महत्व की स्वायत्त संस्था बनाया जाये तथा इसका पुनर्गठन किया जाये; और

(ख) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख). विदेश मंत्रालय से संबद्ध स्थायी समिति की 27 अप्रैल, 1993 को संसद में रिपोर्ट पेश करने के पश्चात, तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री, श्री सलमान खुर्शीद ने जून, 1993 को इन्डियन कांउसिल ऑफ वर्ल्ड अफैयर्स (आई सी डब्ल्यू ए) के अध्यक्ष से मुलाकात की तथा अन्य बातों के साथ-साथ तीन अथवा चार विख्यात व्यक्तियों की एक परामर्शदात्री समिति के गठन तथा उसका कार्यालय आई सी डब्ल्यू ए के परिसर में खोलने का सुझाव दिया। इसके कार्य ये हैं : (एक) आई सी डब्ल्यू ए के कार्यक्रमों और उनकी सूची के संबंध में परामर्श देना (दो) आई सी डब्ल्यू ए को भारत और विदेशों के विख्यात विशेषज्ञों और वक्ताओं से सुझाव प्राप्त करने में सहायता करना (तीन) वैशानिक अनुसंधान परियोजनाओं और अन्य नीतिगत मुद्दों का अनुमोदन करना जिसके लिए परामर्शदात्री समिति के स्वविवेक पर वित्त पोषण मुहैया कराया जाना है। (चार) पुस्तकालय, आडीटोरियम और भोजन कक्ष के लिए स्थान की उपलब्धता और सुविधाओं के उन्नयन को संवर्द्धित करने के लिए विकासात्मक प्रस्तावों पर विचार करना। (पांच) कार्मिकों से संबद्ध बकाया विवादों की जांच करना और उनके हल के लिए उपयुक्त सुझाव देना तथा कोई भी अन्य विशिष्ट मामले जिन्हें आई सी डब्ल्यू ए के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शीघ्र और आवश्यक समझा जाए। परामर्शदात्री समिति के गठन पर उपरोक्त प्रस्ताव को अमल में लाने के उद्देश्य से, विधिक विभाग, जिसके साथ 24 जून, 1993 को परामर्श किया गया था, की राय है कि चूंकि इस समिति का गठन आई सी डब्ल्यू ए के शासी निकाय के उस संकल्प के अनुपालन में किया जा रहा है जो एक स्वायत्तशासी निकाय है जिसकी अपनी नियमावली है, मंत्रालय को शासी निकाय द्वारा संकल्प पारित करने की प्रतीक्षा करनी चाहिए और तत्पश्चात संकल्प की शब्दावली को देखते हुए परामर्शदात्री समिति गठित की जा सकती है।

2. 21 जून, 1995 के विदेश सचिव ने परिषद के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा था जिसमें उच्च अधिकार प्राप्त पर्यवेक्षण/परामर्शदात्री समिति के गठन के बारे में आई सी डब्ल्यू ए की शासी परिषद द्वारा प्रस्तावित संकल्प के पारित होने से संबद्ध प्रगति के बारे में मंत्रालय को सूचित करने का अनुरोध किया गया था। परिषद् के अध्यक्ष ने विदेश सचिव के पत्र का जवाब नहीं दिया है।

3. यह उल्लेखनीय है कि इन्डियन कांऊसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1880 के तहत एक स्वायत्त संस्था है, जिसपर न तो मंत्रालय का सीधा नियंत्रण है, और न ही 1985 से मंत्रालय ने इसे किसी प्रकार की वित्तीय सहायता मुहैया कराई है।

विदेश स्थित भारतीय मिशन

2409. श्री अनंत कुमार :

श्री आर.एल.पी. वर्मा :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश में स्थित भारतीय मिशन की संख्या कितनी है तथा गत तीन वर्षों के दौरान इनके लिए कितना बजटीय प्रावधान किया गया है;

(ख) 30 दिसम्बर, 1996 की स्थिति के अनुसार 1994-95, 1995-96 के दौरान किन-किन देशों में भारतीय दूतावास/उच्चायोग/वाणिज्यिक कार्यालय खोला गया है;

(ग) विदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कितने भारतीय राजदूत/उच्चायुक्त/वाणिज्यिक महाप्रबंधक नियुक्त हैं;

(घ) क्या राजदूतों/उच्चायुक्तों/मिशन प्रमुख/वाणिज्यिक महाप्रबंधकों के रूप में नियुक्ति हेतु इन समुदायों के लोगों के लिए कोई कोटा निर्धारित है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) नवम्बर, 1996 के अन्त तक विदेश मंत्रालय के नियंत्रणाधीन विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों तथा अन्य कार्यालयों की संख्या 158 है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों में विदेश मंत्रालय के बजट के तहत इन सभी कार्यालयों का खर्च 1993-94 में 330.73 करोड़ रुपये, 1994-95, में 409.84 करोड़ रुपये और 1995-96 में 486.87 करोड़ रुपये था।

(ख) 1994-95 से भारत द्वारा खोले गए राजदूतावास/हाई कमीशन/प्रधान कोंसलावासों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

1994-95 के दौरान-1. प्रधान कांसलावास, इस्तान्बुल (तुर्की) 2. हाई कमीशन, प्रिटोरिया (दक्षिण अफ्रीका) 3. प्रधान कोंसलावास,

डरबन (दक्षिण अफ्रीका) 4. भारत का राजदूतावास, दुशान्बे (ताजिकीस्तान) 5. भारत का राजदूतावास, बिश्केक(किर्गिजस्तान) और भारत का राजदूतावास, बगौटा (कोलम्बिया) फिर से खोले गए।

1995-96 के दौरान निम्नलिखित मिशन खुले : 1. प्रधान कौंसलावास, ह्यूस्टन (यू.एस.ए.), 2. भारत का राजदूतावास, ब्रातिस्लावा (स्लोवाक गणराज्य), 3. प्रधान कौंसलावास, ग्लासगो (यू.के.) 4. भारत का राजदूतावास, ओएगाडोयूगोयू (बुरकिना फासो)

अप्रैल से सितम्बर, 1996 के दौरान निम्नलिखित मिशन खुले : 1. प्रधान कौंसलावास, साओ पायूला (ब्राजील) 2. हाई कमीशन, पोर्टमोरस्बे (पपुआ न्यू गिनी) 3. भारत का राजदूतावास, जगरेंब (क्रोएशिया)।

(ग) से (ङ). राजदूत/हाई कमिश्नर और प्रधान कौंसलों की नियुक्ति उनकी योग्यता, अनुभव और प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के आधार पर की जाती है ताकि जाति और समुदाय के आधार पर तथा इसमें कोई कोटा नहीं है। राजदूतों/हाई कमिश्नरों/प्रधान कौंसलों में से सोलह अनुसूचित जाति के हैं तथा नौ अनु-सूचित जनजाति के हैं। इन अधिकारियों में से कितने अधिकारी अन्य पिछड़े वर्गों के हैं, इसके बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सदन के सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

वडक्कनचेरी, केरल में केन्द्रीय विद्यालय

2410. श्री एस. अजय कुमार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से राज्य के त्रिसूर जिले में वडक्कनचेरी में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) और (ख). जी, हां। क्योंकि प्राप्त प्रस्ताव अपूर्ण था अतः जिला प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे पूरा प्रस्ताव भेजें।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-28 का दोहरीकरण

2411. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 का विश्व बैंक की सहायता से समस्तीपुर से जयनगर तक चौड़ा करने और दोहरी लेन में परिवर्तित करने हेतु योजना शुरू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है और शेष कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (ग). समस्तीपुर से जयनगर एक राज्य सड़क है, जिसे विश्व बैंक ऋण सहायता के माध्यम से सुधार किए जाने (अपग्रेड) के बारे में बिहार राज्य सरकार द्वारा भेजी गई राज्य सड़कों की सूची में शामिल कर लिया है, जिनकी कुल लम्बाई 3100 कि.मी. है। राज्य सरकार इन सड़कों के बारे में आवश्यक पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन करवा रही है और विश्व बैंक द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाएगा। विश्व बैंक ऋण सहायता हेतु इसके शामिल किए जाने के बारे में अभी से बता पाना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

मालाबार विश्वविद्यालय को सहायता

2412. श्री सुरेश कोडीकुनील : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से केरल के कन्नौर जिले में मालाबार में नए विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) से (ग). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केवल उन राज्य विश्वविद्यालयों को ही विकास अनुदान प्रदान करता है जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 26(1)(घ) के अनतर्गत निर्धारित विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है और जिन्हें विश्विविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12-ख के अन्तर्गत अधिसूचित नियमों के अनुसार ऐसे अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, कन्नौर विश्वविद्यालय को अभी तक आयोग से विकास अनुदान प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पात्र घोषित नहीं किया गया है।

पंजाब में जल का स्तर

2413. श्रीमती शीला गौतम : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय तथा वाशिंगटन स्थित वर्ल्ड रिसोरसीज इंस्टिट्यूट द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि भूमिगत जल के अधिक मात्रा में निकासी के कारण पंजाब में प्रतिवर्ष एक मीटर की दर से जल के स्तर में गिरावट आ रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) दिल्ली विश्व विद्यालय तथा वाशिंगटन स्थित विश्व संसाधन संस्थान (वर्ल्ड रिसोरसीज इंस्टिट्यूट) द्वारा पंजाब में जल स्तर के सम्बन्ध में किए गए किसी अध्ययन के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है। तथापि वर्ल्ड रिसोरसीज इन्स्टीटयूट के डा. आर.पी.एस. मलिक और पॉल फेथ द्वारा तैयार एक लेख सरकार के ध्यान में आया है। इस लेख के लेखक ने पंजाब के लुधियाना जिला में जल स्तर में 0.83 मीटर से 1.22 मीटर तक की गिरावट का अनुमान लगाया है।

(ख) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा किए गए अध्ययन से भी पंजाब के कुछ जिलों में भूजल स्तर में 4 से 5 मीटर की गिरावट का पता चला है। केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण पर पुस्तिका (मैनुअल) तैयार की है जो सभी राज्य सरकारों को परिचालित की गई हैं। सरकार ने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को एक माडल बिल भी परिचालित किया है ताकि भूजल विकास के नियंत्रण और नियमन के लिए उपयुक्त विधान बनाया जा सके।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति

2414. श्री अशोक प्रधान :

श्री जय प्रकाश (हरदोई) :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार देश के विभिन्न भागों में एक के बाद एक फैलती जा रही महामारियों को रोकने के लिए कोई प्रभावी समन्वित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में सामाजिक संगठनों से सुझाव या अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा उन पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकता और नीति को कार्यान्वित करने के लिए उठाये जाने वाले कदमों को प्रतिपादित करती है। प्रभावी निगरानी, निवारक कार्यवाई के जरिए संचारी रोगों का नियंत्रण और प्रकोपों तथा महामारियों से निपटने में सक्षम आपाती योजनाओं का निर्माण, आपदा प्रबंधन कार्यक्रम और सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को विशिष्ट रोगों के लिए परिचालित दिशा-निर्देशों में पहले से ही उपलब्ध हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य प्रबंध के उन्नत निगरानी और जन स्वास्थ्य पहलुओं पर जोर दिया गया है।

(ग) इस मंत्रालय में सामाजिक संगठनों से कोई विशेष सुझाव या अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ) से (च). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

नुरुल हसन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिज

2415. डा. असीम बाला : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कल्याणी मे नुरुल हसन इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) निर्माण तथा अन्य कार्यों के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी धनराशि मंजूर की गई;

(ग) क्या निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संसाधन का कब तक खोले जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रकुल के स्वतंत्र देशों के लिए पासपोर्ट

2416. श्री ए. सम्पथ : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने वाले भारतीय छात्रों को राष्ट्रकुल के स्वतंत्र देशों (पूर्व सोवियत संघ) का वीजा प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जबकि अन्य देशों के संबंध में ऐसा नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इनकी कठिनाइयों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख). जो छात्र उच्चतर अध्ययन के लिए विदेश जाते हैं उन्हें पासपोर्ट शीघ्र जारी करने के लिए उनके आवेदनों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है। तथापि, सी.आई.एस. के देशों में अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों के मामले में उनके कालेजों/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी किए गए प्रवेश पत्रों की संबंधित भारतीय मिशन द्वारा उनकी अधिप्रमाणिकता की पुष्टि करते हुए अधिप्रमाणित करने की आवश्यकता होती है और इस अधि-प्रमाणिकता के आधार पर ऐसे विद्यार्थियों को तात्कालिक के

आधार पर पासपोर्ट जारी किए जाते हैं। यह प्रक्रिया इसलिए अपनाई गई है क्योंकि प्रवेश पत्र प्रायः रूस की उन संस्थाओं द्वारा जारी किए जाते हैं जिनकी भारत को जानकारी नहीं होती है और उनका उन लोगों द्वारा दुरूपयोग किए जाने की संभावना रहती है जो असली छात्र नहीं होते। इसलिए इस बात का सुनिश्चय किया जाता है कि प्रवेश पत्र सही हैं तथा वास्तविक संस्थाओं से जारी हुए हैं।

भूमिगत जल

2417. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में भूजल संसाधनों के विकास के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के आधार पर बरेली, उत्तर प्रदेश में 1995 एस. यू.ओ. की स्थापना की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस एकक ने अब तक क्या कार्य शुरू किए हैं; और

(ग) क्या इस एकक को कहीं और स्थानान्तरित किया जा रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) उच्च स्तरीय बहु-विषयी समिति की संस्तुतियों के आधार पर पटना में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के परिणामस्वरूप पटना के राज्य यूनिट कार्यालय को बरेली में स्थानान्तरित किया गया था।

(ख) बरेली के राज्य यूनिट कार्यालय ने अभी तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पुनर्मूल्यांकन जलभूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भूजल स्तर मानीटरी तथा भूजल अन्वेषण शुरू किए हैं।

(ग) यह निर्णय लिया गया था कि राज्य यूनिट कार्यालय बरेली से इलाहाबाद स्थानान्तरित कर दिया जाए। तथापि, राज्य के आकार, जिलों की संख्या और जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए इस निर्णय की समीक्षा की गई है। अब यह निर्णय लिया गया है कि राज्य यूनिट कार्यालय बरेली में बने रहने दिया जाए और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कार्य की देखरेख करने के लिए दूसरा राज्य यूनिट कार्यालय इलाहाबाद में खोला जाए।

महिलाओं की सामाजिक स्थिति

2418. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने यूरोपीय समुदाय की आर्थिक सहायता से राज्य के दस जिलों में महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करने संबंधी प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त-प्रस्ताव अभी भी केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक मंजूरी दे दिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या उक्त परियोजना को 1995 से 7 वर्षों के अन्दर पूरा किया जाना था; और

(च) यदि हां, तो इसे कब तक शुरू कर दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ङ). खादी और ग्रामोद्योग, बागवानी, रेशम कीटपालन, पशुपालन, कृषि इन्जीनियरी क्षेत्रों में आयोत्पादक गतिविधियां चलाने का प्रस्ताव है। यह परियोजना 1995 से 7 वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था।

(ग) (घ) और (च). भारत सरकार बाह्य निधीयन के लिए केवल प्रस्ताव रख सकती है। प्रस्ताव की स्वीकृति बाह्य निधीयन एजेन्सी की प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है।

[हिन्दी]

सिंचाई के लिए जल

2419. श्री एन.जे. राठवा : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषतया गुजरात के आदिवासी तथा जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जल का कितना उपयोग किया जाता है तथा इसकी उपलब्धता कितनी है; और

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान गुजरात में सिंचाई की कितनी क्षमता बढ़ाई गई है तथा इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) देश में कुल उपलब्ध उपयोज्य जल 1142 बिलियन घन मीटर में से सिंचाई उद्देश्यों (1994-95) के लिए जल (सतही और भूजल) का उपयोग 501 बिलियन घन मीटर है। उपयोज्य जल का आंकलन बेसिन-वार किया गया है राज्यवार नहीं।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान गुजरात में सृजित सिंचाई क्षमता और उनपर व्यय की गई राशि निम्न प्रकार है :—

वर्ष	सृजित सिंचाई क्षमता (हजार है. में)	व्यय (करोड़ रुपए में)
1991-92	44.00	690.8
1992-23	50.15	454.1
1993-94	36.40	483.8
1994-95	49.93 (प्रत्याशित)	586.0 (प्रत्याशित)
1995-96	54.80(प्रत्याशित)	585.9 (प्रत्याशित)

[अनुवाद]

बच्चों को अवैध रूप से सीमा पार कराना

2420. श्री मोहन रावले : क्या **विदेश मंत्री** बच्चों को अवैध रूप से सीमा पार कराने के बारे में 22 जुलाई, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1427 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों को अवैध रूप से सीमा पार कराने की घटना को रोकने हेतु नेपाल तथा बंगलादेश के साथ कोई द्विपक्षीय समझौता करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नेपाल और भारत की एक खुली सीमा है और एक देश से दूसरे देश में लोगों की आवा-जाही को सरकारी एजेन्सियों द्वारा विनियमित नहीं किया जाता। बंगलादेश के मामले में, बच्चों सहित सभी लोगों की आवा-जाही को मौजूदा अप्रवास कानून के अनुसार विनियमित किया जाता है।

यद्यपि, इस मसले पर कोई द्विपक्षीय करार नहीं किए गए हैं तथापि सरकार बच्चों को अवैध रूप से सीमा पार कराने की सामाजिक बुराई को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। संबंधित देशों में, कानून प्रवृत्त करने वाली एजेंसियां इस समस्या से निबटने के लिए अपने प्रयासों को समन्वित कर रही है।

रक्त बैंकों में पुरानी मशीनों का प्रयोग/स्टाफ की कमी

2421. श्री आई.डी. स्वामी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 सितम्बर, 1996 के "दी स्टेट्समैन" में "ऑबसॉलीट मशीनज एण्ड अण्डर स्टाफ प्लेग ब्लड बैंक" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली सरकार के औषध नियंत्रण अधिकारियों द्वारा दिनांक 9 सितम्बर, 1996 को किए गए निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित कमियां पाई गई थी :-

(एक) रक्त बैंक में तकनीकी स्टाफ की कमी थी।

(दो) रेफ्रीजरेटर कार्य नहीं कर रहे थे।

(तीन) तीन में से दो सेंट्रीफ्यूज मशीनें खराब थीं।

(चार) रक्त बैंक का प्रयोगशाला में रक्त जांचें नहीं का जा रही था।

(ग) रक्त बैंक को तकनीकी स्टाफ, नर्सों और अटैंडेण्टों की तैनाती करके सुदृढ़ किया गया है। रक्त भंडारण और उसे जारी करने हेतु दो वाक-इन-कूलर हैं। रक्त बैंक रेफ्रीजरेटरों की मरम्मत करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। वाटर बाथ और सेंट्रीफ्रयूज मशीन जैसी अन्य मशीनें जांच प्रयोगशाला के साथ जुड़े रक्त बैंक विभाग में उपलब्ध हैं। अनिवार्य प्रयोगशाला जांचें किए बिना कोई रक्त जारी नहीं किया जाता है।

विश्वभारती का विस्तार

2422. श्री पी.आर. दासमुंशी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "विश्वभारती" शान्ति निकेतन के संकायों की गतिविधियों की विस्तार योजना संबंधी वित्तीय समस्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो विश्वभारती की उक्त विस्तार योजना के समर्थन में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है;

(ग) क्या विश्वभारती में टैगोर की मूल रचनाओं, गीतों, वाद्य यंत्रों, चित्रों के संरक्षण और सुरक्षा हेतु किसी आधुनिक तरीके का पता लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) और (ख). विश्व भारती, शान्ती निकेतन ने एशिया की सभ्यता के अध्ययन के लिए विश्वसिया, नामक केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव भेजा है। चूंकि इस प्रसताव में विशेष रूप से विचारणीय विषयों और इस परियोजना के लिए निधियों की आवश्यकता के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। इसलिए विश्वविद्यालय को सलाह दी गई है कि वह एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करें ताकि सरकार इस मामले में आगे कार्रवाई कर सके।

(ग) और (घ). कुलपति, विश्व भारती ने अन्य बातों के साथ-साथ, टैगोर की कृतियों को संरक्षित और सुरक्षित रखने के साधनों को सुझाने के लिए एक समिति गठित की है।

केरल की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां

2423. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के जल का उपयोग करने का कोई कार्यक्रम है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन नदियों के जल का भंडारण करने हेतु प्रदान की जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) केरल राज्य द्वारा प्रस्तावित दो परियोजनाएं ये हैं :- पेरियार नदी पर इदमलायर सिंचाई परियोजना और चालाकुडी नदी पर कारापारा-कुरियारकुट्टी बहुप्रयोजनी परियोजना। इदमलायर सिंचाई परियोजना एक व्यपवर्तन स्कीम है जबकि कारापार-कुरियारकुट्टी बहुप्रयोजनी परियोजना में कारापार बांध पर 108.3 मि. क्यू. और कुरियारकुट्टी बांध के लिए 2.0 मिलियन क्यू. भण्डारण की परिकल्पना है।

• भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने पप्वा-अचनकोबिल-वेपार लिंक की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है जिसमें पम्बा काल और अचनकोविल काल अर तथा अचनकोविल पर बांधों की परिकल्पना है जिससे तमिलनाडु के तिरूनेलबेली, काट्टाबोम्मन, चिदम्बरानर और कामराज जिलों के सूखा प्रवण जिलों में भूमि की सिंचाई के लिए जल का विपथन किया जा सकेगा तथा 500 मे.वा. का शीर्ष विद्युत उत्पादन हो सकेगा एवं वेम्बानंद में कमी की अवधि के दौरान विनियमित निर्मुक्तियां की जा सकेंगी।

इस प्रस्ताव में पाम्बा काल अर पर पुनामेडु बांध (सक्रिय क्षमता 118.5 एम.क्यू.), अचनकोविल काल आर पर अचनकोविल काल अर बांध (सक्रिय क्षमता 184.9 एम.क्यू.) तथा अचनकोविल नदी पर अचनकोविल पम्पड भण्डारण (सक्रिय क्षमता .27.8 एम.क्यू.) सम्मिलित हैं।

छावनी क्षेत्रों में गैर-कानूनी निर्माण

2424. श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल कमांड के छावनी क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में गैर-कानूनी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं;

(ख) भूमि हथियाने और गैर-कानूनी निर्माण को गिराने के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय के हाल के आदेश के बावजूद सेन्ट्रल कमांड रक्षा सम्पदा निदेशालय ने कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है;

(ख) क्या सरकार इस मामले को गंभीरता से लेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) से (घ). यद्यपि मध्य कमान के छावनी क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण हैं परन्तु उनमें से कई, विशेष रूप से सिविल क्षेत्र के भीतर, प्लेटफार्मों/सीढ़ियों, छज्जों आदि के रूप में हैं, जिन्हें मौजूदा नीतियों के तहत नियमित किया जा सकता है। छावनी अधिनियम एवं सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत अवैध/अनधिकृत रूप से किए गए निर्माणों के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है।

रक्षा सम्पदा निदेशालय, मध्य कमान ने अवैध रूप से किए जा रहे निर्माणों को रोकने व उन्हें गिराने की कार्रवाई के कठोर उपाय करने के वास्ते जुलाई, 1996 में सभी छावनी कार्यपालक अधिकारियों को अनुदेश जारी कर दिए हैं। मध्य कमान में अवैध रूप से निर्मित इमारतों को गिराने व भूमि पर कब्जा करने से संबंधित उच्चतम न्यायालय के किसी भी आदेश की सरकार को जानकारी नहीं है।

योग को बढ़ावा देना

2425. श्री संदीपान थोरात : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने योग/शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने के लिए कोई विशेष योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा महाराष्ट्र में संस्थावार विभिन्न संगठनों (निजी) को दी जा रही वित्तीय सहायता कितनी है तथा चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत क्या प्रावधान उपलब्ध हैं;

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि निजी शैक्षिक संस्थाओं को जारी की गई राशि का उचित उपयोग हो, एक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) जारी की गई राशि का दुरूपयोग करने/योग अनुसंधान/शिक्षण संस्थाओं में कदाचार की शिकायत के संबंध में निरीक्षण रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) पुणे में योग अनुसंधान संस्थान में रिपोर्ट की गई अनियमितताओं पर क्या कार्यवाही की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख). जी हां। योग को बढावा देने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना 1989-90 में शुरू की गई। इस योजना के तहत योग में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए तथा इस प्रयोजनार्थ आधारभूत सुविधाएं सृजित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा विख्यात योग संस्थानों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों को टी ए/डी ए, पुस्कालय सुविधाओं का स्तरोन्नयन तथा शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण विस्तार शामिल है। इस योजना के तहत गत पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को दी गई वित्तीय सहायता का संस्थावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 1996-97 में इस योजना के लिए बजटीय आवंटन योजनागत के अंतर्गत 60.00 लाख रु. तथा योजनेतर के अंतर्गत 30.00 लाख रु. है।

(ग) गैर सरकारी संगठनों के प्रस्तावों पर सहायता अनुदान समिति द्वारा संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की

सिफारिशों के आधार पर विचार किया जाता है। संगठन द्वारा भेजी गई प्रगति रिपोर्ट तथा उपयोग स्थिति के आधार पर अनुदान किस्तों में जारी किया जाता है।

(घ) और (ङ). कैवल्यधाम एस एम वाई एम समिति, लोनावाला (पुणे) के संबंध में कुछ शिकायतें मिली हैं। संस्थान के कार्यकरण की जांच करने के लिए केन्द्र और महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त मूल्यांकन दल ने संस्थान का 26-27 अप्रैल, 1996 को दौरा किया। पाई गई प्रशासनिक/प्रक्रियात्मक खामियों को संस्थान की जानकारी में लाया गया है ताकि उन्हें समयबद्ध ढंग से दूर किया जा सके।

विवरण

(रु. लाख में)
(योजनागत)

क्र.सं.	संस्था का नाम	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1.	योग संस्थान, शांताक्रुज, मुंबई	-	-	7.66	-	-
2.	श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, अमरावती	-	-	-	3.70	-
3.	आरोग्य सेवा मंडल मुखेड, नानदेड	-	-	-	0.98	-
4.	योगविद्याधाम, धूले	-	-	-	3.70	2.50
5.	केवल्यधाम एस एम	35.30	12.37	5.00	5.00	-
	वाई एम समिति	30.00	30.00	29.08	32.67	20.00
	लोनावला (पुणे)	(योज.)	(योज.)	(योज.)	(योज0)	(योज.)

योज-(योजनेतर)

नवयुग विद्यालय में अध्यापकों का अभाव

2426. श्री भक्त चरण दास : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा चलाए जा रहे नवयुग विद्यालयों, विशेषकर नवयुग स्कूल, पेशवा रोड, नई दिल्ली में अनेक विषयों के अध्यापकों की संख्या अत्यंत कम है;

(ख) क्या इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा नवयुग विद्यालयों, विशेषकर नवयुग विद्यालय, पेशवा रोड, नई दिल्ली में पर्याप्त संख्या में अध्यापक उपलब्ध करवाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग). नई दिल्ली नगर परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, नवयुग विद्यालयों में शिक्षकों की कुछ कमी है। नवयुग विद्यालय, पेशवा रोड में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें शिक्षकों की कमी की और नई दिल्ली नगर परिषद के अध्यक्ष का ध्यान दिया गया है।

(घ) नई दिल्ली नगर परिषद ने सूचित किया है कि कुछ रिक्त पदों को सीधी भर्ती/संविदा आधार पर पहले ही भर लिया गया है। 7 स्नातकोत्तर शिक्षकों और 5 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के चयन का कार्य कर लिया गया है। शेष पदों के लिए साक्षात्कार शीघ्र ही आयोजित किया जा रहा है। नवयुग विद्यालय, पेशवा रोड के बारे में उन्होंने सूचित किया है कि सभी विषयों को सुचारू ढंग से पढ़ाया जा रहा है। एक कार्य अनुभव शिक्षक राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद में प्रतिनियुक्ति पर है तथा उसके कार्य को वर्तमान शिक्षकों को सौंप दिया गया है।

सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों का सामान्य भविष्य निधि

2427. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें सी.डी.ए. मुख्यालय, नई दिल्ली गत तीन वर्षों के दौरान सशस्त्र बल मुख्यालयों में कार्यरत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों का निपटान नहीं कर पाया है;

(ख) सिविल कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अभी तक पूरा और अद्यतन नहीं किया जा सका है; और

(ग) कब तक उक्त खातों को अद्यतन करा दिया जाएगा?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) हाल ही में, 30 नवम्बर, 1996 को सेवानिवृत्त हुए दो कर्मचारियों के मामलों को छोड़कर, गत तीन वर्षों में सशस्त्र सेना मुख्यालय से सवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों का अंतिम रूप से निपटान किए जाने का कोई मामला नियंत्रक रक्षा लेखा (मुख्यालय) में लम्बित नहीं है।

(ख) और (ग). सिविलियन कर्मचारियों के लगभग 13,000 सामान्य भविष्य निधि खातों में से 266 खाते अभी पूर्ण तथा अद्यतन नहीं हैं। इन खातों में विसंगतियां, चूकी जमा तथा अन्य लेखा कार्यालयों से शेष धनराशि अंतरित न किए जाने से संबंधित हैं। इन विसंगतियों को चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक दूर कर दिए जाने की संभावना है।

असम में गैर-सरकारी संगठनों के लिए पूर्ण साक्षरता अभियान संबंधी परियोजनाएं

2428. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम के गैर-सरकारी संगठनों के लिए राष्ट्रीय साक्षरता अभियान द्वारा जिलावार पूर्ण साक्षरता अभियान संबंधी कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई;

(ख) क्या गैर-सरकारी संगठनों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या असंतोषजनक कार्यनिष्पादन के लिए गैर-सरकारी संगठनों के विरूद्ध कार्यवाही शुरू की गई है;

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) प्रौढ़ शिक्षा में स्वैच्छिक एंजेंसियों को सहायता प्रदान करने की योजना के अन्तर्गत, 6 स्वैच्छिक एजेंसियों को असम के 5 जिलों में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं। प्रत्येक जिले में एंजेसियों को संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ). किसी भी एंजेन्सी के कार्यनिष्पादन पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

असम में गैर-सरकारी संगठनों को जिलावार संस्वीकृत सम्पूर्ण साक्षरता अभियान परियोजनाओं की संख्या को दर्शाने वाली सूची

क्र.सं.	जिला	स्वैच्छिक एजेंसियों की संख्या
1.	नलबाड़ी	1
2.	कामरूप	1
3.	मोरीगांव	1
4.	गुवाहाटी	2
5.	नवगांव	1
	कुल	6

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली

2429. श्री शान्तिलाल पुरषोत्तम दास पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़ी संख्या में सिविल इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर और वास्तुशिल्प बेरोजगार हैं क्योंकि भवन निर्माण विभाग अपने अन्तिम चरण में पहुंच चुका है;

(ख) क्या सरकार का विचार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को सिविल अभियंत्रण के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे पर्यावरणीय इंजीनियरिंग, भूगर्भ शास्त्र, दूर संवेदी विज्ञान, सर्वेक्षण आदि के बढ़ते हुए विश्वव्यापी महत्व को देखते हुए इन पर ध्यान केन्द्रित करने का निदेश देने का है;

(ग) किन-किन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में सिविल इंजीनियरिंग के इन महत्वपूर्ण संकायों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया है; और

(घ) क्या सरकार का भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में इन संकायों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरंभ करने का निदेश देने का भी प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ). भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों से उपलब्ध सूचना को अनुसार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों से सिविल इंजीनियरी स्नातकों के उपयुक्त नौकरियां प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि स्वायत्त संस्थान है और जो अपने संबंधित बोर्डों द्वारा अभिशासित होते हैं तथा बोर्ड के अनुमोदन पर प्रासंगिकता तथा जनशक्ति मांग को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम आरंभ करते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में पहले से ही सिविल इंजीनियरी के प्रमुख क्षेत्रों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चल रहे हैं जिनमें पर्यावरणात्मक इंजीनियरी, रिमोट सैंसिंग, परिवहन इंजीनियरी, भू-तकनीकी इंजीनियरी आदि शामिल है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन

2330. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 नवम्बर, 1996 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में "डीयू एक्जामिनर गेट्स सेम स्क्रिपट्स फॉर रि-इवेल्यूएशन" शीर्षक में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार में जो आरोप लगाए गए हैं, उनसे संबंधित एक वास्तविक रिपोर्ट विश्वविद्यालय से मांगी गई है और तत्संबंधी रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस मामले में कोई अगली कार्रवाई संभव हो सकेगी।

कश्मीर मुद्दा

2331. श्री चित्त बसु : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती बेनजीर भुट्टो ने सितम्बर, 1996 में अपने लंदन के दौरे के दौरान हाल ही में जम्मू-कश्मीर में हुये चुनावों को शर्मनाक बताया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उन्होंने भी तीसरी पार्टी के रूप में भारत और पाकिस्तान के बीच विवादास्पद संकल्प में दखल देने के लिए ब्रिटेन सरकार से अनुरोध किया था; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (घ). सरकार को इस आशय की खबरों की जानकारी है कि सितम्बर, 1996 में अपनी लन्दन यात्रा के दौरान पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री ने इन्टरनेशनल इंस्टिट्यूट आफ स्ट्रेटजिक स्टडीज में अपने अभिभाषण में कश्मीर मुद्दे के अन्तर्राष्ट्रीयकरण की मांग की। उनकी यह टिप्पणी पाकिस्तान के मानक और अनवरत प्रचार तथा जम्मू एवं कश्मीर में चुनाव प्रक्रिया जिसका अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने व्यापक रूप से स्वागत किया था, की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाने के उनके असफल प्रयासों का एक हिस्सा थी। सभी भारत-पाक मसलों को शिमला समझौते की व्यवस्था के अनुसार द्विपक्षीय वार्ता द्वारा निपटाने की अपनी वचनबद्धता पर सरकार दृढ़ है इसमें किसी तीसरे पक्ष की किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं होगी।

[हिन्दी]

भारतीय जल क्षेत्र में पाकिस्तान का अतिक्रमण

2432. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान अरब सागर में भारतीय जल क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख). ससरकार को पाकिस्तान के प्रादेशिक जल क्षेत्र निकटवर्ती क्षेत्र, ई ई जेड और अरब सागर में महाद्वीपीय समुद्री रेतीले किनारा तय करने के बारे में "आधार रेखा" के निर्धारण संबंधी पाकिस्तान की अधिसूचना से सम्बद्ध खबरों की जानकारी है।

सरकार ने पाकिस्तान को इस बात से अवगत करा दिया है कि हालांकि पाकिस्तान द्वारा यथा अधिसूचित "आधार रेखा" में उपयुक्त संशोधन करने का उन्हें सुरक्षित अधिकार है लेकिन जहां तक उसका भारत के सम्प्रभुत्ता सम्पन्न क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करने का संबंध है, सरकार को उक्त अधिसूचना में संदर्भित समन्वय बिन्दु के 2333.90 उत्तर .... 6807.80 पूर्व की सुस्पष्ट रूप से अस्वीकार करती है क्योंकि यह भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्रों का अतिक्रमण करता है जो भारत के सम्प्रभुत्ता सम्पन्न क्षेत्राधिकार में हैं।

[अनुवाद]

चाय भंडारागार, कलकत्ता

2433. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पूर्वी क्षेत्र विशेषतः चाय का उत्पादन करने वाले क्षेत्र के सभी निर्यात कांडला पत्तन से किए जाते हैं;

(ख) क्या कलकत्ता पत्तन के चाय भंडारागार का कम उपयोग किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). जी हां। पहले पृष्ठ प्रदेश से प्राप्त चाय की उनके गोदामों में नीलामी की जाती थी। कलकत्ता में नीलामी करना अब बंद कर दिया गया है और नीलामी केन्द्र गुवाहटी स्थानांतरित कर दिया गया है। अब चाय कन्टेनरों में निर्यात की जाती है जिन्हें कन्टेनर फ्रेट स्टेशनों/अंतर्देशीय कन्टेनर डिपुओं में जमा कर दिया जाता है। पत्तन न्यासों द्वारा मौजूदा चाय गोदामों का उपयोग पत्तन संबंधी अन्य कार्यों के लिए किया जा रहा है।

कोचीन में टर्मिनल

2434. श्री पी.सी. थामस : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री फ्रेडरिक हेरिस, जिन्हें एक कंटेनर टर्मिनल स्थापित करने की सम्भावनाओं का अध्ययन करने हेतु सलाहकार नियुक्त किया गया था, ने गुण-दोष के आधर पर तूतीकोरिन की बजाय कोचीन को अधिक महत्व दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोचीन पत्तन के पास वेल्लारपडम में इस प्रयोजन हेतु 140 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध की गई है;

(ग) क्या इस टर्मिनल की स्थापना लागत तूतीकोरिन की बजाय कोचीन में कम होगी, यदि हां, तो प्रत्येक (कोचीन और तूतीकोरन) की अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केरल सरकार ने इस परियोजना के लिए और अधिक धनराशि जारी करने हेतु अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो स्वीकृत परियोजना की स्थिति क्या है तथा इसके लिए कितनी धनराशि जारी की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) नीदरलैंड सरकार ने एक कंटेनर ट्रांशिपमेंट टर्मिनल, कोचीन बनाम तूतीकोरिन के लिए स्थान विकयक लाभ अध्ययन करने हेतु एक परामर्शक के रूप में मै. फ्रेडिरिक आर हैरिस की नियुक्ति की थी। नीदरलैंड दूतावास को प्रस्तुत अपनी मसौदा रिपोर्ट में परामर्शदाताओं ने मुख्यतः विकास और रख-रखाव की अपेक्षाकृत कम लागत और बाजार के लिए बेहतर जमीनी संपर्क की संभावना के आधार पर तूतीकोरिन की तुलना में कोचीन का समर्थन किया है।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां। परामर्शदाताओं द्वारा अनुमानित लागत इस प्रकार है :-

कोचीन		
विलिंगडन द्वीप	:	1706 करोड़ रु.
वल्लारपदम द्वीप	:	2271 करोड़ रु.
तूतीकोरिन		
भीतरी बंदरगाह	:	2491 करोड़ रु.
बाहरी बंदरगाह		3814 करोड़ रु.

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय उच्चपथ के निर्माण में घपला

2435. श्री ललित उरांव : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 अक्तूबर, 1996 के हिन्दी दैनिक "आज" (वाराणसी) में "राष्ट्रीय उच्चपथ के निर्माण में भी दस करोड़ का घपला" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या बिहार सरकार ने भी 9 करोड़ रुपये के घपले की बात स्वीकार की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (घ). बिहार राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है।

आयुर्वेदिक डाक्टरों के पदोन्नति

2436. श्री राम टहल चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेदिक अस्पतालों में काम करने वाले डाक्टरों के पदोन्नति के अवसर सामान्यतया से कम होते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में पदोन्नति के क्या नियम हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) से (ग). केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अस्पताल में आयुर्वेदिक पद्धति में 2200-4000 रुपये के वेतनमान में चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) के स्तर की शत प्रतिशत भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जाती है। अपने ग्रेड में 4 वर्ष की नियमित सेवा वाला चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) वरीयता-एवं उपयुक्तता के आधार पर 3000-4500 रुपये के वेतनमान में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र हैं। यह पदोन्नति रिक्ति के आधार पर की जाती है।

3700-5000 रुपये के वेतनमान में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) के पद पर पदोन्नति हेतु ऐसे वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) वरीयता एवं उपयुक्तता के आधार पर पात्र हैं, जिन्होंने अपने ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा की है जिसके न होने पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) और चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद)

के ग्रेड में 9 वर्ष की सम्मिश्रित सेवा की हो जिसमें से 2 वर्ष की नियमित सेवा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) के ग्रेड में हो। यदि पदोन्नति रिक्ति के आधार पर की जाती है।

भर्ती नियमों के अनुसार सलाहकार (आयुर्वेद)/चिकित्सा अधीक्षक, आयुर्वेद अस्पताल के पदों को पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा भरा जाना अपेक्षित है। पदोन्नति के लिए अपने ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा वाला मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिसके न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद)/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) के ग्रेड में 13 वर्ष की सम्मिश्रित नियमित सेवा जिसमें से 4 वर्ष की नियमित सेवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) के ग्रेड में होना चाहिए, वाला मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) विचार किए जने हेतु पात्र हैं। लेकिन पूर्वभर्ती नियमों के अधीन सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए मौजूदा उप सलाहकार पर भी वरीयता एवं मेरिट के आधार पर पदोन्नति हेतु विचार किया जाएगा। तथापि, इसकी तुलना में एलोपैथिक पद्धति के डाक्टरों को चिकित्सा अधिकारी के ग्रेड में 4 वर्ष की नियमित सेवा करने के बाद चिकित्सा अधिकारी के स्तर से वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर तथा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के ग्रेड में 6 वर्ष की नियमित सेवा करने के बाद वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर समयबद्ध पदोन्नति मिलती है।

ये पदोन्नतियां समयबद्ध होती हैं और रिक्तियों की उपलब्धता से संबद्ध किए बिना होती हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के ग्रेड से ऊपर पदोन्नति रिक्ति आधारित होती है और इन्हें चयन विधि द्वारा भरा जाता है।

[अनुवाद]

20 वर्षों के लिए पासपोर्ट

2437. श्री राम नाईक : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक ही बार में बीस वर्षों के लिये पासपोर्ट जारी करने हेतु नई नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और उस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है;

(ग) एक ही बार में 20 वर्षों के लिये पासपोर्ट जारी करने वाले देशों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या हाल में उन्होंने पासपोर्ट जारी करने के पूर्व पुलिस जांच रिपोर्ट प्राप्त करने की औपचारिकताओं के खिलाफ अपने विचार व्यक्त किये हैं;

(ङ) क्या पासपोर्ट के नवीकरण के समय आचरण की जांच पिछली नीति के अनुसार दस वर्ष के अंतराल के बदले अब बीस वर्ष के अंतराल के बाद की जायेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह सुनिश्चित करने के लिये कि आचरण की जांच होने के बाद ही पासपोर्ट जारी किये जाएंगे, क्या कदम उठाये गये हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख). जी हां। 9 सितंबर, 1996 को सरकार ने एक 20 वर्षीय पासपोर्ट जारी करने की एक नई नीति की घोषणा की है जिसे लोगों का अनुकूल समर्थन प्राप्त हुआ है। हालांकि 10 वर्षीय वैध पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए जारी जनता के हित तथा मांग को देखते हुए भी इस नीति में संशोधन किया गया था तथा आवेदकों को ये विकल्प दिया गया कि वे या तो 300 रु. के वर्तमान शुल्क को देकर 10 वर्षीय वैध पासपोर्ट के लिए या 600 रु. देकर 20 वर्षीय वैध पासपोर्ट के लिए आवेदन दें।

संशोधन के बाद नई नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :-

(एक) उन नये आवेदकों के लिए जिनके पास पासपोर्ट नहीं हैं, सामान्य प्रक्रिया जारी रहेगी तथा 10 वर्ष या 20 वर्ष जैसा भी मामला हो, की वैधता के लिए पासपोर्ट पुलिस साक्ष्यांकन रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद जारी कर दिया जाएगा या यदि चार सप्ताह तक कोई साक्ष्यांकन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो रिपोर्ट का इंतजार किये बिना ही इस आधार पर पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा कि परवर्ती सांक्ष्याकन का अनुमोदन बाद में किया जाएगा।

(दो) आवेदकों के संबंध में जिनके पास वैध पासपोर्ट है अथवा जिनका पासपोर्ट एक वर्ष के अंदर समाप्त होने वाला है, और जो उसे पुनः वैध करवाना चाह रहे हैं, उन्हें 10 वर्ष या 20 वर्ष जैसा भी मामला हो, के लिए वैध पासपोर्ट उन्हें पूर्व पुलिस साक्ष्यांकन के बिना ही जारी कर दिया जाएगा परन्तु बाद में उसका सत्यापन कराया जाएगा।

(तीन) उपर के (एक) तथा (दो) उल्लिखित मामलों में 10 वर्ष या 20 वर्ष की नियम समयावधि की समाप्ति के बाद पासपोर्ट धारक को 10 वर्ष या 20 वर्ष के लिस पासपोर्ट जारी किया जाएगा जिसका सत्यापन बाद में किया जाएगा।

(चार) ऐसे मामलों में, जिसमें पासपोर्ट समाप्त होने की तारीख के एक वर्ष या उसके बाद जमा किये गये हैं, बीच की इस अवधि को क्षमा करते हुए 10 वर्ष या 20 वर्ष की वैधता वाले पासपोर्ट जारी किये जा सकते हैं, जिसका साक्ष्यांकन बाद में किया जाएगा।

(ग) अभी भारत एक मात्र ऐसा देश है जो एक समय में 20 वर्षीय वैध पासपोर्ट जारी कर रहा है।

(घ) जी हां। मैंने यह कहा है कि जैसा कि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के पैरा (एक) तथा (दो) में उल्लिखित है, पासपोर्ट जारी करने/पुनः जारी करने के लिए पूर्व पुलिस साक्ष्यांकन अब एक पूर्व शर्त नहीं होगी।

(ङ) और (च). जब पासपोर्ट जारी/पुनः जारी किया जाता है, प्रत्येक स्तर पर आवश्यक साक्ष्यांकन किया जाता है और इससे पर्याप्त बचाव होता है। नई नीति के अन्तर्गत, जिनके पास पहले से ही वैध पासपोर्ट है, उनके मामले में साक्ष्यांकन पासपोर्ट पुनः जारी करने के बाद किया जाता है जबकि पहली बार आवेदन करने वालों के मामले में पासपोर्ट तभी जारी किया जाता है जब आवश्यक साक्ष्यांकन के लिए उनका व्यक्तिगत ब्यौरा संबंधित पुलिस प्राधिकारियों को भेज दिया जाता है। इसके अलावा, अतिरिक्त एहतिहात के तौर पर जहां पासपोर्ट जारी करने के बाद उसका साक्ष्यांकन किया जाता है यह सुनिश्चित करने के लिए इस बात का ध्यान रखा जाता है। कि ऐसे सभी मामलों में जहां पासपोर्ट जारी करने/पुनः जारी करने के पश्चात पुलिस प्राधिकारियों से प्रतिकूल/नकरात्मक रिपोर्ट प्राप्त होती है, भारतीय पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के अन्तर्गत पासपोर्ट को जब्त/रद्द करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

पाकिस्तान का मिसाइल प्लांट

2438. श्री प्रमोद महाजन : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 अगस्त, 1996 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "पाकिस्तान सीक्रेटली बिल्डिंग मिसाइल प्लांट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पाकिस्तान द्वारा चीन और अन्य देशों से प्राप्त एम-11 मिसाइलों की संख्या और अन्य युद्ध सामग्री का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा भारत की सुरक्षा और इसके हितों की रक्षा के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग). जी हां। सरकार ने इस आशय की खबरों को देखा है। चीनी सहायता से एक मिसाइल संयंत्र बनाने के पाकिस्तानी प्रयास की सरकार को जानकारी है। सरकार इसे एक गम्भीर मामला मानती है। हमने संबंधित देशों को पाकिस्तान द्वारा एम-11 मिसाइलें तथा अन्य हथियार प्राप्त करने से संबंधित अपनी चिन्ता से अवगत करा दिया है। ऐसी खबरें हैं कि पाकिस्तान द्वारा प्राप्त एम-11 प्रक्षेपास्त्रों की संख्या 75 से 100 के बीच है। संयुक्त राष्ट्र में हथियार से संबद्ध रजिस्टर की सूचना के अनुसार पाकिस्तान द्वारा 1992-95 के बीच प्राप्त किए गए कुछ पारम्परिक हथियारों की श्रेणियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(घ) पाकिस्तान द्वारा हथियारों की प्राप्ति तथा उससे सुरक्षा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की निरंतर समीक्षा की जाती है। सरकार अपनी सुरक्षा की हिफाजत के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए वचनबद्ध है।

विवरण

पाकिस्तान द्वारा आयातित और संयुक्त राष्ट्र के पारम्परिक हथियारों से संबद्ध रजिस्टर में घोषित हथियार

1. **केलेण्डर वर्ष 1992**
   - (क) चीन से 97 युद्धक टैंक
2. **केलेण्डर वर्ष 1993**
   - (क) चीन से 35 युद्धक टैंक
   - (ख) चीन से 40 युद्धक वायुयान
   - (ग) यूनाइटिड किंगडम से 2 युद्ध पोत
3. **केलेण्डर वर्ष 1994**
   - (क) चीन से 82 युद्धक टैंक
   - (ख) यूनाइटिड किंगडम से 2 हमलावर हेलीकाप्टर
   - (ग) यूनाइटिड किंगडम से चार युद्ध पोत
   - (घ) नीदरलैंड से एक युद्ध पोत
4. **केलेण्डर वर्ष 1995**
   - (क) चीन से 51 युद्धक टैंक
   - (ख) चीन से 20 हथियारबन्द लड़ाकू वाहन
   - (ग) यूनाइटिड किंगडम से 1 लड़ाकू हेलीकाप्टर

अफगानिस्तान की स्थिति के कारण भारत की सुरक्षा को खतरा

2439. श्री माधवराव सिंधिया :
श्री टी. गोपाल कृष्ण :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 अक्तूबर, 1996 के "इण्डियन एक्सप्रैस" में "तालिबां ऑन रैम्पेज होल्डस मैनी टैरर फॉर इण्डिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या अफगानिस्तान में सरकार बदलने से भारत की सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश की सुरक्षा को बढ़े खतरे का मुकाबला करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). सरकार अफगानिस्तान में हो रही घटनाओं और उनकी हमारे ऊपर पड़ने वाले प्रभावों पर नजर रखे हुए है और उसका मूल्यांकन करा रही है। अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया में हाल ही में ऐसी विश्वसनीय खबरें हैं कि तालिबान हरकत-उल-अंसार को आतंकवाद प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान कर रहा है। यह सूचना मिली है कि उनके

प्रशिक्षण शिविरों में, पाकिस्तानी तथा अन्य युवाओं को कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।

सरकार अपनी सतर्कता बनाए हुए है और देश की सुरक्षा को हिफाजत के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है।

भारतीय वायु सेना की विश्वसनीयता

2440. श्री तारीक अनवर : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायु सेना धीरे-धीरे कमजोर होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) से (ग). "संख्या में कम परन्तु प्रभावशाली" बल की संकल्पना ही भारतीय वायुसेना का अन्तिम उद्देश्य है क्योंकि इससे बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए उपलब्ध बलों की तैनाती में मितव्ययता बरती जाती है। इसे अत्याधुनिक प्रणालियों वाली मौजूदा शस्त्र प्रणालियों का मध्य जीवन काल में दर्जा बढ़ाकर, आधुनिक एवं इलेक्ट्रॉनिक युद्ध पद्धति शस्त्रों की अधिप्राप्ति कर तथा परिशुद्धता निर्देशित गोला-बारूद की व्यवस्था करके भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण की योजना के संदर्भ में व्यावहारिक रूप में परिणत किया गया है।

केन्द्रीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद हेतु उम्मीदवारों का चयन

2441. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद के लिए आवेदन करने वाले विभागीय उम्मीदवारों को स्नातकोत्तर अध्यापक के बतौर 15 वर्ष का अध्यापन कार्य का अनुभव होना चाहिये या उन्हें विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को उक्त विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट मिली हुई है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या गत वर्ष अन्य पिछड़े वर्गों के कुछ उम्मीदवारों का प्रधानाचार्य के पद हेतु चयन हुआ यद्यपि न तो उनकी सेवा अवधि 15 वर्ष थी और न ही उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की थी;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस मामले में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के भर्ती नियमों के अनुसार, केन्द्रीय विद्यालयों के वे उप-प्रधानाचार्य और/अथवा स्नातकोत्तर शिक्षक, जो ऐसी 15 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों तथा वे उप-प्रधानाचार्य और/अथवा स्नातकोत्तर शिक्षक जो 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुकें हों और जिन्होंने विभागीय परीक्षा पास कर ली है, केन्द्रीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद के लिए पात्र हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ). एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

दक्षिण बिहार में सिंचाई समस्याएं

2442. श्री आर.एल.पी. वर्मा : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण बिहार के किसानों की सिंचाई समस्याओं की जानकारी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार वहां सस्ती तथ उपयोगी लिफ्ट सिंचाई योजना कार्यान्वित करने की योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित करने की संभावना है; और

(घ) इस परियोजना हेतु कितनी राशि निर्धारित की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण राज्य का विषय होने के कारण सभी प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं/स्कीमों के अन्वेषण, आयोजना, प्रतिपादन, क्रियान्वयन, वित्तपोषण और कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व मुख्य तौर पर राज्य सरकार का होता है। वृहद और मध्यम स्कीमों को केन्द्र सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। किन्तु लघु सिंचाई स्कीमों को केन्द्र सरकार की स्वीकृति की भी आवश्यकता नहीं होती।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

ग्रामीण शिक्षक समितियों का गठन

2443. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में "ग्रामीण शिक्षक समितियों" के गठन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार हेतु क्या अन्य नये कदम उठाये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख). केन्द्र सरकार को राज्यों में ग्रामीण शिक्षक समितियों के गठन के संबंध में कोई जानकारी

नहीं है। तथापि, संविधान के 73 वें संशोधन के तहत प्राथमिक शिक्षा उन विषयों में से एक विषय है, जो पंचायती राज निकायों के सुपुर्द किया जा सकता है। ग्रामीण स्तर पर शिक्षा के विकेन्द्रीकृत आयोजना एवं प्रबंध को सुकर बनाने के लिए ग्रामीण शिक्षा समिति की मुख्य उपकरण के रूप में परिकल्पना की गई है।

सुरक्षा परिषद की सदस्यता

2444. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता हेतु समर्थन जुटाने के लिए हाल ही के महीनों में विदेशी दौरे करने वाले उनके मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ख) उनके द्वारा दौरा किए गए देशों और उनसे मिलने वाले विशिष्ट व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग). संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर-स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी के बारे में समर्थन का प्रचार करने के लिए जनवरी, 1996 से अक्तूबर, 1996 तक विदेश मंत्री की ओर से 137 देशों की यात्रा पर राजदूत भेजे गए थे। (विवरण संलग्न है)। विशेषरूप से अफ्रीका, अमरीका और कैरेबियाई देशों में शिखर स्तर की महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गई थीं और हमने भाग लेने वाले सदस्य देशों के बीच अपना पक्ष उच्चस्तरों पर पेश किया था।

विदेश सेवा तथा सचिव स्तर के 21 जाने माने सेवा निवृत्त अधिकारियों और मंत्रालय के प्रभागाध्यक्षों को इन यात्राओं पर भेजा गया था। ओ.ए.यू. शिखर सम्मेलन के लिए एक मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि भेजा गया था। विदेश मंत्री के विशेष राजदूत के रूप में भेजे गए प्रतिनिधियों ने सामान्यतः उन देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की। स्थिति का आंकलन करने में इन राजदूतों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट उपयोगी पाई गई थी।

विवरण

उन देशों की सूची, जिनमें विदेश मंत्री द्वारा विशेष राजदूत भेजे गए थे।

अफगानिस्तान
अल्जीरिया
एनटौरा
अंगोला
एनटीगुआ और बारबुडा
अर्जेंटीना
आर्मेनिया
आस्ट्रिया
अजरबेजान
बहरीन
बारबाडोस
बेलारूस
बेल्जियम
बेलिज
बेनिन
बोलीविया
बोत्स्वाना
ब्रूनी
बल्गारिया
बुरकीना फासो
बुरूंडी
कम्बोडिया
कैमरून
केप वर्डे
मध्य अफ्रीकी गणराज्य
चिली
कोलम्बिया
कोमोरोस
कांगो
कोस्टारिका
कोटे डी आइवरी
क्रोएशिया
साइप्रस
चेक गणराज्य
डेनमार्क
जीबूती
डोमिनिका
डोमिनिकन गणराज्य
इक्वेडोर
मिस्र
एल सल्वाडोर
एरीट्रिया
एस्टोनिया

इथोपिया
फ्रांस
फिनलैण्ड
गाम्बिया
जार्जिया
जर्मनी
घाना
यूनान
ग्रेनाडा
ग्वाटेमाला
गिनी
गिनी बिसाऊ
गयाना
होंडूरास
इंडोनेशिया
ईरान
आयरलैण्ड
इटली
जमैका
जोर्डन
कजाकिस्तान
कीनिया
कुवैत
किर्गीजस्तान
लाओस्
लात्विया
लेबनान
लेसोथो
ली चेंसटीन
लिथुआनिया
लक्जमबर्ग
मेडागास्कर
मलावी
मलेशिया
मालदीव
माली
मारिटानिया
माल्टा
मार्शल द्वीप समूह
मारीशस
मेक्सिको
माइक्रो नेशिया
मालदोवा
मोनाको
मोरक्को
मोज़ाम्बिक
म्यांमा
नामीबिया
निकारागुआ
नाईजीरिया
नार्वे
ओमान
पनामा
पेरू
पलाऊ
पापुआ न्यू गिनी
पोलैण्ड
पुर्तगाल
कतर
रोमानिया
रवांडा
समोआ
सान मारिना
सऊदी अरब
सेनेगल
शेसेल्स
सिएरालिओन
स्लोवाक गणराज्य
स्लोवेनिया
सोलोमन द्वीप समूह
दक्षिण अफ्रीका
सेंट किट्स एवं नेबिस
सेंट लूसिया
सेंट बिनसेंट एंव ग्रेनाडीन्स

स्वाजी लैण्ड
सीरिया
ताजिकिस्तान
तंजानिया
थाईलैण्ड
ट्रिनीडाड एण्ड टोबागो
ट्यूनिशिया
तुर्की
तुर्कमेनिस्तान
उगांडा
उक्रेन
यू.के.
उजबेकिस्तान
वनातू
वेनेजुएला
वियतनाम
यमन
जैयरे
जाम्बिया
जिम्बाब्वे

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-31 की मरम्मत

2445. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-31 पर लखमीनिया रेलवे स्टेशन तथा साहेबपुर कमाल रेलवे स्टेशन के बीच एक हिस्से के धंस जाने के कारण वहां अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं और क्या मंत्रालय के महानिदेशक ने स्वयं उस स्थल का दौरा किया है, और

(ख) यदि हां, तो उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के उस भाग की मरम्मत कब तक की जाएगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख). रा.रा. 31 पर लखमीनिया और साहेबपुर कमाल रेलवे स्टेशनों के बीच 250 से 253 कि.मी. तक सड़क को हुए नुकसान की विशेष मरम्मत के लिए 19.66 लाख रु. के एक प्राक्कलन को अनुमोदन दे दिया गया है। अनुमोदित कार्य को चालू वर्ष के दौरान प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की योजना है। इसी बीच, उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत सड़क को यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग

2446. श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :
श्री शिवराज सिंह :
श्री एन.जे. राठवा :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान तथा नवम्बर, 1996 तक गुजरात सरकार द्वारा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास तथा रख-रखाव के लिए कोई परियोजना भेजी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का विचार है तथा इसके लिए कितनी राशि, यदि कोई हो, तो प्रदान की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (ग). गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य सरकार से प्राप्त 186 प्रस्तावों में से लगभग 9962.08 लाख रु. लागत की 90 सड़क/पुल परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है। मुख्यतः केन्द्रीय क्षेत्र के सड़क कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय अभाव के कारण शेष कार्यों को स्वीकृति नहीं दी जा सकी। राष्ट्रीय राजामार्गों के विकास और रख-रखाव/मरम्मत के लिए आबंटित निधियां इस प्रकार हैं :—

वर्ष	रा.रा. का विकास	रख-रखाव/मरम्मत (लाख रु.)
1994-95	7098.00	1316.64
1995-96	5458.00	1745.20
1996-97 (नवम्बर 96 तक)	3605.51	1611.50

[अनुवाद]

कैंसर के रोगी

2447. डा. कृपासिन्धु भोई :
श्री एन. डेनिस :
श्री के.पी. सिंह देव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कैंसर के रोगियों के उपचार को व्यापक बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो शेष आठवीं पंचवर्षीय योजना एवं नौवीं पंचवर्षीय योजना में विशेषकर कैंसर के रोगियों के उपचार के लिए कितने अस्पताल खोले जाएंगे;

(ग) क्या ऐसे अस्पतालों को देश के ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में खोलने का प्रस्ताव है वहां जहां ऐसे अस्पताल नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा लाए गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ङ) कैंसर के उपचार के लिए निजी संस्थानों को क्या प्रोत्साहन दिया गया है; और

(च) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (घ). राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन कैंसर के रोगियों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा, शुरू में पता लगाने, पीड़ा रहित तथा उपचार सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु पहले ही अनेक योजनाएं हैं। शल्य चिकित्सीय उपचार और कमोथिरेपी की सुविधाएं देश के लगभग सभी बड़े अस्पतालों में उपलब्ध हैं। सरकार के पास आठवीं/नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेष रूप से कैंसर रोगियों के उपचार के लिए अस्पताल स्थापित करने की कोई योजनाएं नहीं हैं। लेकिन मौजूदा सुविधाओं का विस्तार करने हेतु विभिन्न संस्थाओं को धन प्रदान किया जाता है।

(ङ) और (च). प्राइवेट संस्थाओं को कोबाल्ट थिरप्पी यूनिटें खोलने तथा स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने और कैंसर के रोगियों का पता लगाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

किशोरावस्था में गर्भधारण करने और मां बनने की प्रतिशतता में वृद्धि

2448. श्री पिनाकी मिश्र : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किशोरावस्था में गर्भधारण करने और मां बनने की प्रतिशतता में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो 1991-92 से 1995-96 के दौरान किशोरावस्था में गर्भधारण करने और मां बनने की राज्यवार कुल संख्या कितनी है तथा यह कुल व्यय कितना प्रतिशत है;

(ग) क्या जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए लड़कियों की विवाह योग्य आयु बढ़ाना सर्वाधिक प्रभावी उपाय समझा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं और उठाये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) बाल विवाह निरोधक कानून, 1978 में विवाह की कानूनी उम्र की लड़कियों के लिये 15 से बढ़ाकर 18 वर्ष और लड़कों के लिए 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है। जनगणना आंकड़े दर्शाते हैं कि लड़कियों के लिए विवाह के समय औसत आयु पहले ही 18 से 18.33 हो गई है (जनगणना 81)। "गौना" और विवाह देरी से करने पर सहमति बनाने के लिए ग्रामीण स्तर पर इलेक्ट्रोनिक मीडिया, नुक्कड़ नाटकों, गीत और नाटक तथा राय बनाने संबंधी शिविरों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में बर्फ और हिम स्खलन (एवेलांशे) अध्ययन कार्यालय

2449. श्री सत महाजन : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मनाली स्थान पर हिम और हिम स्खलन (एवेलांशे) अध्ययन स्थापना कार्यालय पिछले कई वर्षों से प्रभावी ढंग से काम कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को अपने सभी कार्यालय चरणबद्ध रूप से मनाली से चंड़ीगढ़ स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस कार्यालय के लिए आवश्यक बर्फ मनाली में प्राकृतिक रूप से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और हिमाचल प्रदेश की जलवायु भी, द्वारा कार्य के लिए अत्यधिक उपयुक्त है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रतिष्ठान के उप-कार्यालयों को मनाली से चंडीगढ़ स्थानांतरित करने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) मनाली स्थित हिम एवं हिम स्खलन अध्ययन स्थापना का कार्यालय 4 सितंबर, 1995 तक उस समय तक कारगर ढंग से कार्य कर रहा था जब भारी बाढ़ के कारण उसके भवन और आधारभूत संरचनाओं को भारी क्षति पहुचो।

(ख) और (ग). हिम एवं हिम स्खलन से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली हिम एवं हिम स्खलन अध्ययन स्थापना की "वेदशालाएं" और शीत प्रयोगशाला का स्थान नहीं बदला गया है और वे अपने मौजूदा स्थानों से कार्य करती रहेंगी। मनाली स्थित जो कार्यालय "वेदशाला" के आंकड़ों और हिम स्खलन के पूर्वानुमान के विश्लेषण के लिए प्रशासनिक और तकनीकी सहायता प्रदान करता था, वह सुरक्षित और व्यवहार्य वैकल्पिक स्थल के बारे में अंतिम निर्णय लिए जाने तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की अनुषंगी प्रयोगशाला के परिसर में रामगढ़,पंचकुला में अस्थाई रूप से स्थानांतरित किया गया है।

(घ) हिम एवं हिम स्खलन अध्ययन स्थापना के कार्यकलापों को जारी रखने की दृष्टि से उसका मनाली स्थित कार्यालय रामगढ़, पंचकुला स्थित एक अनुषंगी प्रयोगशाला के परिसर में अस्थाई रूप से स्थानांतरित किया जाना पड़ा था क्योंकि भारी बाढ़ के कारण हिम एवं हिम स्खलन अध्ययन स्थापना के भवनों और अन्य अवसंरचनाओं को भारी क्षति हो जाने की वजह से और व्यास नदी के मार्ग में परिवर्तन हो जाने की वजह से हिम एवं हिम स्खलन अध्ययन स्थापना का मनाली स्थल बाढ़ प्रवण क्षेत्र हो जाने के कारण मनाली से कार्य करना संभव नहीं था।

[अनुवाद]

इजहीमाला नौसेना अकादमी

2450. श्री टी. गोविन्दन : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में इजहीमाला नौसेना अकादमी के निर्माण कार्य में शीघ्रता लाने राष्ट्रीय हित तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से इस कार्य को 1997-98 में पूरा करने के लिए तत्काल कुछ कदम उठाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) और (ख). मार्च 1995 मे दी गई सरकारी मंजूरी के अनुसार नौसेना अकादमी परियोजना आठ वर्षों (1995-2002) की अवधि में कार्यान्वित किए जाने की योजना है। इस अकादमी को 200। में कैडेटों के प्रथम बैच को प्रवेश देकर शुरू किए जाने का कार्यक्रम है।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड

2451. श्री अजमीरा चन्दूलाल :
श्री सिद्दय्या कोटा :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के लिए पूंजी पुनः विन्यास एवं इसे पुनः चालू करने के संबंध में आंध्र प्रदेश से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी सहायता की मांग की गई तथा कितनी राशि जारी किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इंडियन शिप बिल्डिंग यार्डस को पुनः चालू करने के लिए प्रत्यक्ष सहायता देने के संबंध में क्या नीति है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. के पूंजीगत पुनर्गठन और सब्सिडी स्कीम को पुनः लागू किए जाने से संबंधित प्रस्तावों पर सरकार ने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है।

"ऐपेक" की सदस्यता

2452. श्री शरत पटनायक :
श्री तारीक अनवर :
श्री उत्तम सिंह पवार :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐपेक की सदस्यता प्राप्त करने के लिए कब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या भारत ने ऐपेक में सदस्य के रूप में प्रवेश की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ शक्तिशाली देशों ने भारत के अनुरोध का विरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और भारत के अनुरोध करने वाले देश कौन कौन हैं; और

(च) ऐपेक आर्थिक उदारीकरण संबंधी मानदण्डों पर पूरा उतरने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग). जी हां। भारत ने ऐपेक के सदस्यों को औपचारिक रूप से यह बता दिया था कि वह ऐपेक का सदस्य बनना चाहता है और उसके क्रियाकलापों में भाग लेना चाहता है। ऐपेक सदस्यों के अर्थतंत्रों के साथ प्रत्यक्ष रूप से तथा उन देशों में स्थित हमारे मिशनों के माध्यम, दोनों ही तरीकों से इस मामले को ठोस आधार पर उठाया गया है। भारत की सदस्यता का मसला उच्चस्तरीय द्विपक्षीय स्तर की बातचीतों के दौरान अलग-अलग ऐपेक सदस्य अर्थतंत्रों के साथ भी उठाया जाता रहा है। उदाहरण के लिए जुलाई 1996 में जकार्ता में हुए आसियानोत्तर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्रियों के स्तर पर इस विषय को उठाया गया था। मंत्रिस्तरीय अन्य बैठकों में भी इस विषय पर द्विपक्षीय विचार-विमर्श होता रहा है।

(घ) और (ङ). हमें इस प्रकार के किसी विरोध की जानकारी नहीं है। वास्तव में, ऐपेक ने नवंबर, 1993 में ऐपेक में तीन वर्ष तक नए सदस्यों के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया था। हाल ही में नवंबर, 1996 के दौरान हुए ऐपेक शिखर सम्मेलन में कोई नया सदस्य नहीं बनाया गया था, लेकिन 1997 मे वेनकूवर में होने वाले आगामी ऐपेक शिखर सम्मेलन में अन्तिम रूप दिए जाने के लिए नए सदस्य बनाए जाने के मानदण्ड तैयार करने का निर्णय लिया गया था।

(च) भारत अपनी भौगोलिक स्थिति, व्यापार और पूंजीनिवेश क्रियाकलापों और संभाव्यता की स्थिति, भारत की अर्थव्यवस्था के आकार, और एशिया-प्रशान्त आर्थिक सहयोग में अपेक्षाकृत अधिक योगदान करने की क्षमता तथा उदारीकरण के आधार पर ऐपेक की सदस्यता में अपनी दिलचस्पी को बराबर दोहराता रहेगा।

[हिन्दी]

अनुपयोगी नदियों को उपयोगी बनाने संबंधी योजना

2453. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 सितम्बर, 1996 के "फाइनेंसियल एक्सप्रैस" में "जापान ऑफर्स टेक टू रिवाइव डेड रिवर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में प्रदूषण के कारण अनुपयोगी हो गई नदियों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी नदियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन नदियों के बहाव में तेजी लाने और उनमें जमा मिट्टी/गाद निकालने हेतु उनमें पानी की मात्रा में वृद्धि करने की कोई योजना तैयार की है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या उनमें से गाद निकाले जाने से प्रदूषण का प्रभाव कम हो जायेगा; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां। तथापि सरकार का इस संबंध में जापान सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (च). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

मंगलौर पत्तन

2454. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नई मंगलौर पत्तन के पृष्ठभाग का विकास करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं;

(ग) इसके लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (घ). पृष्ठ प्रदेश के विकास के लिए नव मंगलूर पत्तन न्यास जिम्मेदार नहीं है।

भारतीय वायुसेना द्वारा पुराने विमानों के स्थान पर नये विमान शामिल करना

2455. श्री डी.पी. यादव : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना पुराने पड़ गए हण्टर टी.66 तथा मिग-21 प्रशिक्षक यानों के बदले में आधुनिक जेग प्रशिक्षण यान लेने के संबंध में प्रयास कर रही है;

(ख) क्या सरकार ने "हाक" या "अल्फा" खरीदने की अपनी सारी योजना का परित्याग कर दिया है तथा एक नये प्रशिक्षक के रूप में रूसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस प्रस्ताव संबंधी नया समझौता कब तक किया जाएगा?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) से (ग). सरकार को युद्धक पायलटों के चरण तीन के प्रशिक्षण के लिए उन्नत जेट प्रशिक्षक (ए.जे.टी.) वायुयानों की आवश्यकता की जानकारी है। तदनुसार उन्नत जेट प्रशिक्षक वायुयानों की अधिप्राप्ति के लिए सरकार ने पहले ही मंजूरी दे दी है। चुने गए विक्रेताओं अर्थात् हॉक तथा अल्फा जैट के विनिर्माताओं के साथ वाणिज्यिक मूल्य वार्ताएं शुरू हो गई हैं। सरकार रूसी उन्नत जेट प्रशिक्षक वायुयानों के विकास की मॉनीटरिंग भी कर रही है।

[हिन्दी]

इंजीनियरिंग कालेज

2456. श्री नामदेव दिवाचे : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1996-97 के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद महाराष्ट्र द्वारा कई नए इंजीनियरिंग डिप्लोमा/डिग्री कालेजों का मान्यता दी गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ नए इंजीनियरिंग कालेजों के आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 1996-97 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में 9 इंजीनियरी कालेजों और 4 पालिटेक्निकों का अनुमोदन किया गया है।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ). पहले से ही विद्यमान ज्यादा क्षमता की वजह से राज्य सरकार ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से उन जिलों को छोड़कर जहां इससमय कोई कालेज नहीं है, नए इंजीनियरी कालेजों के लिए अनुमोदन न देने की सलाह दी है। परिषद् के अपेक्षित मानकों और मानदण्डों के संबंध में कमियों की वजह से भी प्रस्तावों को अस्वीकृत किया गया है।

विवरण

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

वर्ष 1996-97 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित इंजीनियरी कालेजों की सूची

क्र.सं.	संस्थान/संबद्ध एजेंसी का नाम	पाठ्यक्रम
1.	रसायनिक प्रौद्योगिकी विभाग अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती महाराष्ट्र-444602 अमरावती विश्वविद्यालय	खाद्य प्रौद्योगिकी तेल और रंग प्रौद्योगिकी, पैट्रोरसायनिक प्रौद्योगिक पल्प एवं कागज प्रौद्योगिकी
2.	रसायनिक प्रौद्योगिकी विभाग नार्थ महाराष्ट्र विश्वविद्यालय जलगांव, महाराष्ट्र-425001 नार्थ महाराष्ट्र विश्वविद्यालय	खाद्य प्रौद्योगिकी, तेल फैट्स और वैक्सिस प्रौद्योगिकी, पेंट प्रौद्योगिकी, प्लास्टिक प्रौद्योगिकी
3.	इन्स्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरी विभाग अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती महाराष्ट्र-444602 अमरावती विश्वविद्यालय	इन्स्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरी
4.	राजकीय इंजीनियरी कालेज जलगांव के.एच.6 जिला पेठ जलगांव-425002 नार्थ महाराष्ट्र विश्वविद्यालय	इलैक्ट्रानिकी और संचार प्रौद्योगिकी, इन्स्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरी, यांत्रिकी इंजीनियरी
5.	राजकीय इंजीनियरी कालेज चन्द्रापुर, महाराष्ट्र नागपुर विश्वविद्यालय	विद्युतीय इंजीनियरी, इन्स्ट्रूमेंशन इंजीनियरी, यांत्रिकी इंजीनियरी
6.	एस.एन.डी.टी. प्रौद्योगिकी संस्थान, महिला विश्वविद्यालय, जे.यू.एच.यू. मुम्बई-400049(महाराष्ट्र) एन.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय	कम्प्यूटर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इलैक्ट्रानिकी और संचार इंजीनियरी, इन्स्ट्रूमेंटेशन प्रौद्योगिकी
7.	मनोटोम्म फिनोलेक्स प्रबंध और प्रौद्योगिकी अकादमी, रत्नागिरी (महाराष्ट्र)	इलेक्ट्रीकल इंजीनियरी, इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरी, मेकेनीकल इंजीनियरी
8.	सिंहद तकनीकी शिक्षा सोसायटीज इंजीनियरी कालेज, पुणे पुणे विश्वविद्यालय	केमीकल इंजीनियरी, कम्प्यूटर इंजीनियरी, इलेक्ट्रानिक्स तथा टेलीकाम इंजीनियरी, मेकेनीकल इंजीनियरी
9.	विश्वेश्वरैया इंजीनियरी कालेज, जिला-नासिक महाराष्ट्र	केमीकल इंजीनियरी, इलेक्ट्रीकल इंजीनियरी, मेकेनीकल इंजीनियरी

राज्यः महाराष्ट्र

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा 1996-97 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में अनुमोदित पालिटेक्निकों की सूची

क्र.सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम
1.	के.के. वाघ महिला पालिटेक्निक हीराबाई अरीदास विद्या नगरी, आरूत धाम, पंचवटी, नासिक-422003	ड्रेस डिजाइनिंग तथा मेन्युफैक्चरिंग इन्टीरियर डिजाइन तथा डेकोरेशन
2.	श्री हनुमान व्यक्तान प्रसारक, मंडल पालिटेक्निक, अमरावती-444605 नासिक-422003	कम्प्यूटर मेनटेनेंस इंजीनियरी (स्नातकोत्तर) कम्प्यूटर साफ्टवेयर टेक्नीकी (स्नातकोत्तर)
3.	नवल प्रौद्योगिकी संस्थान, 4, पस्ता लेन, कोलबा, मुम्बई-400 005	कम्प्यूटर इंजीनियरी, ट्रेवल तथा टूर्स इंलेक्ट्रानिक्स तथा टेलीकाम इंजीनियरी
4.	इलेक्ट्रानिक्स डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र डा. बास विश्वविद्यालय औरंगाबाद-431004	इलेक्ट्रानिक्स प्रोडक्शन तथा मेनटेनेन्स

सैकिया समिति

2457. श्रीमती सुषमा स्वराज :
श्री नीतीश कुमार :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्यमान शिक्षा नीति में सुधार लाने के लिए श्री आर.एन. सैकिया की अध्यक्षता में हाल ही में एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति के दूसरे सदस्यों के क्या नाम हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इस समिति को अपना कार्य पूरा करने के लिए क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं; और

(च) समिति द्वारा मांगी गई उन सुविधाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें सरकार द्वारा अब तक मुहैया नहीं कराया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के प्रस्ताव पर वित्तीय, प्रशासनिक, विधायी और शैक्षिक दृष्टि से विचार करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री (शिक्षा) श्री मुही राम सैकिया की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है।

(ख) से (घ). इस गठित समिति के सदस्यों के नाम और पदनाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इस समिति की अवधि 15.1.1997 तक है।

(ङ) इस समिति के सदस्य भारत सरकार के नियमों के अनुसार यात्रा-भत्ते और दैनिक भत्ते के हकदार हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सं एफ 1-53/92-ई.ई.
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 अगस्त, 1996

आदेश

संयुक्त मोर्चा सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में, इस शताब्दी के अंत तक प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने संबंधी मौलिक अधिकार का संकल्प किया गया है। यह प्रस्ताव इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समूचे देश को आवश्यक सम्बल प्रदान करेगा तथा इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित संसाधनों को जुटाने में सहायक सिद्ध होगा। 10 अगस्त, 1996 को आयोजित राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में इस प्रस्ताव के गुण-दोषों पर विचार किया गया। प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन के महत्व को ध्यान में रखते हुए सम्मेलन में यह महसूस किया गया कि इस प्रस्ताव से संबंधी कानूनी, वित्तीय, प्रशासनिक और शैक्षिक कठिनाइयों पर गहन विचार करने के लिए राजनैतिक स्तर पर व्यापक विचार-विमर्श करना आवश्यक था। तदनुसार, इस प्रस्ताव में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों (कानूनी, वित्तीय, प्रशासनिक और शैक्षिक) की जांच करने के लिए मंत्रियों की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। इस समिति का गठन इस प्रकार होगा :-

1. श्री मुही राम सैकिया, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार
   अध्यक्ष
2. श्री जय प्रकाश नारायण यादव, शिक्षा मंत्री, बिहार
3. श्री कान्ति विश्वास, प्रभारी मंत्री, स्कूल शिक्षा, पश्चिम बंगाल
4. माननीय प्रो. ए. अनबाझागन, शिक्षा मंत्री, तमिलनाडु
5. श्री पी.जे. जोसेफ, शिक्षा मंत्री, केरल
6. श्री एच.जी. गोविन्दा गौड़ा, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री, कर्नाटक
7. श्री सुधीर जोशी, स्कूल शिक्षा मंत्री, महाराष्ट्र
8. श्री मुकेश नायक, स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्य प्रदेश
9. श्री राम विलास शर्मा, शिक्षा मंत्री, हरियाणा
10. श्री गुलाब चन्द कटारिया, शिक्षा मंत्री, राजस्थान
11. श्री जय देश जेना, स्कूल और जन शिक्षा मंत्री
12. श्री इराबत सिंह, शिक्षा मंत्री, मणिपुर
13. श्री बी. दुर्गाप्रसाद राव, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री, आंध्र प्रदेश
14. श्रीमती चित्रा नायक, सदस्य, योजना आयोग
15. श्री ए. मोहन दास मोसेस, सलाहकार, जम्मू और कश्मीर
16. श्री अभिमन्यु सिंह, संयुक्त सचिव ई.ई. (शिक्षा विभाग) (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) सदस्य-सचिव

विशेष आमंत्रित व्यक्ति

17. विधि सचिव या उनका नामित व्यक्ति, जिसका स्तर संयुक्त सचिव से कम न हो।
18. डा. आर.वी. वैद्यनाथ अय्यर, अपर सचिव
19. श्री आर.एस. पाण्डेय, संयुक्त सचिव (डी.पी.ई.पी.)
20. श्री एस. सत्यमूर्ति, वित्तीय सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

2. इस समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :-
   i. निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान में संशोधन करने के प्रस्ताव संबंधी कानूनी, शैक्षिक, प्रशासनिक और वित्तीय दिक्कतों की जांच करना और उन पर विचार करना।
   ii. इस मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए उपयुक्त संवैधानिक तरीके सुझाना।
   iii. सुविधाएं, जो प्रदान न की गई हों तथापि जिन्हें प्रदान करना न्यायसंगत है, को दर्शाने वाले दिशा-निर्देशों का सुझाव देना।
3. समिति के अध्यक्ष को समिति के कार्यों में सहयोग प्रदान करने के लिए सदस्यों को सहयोजित करने तथा उप-समितियों के गठन के अधिकार प्राप्त होंगे।
4. आशा है कि समिति बैठक की अपनी रिपोर्ट पहली तारीख से दो माह की अवधि के भीतर ही प्रस्तुत कर देगी।
5. प्रारंभिक शिक्षा ब्यूरो समिति के कार्य के लिए आवश्यक कार्यालयीन सहायता प्रदान करेगा।
6. गैर-सरकारी सदस्य, सहयोजित सदस्य अथवा उप-समिति के सदस्य भारत सरकार के नियमों के अनुसार यात्रा और दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

ह./-
(अतुल बगई)
उपसचिव (ई.ई.)
दूरभाष : 3387781

प्रतिलिपि सूचना और कार्रवाई हेतु प्रेषित :

1. समिति के सदस्य।
2. सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के शिक्षा सचिव।
3. सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के शिक्षा निदेशक।
4. आई.एफ.डी./स्थापना-I शिक्षा सचिव के वैयक्तिक सचिव।
5. शिक्षा सचिव, भारत सरकार।

पाकिस्तान द्वारा युनाइटेड किंगडम से प्रौद्योगिकी की चोरी

2458. श्री संतोष मोहन देव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए युनाइटेड किंगडम प्रौद्योगिकी चोरी करने की योजना बना रहा है;

(ख) क्या यह मामला प्रेस में आया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस रिपोर्ट की युनाइटेड किंगडम द्वारा पुष्टि की गई है;

(घ) क्या इससे भारत में गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो खतरों से निपटने के लिए भारत सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ङ). सरकार को इस बात की जानकारी है कि एक पाकिस्तानी अधिकारी को 1996 के आरंभ में पाकिस्तान के गुप्त नाभिकीय हथियार कार्यक्रम के लिए संवेदनशील उपकरण प्राप्त करने के प्रयास में लंदन से निर्वासित किया गया था। पाकिस्तान के इस कार्यक्रम के अभिप्राय का समय-समय पर आंकलन और मूल्यांकन किया जाता है। भारत सरकार अपनी सुरक्षा को पेश आने वाले खतरों को देखते हुए अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए कृत संकल्प है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के होम्योपैथिक कालेज में रिक्त पद

2459. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में सभी राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों को अंशकालिक अध्यापकों द्वारा चलाया जा रहा है, और उनकी स्थिति सरकार द्वारा प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथ में लेने के बाद दयनीय हो गयी है तथा पूर्णकालिक अध्यापकों की बड़ी तादाद में रिक्तियां होने के बावजूद अंशकालिक अध्यापकों को नियमित नहीं किया जा रहा है; और

(ख) स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ख) देश में होम्योपैथिक शिक्षा को केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है, के जरिए विनियमित किया जाता है। यह परिषद यह देखने के लिए कि क्या केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद अधिनियम के अधीन यथाउपबंधित विभिन्न विनियम/सुविधाएं होम्योपैथिक मेडिकल कालेज द्वारा प्रदान की जा रही है, देश में होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थाओं का नियमित रूप से निरीक्षण करती है। परिषद की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में विभिन्न होम्योपैथिक कालेज अर्हताप्राप्त शिक्षण संकाय/परा-चिकित्सीय स्टाफः अलग शिक्षण विभागों की कमी, प्रयोगशालाओं के लिए अपर्याप्त जगह, क्लिनिकल उपकरणों, संबद्ध अस्पतालों आदि की अनुपलब्धता जैसे विभिन्न कारणों से परिषद द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार समुचित ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। परिषद ने उनके द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न कालेजों में देखी गई कमियों के बारे में समय-समय पर उपचारी उपाय करने हेतु संबंधित प्राधिकारियों को अवगत कराया है।

[अनुवाद]

कीटनाशक दवाई का प्रयोग

2460. श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्नों, सब्जियों, फलों तथा अन्य खाद्य पदार्थों में कीटनाशक दवाई के प्रयोग से लोगों की आनुवांशिकी संरचना पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभारों संबंधी कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसा अध्ययन करने का है ताकि भविष्य में लोगों की आनुवांशिकी विकारों से बचाया जा सके?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग). भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा आयेजित कतिपय अध्ययनों से पता चला है कि भोजन, वायु और जल में अधिक मात्रा में अवशेषों के रूपों में विद्यमान कुछेक कीटनाशियों से अथवा कीटनाशी फैक्टरी के कामगारों तथा कीट नियंत्रण कामगारों के मामले में उनके दीर्घकालिक प्रभाव से जीन विषाक्त प्रभावों सहित स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कीटनाशियों का आयात, विनिर्माण, वितरण और इस्तेमाल कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अंतर्गत नियमित किया जाता है ताकि मानकों, पशुओं एवं पर्यावरण को होने वाले खतरों से बचाया जा सके।

निजी क्षेत्र द्वारा निवेश

2461. श्री सनत मेहता : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उदारीकरण नीति के पश्चात जल-भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं में निजी क्षेत्र ने कुल कितना निवेश किया;

(ख) निजी क्षेत्र की प्रस्तावित सड़कों और पुलों से संबंधित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर कार्य आरम्भ हो गया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख). सड़क और पत्तन क्षेत्र में अनुमोदित परियोजनाओं के लिए निजी क्षेत्र से क्रमशः 51 करोड रु. और 2,500 करोड़ रु. का निवेश प्राप्त होने की संभावना है। सड़कों की परियोजनाएं बाईपास और रेल-ओवर ब्रिज से संबंधित हैं और मौजूदा परिसंपत्तियों को पट्टे पर दिए जाने की अतिरिक्त पत्तन सेक्टर की परियोजनाएं कन्टेनर टर्मिनल, बर्थ, भंडारण सुविधाओं, स्टोरेज सुविधाओं, टैंक फार्मों, क्रेनेज/हैं डलिंग उपस्कर, ड्राई डॉकिंग जैसी अतिरिक्त परिसम्पत्तियों के निर्माण/सृजन और जहाज मरम्मत सुविधाओं और आबद्ध ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना से संबंधित हैं, बशर्ते इससे मौजूदा क्षमता में बढ़ोत्तरी होती हो अथवा पर्याप्त निवेश प्राप्त होता हो।

(ग) सड़क और पत्तन सैक्टर में अनुमोदित परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

जल संसाधनों का विकास

2462. श्री विजय पटेल : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जल संसाधनों के विकास के लिए एक समेकित योजना तैयार करने हेतु आयोग गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो आयोग के सदस्यों के नाम क्या हैं और उनके निदेश पद क्या हैं; और

(ग) यह आयोग अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट 2 वर्षों की समयावधि में प्रस्तुत कर दिये जाने की संभावना है।

विवरण

1. इस मंत्रालय ने एकीकृत जल संसाधन विकास योजना के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-

1.	श्री सी.एच. हनुमंत राव, भूतपूर्व सदस्य, योजना आयोग		अध्यक्ष
2.	डा. एस.आर. हासिम सदस्य, योजना आयोग		उपाध्यक्ष
3.	श्री वी. रामचन्द्रन भूतपूर्व मुख्य सचिव केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम		सदस्य
4.	डा. वी.एस. व्यास (अर्थशास्त्री) निदेशक, विकास अध्ययन संस्थान, 8-बी झलाना इंस्टीट्यूशन एरिया, जयपुर-302004.		सदस्य
5.	श्री डी.एन. तिवारी भूतपूर्व कुलपति एफ.आर.आई.(डीम्ड यूनिवर्सिटी) देहरादून	:	सदस्य
6.	श्री एस. प्रकाश भूतपूर्व प्रमुख अभियंता, दिल्ली जल आपूर्ति एवं मल व्ययन संस्थान		सदस्य
7.	श्री सी.सी. पटेल भूतपूर्व सचिव (जल संसाधन), भारत सरकार	:	सदस्य
8.	डा. भरत सिंह उप कुलपति (सेवा निवृत्त) रूड़की विश्वविद्यालय		सदस्य
9.	श्री एस.पी. कैपरीहन प्रमुख अभियंता (सेवा निवृत्त), मध्य प्रदेश सरकार		सदस्य
10.	महानिदेशक राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एन डब्ल्यू डी ए) नई दिल्ली।		सदस्य-सचिव

आयोग की सहायता के लिए इसमें अन्य विशेषज्ञों को भी सहयोजित करने का प्रावधान किया गया है।

2. आयोग के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :-

(एक) पेय, सिंचाई, औद्योगिक, बाढ़ नियंत्रण एवं अन्य प्रयोजनों के लिए जल संसाधनों के विकास से संबंधित एकीकृत जल योजना तैयार करना;

(दो) उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नदियों को परस्पर जोड़ कर फालतू जल का स्थानांतरण जल की कमी वाले बेसिनों में करने की रीतियों का सुझाव देना।

(तीन) चल रही एवं नई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को अभिज्ञात करना, जिन्हें चरणबद्ध ढंग से प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए।

(चार) लाभों को अधिकतम करने की दृष्टि से जल क्षेत्र से संबंधित प्रौद्योगिकीय एवं अन्तर-अनुशासनिक अनुसंधान योजना अभिज्ञात करना;

(पांच) जल क्षेत्र से संबंधित वास्तविक एवं वित्तीय संसाधन जुटाने संबंधी नीतियों का सुझाव देना;

(छः) अन्य कोई संबंधित मामला।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षण शुल्क

2463. श्री वी.एम. सुधीरन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद ने हाल ही में अगले शैक्षिक सत्र से शिक्षण शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बैंक ऋण तथा गरीब विद्यार्थियों को ऐसी अन्य वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). परिषद ने सिफारिश की है कि उन छात्रों के लिए बैंक से ऋण की व्यवस्था की जाएगी जिन्हें बढ़े हुए शुल्क का भुगतान करने में कठिनाई है और उनके लिए अध्येतावृत्तियों की भी व्यवस्था की जाऐगी।

व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के संबंध में जर्मनी की अपील

2464. श्री जी. वेंकट स्वामी : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी के रक्षा मंत्री ने हाल ही में अपनी भारत यात्रा के दौरान भारत से व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने और साथ ही व्यापार और निवेश हेतु अपने बाजार खोलने की जोरदार अपील की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) 22 अक्तूबर,1996 को नई दिल्ली में आयोजित गोष्ठी में जर्मनी के रक्षा मंत्री ने कहा "जिन देशों ने अभी तक व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं उन सभी से हम उस पर हस्ताक्षर करने की पुरजोर अपील करते हैं।"

(ख) सरकार ने जर्मनी को अपने सिद्धांतगत तथा अटल निश्चय के बारे में दृढ़तापूर्वक अवगत करा दिया है कि भारत व्यापक परमाणु परीक्षण संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेगा क्योंकि नाभिकीय निरस्त्रीकरण की दिशा में यह एक सार्थक कदम नहीं है और तदनुसार यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं है।

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों पर खर्च

2465. श्री सौम्य रंजन : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इनकी मरम्मत और रख-रखाव पर आज तक कितना व्यय किया गया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) उड़ीसा राज्य से गुजरने वाले रा.रा.-5, 5क, 6, 23, 42 और 43 पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए थे तथा इनकी मरम्मत की जा चुकी है।

(ख) राज्य में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और उनके रख-रखाव के लिए वर्ष-वार आबंटित निधियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

1993-94		1016.11 लाख रु.
1994-95		1186.50 लाख रु.
1995-96		1447.83 लाख रु.
	कुल	3650.44 लाख रु.

युवाओं के लिए राष्ट्रीय संदर्शी योजना

2466. श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्तर पर विचार-विमर्श के बाद युवाओं के लिए राष्ट्रीय संदर्शी योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या युवाओं के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करने हेतु राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में उनके दृष्टिकोण क्या हैं और युवाओं के लिए एक ठोस राष्ट्रीय योजना कब तक तैयार कर ली जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री धनुषकोड़ी आदित्यन आर.) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय भावी योजना तैयार करने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को अपने सुझाव तथा राय से अवगत कराने के लिए कहा गया है। आशा है कि मसौदा रिपोर्ट मार्च, 1997 के अंत तक तैयार हो जाएगी।

कार्मिक नीति में मनमानी

2467. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने कार्मिक नीति में मनमानी करने के लिए सैन्य प्राधिकारियों की भर्त्सना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा सैन्य तथा असैनिक प्रतिष्ठानों में कार्मिक नीति में मनमानी को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सैनिक तथा असैनिक व्यक्तियों द्वारा न्यायालयों में कार्मिक नीति के विरूद्ध कितने मामले दायर किए गए हैं और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) अन्य व्यक्तियों को उनके अधिकार से वंचित करने में शासकीय स्थिति के दुरूपयोग को रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) से (ङ). केन्द्रीय सरकार ने सेना तथा सिविलियन कर्मचारियों से संबंधित कार्मिक नीतियां अधिनियमों, नियमों तथा विनियमों द्वारा शासित की जाती हैं। इन नियमों को निम्न विरचनाओं की विभिन्न एजेंसियों और सचिवालय से परामर्श करके तैयार किया जाता है और तत्पश्चात् संसद के सदनों में सभा पटलों पर अनुमोदन/आवश्यक मामलों में अधिनियम के लिए प्रस्तुत किए जाने से पूर्व मंत्री स्तर पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है। ये या तो मुख्य विधान, अधीनस्थ विधान अथवा प्रशासनिक निर्णय होते हैं। इसलिए, इस प्रकार के अधिनियमों, नियमों और विनियमों द्वारा शासित कार्मिक नीतियों को मनमाना नहीं कहा जा सकता।

2. तीन न्यायिक मामले ऐसे हुए हैं जिनमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने समयपूर्व सेवानिवृत्ति/त्याग-पत्र/विवाह कारण से सेवामुक्त किए जाने से संबंधित कार्मिक नीतियों पर अप्रसन्नता व्यक्त की है। एक मामले में मेजर राहुल शुक्ला द्वारा अपनी समय-पूर्व सेवानिवृत्ति/सेवा से त्याग-पत्र के बारे में रिट याचिका दायर की गई थी। अन्य दो मामले विवाह कारण से सेवामुक्त किए जाने के बारे में थे जो कि लेफ्टिनेंट (श्रीमती) ए.कमला और लेफ्टिनेंट (श्रीमती) बलविन्दर कौर द्वारा दायर किए गए थे। सैन्य परिचर्या सेवा की विवाहित अफसरों को सेवा में बनाए रखने/आगे बनाए रखने की समीक्षा करने संबंधी नीति 1.1.1996 से संशोधित कर दी गई है और अब सैन्य परिचर्या सेवा की अफसर अन्य सैन्य अफसरों की भांति विवाह पश्चात् भी सेवा में बनी रह सकती हैं।

3. पिछले तीन वर्षों में कार्मिक नीति के विरूद्ध वर्दीधारियों और सिविलियन कर्मचारियों द्वारा दायर किए गए न्यायिक मामलों की संख्या तत्काल उपलब्ध नहीं हैं और माननीय संसद सदस्य को उपलब्ध करा दी जाएगी।

4. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा-शर्तों की पुनरीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है और वांछनीय तथा व्यावहारिक समझे जाने वले परिवर्तन समय-समय पर किए जाते हैं। सेवा संबंधी मामलों में सेना और सिविलियन कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने के लिए उन पर लागू होने वाले अधिनियमों में पर्याप्त प्रावधान मौजूद हैं। सेना कार्मिक न्याय के लिए याचिकाओं, शिकायतों आदि के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों व केन्द्रीय सरकार से संपर्क कर सकते हैं और/कर्मचारी किसी स्वेच्छाचारिता के विरूद्ध केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में अपील कर सकते हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली विश्वविद्यालय में ट्यूटोरियल कक्षाएं

2468. श्री विजय गोयल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकांश कालेजों में ट्यूटोरियल कक्षाएं नहीं चलाई जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

मानव ससांधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विद्यालयों/महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी

2469. श्री बची सिंह रावत "बचदा" : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में सरकारी विद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्यापकों की कमी की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो श्रेणीवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार ने कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन विद्यालयों/महाविद्यालयों में कब तक पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र की लंबित सिंचाई परियोजनाएं

2470. श्री कचरु माऊ राउत : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु महाराष्ट्र की कितनी सिंचाई परियोजनाएं लंबित हैं;

(ख) अब तक स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वीकृति हेतु लंबित परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(घ) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) महाराष्ट्र की 14 वृहद और 20 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी हैं।

(ख) अप्रैल, 1992 से स्वीकृत महाराष्ट्र की वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	लाभ (हजार है.)
1.	देवगाड	24.64	8.317
2.	गोसी खुर्द	461.19	250.00
3.	करवा	27.00	10.32
4.	शिवनातकली	34.76	6.60
5.	तेम्भापुरी	18.10	4.78
6.	बोरदाहेगांव	16.27	2.22

(ग) और (घ). स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी महाराष्ट्र की वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के नाम और उनके मूल्यांकन की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

यद्यपि, परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए एक निर्धारित समय सीमा होती है, तथापि, स्वीकृति मिलने में विलम्ब होने का कारण राज्यों द्वारा केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों के अनुपालन करने में ज्यादा समय लेना, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय/वन स्वीकृति और कल्याण मंत्रालय से पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास स्वीकृति प्राप्त करने में विलम्ब होना है।

विवरण

केन्द्र में स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी महाराष्ट्र की नई वृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के नाम

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु.में)	मूल्यांकन की स्थिति
1	2	3	4
	वृहद		
1.	दुध गंगा सिंचाई	528.00	सी
2.	वार्णा सिंचाई	699.00	बी
3.	कोयना कृष्णा लिफ्ट	709.00	बी
4.	वान सिंचाई	135.00	बी
5.	अरूणावती नदी परियोजना	70.00	बी
6.	संगोला शाखा नहर	44.00	बी
7.	तिल्लारी सिंचाई	323.04	बी
8.	बावनथाडी सिंचाई	261.00	बी
9.	पुनाड सिंचाई	62.00	बी
10.	निचली वुन्ना परियोजना	187.00	बी
11.	ह्यूमन नदी परियोजना	162.15	डी
12.	तुलतुली सिंचाई	82.94	डी
13.	तालम्बा	176.00	डी
14.	पोथरा नदी परियोजना	41.00	डी
	मध्यम		
1.	साकोल	12.00	बी
2.	रायधायन	6.72	बी
3.	जनगमहट्टी लिफ्ट	18.00	बी
4.	जाम	42.00	बी
5.	मोरना गुरेघर	25.00	बी
6.	मसालमा	11.70	बी
7.	कार	37.00	बी
8.	हेटवाने	105.00	बी
9.	अपर मनार	86.00	ए
10.	बेनेतुरा	17.00	ए
11.	ताजनापुर लिफ्ट सिंचाई	15.00	डी
12.	कोरडिनाला	11.00	डी

1	2	3	4
13.	दारा	15.20	डी
14.	लोअर पंजारा	53.00	डी
15.	नगान	21.20	डी
16.	बृहननगांव लिफ्ट	8.77	डी
17.	चन्द्रभाग	64.00	डी
18.	पेनतकली टैंक	42.00	डी
19.	पुरना	20.76	डी
20.	उतावली	15.63	डी

टिप्पणी :-

ए- निवेश स्वीकृति के लिए परियोजनाएं योजना आयोग के पास पड़ी हैं।

बी- सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार्य पाई गई परियोजनाएं वशर्ते पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृति प्राप्त करना आदि जैसी कतिपय टिप्पणियों की अनुपालना कर लिया जाए।

सी- परियोजनाएं, जिनकी केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से जांच की गई और जिन्हें अन्तर-राज्यीय मामलों का समाधान न करने अथवा पर्यावरणीय/वनीय दृष्टिकोण आदि से स्वीकृति प्राप्त न करने के कारण सलाहकार समिति द्वारा स्थगित कर दिया गया।

डी- परियोजनाएं, जिनके संबंध में राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न तकनीकी-आर्थिक मामलों का समाधान करना अपेक्षित होता है।

[अनुवाद]

पोलियो टीकाकरण

2471. श्री मुरलीधर जेना : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की सहायता से उड़ीसा में पोलियो टीकाकरण का आधा कार्य किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो 1995-96 के दौरान उड़ीसा को दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार 1996-97 के दौरान उड़ीसा को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). जी, नहीं। केन्द्र सरकार द्वारा उड़ीसा राज्य की पोलियो प्रतिरक्षण के लिए वैक्सीनों, कोल्ड चेन, सूचना, शिक्षा एवं संचार आदि की संपूर्ण मांग को नकद और वस्तुगत सहायता देकर पूरा किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य में नवजात शिक्षुओं की पोलियो प्रतिरक्षण कवरेज लक्षित नवजात शिशुओं की कवरेज की तुलना में 90 प्रतिशत से अधिक रही है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो रोग प्रतिरक्षण के अधीन शून्य से 3 वर्ष तक के आयु समूह के बच्चों की विशेष कवरेज 9 दिसम्बर, 1995 को 28.68 लाख बच्चे तथा 20 जनवरी को 30.91 लाख बच्चे थी।

(ग) और (घ). पोलियो रोग प्रतिरक्षण सहित शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अधीन राज्य को कार्यक्रम की अपेक्षा को देखते हुए सहायता प्रदान की जा रही है। इस प्रकार उड़ीसा राज्य की सहायता में वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं है।

इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश

2472. प्रो. जितेन्द्र नाथ दास : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10+2 स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले लाखों विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष विभिन्न इंजीनियरिंग कालेजों में दाखिला मांगते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इनमें से केवल 2 प्रतिशत को ही दाखिला मिलता है;

(ग) यदि हां, तो क्या मांग पूरी करने के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित इंजीनियरिंग कालेजों की दाखिला क्षमता डिग्री स्तर पर 1.15 लाख (लगभग) और डिप्लोमा स्तर पर 1.79 लाख (लगभग) है।

(ग) और (घ). किसी इंजीनियरिंग संस्थान की स्थापना विभिन्न तथ्यों पर निर्भर होती है जिनमें बदलती अपेक्षाएं और जन शक्ति की मांग शामिल है। नए संस्थानों की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार करते समय इन बातों को ध्यान में रखा जाता है।

सी.जी. डब्ल्यू.बी. द्वारा भूजल संबंधी सर्वेक्षण

2473. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने कुछ चुने हुए राज्यों में भू-जल सर्वेक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्थान में इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण कराया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे और इस पर क्या कार्यवाही की जायेगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री चनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ). राजस्थान राज्य समेत पूरे देश का क्रमबद्ध जल-भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा वर्ष 1991 में पूरा कर लिया गया। उपलब्धियों के विवरण ब्यौरे में दिए गए हैं। उपलब्धियों पर अनुवर्ती कार्रवाई राज्य सरकारों द्वारा की जाती है।

विवरण

भारत के भूजल संसाधन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल पुनर्भरणीय भूजल संसाधन (मि.हे. मी./वर्ष)	घरेलू औद्योगिक एवं अन्य प्रयोगों के लिए प्रावधान (मि.हे. मी./वर्ष)	सिंचाई के लिए उपलब्ध भूजल संसाधन (शुद्ध मात्रा में) (मि.हे.मी./वर्ष)	निवल निष्कर्षण मि.हे. मी./वर्ष)	भविष्य में प्रयोग के लिए शेष भूजल संसाधन (शुद्ध मात्रा में) (मि.हे.मी./वर्ष)	भूजल विकास का स्तर (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8
राज्य							
1.	आंध्र प्रदेश	3.52916	0.52937	2.99979	0.70923	2.29056	23.64
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.14385	0.02158	0.12227	-	0.12227	-
3.	असम	2.47192	0.37079	2.10114	0.09420	2.00693	4.48
4.	बिहार	3.35217	0.50282	2.84934	0.54674	2.30260	19.19
5.	गोआ	0.02182	0.00327	0.01855	0.00154	0.01701	8.30
6.	गुजरात	2.03765	0.30565	1.73200	0.71701	1.01499	41.40
7.	हरियाणा	0.85275	0.12791	0.72484	0.60797	0.11687	83.88
8.	हिमाचल प्रदेश	0.03658	0.00732	0.02927	0.00528	0.02399	10.40
9.	जम्मू एवं कश्मीर	0.44258	0.06639	0.37620	0.00500	0.37179	1.33
10.	कर्नाटक	1.61859	0.24279	1.37580	0.43010	0.94570	31.26
11.	केरल	0.79003	0.13135	0.65868	0.10062	0.55806	15.28
12.	मध्य प्रदेश	5.08893	0.76334	4.32559	0.71308	3.61281	16.49
13.	महाराष्ट्र	3.78673	1.23970	2.54703	0.77401	1.77302	30.39
14.	मणिपुर	0.31540	0.04730	0.26810	-	0.26810	-
15.	मेघालय	0.05397	0.00809	0.04587	0.00182	0.04405	-
16.	मिजोरम				आकलन नहीं किया गया		
17.	नागालैंड	0.07240	0.01090	0.06150	-	0.06150	-
18.	उड़ीसा	2.00013	0.30002	1.70011	0.14311	1.55700	8.42
19.	पंजाब	1.86549	0.18655	1.67895	1.57577	0.10318	93.85

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	राजस्थान	1.27076	0.19945	1.07131	0.54237	0.52894	50.63
21.	सिक्किम			आकलन नहीं किया गया			
22.	तमिलनाडु	2.63912	0.39587	2.24326	1.35577	0.88748	60.44
23.	त्रिपुरा	0.06634	0.00995	0.05639	0.01885	0.03754	33.43
24.	उत्तर प्रदेश	8.38208	1.25731	7.12477	2.68353	4.44124	37.66
25.	पश्चिम बंगाल	2.30923	0.34638	1.96285	0.47454	1.48831	24.18
	कुल राज्य	43.14769	7.07411	36.07359	11.50054	24.57305	31.88
संघ राज्य क्षेत्र							
1.	अंडमान एवं निकोबार			आकलन नहीं किया गया			
2.	चंडीगढ़	0.002966	-	-	0.002430	0.000512	-
3.	दादरा एवं नगर हवेली	0.004220	0.000633	0.003587	0.000457	0.003130	12.74
4.	दमन एवं दीव	0.001300	0.000200	0.001100	0.000900	0.000200	-
5.	दिल्ली	0.029164	0.017842	-	0.011800	-	-
6.	लक्षद्वीप	0.000243	-	-	0.000155	0.000088	63.79
7.	पांडिचेरी	0.002877	0.000432	0.002445	0.000995	0.001850	24.39
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	0.040770	0.019107	0.007132	0.016361	0.005780	-
	कुल योग	43.18846	7.09322	36.08073	11.51690	24.57000	31.92

[हिन्दी]

जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में घोटाला

2474. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश में जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में लाखों का घोटाला चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

महिला साक्षरता

2475. श्री एन. डेनिस : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिलाओं में राज्यवार साक्षरता का प्रतिशत क्या है; और

(ख) इस सम्बन्ध में उनकी स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) प्रारंभिक शिक्षा को सर्व सुलभ बनाए जाने की योजनाएं, स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वालों के लिए अनौपचारिक शिक्षा तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के संपूर्ण साक्षरता अभियान देश में महिला साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक त्रिआयामी कार्यनीति है। इसके अतिरिक्त, कई राज्य सरकारें निःशुल्क यूनिफार्म, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें इत्यादि जैसे विशेष प्रोत्साहन प्रदान कर रही है।

विवरण

भारत/राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश		महिला साक्षरता दर
राज्य		
1.	आन्ध्र प्रदेश	32.72
2.	अरूणाचल प्रदेश	29.69
3.	असम	43.03
4.	बिहार	22.89
5.	गोवा	67.09
6.	गुजरात	48.64
7.	हरियाणा	40.47
8.	हिमाचल प्रदेश	52.13
9.	जम्मू व कश्मीर	*
10.	कर्नाटक	44.34
11.	केरल	86.17
12.	मध्य प्रदेश	28.85
13.	महाराष्ट्र	52.32
14.	मणिपुर	46.60
15.	मेघालय	44.85
16.	मिजोरम	78.60
17.	नागालैंड	54.75
18.	उड़ीसा	34.68
19.	पंजाब	50.41
20.	राजस्थान	20.44
21.	सिक्किम	46.69
22.	तमिलनाडु	51.33
23.	त्रिपुरा	49.65
24.	उत्तर प्रदेश	25.31
25.	पश्चिम बंगाल	45.56
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	65.46
27.	चण्डीगढ़	72.34
28.	दादर और नगर हवेली	26.98
29.	दमन व दीव	59.40
30.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	66.99
31.	लक्षद्वीप	72.89
32.	पांडिचेरी	65.63

* जम्मू व कश्मीर को छोड़कर जहां 1991 में जनगणना नहीं हुई थी।

[हिन्दी]

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन

2476. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा 1996 में आयोजित बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं के बाद कितने छात्रों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन किया है;

(ख) उनमें से ऐसे कितने छात्रों ने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने के बाद भी पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया है;

(ग) उक्त छात्रों में से कितने छात्रों के मामलों में पुनर्मूल्याकंन के उपरान्त प्राप्तांकों में संशोधन हुआ है;

(घ) क्या पुनर्मूल्यांकन की वर्तमान प्रणाली में ऐसा संशोधन किया जा रहा है, जिसमें प्राप्तांकों का न केवल योग किया जाये बल्कि उत्तर पुस्तिकाओं का वास्तविक रूप से पुनर्मूल्यांकन किया जाय; और

(ङ) यदि हां, तो पुनर्मूल्यांकन प्रणाली में पारदर्शिता और स्वतन्त्र नियन्त्रण लाने हेतु किए जाने वाले संशोधनों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग). केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मिली सूचना के अनुसार 1996 में आयोजित कक्षा XII की परीक्षा के परिणामों के घोषणा के उपरांत 25465 छात्रों ने पुनर्जांच/अंकों के सत्यापन के लिए अनुरोध किया था। बोर्ड अपने द्वारा संचालित परीक्षा में बैठने वाले छात्र को त्रेणी प्रदान नहीं करता है। पुनर्जांच/सत्यापन के परिणामस्वरूप 1239 मामलों मे गलतियों का पता चलने के बाद अंकों में संशोधन किया गया।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई हेतु जल

2477. प्रो. ओमपाल सिंह "निडर" : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और एटा जिलों में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध न होने की जानकारी है जिसके परिणामस्वरूप किसानों को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है और उनकी फसलों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपर्युक्त जिलों में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग). जी हां। आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और एटा जिले को लाभान्वित करने वाली पूरी की गई एवं चल रही सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(करोड़ रुपए/हजार हेक्टेयर)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अद्यतन अनुमानित लागत	3/96 तक व्यय	चरम सिंचाई क्षमता	6/96 तक सृजित क्षमता
क.	**पूर्ण परियोजनाएं**				
1.	अपर गंगा नहर आधुनिकीकरण परियोजना	-		699.09	699.09
	+ आई/सी अपर गंगा नहर	-	-	36.02	36.02
2.	लोअर गंगा नहर	-	-	527.74	527.74
3.	समांतर लोअर गंगा नहर	-	-	90.00	90.00
4.	आगरा नहर	-	-	138.30	138.30
5.	आगरा नहर रिमॉडलिंग	-	-	8.25	8.25
ख.	**चल रही परियोजनाएं**				
1.	अपर गंगा सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना	725.40	611.41	9.00	-
2.	मध्य गंगा नहर परियोजना	543.96	406.03	178.00	165.82
3.	चंबल लिफ्ट सिंचाई योजना	60.63	37.93	55.20	-
4.	बेवार फीडर	50.50	42.71	9.80	शून्य
5.	आगरा नहर का आधुनिकीकरण	51.53	14.14	64.00	3.00

गंगा नदी मास्टर प्लान

2478. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गंगा नदी मास्टर प्लान बनाने का प्रस्ताव है जिससे बाढ़ से होने वाली फसलों की क्षति को रोका जा सके तथा सिंचाई तथा पेयजल के उद्देश्य से जल का उपयोग किया जा सके;

(ख) गंगा नदी के कारण आने वाली बाढ़ तथा भूमि कटाव से प्रतिवर्ष कितनी हानि होती है तथा इस संबंध में किए गए आकलन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गंगा नदी द्वारा भूमि कटाव को रोकने के लिए कोई कारगर योजना पर विचार किया गया है या किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि गंगा के दोनों ओर "कस जोगा" पौधे लगाकर किसानों की जमीन की सुरक्षा की जाए तथा इससे उत्पादन बढ़ाया जाए; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने गंगा के सभी 23 उप बेसिनों के लिए बाढ़ प्रबंध की व्यापक योजनाएं तैयार की हैं। ये योजनाएं बेसिन राज्यों की राज्य सरकारों को विस्तृत स्कीमें तैयार करने तथा क्रियान्वयन हेतु भेजी गई हैं। इन योजनाओं में यहां कहीं भी बाढ़ नियंत्रण के लिए उपयुक्त हो, भंडारण जलाशयों के निर्माण की परिकल्पना है जो सिंचाई और पेयजल के भी लाभप्रदान करेंगे।

(ख) गंगा बेसिन राज्यों में बाढ़ क्षति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ). राज्य सरकार वर्षों से कटाव और बाढ़ द्वारा हुई क्षति को कम करने के लिए कटावरोधी कार्यों सहित तटबंधन, नदी सुरक्षा कार्यों आदि जैसे बाढ़ प्रबंधन के विभिन्न उपाय कर रही है। राज्य सरकार कटावरोधी कार्यों की स्कीमें तैयार करती हैं और प्राथमिकता तथा निधियों की उपलब्धता के अनुसार उन्हें कार्यान्वित करती है। केवल एक करोड़ रुपए से अधिक लागत की स्कीमें सलाह और स्वीकृति के लिए केन्द्र को प्रस्तुत की जाती है।

विवरण

गंगा बेसिन राज्यों में वार्षिक औसत बाढ़ क्षति दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	फसलों को हानि		मकानों को हानि		पशुधन की हानि	जन हानि	जन सुविधाओं की हानि	कुल
		क्षेत्र	मूल्य	सं.	मूल्य	संख्या	संख्या		
1	2	3**	4*	5	6*	7	8	9*	10*
1.	पश्चिम बंगाल	.255	37.307	194759	10.857	9999	159	16.888	65.05
2.	बिहार	.657	55.958	149790	10.989	901	84	30.491	97.44
3.	उत्तर प्रदेश	1.335	149.39	316340	36.779	1746	275	69.636	255.80
4.	मध्य प्रदेश	0.016	3.023	10774	0.694	2824	22	1.198	4.81
5.	दिल्ली	0.004	0.502	1796	0.260	17	1	0.142	0.90
6.	हरियाणा	0.124	16.068	24110	3.352	196	12	3.080	22.5
7.	राजस्थान	0.198	8.436	24254	3.173	9523	42	14.496	26.10
8.	हिमाचल प्रदेश	0.022	8.562	2354	2.355	222	24	8.026	18.94

** हेक्टेयर में

* करोड़ में

[अनुवाद]

पश्चिम एशिया शान्ति प्रक्रिया

2479. श्री जी.एम. बनातवाला :

श्रीमती मीरा कुमार :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इजराईल की सरकार द्वारा जेरूसलम में मस्जिद-ए-अम्स परिसर के खोले जाने के परिणामस्वरूप पश्चिम एशिया शान्ति प्रक्रिया में उत्पन्न दुर्भाग्यपूर्ण गतिरोध पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रतिक्रिया कब व्यक्त की गई;

(ग) इस प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(घ) यह प्रतिक्रिया किसे सम्प्रेषित की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा हाल में ही इजराईल तथा फिलिस्तीन के बीच विवाद सुलझाने हेतु क्या अन्य प्रयास किए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग). 27 सितंबर, 1996 को सरकार ने एक सरकारी वक्तव्य जारी किया था जिसकी एक प्रति संलग्न है।

(घ) उपर्युक्त के अलावा गाजा में फिलिस्तीनी प्राधिकारी के पास भारत के कार्यकारी प्रतिनिधि ने राष्ट्रपति यासर अराफात से मुलाकात की तथा फिलिस्तीनी आंदोलन तथा मध्य-पूर्व शांति प्रक्रिया के प्रति भारत के समर्थन को दोहराते हुये भारत की प्रतिक्रिया से उन्हें अवगत कराया। इस मसले पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सुरक्षा परिषद की बहस में भी भाग लिया था और एक वक्तव्य भी दिया था।

(ङ) सरकार ने अन्य मसलों के साथ इजराइल तथा फिलिस्तीन के बीच मसलों का हल निकालने के उद्देश्य से मध्य-पूर्व शांति प्रक्रिया को पूर्ण समर्थन दिया है और इस प्रक्रिया में और अधिक शीघ्र प्रगति करने के उद्देश्य से इस संबंध में अपने प्रयासों को तेज करने के लिए हाल ही में सभी संबंधित पक्षों से पुनः अनुरोध किया है।

विवरण

सरकारी वक्तव्य

वैस्ट बैंक तथा गाजा पट्टी में हिंसक झड़पें

भारत सरकार पूर्व जेरूसलम में अल हरम अल शरीफ (द टेम्पल माउन्ट) के नीचे एक सुरंग निकालने की इस्राइली प्राधिकारियों की कार्रवाई से उत्पन्न वेस्ट बैंक तथा गाजा में हाल की गंभीर हिंसक घटनाओं पर गंभीर रूप से चिंतित है। हमें इन हिंसक झडपों के बाद अनेक बेकसूर लोगों की दर्दनाक मौत तथा बड़े पैमाने पर लोगों के घायल होने के कारण सदमा पहुंचा है। इस हिंसा का अन्त करने के उद्देश्य से वहां की मौजूदा स्थिति के लिए तत्काल तथा प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है और एक ऐसे वातावरण का निर्माण करने की आवश्यकता है जिससे झगड़े के वास्तविक कारणों का हल निकालने के आधार पर सार्थक बातचीत की जा सके।

ये घटनाएं मध्य-पूर्व शांति प्रक्रिया के नैतिक, विधिक तथा मानवतावादी पहलुओं तथा पहले हुए करारों तथा समझौतों पर आगे निर्माण करने की आवश्यकता पर भी जोर देती है ताकि पहले से ही सहमत सिद्धांतों और समय-अनुसूची के आधार पर मध्य-पूर्व में एक न्यायोचित, विस्तृत तथा स्थायी समाधान की ओर तेजी से बढ़ा जा सके यह ध्यान में रखते हुए कि मध्य-पूर्व में स्थायी शांति एवं स्थायित्व के लिए फिलिस्तीनी मसले को शामिल करना आवश्यक है, भारत सभी संबद्ध पक्षों से इन उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर अपने प्रयास तेज करने का आह्वान करता है।

इस्राइली तथा फिलिस्तीनी प्राधिकारियों को भारत की चिन्ता तथा विचारों से अवगत करा दिया गया है।

27 सितंबर, 1996

रेंगाली परियोजना

2480. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की रेंगाली बहु-उद्देश्यीय वृहत सिंचाई परियोजना पर कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है और परियोजना पर क्या लागत आयेगी;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस परियोजना को मूल रूप से रेंगाली के सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सिंचाई के जिस उद्देश्य से शुरू किया गया था, वह संभव नहीं हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) रेंगाली जल के उचित उपयोग के लिए विशेषकर सूखा प्रभावित क्षेत्र में इसके उपयोग के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) रेंगाली बहुप्रयोजनी परियोजना में 5x50 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता के साथ बांध और विद्युत-घर के निर्माण की परिकल्पना की गई है। बांध 1985 में पूरा किया गया था और आखिरी 50 मेगावाट यूनिट 1992 में प्रारंभ की गई थी। रेंगाली सिंचाई परियोजना चरण-I पर कार्य 1978 में प्रारंभ किया गया था।

(ख) रेंगाली सिंचाई परियोजना चरण-I की अद्यतन अनुमानित लागत 1892.50 करोड़ रुपए है। मार्च, 1996 तक प्रत्याशित व्यय 216.73 करोड़ रुपए है। कुछ छोटी मदों के अलावा बराज और संबंधित कार्य पूरे कर लिए गए हैं। बाई मुख्य नहर, दायीं मुख्य नहर और पराजंग वितरणी पर कार्य प्रगति पर है।

(ग) जी हां। यद्यपि बांध, 1985 में पूरा कर लिया गया था परन्तु अभी तक सिंचाई प्रारंभ नहीं की गई है।

(घ) नहरों को पूरा होने में विलंब का मुख्य कारण निधियों का अपर्याप्त प्रावधान है।

(ङ) बायीं मुख्य नहर (0.30 किमी.) का एक भाग जल संसाधन समेकन परियोजना में शामिल किया गया है जो विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है। परियोजना का शीघ्र कार्यान्वयन करने के लिए 1996-97 के दौरान जल संसाधन मंत्रालय द्वारा परियोजना के लिए 15.00 करोड़ रुपए की केंद्रीय ऋण सहायता का अनुमोदन किया गया है।

[हिन्दी]

सीमावर्ती क्षेत्रों में गोलीबारी

2481. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में और विशेष रूप से भारत-पाकिस्तान सीमा पर सियाचिन-ग्लेशियर क्षेत्र में गोलीबारी की छुट-पुट घटनाओं के संबंध में पड़ौसी देशों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सियाचिन-ग्लेशियर क्षेत्र में होने वाली ऐसी घटनाओं के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच का उपयोग किया है अथवा उपयोग में लाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ङ). सरकार सीमा पर गोलीबारी की घटनाओं पर निश्चित तौर पर ध्यान रखती है और इस संबंध में समुचित कार्यवाही भी करती है। पाकिस्तानी सैन्य टुकड़ियों ने जम्मू तथा कश्मीर में भारत-पाक सीमा पर कई बार अकारण गोलीबारी की, जिसमें सियाचीन क्षेत्र भी शामिल है। इस प्रकार की घटनाओं की गम्भीरता को समझते हुए इस मामले को, जो भी कार्रवाई आवश्यक समझी गई, पाकिस्तानी प्राधिकारियों के साथ उचित स्तर पर उठाया गया है।

सरकार भारत की राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थिति की लगातार निगरानी करती है और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए उचित कार्रवाई करती है। इस प्रयोजन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल करने का कोई अवसर नहीं है।

[अनुवाद]

आर्टिफिशल स्वीटनर्स

2482. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 नवम्बर, 1996 के "बिजनेस स्टेण्डर्ड" में "आर्टिफिशल स्वीटनर्स में हैव साइड

इफेक्टस्" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय अथवा अन्य अभिकरणों द्वारा प्राप्त की गई सूचना तथा किये गये अनुसंधान के अनुसार इनमें दिए गए तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) विभिन्न ब्रांड नामों से भारत तथा विदेशों में कम कैलोरी वाले चीनी के विकल्प के रूप में बेचे गये एसपारटेम, रसायनिक मिश्रण की बिक्री को रोकने अथवा उस पर नियंत्रण लगाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार एसपारटेम, कृत्रिम स्वीटनर के उपभोग के बारे में अलग-अलग मत हैं। "जर्नल ऑफ डायबिटिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया" में दैनिक आधार पर प्रति किग्रा. शारीरिक वजन पर 50 किग्रा. तक के सेवन को "सुरक्षित" बताया गया है। जबकि अनेक पोषणविदों का मत है कि शर्करा के विकल्प के रूप में कम कैलोरी वाले स्वीटनिंग एजेंट एस्पार्टेम का लम्बे समय तक लगातार सेवन करने से अनुषंगी प्रभाव पड़ सकते हैं जो छह महीने से लेकर एक वर्ष तक लगातार सेवन करने के पश्चात् देखे जा सकते हैं।

तथापित, एफ ए ओ/विश्व स्वास्थ्य संगठन की खाद्य-संयोजी विषयक संयुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार एस्पार्टेम को स्वीटनिंग एजेंट/फ्लेवर एन्हान्सर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जिसकी स्वीकार्य दैनिक मात्रा प्रति कि.ग्रा. शारीरिक वजन पर 40 मि.गा. हैं।

(ग) और (घ). खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में एस्पार्टेम का इस्तेमाल मधुमेह के रोगियों के लिए चिकित्सक के परामर्श पर और समुचित पैकेजिंग व लेबल से युक्त होने पर टेबल टाप स्वीटनर के रूप में इस्तेमाल करने की स्वीकृति हैं।

अंतर्राष्ट्रीय हिन्द महासागर समुदाय सम्मेलन

2483. श्री मुख्तार अनीस : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1996 के प्रारम्भ में तेहरान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिन्द महासागर समुदाय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था;

(ख) यदि हां, तो भारतीय प्रतिनिधियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं; और

(ग) सम्मेलन में लिए गए मुख्य निर्णयों का संक्षिप्त विवरण क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख). जी हां। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (नीति आयोजन) श्री राकेश कुमार ने 10 से 12 नवंबर, 1996 तक तेहरान में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय हिंद महासागर समुदाय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

(ग) सम्मेलन में हिंद महासागर क्षेत्र में विद्यमान संगठनों के माध्यम से सहयोग का संवंर्धन करने का आह्वान किया गया। सम्मेलन में आयात-निर्यात बैंकों, तेलशोधक कारखानों, परिवहन कंपनियों, बीमा कंपनियों, वाणिज्यिक बैंकों, स्टाक एक्सचेंजों और जिन्स बोर्डों, राष्ट्रीय विद्युत एवं प्राइपलाइन ग्रिडों, इस्पात और अलौह कंपनियों, ट्रेडिंग कंपनियों इत्यादि जैसे विषयों पर कार्यशालाओं का आयोजन करने की सिफारिश की गई। सम्मेलन में कार्यशालाओं के आयोजन के समय ही एक वार्षिक सम्मेलन का आयोजन करने की भी सिफारिश की गई। सम्मेलन में सरकारों से औषध द्रव्यों के अवैध व्यापार, मनी लांड्रिंग और शास्त्रों के अवैध प्रसार पर गौर करने के लिए कहा गया ताकि इन समस्याओं को हल किया जा सके और रेडियोधर्मी अपशिष्टों को हिंद माहसागर में फेंकने की संभावना की जांच की जा सके।

केन्द्रीय विद्यालय संयुक्त कार्यवाही समिति से अभ्यावेदन

2484. श्री राधा मोहन सिंह :
श्री संतोष कुमार गंगवार :
श्री शांतिलाल पुरषोत्तम दास पटेल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सितम्बर, 1996 में केन्द्रीय विद्यालय कर्मचारी संघों की संयुक्त कार्यवाही समिति से कुछेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें उन्होंने अपनी शिकायतों का उल्लेख किया है और उनको दूर करने पर जोर दिया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संयुक्त कार्यवाही समिति के साथ कोई द्विपक्षीय बातचीत की गई है;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख). जी, हां। संयुक्त कार्यवाही समिति, जो एक गैर-मान्यताप्राप्त निकाय है, से सितम्बर, 1996 में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। मुख्य मांगें इस प्रकार हैं-केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा इसके बोर्ड से संबंधित कर्मचारियों के संघ का प्रतिनिधित्व, स्थानांतरण समिति की बहाली, पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को विशेष लाभ

तथा भत्ते प्रदान करना, आन्तरिक पदोन्नति कोटा बढ़ाना, प्राचार्य के पद के लिए भर्ती नियमों परिवर्तन, स्थानांतरण नीति को विवेकसम्मत बनाना, केन्द्रीय विद्यालयों में + 2 स्तर पर अधिक वैकल्पिक विषय शुरू करना, समूह 'ग' तथा 'घ' कर्मचारियों को आजीविका प्रोन्नति, तदर्थ सेवाओं को नियमित करना, केन्द्रीय विद्यालय संगठन समूह 'घ' कर्मचारी संघ को मान्यता प्रदान करना, चौकादारों के कार्य घंटों को कम करना, आदि।

(ग) से (ङ). संयुक्त कार्रवाई समिति के साथ कोई बातचीत नहीं की गई है। तथापि, मान्यताप्राप्त संघों द्वारा उठाई गई इसी प्रकार की मांगों पर समय-समय पर उनके साथ बैठकों में चर्चा की गई है/की जाती है।

सती होने के मामले

2485. प्रो. पी.जे. कुरियन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्वतंत्रता के बाद सती होने के कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) क्या इस अपराध के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर मुकदमे चलाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में क्या निर्णय दिया गया है; और

(घ) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) से (ग). राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के पास सती (निषेध) अधिनियम के तहत 1989से 1995 तक दर्ज मामलों की संख्या उपलब्ध है जो इस प्रकार हैं :-

क्र.सं.	वर्ष	दर्ज कराये गये मामले
1.	1989	36
2.	1990	52
3.	1991	17
4.	1992	1
5.	1993	5
6.	1994	2
7.	1995*	2

* बिहार, राजस्थान तथा दमन और दीव से प्राप्त आंकड़े क्रमशः मई, अक्टूबर और नवम्बर, 1995 के है।

(घ) हाल ही के वर्षों मे इस प्रकार के मामलों में काफी कमी आयी है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हड़ताल

2486. श्रीमती मीरा कुमार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दवाओं तथा उपकरणों की कमी और डाक्टरों के एक दिन के लिए हड़ताल पर चले जाने से अपर्याप्त उपचार सुविधा के कारण कुछ रोगियों की मृत्यु हो गई;

(ख) यदि हां, तो क्या इस घटना के संबंध में कोई जांच करायी गयी तथा क्या कोई उपचारात्मक कार्यवाही की गई; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, नहीं। हृदय की गति रूक जाने के कारण एक महिला रोगी, जो एक रेजीडेंट डाक्टर की पत्नी थी, की मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप रेजीडेंट डाक्टरों ने सितम्बर, 1996 के दौरान एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की जिसमें आपाती सेवा सहित सभी वार्डों में बेहतर रोगी परिचर्या सुविधाओं और जीवन रक्षक उपकरणों की मांग की गई थी।

(ख) और (ग). रोगी की मौत के कारण का पता लगाने और उपकरणों और जीवन रक्षक औषधों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए जांच की गई थी। कैजुअल्टी में सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु तत्काल अपेक्षित उपाय किए गए थे।

सीमा सड़क संगठन द्वारा सड़कों का निर्माण

2487. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में सीमा सड़क संगठन (प्रोजेक्ट सम्पर्क) द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न सड़क परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं;

(ख) इन सड़कों का निर्माण कब से शुरू किया गया है, इन सड़कों की लम्बाई कितनी है, वर्ष 1995-96 के अंत तक इस कार्य पर कितनी राशि व्यय की गई तथा चालू वर्ष में व्यय का अनुमान क्या है;

(ग) प्रत्येक परियोजना को पूरा करने के लिए निर्धारित तिथि क्या है;

(घ) निर्माण कार्य शुरू करने के समय कितनी लम्बी दयाले चक-छलियां सड़क पर उक्त कार्य शुरू किया गया था, उस पर कितनी राशि व्यय की गई है और इसके कार्यान्वयन में अत्यधिक विलम्ब के कारण क्या हैं; और

(ङ) बसोहली-भद्रवाह सड़क के निर्माण का कार्य कब शुरू किया गया था और इस पर कितनी राशि खर्च हुई तथा

आतंकवादियों द्वारा कितने मूल्य की मशीनों को नष्ट किया गया और आतंकवाद को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा संबंधी उपाय क्यों नहीं किए गए?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) से (ग). जम्मू-कश्मीर में परियोजना सम्पर्क के तहत सीमा सड़क संगठन द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न सड़क परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) दयाले चक-छलियां (रामकोट) सड़क 24.92 कि.मी. लम्बी है। सीमा सड़क संगठन ने इसका निर्माण करने का कार्य मई, 1994 में अपने हाथ में लिया था। कार्य शुरू किए जाने की तारीख से मार्च, 1996 तक व्यय की गई राशि 38.90 लाख रुपए है। इस कार्य में कोई विलम्ब नहीं हो रहा है और कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है तथा इनकी उपलब्धता और अन्य स्थानीय घटकों व कानूनी जटिलताओं के मद्देनजर कार्य पूरा होने की सम्भावित तारीख मार्च, 1999 है।

(ङ) 175.80 किमी. लम्बी बसोली भद्रवाह सड़क जन्, 1985 से मार्च 1986 के दौरान जम्मू-कश्मीर सरकार और जम्मू-कश्मीर जल परियोजना प्राधिकरण से प्राप्त की गई थी। इसके पूरे होने की अनुमानित लागत 47.00 करोड़ रुपए है। मार्च, 1996 तक इस पर 23.24 करोड़ रुपए व्यय हो चुके हैं।

2 दिसम्बर, 1993 को उग्रवादी कार्रवाई के कारण वाहनों, संयंत्र, उपस्करों और मशीनरी की हुई क्षति की लागत 50.59 लाख रुपए थी। सुरक्षा उपलब्ध कराया जाना राज्य सरकार का दायित्व है क्योंकि सीमा सड़क संगठन सशस्त्र बल नहीं है।

विवरण

निमार्णधीन सड़कें (पी) संपर्क सीमा सड़क संगठन

क्र.सं.	सड़कों के नाम	निर्माण शुरू होने की तारीख	लम्बाई (कि.मी.)	3/96 तक किया गया व्यय	1996-97 के लिए अनुमानित व्यय(रख-रखाव सहित)		कार्य पूरा होने की संभावित तारीख
1	2	3	4	5	6		7
				(लाख रुपए में)			
1.	टे बी आर-राजोरी पुंछ	4/96	133.65	115.25	231.88	3/2000	भूमि अर्जन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के कारण।
2.	सुंदर बनी-बेरी पैट्टेम नौसेर	9/84	37.00	170.27	41.19	3/97	
3.	बी जी-हमीरपुर-एफडीएल. 481	9/88	33.00	755.65	42.17	3/97	भूमि अर्जन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के कारण।
4.	कलाल-बांगर	11/89	35.38	916.23	6.82	3/97	वही
5.	नौशेरा-बांगर	12/93	27.00	98.05	29.636	3/97	
6.	राजौरी-थानामंडी, एस.के.टी.	6/90	57.00	68.39	80.569	3/98	
7.	भाराक-मुंडी-धार	2/93	22.24	206.39	43.05	3/98	
8.	कटरा-रियासी-सिआर-राजौरी	1/95	125.00	346.94	82.66	3/99	
9.	डोमेल-कटरा-रिआसी	2/95	41.50	23.92	26.573	3/2000	
10.	डासाल-गुजरां-एस्कोन्साइट	2/93	5.70	100.00	2.07	3/98	
11.	हमीरपुर-एफ डी एल-495	4/92	10.50	158.63	7.332	3/97	
12.	भाराक-रांसु-एस्कोन्साइट	12/95	28.35	172.62	10.64	3/99	
13.	पौनी-भगोट-सुंदरबनी-नौशेर	11/71	61.00	124.76	22.22	3/99	भूमि अर्जन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के कारण।
14.	सेरी-कलाल-रूम्लीधारा	9/87	23.00	363.31	34.857	3/97	वही
15.	पौनी-सिआर-राजौरी	4/95	99.00	8.92	39.749	3/2000	
16.	गुलपुर-सरला	2/94	8.78	242.84	29.81	3/2000	
17.	एफ डी एल-471.एफ डी 477 एफ डी एल-481	2/95	30.50	247.69	157.96	3/2000	
18.	एफ डी एल-556. एफडीएल-561	10/95	7.92	69.78	35.607	3/2000	
19.	टी जे एन-एफ डी एल-570	1/96	12.30	37.66	118.88	3/2000	
20.	तारकुंडी-एफ डी एल-501	12/95	10.30	293.23	75.110	3/99	

1	2	3	4	5	6	7
21.	के जी टॉप-एफ डी एल-433	अभी शुरू नहीं हुआ।	1.40	–	6.40	3/98
22.	कुलपुर-चिचि	वही	4.50	–	8.06	3/2000
23.	वाइ जे एन-एफ डी एल-573	वही	3.00	–	6.85	3/98
24.	मुख्यालय 80इंफैंट्री ब्रिगेड-टी ए सी एच क्यू	9/96	32.28	–	6.40	3/98
25.	बुटिल-मोहर-गुल	6/96	120.00	154.48	407.02	3/99
26.	बालनवेने-धाराल-लैम	11/71	19.00	130.58	44.28	3/97 भूमि अर्जन की प्रक्रिया पूरी न हो पाने के कारण।
27.	गढ़-धाराल	11/71	12.00	105.20	5.45	3/97 वही
28.	रिआर-पौंडी	3/89	26.00	120.50	11.28	23/97 वही
29.	राजोरी-कांडी-बुटिल	5/67	55.00	20.09	45.274	3/97 वही
30.	सिआर-सोल्की-सिआत	कार्य हाथ में नहीं लिया।	21.00	–	6.40	3/98
31.	सफरा-पिंडीगली	वही	12.00	–	53.95	3/99
32.	बारेरी-कलसिआन	11/74	15.00	115.20	3.37	3/2000 भूमि अर्जन की प्रक्रिया पूरी न हो पाने के कारण।
33.	पुंछ-कुलपुर	अभी शुरू नहीं हुआ।	1.46	–	–	3/2000
34.	कलाई-झलास	4/86	17.00	8.58	47.53	3/98 भूमि अर्जन की प्रक्रिया पूरी न हो पाने के कारण।
35.	के जी टॉप-झलास टी जे एन	5/95	23.00	0.92	5.09	3/97
36.	बनवाट-मेंड्री	1/95	17.00	2.90	16.15	3/97
37.	बनवाट-गढ़ी	5/95	6.00	1.07	2.17	3/97
38.	बी जी मेंडर-बालनोई	24/86	37.00	3.71	8.45	3/97 भूमि अर्जन की प्रक्रिया पूरी न हो पाने के कारण।
39.	नगरोटा बाइपास	जुलाई, 91	16.25	385.31	236.49	मार्च, 98
40.	मानसर-सिद्दरा	अभी शुरू नहीं हुआ	37.93	–	58.84	मार्च, 99
41.	बसोली-वणी-भद्रवाह	अगस्त, 87	175.80	2324.00	219.24	मार्च, 2000 आतंकवाद की समस्या के कारण संयुक्त सर्वेक्षण को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
42.	बेट्टला-माला	मई, 82	26.04	398.00	15.29	मार्च, 98 भूमि अधिप्राप्ति को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
43.	चिनाब बी आर को पहुंच मार्ग	मई, 78	7.51	100.24	9.56	मार्च, 98 वही
44.	केरी-लेलेड़ी	फरवरी, 90	9.15	83.23	8.40	मार्च, 97

1	2	3	4	5	6		7
45.	दयाल-चक-ए.एस.सी.एन.स्थल	फरवरी, 94	2.83	10.32	3.00	मार्च, 97	
46.	बेटल-ए.एस.सी.एन.	जुलाई, 93	1.85	40.72	0.87	मार्च, 97	
47.	सांबा-मावा-स्कर्टीकलां	फरवरी, 92	16.50	70.81	6.40	मार्च, 97	
48.	जम्मू-अखनूर	जनवरी, 90	27.20	42.08	246.26	मार्च, 98	
49.	कलीथ-कचेनियल	फरवरी, 94	11.34	159.92	10.29	मार्च, 98	
50.	कलीथ-गुलाबा-चप्पर	फरवरी, 94	15.01	179.16	33.98	मार्च, 98	
51.	चिनौटा-माना-नाला	मार्च, 94	9.55	115.75	288.83	मार्च, 98	
52.	अखनूर-बंला	मार्च, 70	41.37	306.90	110.18	मार्च, 97	भूमि अधिप्राप्ति को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
53.	अखनूर-सोबाल-कलीथ	नवम्बर, 83	18.49	194.34	10.57	मार्च, 97	वही
54.	सतवारी आर.एस.पुरा	फरवरी, 80	15.54	7.29	39.19	मार्च, 97	वही
55.	चक्की-धर	जुलाई, 93	17.97	3.24	46.52	मार्च, 97	
56.	अखनूर-मानिदवाला	फरवरी, 92	37.38	22.35	10.38	मार्च, 97	भूमि अधिप्राप्ति को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
57.	बारी-ब्राह्मण अनिया रामगढ़	जुलाई, 78	29.28	88.32	2.00	मार्च, 97	वही
58.	सांवा-बट्टल	मार्च, 94	27.00	296.79	20.15	मार्च, 97	
59.	धर-उधमपुर	जुलाई, 91	129.72	601.82	16.07	मार्च, 97	
60.	दयाल-चक-रामकोट	मई, 94	24.92	38.90	13.00	मार्च, 99	
61.	मोती-तुब्बा-लखरमंडी दनखुड	मई, 90	14.12	106.76	35.580	मार्च, 97	
62.	जी.पी.ओ.चौक से बस स्टैंड	मई, 90	1.49	38.53		मार्च, 97	

नोट * पी.डी.सी.-पूर्ण होने की संभावित तिथि
डी.ओ.सी.-शुरू होने की तिथि
एन.वाई.सी.-अभी शुरू नहीं हुआ
एल/ए.-भूमि अधिप्राप्ति
एच/टी-हैंडलिंग/टेकिंग

* कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि निधियों की उपलब्धता, कानूनी जटिलताओं तथा अन्य स्थानीय घटकों के अध्यधीन है।

[हिन्दी]

विज्ञापन के लिए लाईट हाउसिज (दीप घर) का उपयोग

2488. श्री दत्ता मेघे : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ प्रमुख औद्योगिक घराने अपने उत्पादों के विज्ञापन के लिए लाइट हाउसिज (दीपघरों) का प्रयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या नीति है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रस्तावों के गुण-दोष के आधार पर इस मामले में विचार किया जाएगा (औद्योगिक घरानों द्वारा अपने उत्पादों के विज्ञापन हेतु दीपघर और दीपपोत विभाग से सम्पर्क करने के बाद)।

[अनुवाद]

दक्षिणी एयर कमान का विस्तार

2489. श्री सुरेश कोडीकुन्नील : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास त्रिवेंद्रम, केरल में दक्षिणी एयर कमान के विस्तार के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या एयर कमान का कार्यकरण संतोषजनक है;

(ग) यदि हां, तो उक्त कमान एकक की उपलब्धियां क्या हैं;

(घ) क्या केरल सरकार ने दक्षिणी एयर कमान, त्रिवेंद्रम के उपयोग हेतु पर्याप्त भूमि आबंटित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) से (ग). जी, नहीं। त्रिवेन्द्रम में मौजूदा दक्षिण वायु कमान संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है। वे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को प्रशासन व्यवस्था के अलावा इस क्षेत्र में कई अंतर सेना अभ्यास आयोजित करते आ रहे हैं।

(घ) और (ङ). केरल सरकार 53 एकड़ भूमि आबंटित करने के लिए सहमत हो गई थी। परन्तु निर्धारित भूमि का हिस्सा अधिगृहीत नहीं किया जा सका। केरल सरकार को अभी वैकल्पिक स्थान का पता लगाना है।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठन द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम

2490. श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान परिवार कल्याण परियोजना के लिए विभिन्न और गैर-सरकारी संगठनों को आबंटित की गई राशि तथा उसके संगठन-वार प्रतिफल के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आबंटित राशि का उचित ढंग से उपयोग किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उन संगठनों के बारे में ब्यौरा क्या है जिनकी वास्तविक जांच की गयी थी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए अनुमोदित योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अधीन गैर-सरकारी संगठनों को आबंटित निधियों और भुगतान की गई सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

भुगतान की गई/आबंटित की गई

(करोड़ रुपये में)

योजना	1993-94		1994-95		1995-96	
	आबंटित	भुगतान की गई	आबंटित	भुगतान की गई	आबंटित	भुगतान की गई
स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी	5.00	4.62	7.50	7.60	9.49	9.49
यू एस एड सहायता प्राप्त पीवीओएच-II	2.70	2.70	2.50	3.60	8.55	8.43
यूएनएफपीए सहायता प्राप्त	1.18	1.08	1.18	1.28	1.11	1.17

जिन संगठनों ने एक लाख रुपये से अधिक का अनुदान प्राप्त किया, उनके नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किए गए हैं।

(ख) और (ग). जिला/राज्य प्राधिकारियों द्वारा दूसरी किश्त का भुगतान करने से पूर्व प्रगति की समवर्ती मानीटरिंग करने और समुपयोजन प्रमाण-पत्र स्वीकार करने हेतु एक अन्तःनिर्मित तंत्र है। इसके अतिरिक्त गैर सरकारी संगठनों की परियोजनाओं का मूल्यांकन भी स्वतंत्र अधिकरणों/संस्थाओं के जरिए करवाया जाता है। किसी विशेष गैर-सरकारी संगठन के विरूद्ध शिकायत के मामले में क्षेत्रीय निदेशक अथवा केन्द्रीय टीम द्वारा मौके पर जाकर सत्यापन किया जाता है।

[अनुवाद]

बैंगलोर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्यालय

2491. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिणी राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आन्ध्र प्रदेश तथा पांडिचेरी में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इन दक्षिणी विश्वविद्यालयों के प्राधिकारियों को विभिन्न स्वीकृति प्राप्त करने तथा अन्य मामलों के लिए दिल्ली जाना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बैंगलोर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो बैंगलौर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय को कब तक खोला जायेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने के पात्र दक्षिण राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों की संख्या निम्नानुसार है :-

आन्ध्र प्रदेश	8
कर्नाटक	7
केरल	4
पांडिचेरी	1
तमिलनाडु	10

(ख) जी हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

डीम्ड विश्वविद्यालय

2492. श्री बी.एल. शंकर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में डीम्ड विश्वविद्यालयों की संख्या क्या है;

(ख) डीम्ड विश्वविद्यालयों को मान्यता दिये जाने के मानदण्ड क्या हैं; और

(ग) डीम्ड विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में नियंत्रण प्राधिकारी का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) देश में 38 सम विश्वविद्यालय हैं।

(ख) केन्द्र सरकार वि.अ.आ. (यू.जी.सी.) की परामर्श पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके किसी भी उच्च शिक्षा संस्था को सम विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान करता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संस्थाओं से प्राप्त ऐसे प्रस्तावों पर विचार करने के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाएं निर्धारित की हैं। ऐसे प्रस्तावों पर कार्रवाई करते समय वि.अ.आ. द्वारा ध्यान रखे जाने वाले मुद्दे निम्नलिखित हैं :-

(एक) प्रार्थी संस्थान एक स्वतंत्र पंजीकृत सोसाइटी अथवा न्यास होना चाहिए। जिसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व हो।

(दो) संस्थान को अपना प्रस्ताव तैयार करते समय कार्य करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

(तीन) संस्थान की विशेषज्ञता के चुने हुए क्षेत्र में शिक्षण और अनुसंधान में लगा रहना अपेक्षित है और संस्थान के पास नवाचारी कार्यक्रम होने चाहिए जिनका शैक्षिक स्तर अत्यधिक ऊंचा होना चाहिए।

(चार) प्रबन्धन को कम से कम 40.00 लाख रु. प्रति वर्ष का आवर्ती अनुदान देने के लिए तैयार होना चाहिए।

(पांच) प्रबन्धन के पास वैज्ञानिक संस्थाओं के संबंध में 50.00 लाख रु. की संचित निधि होनी चाहिए और सामाजिक विज्ञानों में शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रबंधन के पास 25.00 लाख रु. की संचित निधि होनी चाहिए।

(छः) वि.अ.आ. द्वारा प्रस्ताव पर विचार करने हेतु राज्य सरकार के साथ-साथ संबद्ध विश्वविद्यालय की सहमति प्राप्त करनी चाहिए।

जहां तक इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, प्रबन्धन, फार्मेसी आदि क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं का संबंध है, प्रस्ताव प्रथमतः जांच हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है जैसा कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

अधिनियम में दिया गया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने भी ऐसे प्रस्तावों पर विचार करने हेतु अलग मार्गदर्शी रूपरेखाएं निर्धारित की हैं।

(ग) सम विश्वविद्यालय अपने संघ ज्ञापन और वि.अ.आ. द्वारा अनुमोदित नियमावली के प्रावधानों के अनुसार अभिशासित होते हैं।

[हिन्दी]

"सिक्किल सेल" रोग

2493. श्री नारायण अठावले :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 अक्तूबर, 1996 के "राष्ट्रीय सहारा" में "एड्स से भी घातक" सिक्किल सेल" का तेजी से विस्तार" शीर्षक से प्रकाशित समाचार को ओर पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश में प्रतिदिन तीस लाख से भी अधिक बच्चे "सिक्किल रोग" का शिकार हो रहे हैं और यह रोग दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक क्षेत्रों में फैलता जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार इस रोग के तेजी से फैलने पर रोक लगाने हेतु एक अभियान चलाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) से (च). सिक्किल सेल रोग रक्त की लाल कोशिकाओं में अपसामान्य हीमोग्लोबिन (एच.बी.एस.) की मौजूदगी से उत्पन्न आनुवंशिक या वंशानुगत रक्त विकार है जिससे गंभीर रूपेण रक्ताल्पता हो जाती है। यह रोग भारत के आदिवासीय जनसंख्या में प्रमुख रूप से और कुछ हद तक अनुसूचित जातियों में पाया जाता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि सिक्किल सेल रोग की घटनाएं मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात और कुछ अन्य राज्यों के कतिपय आदिवासियों में अधिक होती है।

रोग का कोई उपचार नहीं है, फिर भी पहले से ही मौजूद विवाह पूर्व प्रजनक सलाह तथा प्रसवपूर्व निदान सुविधाओं जैसे प्रारंभिक निवारक उपाय के जरिए कुछ हद तक रोगियों के जीवन में सुधार लाया जा सकता है तथा गंभीर जटिलताओं का निवारण किया जा सकता है। कतिपय गैर सरकारी संगठनों ने स्वास्थ्य शिक्षा और रोग की जानकारी संबंधी कार्यक्रम आदिवासियों तथा विभिन्न जाति समूहों के लिए प्रारंभ किया है ताकि इसकी घटना और रूग्णता दर को कम किया जा सके।

[अनुवाद]

विदेशों में भेजे गये शिष्टमंडल

2494. श्री के.डी. सुल्तानपुरी : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः माह के दौरान आपके मंत्रालय द्वारा विदेशों में कितने शिष्टमंडल भेजे गए तथा उन पर कुल कितना खर्च किया गया; और

(ख) उससे देश को हुए लाभ का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कांगड़ा में केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ

2495. श्री हरिन पाठक : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो संस्थान के शासी निकाय ने उक्त स्वीकृति कब दी थी;

(ग) क्या उक्त विद्यापीठ ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख). राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के शासी निकाय ने दिनांक 24 मई, 1995 को हुई अपनी बैठक में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ स्थापित करने के प्रस्ताव को अनुमोदन कर दिया है।

(ग) और (घ). वित्तीय कठिनाइयों के कारण इस विद्यापीठ की स्थापना अभी तक नहीं की गई है।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालयों में आरक्षण संबंधी लाभ

2496. श्री गंगा चरण राजपूत : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालेजों और विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों, रीडरों, प्रोफेसरों, इत्यादि पदों के संबंध में मंडल कमीशन की सिफारिशों के अनुसार आरक्षण लाभ प्रदान किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उच्च शिक्षा सेवा आयोग द्वारा विद्यालयों में पिछड़े वर्गों से कितने प्रिंसिपल नियुक्त किये गये हैं और राज्य सरकारों द्वारा पिछड़े वर्गों से नियुक्त किए गए कुलपतियों की राज्यवार संख्या क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग). यह मामला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सुवर्णरेखा सिंचाई परियोजना

2497. श्री बीर सिंह महतो : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के सिंहभूमि जिले में चांदिल में सुवर्णरेखा सिंचाई परियोजना का कार्य रोकने के क्या कारण हैं: और

(ख) यह कार्य कब तक पुनः आरम्भ किया जाएगा तथा कब तक पूरा किया जाएगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) सुवर्णरेखा परियोजना (बिहार भाग) चांदिल बांध में निर्माण कार्यों को रोकने का मुख्य कारण निधियां को रोका जाना है।

(ख) सिंचाई राज्य का विषय है। राज्य सरकार अपने ही संसाधनों से परियोजना का योजना तैयार करती है, निधियां जुटाती है और कार्यान्वित करती है। परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा उसे प्रदान की गई प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

जड़ी-बूटियां

2498. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न आयुर्वेदिक ग्रन्थों में वर्णित दुर्लभ और बहुमूल्य जड़ी-बूटियों का पता लगाने और पहचान करने के लिये कोई प्रयास किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों के संबंध में किये गये अनुसंधान का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). जी, हां। केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक स्वायत्तशासी संगठन है, ने देश के 17 राज्यों में औषधीय पादपों का सर्वेक्षण करने और उनकी उपलब्धता के स्थान का पता लगाने के लिए 18 औषधीय पादप सर्वेक्षण यूनिटें स्थापित की हैं। इस संबंध में मोनाग्राफ/रिपोर्ट सर्वेक्षण के आधार पर प्रकाशित की गई है।

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर में द्रव्य गुण विज्ञान विभाग ने भी विरल जड़ी-बूटियों "पाषाण भेद" और "प्रसारिणी" पर कार्य किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन अनुसंधान परिषदें, संस्थान और विभिन्न अन्य संगठन विशेष रूप से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जड़ी-बूटी औषधों पर अनुसंधान कार्य में लगे हुए हैं। इस संबंध में शोध पत्र/बुलेटिन पहले ही प्रकाशित किए गए हैं।

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर ने भी प्रसारिणी, शेफालिका, मुस्तक आदि जैसी जड़ी-बूटी औषधों पर अनुसंधान शुरू किया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में राजमार्गों की मरम्मत के लिए धनराशि

2499. श्रीमती छविला अरविन्द नेताम : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनकी मरम्मत के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(ग) क्या स्वीकृत धनराशि का पूर्णतः उपयोग किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) नौ।

(ख) वर्ष 1993-94 से 1995-96 के दौरान अनुरक्षण और मरम्मत अनुदान के रूप में 4983.81 लाख रु. आबंटित किए गए।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आंगनवाडी शिक्षिकाओं को वेतन

2500. श्री एस. अजय कुमार : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंगनवाड़ी शिक्षिकाओं अथवा सहायकों के वेतन तथा अन्य भत्तों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है तथा वेतन भत्ते में वृद्धि कब से की जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) जी, नहीं। आंगनवाडी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अवैतनिक कार्यकर्ता होती हैं और उन्हें मानदेय के रूप में हर माह एक निश्चित राशि दी जाती है। सरकार ने आंगनवाडी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में 2 अक्टूबर, 1992 से वृद्धि की थी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

. अहमदाबाद-बडोदरा एक्सप्रेस मार्ग

2501. श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :
श्री विजय पटेल :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक की सहायता से अहमदाबाद-बडोदरा एक्सप्रेस मार्ग एन ई-1 को वर्ष 1987 में शुरू किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वार्षिक आवंटन कितना किया गया है तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितनी धनराशि खर्च की गयी है; और

(घ) इसके पूरा होने की समय सीमा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख). जी हां। नवम्बर, 96 तक सड़क और पुल कार्यों के बारे में वास्तविक प्रगति लगभग 59.18 प्रतिशत है।

(ग) चालू वित्त वर्ष (1996-97) में इस परियोजना के लिए 10.00 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान व्यय के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

1993-94	31.83 करोड़ रु.
1994-95	19.12 करोड़ रु.
1995-96	14.00 करोड़ रु.
	(नवम्बर, 96 तक)

(घ) सड़क वाले भाग के लिए ठेकेदार को निष्कासित करने के बाद शेष कार्य को निर्माण-प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर करवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसे पूरा किए जाने के बारे में निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा अपील

2502. श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग और इसी प्रकार की कुछ अन्य एजेंसियों ने लोगों से आन्ध्र प्रदेश के उन बुनकर परिवारों को जिनके हाल में आए तूफान से घर तथा करघे नष्ट हो गये हैं, दान देने के लिये अपील की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस आयोग और ऐसी एजेंसियों ने अब तक कितनी-कितनी राशि एकत्रित की है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी धनराशि से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अन्य प्रभावित परिवारों का पुनर्वास करने के लिये क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

गुजरात में आर्सेनिक प्रदूषण

2503. श्री एन.जे. राठवा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात में विशेषकर जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में आर्सेनिक प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार आर्सेनिक प्रदूषण के कारण फैलने वाले रोगों के उन्मूलन हेतु विदेशी स्वास्थ्य अधिकारियों की सहायता से कोई ठोस कदम उठाने का है;

(ग) इसके लिये गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को वर्ष-वार क्या सहायता प्रदान की है;

(घ) क्या इसके लिये राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से और अधिक धनराशि आबंटित किये जाने हेतु अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) गुजरात सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा सेवाएं एवं चिकित्सा शिक्षा (एच एस) विभाग से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार गुजरात में आर्सेनिक प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों की कोई समस्या नहीं है।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सी.टी. स्कैन मशीन

2504. श्री मोहन रावले : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी के किन-किन अस्पतालों में सी.टी. स्कैन मशीन ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही हैं और ये मशीनें कब से खराब हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप दुर्घटना में घायल हुये व्यक्तियों का ठीक उपचार नहीं हो पाता है और उचित निदान और उपचार की सुविधाओं के अभाव में ऐसे व्यक्तियों की मौत हो जाती है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं कि इन अस्पतालों में सी.टी. स्कैन मशीनें सुचारू रूप से काम करें?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). दिल्ली के केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में सी.टी. स्कैन मशीनें कार्य कर रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के नियंत्रणाधीन अस्पतालों के बारे में सूचना संलग्न विवरण पर है।

(ग) जी, नहीं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा सूचित किए अनुसार चिकित्सा अधिकारियों के साथ एम्बुलेंस में ऐसे रोगियों को दूसरे अस्पतालों में भेज दिया जाता है।

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने सूचना दी है कि यह सुनिश्चित करने के सभी संभावित प्रयास किए जाते हैं कि मशीनें सही ढंग से कार्य करें।

विवरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

सी.टी. मशीनों का कार्यकरण

	अस्पतालों के नाम	कब से मशीनें कार्य नहीं कर रही है।	कार्य न करने के कारण
1.	एल.एन.जे.पी. अस्पताल	24.7.1996	हैड सी.टी. स्कैन मशीन खराब हो गई थी।
2.	डी.डी.यू. अस्पताल	(i) 4.2.95-15.1.96	हाई टेंशन जनरेटर दोषपूर्ण है।
		(ii) 23.4.96-9.5.96	इस भाग का आयात करने हेतु
		(iii) 11.5.96-17.5.96	कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है।
		(iv) 28.5.96-24.8.96	
		(v) 26.8.96-आज तक	
3.	जी.टी.बी. अस्पताल	कोई सी.टी. स्कैन मशीन स्थापित नहीं की गई।	
4.	डी.एच.एस. अस्पताल	कोई सी.टी. स्कैन मशीन स्थापित नहीं की गई।	
5.	एम.जी.एम. अस्पताल	कोई सी.टी. स्कैन मशीन स्थापित नहीं की गई।	
6.	जी.बी.पी. अस्पताल	16.11.96 से	केवल एक भाग ही खराब है।
		दिल्ली नगर निगम	
	स्वामी दयानन्द अस्पताल	सी.टी. स्कैन मशीन टर्नकी आधार पर मैसर्स सीमेन्स इंडिया द्वारा स्थापित की जा रही है, परन्तु अभी तक सौंपी नहीं गई है।	

[हिन्दी]

भारतीय सड़क निर्माण निगम में पदोन्नति

2505. श्री भक्त चरण दास : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सड़क निर्माण निगम के दिनांक 8.12.1994 के मंत्रालय को भेजे गये पत्र द्वारा और चयन नियमों के अनुसार 9.12.93 से पहले दोन्नति के लिये पात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या इन सभी कर्मचारियों को 22.5.96 को सचिव के साथ हुई बैठक में लिये निर्णय के बाद पदोन्नत किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) 1991-93 के दौरान विभागीय रिक्तियां न होने के बावजूद पदोन्नत किये गये सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान अनुसूचि जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति न किये जाने के क्या कारण हैं;

(च) मित्तल रिपोर्ट के संलग्नक 1.5 (पैरा-3) और कार्य सूची-131 का संलग्नक-5 और टिप्पण सं. 1002, जी एम पी/दिनांक 26.4.93/31.10.95 की विषय वस्तु क्या है; और

(छ) दिनांक 2/9.5.94 अ.ता.प्र. के 5651/5662 और 6677 में पूछी गई सूचना कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (छ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

असम में बाढ़ नियंत्रण

2506. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने असम में बाढ़ नियंत्रण की समस्या से निपटने के संबंध में कार्य योजना हेतु कोई विशेष योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या असम सरकार ने, कोई अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार ने ब्रह्मपुत्र और बराक घाटियों में बाढ़ प्रबंधे के लिए मास्टर योजनाएं तैयार की हैं, जिसके अंतर्गत असम के क्षेत्र भी आते हैं। जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति ने दो स्कीमों अर्थात् असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में पगलदिया बहु-उद्देश्यीय परियोजना और बराक घाटी मे तिपाईमुख बहु-उद्देश्यीय परियोजना अनुमोदन कर दिया है। योजना आयोग से निवेश स्वीकृति के लिए पगलदिय परियोजना की पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति भी प्राप्त कर ली है। तिपाईमुख परियोजना के संबंध में अगस्त, 1995 में कुछ शर्तों के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी। असम, मिजोरम और मणिपुर राज्यों के बीच सहमति न होने के कारण इस परियोजना में आगे और प्रगति का कार्य रूक गया है।

(ग) और (घ). असम सरकार तकनीकी एवं निवेश स्वीकृति के लिए अल्पावधि एवं दीर्घावधि स्कीमें जिनकी लागत एक करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक होती है, प्रस्तुत करती रही है। समय-समय पर इनका अनुमोदन किया जाता रहा है। वर्ष 1996-97 के दौरान अनुमोदित स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य क्षेत्र को योजना आयोग द्वारा आबंटित निधियों के अतिरिक्त, प्राथमिकता वाली स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए 25 करोड़ रुपए का केन्द्रीय अनुदान भी आबंटित किया गया है।

पाकिस्तान द्वारा उक्रेन से टैंक की खरीद

2507. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :
श्री प्रदीप भट्टाचार्य :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 जुलाई, 1996 को इस्लामाबाद में उक्रेन तथा पाकिस्तान के बीच 320 यूक्रेनियन टैंकों की आपूर्ति के लिये 550 मिलियन रुपयों का ठेका किया गया;

(ख) क्या यह बताया गया है कि पाकिस्तान द्वारा इन टैंको की खरीद भारत तथा पाकिस्तान की रक्षा क्षमताओं के बीच संतुलन को अस्थिर कर देगी तथा दोनों देशों के बीच हथियारों की होड़ का एक नया दौर शुरू हो जाएगा;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इस ठेके से उत्पन्न परिस्थिति से निबटने के लिये ठोस कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) उपलब्ध खबरों के मुताबिक, पाकिस्तान और उक्रेन ने तकरीबन 300 टी 80 यूडी टैंक पाकिस्तान को बेचने के बारे में जुलाई, 96 में एक संविदा संपन्न की है।

(ख) और (ग). ऐसी आंशका है कि इन आपूर्तियों से भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संतुलन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। सरकार को यह विश्वास है कि पाकिस्तान द्वारा अपनी जायज आवश्यकताओं से अधिक हथियारों का अर्जन इस क्षेत्र में शान्ति और सुरक्षा के लिए अनुकूल नहीं है।

(घ) और (ङ). सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सभी घटनाओं पर बराबर निगाह रखती है और उसे अक्षुण्य रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है।

जीरो वेकेन्सी की संकल्पना

2508. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों की तैनाती के परिप्रेक्ष्य में 'जीरो वेकेन्सी' की संकल्पना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अभी तक इस संकल्पना को जारी रखा गया है;

(ग) यदि हां, तो इसकी कार्यप्रणाली का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ). शिक्षकों के स्थानान्तरण/तैनाती के लिए शासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित स्थानान्तरण मार्गदर्शी सिद्धान्तों में 'शून्य रिक्ति' को किसी संकल्पना का उल्लेख नहीं है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के पौते-पोतियों को केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश

2509. श्री शान्तिलाल पुरषोत्तम दास पटेल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय और केन्द्रीय विद्यालय संगठन में कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पोते-पोतियों को प्राथमिकता के आधार पर केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख). केन्द्रीय विद्यालय संगठन और केन्द्रीय विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के पौत्रों-पौत्रियों को केन्द्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए प्राथमिकता के दृष्टिकोण से दूसरा स्थान दिया जाता है।

[अनुवाद]

वाणिज्यिक रूप से यौन शोषण

2510. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1996 में स्टाक होम में आयोजित विश्व कांग्रेस का ध्यान वाणिज्यिक रूप से यौन शोषण की ओर आकृष्ट किया गया था;

(ख) इस बुराई पर रोक लगाने हेतु विश्व कांग्रेस ने क्या विशेष उपाय सुझाए हैं; और

(ग) इस मामले को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) जी, हां।

(ख) वाणिज्यिक रूप से बच्चों के यौन शोषण के विरूद्ध विश्व कांग्रेस, जिनका आयोजन, 27 से 31 अगस्त 1996 को स्टाक होम (स्वीडन) में किया गया था, में एक घोषणा और कार्यवाही कार्यक्रम पर सहमति व्यक्त की गयी। कार्यवाही कार्यक्रम में समेकित नीतियों और उपायों की मांग की गयी है ताकि सन् 2000 तक शोषित बच्चों की संख्या को कम करने और बच्चों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से निर्धारित समय सीमा में निश्चित लक्ष्यों के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम और प्रगति संसूचक तैयार किये जा सकें। कार्यवाही कार्यक्रम में राष्ट्रीय और स्थानीय स्तरों पर कार्यान्वयन तथा प्रबोधन तंत्र विकसित करने तथा सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्रों के बीच निकट सम्पर्क और सहयोग स्थापित करने के लिये राष्ट्रीय सरकारों का आह्वान किया गया है ताकि बच्चों के वाणिज्यिक रूप से यौन शोषण के विरूद्ध उपाय करके उन्हें कार्यान्वित किया जा सके।

(ग) भारत सरकार ने निम्नलिखित कानूनों के मौजूदा उपबन्धों के कड़े कार्यान्वयन के अलावा बच्चों के यौन शोषण की समस्या के समाधान के लिये प्रमुख आपराधिक कानूनों में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा सुझाये गए संशोधनों की विधि आयोग को भेज दिया है :—

(एक) भारतीय दण्ड संहिता,

(दो) अनैतिक पणन (निवारण) अधिनियम, 1986, और

(तीन) किशोर अपराध न्याय अधिनियम, 1986 बाल वेश्याओं को बचाने और उनके पुनर्वास के लिये सरकार ने कानूनी और गैर-कानूनी दोनों प्रकार के दृष्टिकोणों की समीक्षा और संस्तुतियां करने के लिये एक केन्द्रीय सलाहकार समिति का गठन किया है। इसके अलावा, सरकार बच्चों विशेषकर बालिकाओं की स्थिति में बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और महिला शक्ति सम्पन्नता के माध्यम से समग्र सुधार लाने का भी प्रयास कर रही है।

परियारम चिकित्सा महाविद्यालय को आवंटन

2511. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के कन्नानोर में परियारम चिकित्सा महाविद्यालय को उनके मंत्रालय द्वारा आवंटित धनराशि की कितनी अग्रिम राशि दी गयी है;

(ख) परियारम चिकित्सा महाविद्यालय परियोजना को दी गई ऐसी अग्रिम धनराशि की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इस तरह की अग्रिम धनराशि किसी चिकित्सा महाविद्यालय अथवा शिक्षण संस्थान को दी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने परियारम मेडिकल कालेज, कन्नानोर केरल को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसिज वर्धा को पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई वित्तीय सहायता नीचे दी गई है :—

1993-94	250 लाख रुपये
1994-95	275 लाख रुपये
1995-96	400 लाख रुपये

स्मारक

2512. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी स्मारकों को प्रदूषण के कारण खतरा है और उनका संरक्षण भी नहीं किया जाता है;

(ख) क्या इनमें से अनेक स्मारक पैर, हाथों से छूने तथा गाड़ियों, पर्यटकों की बसों से निकले वाले धुएं के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं;

(ग) क्या ताजमहल, फतेहपुर सीकरी तथा दिल्ली का लाल किला भी प्रभावित हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन मामलों में क्या उपाय किए जाने पर विचार किया जा रहा है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) से (घ). हालांकि यह सही नहीं है कि सभी स्मारक संरक्षण के अभाव से ग्रस्त हैं तथापि ऐसे अनेक प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा के उपाय करना आवश्यक है जिन्हें संभावित प्रदूषण का खतरा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मानवीय, औद्योगिक तथा वाहनीय प्रदूषण से ग्रस्त ताजमहल, फतेहपुरी सीकरी तथा दिल्ली स्थित लाल किला के साथ-साथ केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों की सुरक्षा के अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों में वनरोपण, उद्योगों के प्रदूषण स्तर का अनुवीक्षण, उद्योगों के स्थान निर्धारण के दिशा निर्देश तथा उत्सर्जन एवं बहिस्राव मानक तैयार करना शामिल हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय साक्षरता अभियान

2513. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय साक्षरता अभियान का व्यापक प्रचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में किन-किन जिलों को पूर्णरूपेण साक्षर घोषित कर दिया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन तथा प्रचार के माध्यम से साक्षरता संबंधी संदेशों का प्रचार-प्रसार करता है।

(ख) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को पूर्ण रूप से साक्षर जिला घोषित करने की संकल्पना से अलग कर दिया गया है। संपूर्ण साक्षरता के पूरा होने के पश्चात शिशुओं द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान को समेकित करने के लिए जिलों में उत्तर साक्षरता अभियान शुरू किए जाते हैं। इस समय उत्तर साक्षरता चरण के अन्तर्गत 174 जिले हैं।

[अनुवाद]

कलकत्ता पत्तन के लिए गंगा का पानी छोड़ना

2514. श्री तरित बरण तोपदार : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऊपरी धारा अर्थात् उत्तर प्रदेश और बिहार से कलकत्ता पत्तन तथा बंगलादेश को गंगा से और अधिक पानी छोड़ने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग). भारत और बंगलादेश के बीच फरक्का पर गंगा जल के प्रवाहों के बंटवारे पर बंगलादेश के साथ इस समय बातचीत चल रही है।

फरक्का जल का बंटवारा

2515. श्री पी.आर. दास मुंशी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश की वर्तमान सरकार ने हमारी सरकार के साथ फरक्का जल वितरण पर नये सिरे से कोई वार्ता शुरू की थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा बंगलादेश के साथ फरक्का बांध के जल वितरण फार्मूले में पश्चिम बंगाल सरकार का सरकारी पक्ष क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) फरक्का पर गंगा जल के बंटवारे के लिए परस्पर सहमति के जरिए समाधान निकालने के संबंध में निरंतर विचार-विमर्श किया जा रहा है। इन विचार-विमर्शों में पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों को भी सहयोजित किया जाता है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र

2516. श्री सिद्दय्या कोटा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र ने न्यासियों को नियुक्त किये जाने के संबंध में कोई मार्ग निर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संस्था द्वारा आजीवन न्यासी नियुक्त किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में मार्ग निर्देशों का अनुपालन किय गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) और (ख). इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के न्यासियों की नियुक्ति ट्रस्ट के घोषणा विलेख के अनुसार की जाती है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ). घोषणा विलेख के उपबंधों के अनुसार, ट्रस्ट ने दिनांक 18.5.1995 को हुई अपनी बैठक में कुछ संशोधन किये जिनके अनुसार छः संस्थापक न्यासियों को आजीवन न्यासी बनाया गया।

स्वास्थ्य सेवाएं

2517. डा. महादीपक सिंह शाक्य :
जस्टिस गुमान मल लोढा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 सितम्बर, 1996 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "स्टिल आन द सिक बेड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह सुझाव दिया है कि देश के सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 5 प्रतिशत का व्यय स्वास्थ्य पर किया जाना चाहिए;

(ग) यदि हां, तो क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय सकल घरेलू उत्पाद के औसतन 3 प्रतिशत पर रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सिफारिश की है कि स्वास्थ्य के लिए सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 5 प्रतिशत आवंटित किया जाना चाहिए। विश्व विकास रिपोर्ट, 1993 के अनुसार भारत में स्वास्थ्य पर खर्च किए गए सकल घरेलू उत्पाद (1990) की प्रतिशतता 6 प्रतिशत है जिसमें से सार्वजनिक क्षेत्र में 1.3 प्रतिशत तथा प्राइवेट क्षेत्र में 4.7 प्रतिशत है। तथापि पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्रों के लिए कुल योजना परिव्यय देश के कुल योजना परिव्यय के 3 प्रतिशत से कुछ अधिक

[हिन्दी]

सभी के लिए स्वास्थ्य

2518. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में "सन 2000 ई. तक सभी के लिए स्वास्थ्य" योजना के अन्तर्गत क्या प्रगति की गई है;

(ख) प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करने हेतु की गयी व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आयुर्वेदिक डाक्टरों तथा औषधियों की क्या भूमिका है;

(घ) "मोबाईल डाक्टर योजना" समाप्त कर दिये जाने के पश्चात गांवों के लिए क्या वैकल्पिक स्वास्थ्य योजना तैयार की गयी है;

(ङ) प्रत्येक गांव में प्रसूति सुविधा प्रदान किये जाने हेतु चालू कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(च) स्वास्य संबंधी विभिन्न क्षेत्रों में स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठनों द्वारा क्या भूमिका निभायी जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (च). राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि में हुई प्रगति की समीक्षा से पता चलता है कि सन् 2000 ईसवी तक केवल कुछ ही लक्ष्यों जैसे शिशु मृत्यु दर, आशोधित मृत्यु दर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के लिए टीकाकरण के लक्ष्य और कुष्ठरोग उन्मूलन को पूरी तरह प्राप्त किया जा सकता है।

एक बहुत बड़ा ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचा जिसमें 1.4.1996 तक पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए 1,32,727 उपकेन्द्र, 21,853 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 2,424 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, स्थापित किया गया हैं। कुछ राज्यों द्वारा विदेशी सहायता से एक चरणवार तरीके से द्वितीयक स्तर के अस्पतालों को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं में वृद्धि करना है जहां महिलाओं की जरूरतों का पता लगाया गया है।

लोगों को स्वास्थ्य परिचर्या सेवायें प्रदान करने के ढांचे का विस्तार करने के लिए भारतीय चिकित्सा प्रणाली और होमियोपैथी के विकास पर जोर दिया गया है। मलेरिया, क्षयरोग, कुष्ठ रोग, दृष्टिहीनता, एड्स, कैंसर आदि जैसे संचारी और गेर-संचारी रोगों के नियन्त्रण/उन्मूलन के लिए कार्यक्रमों का कार्यान्वयन हो रहा है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत शिशु जीवन-रक्षा और सुरक्षित मातृत्व जिसमें टीकाकरण और सुरक्षित प्रसव शामिल है, पर जोर दिया गया है। लोगों को विशेषकर दृष्टिहीनता, कुष्ठरोग और परिवार कल्याण कार्यक्रमों में व्यापक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए गैर-सरकारी संगठनोंस्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर व्यय

2519. श्री अशोक प्रधान : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के खुर्जा क्षेत्र के अधीन आने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार इन राष्ट्रीय राजमार्गों के रख रखाव पर कितना खर्च हुआ है;

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि गाजियाबाद-दादरी-सिकंदराबाद/बुलन्दशहर राष्ट्रीय राजमार्ग जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त राष्ट्रीय राजमार्गों के उचित रख-रखाव के लिए कोई विशेष योजना बनाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश राज्य के खुर्जा क्षेत्र में कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं पड़ता।

(ग) उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद-दादरी-सिकन्दराबाद-बुलन्दशहर सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है।

(घ) से (छ). उपर्युक्त (ग) को मद्दे नजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अपराह्न 3.00 बजे

अध्यक्ष महोदय : अब हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों को लेंगे।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज की कार्य-सूची में, पहले दर्शाया गया विधेयक 'संविधान (अस्सीवां संशोधन) विधेयक, 1996' शामिल नहीं किया गया है। कार्य-सूची पत्र में अचानक परिवर्तन कर दिया गया है और अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) को चर्चा हेतु शामिल कर लिया गया है। यदि कार्य-सूची में शामिल किए गए मदों को इसी तरह बार-बार बदले जाने से हमारे लिए इस निमित्त तैयार होना बहुत कठिन हो जाता है। हम अपने वक्ताओं को नए मदों के लिए तैयार होने को कैसे बता सकते हैं? उसे अंतिम समय में शामिल किया गया। लेकिन इसे अब पुनः बदल दिया गया है। कार्य-सूची में कुछ तो निरंतरता रहनी चाहिए।

यदि 4,000 करोड़ रु. के अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा की जानी है और उसे इस तरह अचानक लाये जाने से हमारे लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाती है। हमें उसकी सूचना पहले दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हम अनुदानों की अनुपूरक मांगों को परसों लेंगे। ठीक है श्री नाईक जी?

श्री राम नाईक : जी, हां।

अपराह्न 3.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग के बीच वर्ष 1996-97 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[हिन्दी]

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी.820/96]

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जन-सहयोग और बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा आदि।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : महोदय, मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) (एक) राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (खण्ड एक और दो) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी.821/96]

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम और मद्रास पत्तन न्यास के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और उनके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा आदि।

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी.822/96]

(2) (एक) मद्रास पत्तन न्यास के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मद्रास पत्तन न्यास के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी.823/96]

(3) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) मद्रास पत्तन न्यास के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मद्रास पत्तन न्यास के वर्ष 1995-96 के लेखापरीक्षित लेखों पर सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी.824/96]

(4) शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और जल-भूतल-परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी.825/96]

नेशनल अकादमी आफ आयुर्वेद, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 और गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन और उनके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा आदि।

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : महोदय, मैं श्री सलीम इकबाल शेरवानी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) नेशनल अकादमी आफ आयुर्वेद, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल अकादमी आफ आयुर्वेद, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी.826/96]

(3) (एक) गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी.827/96]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखे तथा उन्हें सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण आदि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष, 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी.828/96]

(3) (एक) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी.829/96]

(4) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी.830/96]

(5) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी.831/96]

(7) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी.832/96]

(9) (एक) लोक जुम्बिश परिषद, जयपुर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लोक जुम्बिश परिषद्, जयपुर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी.833/96]

(10) (एक) महिला समख्या सोसाइटी, कर्नाटक के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महिला समख्या सोसाइटी, कर्नाटक के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षक की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी.834/96]

(11) (एक) महिला समख्या सोसाइटी, उत्तर प्रदेश के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महिला समख्या सोसाइटी, उत्तर प्रदेश के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी.835/96]

(12) (एक) महिला समता सोसाइटी, आन्ध्र प्रदेश के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महिला समता सोसाइटी, आन्ध्र प्रदेश के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी.836/96]

(13) (एक) महिला समख्या सोसाइटी, गुजरात के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महिला समख्या सोसाइटी, गुजरात के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी.837/96]

(14) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ मेनेजमेंट, अहमदाबाद के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ मेनेजमेंट, अहमदाबाद के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी.838/96]

(15) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के पोषित संस्थानों के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी.839/96]

(17) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, दुर्गापुर के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, दुर्गापुर के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथ अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी.840/96]

(19) (एक) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी.841/96]

(21) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी.842/96]

(23) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी.843/96]

(24) (एक) मालवीय क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मालवीय क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी.844/96]

(26) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, हमीरपुर के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, हमीरपुर के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी.845/96]

(28) (एक) नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी.846/96]

(29) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी.847/96]

छावनी बोर्ड के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन आदि

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : महोदय, मैं छावनी बोर्डों के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी.848/96]

अपराह्न 3.02 बजे

[अनुवाद]

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 6 दिसम्बर, 1996 को सभा में प्रस्तुत किए गए अपने पहले प्रतिवेदन में सिफारिश की थी कि निम्नलिखित सदस्यों को उनके नामों के सामने दर्शायी गई अवधि के साथ लिए की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी जाय।

1.	श्रीमती भावना चिखलिया	10-7-96 से 26-7-96
2.	श्रीमती वसुन्धरा राजे	10-7-96 से 2-8-96 और 26-8-96 से 13-9-96
3.	श्री पी. कोदंडा रमैया	26-8-96 से 13-9-96
4.	श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार	26-8-96 से 13-9-96

क्या यह सभा समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार उन्हें इसकी अनुमति देती है।

कई माननीय सदस्य : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति दी जाती है। सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जाएगा।

अपराह्न 3.03 बजे

संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक संबंधी संयुक्त समिति

प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मैं संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक, 1996 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूं ...**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, हम चाहते हैं कि यह विधेयक इसी सप्ताह में पारित किया जाए ...**(व्यवधान)** । हमने इस पर पहले ही चर्चा कर ली है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, अब यह रिपोर्ट सदन में आ चुकी है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप निर्देश दीजिएगा कि इसे पास किया जाए। **(व्यवधान)** आपने पहले सिलैक्ट कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए कहा। अब रिपोर्ट सदन में आ गई है। **(व्यवधान)**

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, एवीडेंस ले नहीं किया है। इसलिए आप समिति को एवीडेंस को भी ले करने के लिए कहें। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : विधेयक को बिना चर्चा किए पारित किया जाए ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि इस बिल को आज ही पास किया जाए, आप ऐसी व्यवस्था करें। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब यह संख्या 10 ली जाएगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें इसका दूसरा भाग पढ़ना है।

अपराह्न 3.04 $^{1}/_{2}$ बजे

संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक संबंधी संयुक्त समिति

साक्ष्य

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मैं संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक, 1996 संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्यों का रिकार्ड सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहती हूं।

महोदय, मैं भी सभी अपने मित्रों की इस मांग का समर्थन करती हूं कि विधेयक को बिना किसी विलम्ब के पारित किया जाए। यह समिति की अंतिम सिफारिश है। आज संविधान सभा की पहली बैठक की पचासवीं वर्षगांठ है।

इस अवसर के सम्मान में हम ऐसा कर सकते हैं ...**(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर) : महोदय, हम इसका समर्थन करेंगे लेकिन हम इस पर चर्चा चाहते हैं ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : इसी सत्र में पारित करा दीजिए। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : जी हां महोदय, हम चर्चा चाहते हैं ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति की पिछली बैठक में इस पर चर्चा की गई थी तथा इस बात को ध्यान में रखा गया था कि संयुक्त समिति अपना प्रतिवेदन 9 दिसम्बर को प्रस्तुत कर देगी; तथा उस समय यह महसूस किया गया था कि सदस्यों को इसे पढ़ने के लिए कुछ समय की जरूरत होगी, इसलिए विधेयक पर दो दिन बाद ही चर्चा की गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सदस्यों को इस प्रतिवेदन को पढ़ने के लिए दो दिन की आवश्यकता थी। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। कार्य मंत्रणा समिति द्वारा यही निर्णय लिया गया था।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, आज प्रातः हमें संविधान सभा की पहली बैठक की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लेने का विशेष अवसर मिला। मैं इस अवसर पर कल इस सभा में उठाए गए मामले पर पुनः आता हूं। मैंने इसे अपने देश के सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों विशेष तौर पर पूर्व सैनिकों के संदर्भ में उठाया।

महोदय, 1971 की कार्रवाई के दौरान उनमें से कई महान सैनिकों को वीरता और पराक्रम के लिए विभूषित किया गया था। उसके बाद 1981 में हमारी प्रधान मंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु समिति का गठन किया जिसमें मेरे मित्र-श्री के.पी. सिंह देव तत्कालीन रक्षा राज्य मंत्री के रूप में उस समिति के चैयरमैन थे तथा मुझे भी उसमें काम करने का शुभ अवसर मिला।

महोदय, संक्षेप में मैं सरकार, इस सभा के सभी सदस्यों तथा दूसरी सभा के सदस्यों से भी तीन बातें ध्यान में रखने की अपील करूंगा।

पहले उन सैनिकों, नौसैनिकों तथा वायुसैनिकों, जिनको 1971 में शूरवीरता के लिए अलंकृत किया गया था जिसकी हम आज 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं में से कई सैनिकों को वे लाभ नहीं मिले हैं जिनका संबंधित राज्य सरकारों द्वारा आश्वासन दिया गया था।

इससे मैं दूसरी बात पर आता हूं। वह मुद्दा जिसे उच्च स्तरीय समिति को भेजा गया था—एक सैनिक, नाविक या वायुसैनिक एक ही युनिट में सेवा कर सकते हैं लेकिन वे संघ के विभिन्न राज्यों से आते हैं। एक ही रैजिमेंट के सैनिक अलग-अलग राज्यों से आते हैं। उदाहरण के तौर पर एक सैनिक हरियाणा राज्य का है और दूसरा राजस्थान का। हरियाणा सरकार ने एक सैनिक को शूरवीरता के लिए (एक) दस एकड़ भूमि और (दूसरे) 1,50,000 रुपये की राशि देने की घोषणा करती है। पहली बात पूरी नहीं की गई है। राजस्थान राज्य से आने वाले सैनिक को शूरवीरता के लिए केवल 5 एकड़ भूमि और बहुत कम धन देने की बात कही जाती है। एक और दूसरे सैनिक के बीच यह अंतर तब अधिक जोर पकड़ लेता है जबकि वे भूतपूर्व सैनिक बन जाते हैं। अतः मेरी दूसरी अपील यह है कि दो अलग-अलग राज्यों के भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले लाभ के बीच के अंतर को समाप्त किया जाए।

मेरा तीसरा अनुरोध, यह भी रिपोर्ट में निहित है, यह है कि जब तक वे सेवा में होते हैं तब तक उनके कल्याण की जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है।

जिस क्षण वे भूतपूर्व सैनिक बन जाते हैं उसी क्षण से उनका उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का हो जाता है। मेरे विचार से हमें इस प्रश्न पर ध्यान देने की आवश्यकता है और कम से कम 1971 की उस सैन्य जीत की इस 25वीं वर्षगांठ पर हमें काफी लंबे समय से लंबित उस मामले के निपटान की कोशिश और संकल्प करना चाहिए। मुझे केवल यही एक अपील करनी है।

कुमारी ममता बनर्जी : हम सब इसका समर्थन करते हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मेरा एक आग्रह है। एक भूतपूर्व सैनिकों की एसोसिएशन है। हाल ही में मुझे नागर विमानन मंत्री को लिखना पड़ा कि हवाई अड्डे पर उनके द्वारा चलाई जा रही 'बार सेवाएं' एक एक करके बंद हो रही हैं। कम से कम कलकत्ता में नौ लोगों को सेवा से मुक्त कर दिया गया है। इसलिए आज हमें कम से कम इतना विचार अवश्य करना है कि भूतपूर्व सैनिक इस प्रकार की अक्षमता और नीतियों से परेशान न हों। हम निश्चित तौर पर श्री जसवंत सिंह के कथन का समर्थन करते हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : यह बहुत अच्छा प्रस्ताव है। हम इसका समर्थन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : रक्षा मंत्री यहां उपस्थित हैं। मुझे विश्वास है उन्होंने इसे नोट कर लिया है।

आज हमारे पास शून्य काल के लिए केवल 17 नाम हैं बजाय कि आमतौर पर जो हमारे पास 60 अथवा 70 नाम होते हैं। अतः हर किसी को अवसर मिलेगा। मैं एक-एक करके बुलाऊंगा।

अपराह्न 3.11 बजे

तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री कुमारी जे. जयललिता को केन्द्रीय कारागार, चेन्नई में रखने के बारे में

[अनुवाद]

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सभा का ध्यान उस घटना की ओर आकर्षित कर रहा हूं जिसके बारे में कल, परसों और आज भी बहुत विस्तार से अखबारों में छपा है। तमिलनाडु की भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री जयललिता को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया है। संसद भारत के किसी न्यायाधीश की न्यायिक बुद्धिमता पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं है और मैं भी न्यायिक मताभिव्यक्ति के सवाल का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। सभा को जो बात मैं बताना चाहता हूं वह यह है कि तमिलनाडु राज्य में बहुत सारे मामले हुए हैं जिनके बारे में अगर मैं याद करूं तो मैंने तमिलनाडु की सड़कों पर भारत के संविधान की प्रतियां जलाए जाते हुए देखा है। और इस तरह भारत की एकता की

अभिकल्पना को ही नकारा गया है। इन मामलों की स्थिति के बारे में मैं नहीं जानता।

अपराह्न 3.13 बजे

(श्री पी.सी. चाको पीठासीन हुए)

मुझे याद है कि, श्री राजीव गांधी की हत्या के बाद, यदि भारत की एकता और अखण्डता के लिए तमिलनाडु की धरती पर कोई लडने वाला था तो वह सुश्री जयललिता थीं। इसी के परिणामस्वरूप उन्हें 'जेड' श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई थी। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा देश को यह आश्वासन जरूर देना चाहिए कि हिरासत के दौरान उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। हिरासत के दौरान वह 'लिट्टे' द्वारा समर्थित किसी भी प्रकार के आतंकवादी तत्वों से बिल्कुल सुरक्षित होंगी।

मैं सुश्री जयललिता द्वारा खेलकूद के क्षेत्र में, 'सैफ' खेलों के मायने में अथवा नेहरू स्टेडियम के निर्माण के संबंध में दिए गए योगदान को नहीं भूल सकता। हम सभी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। भ्रष्टाचार यदि प्रमाणित हो जाता है तो उसे उखाड फेंका जाना चाहिए। अभी हम महिला आरक्षण विधेयक की बात कर रहे थे। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से कैमरा टीम तथा अन्य को बुलाकर एक महिला को परेशान किया गया-सिर्फ यह दिखाने के लिए कि किस तरह से तंग किया जा सकता है। यह बहुत ही शर्मनाक है। मामलों की सुनवाई अदालत में हो सकती है, वह भिन्न बात है ...**(व्यवधान)**

श्री पी.आर. दासमुंशी : इसलिए सुश्री जयललिता को हिरासत में पूरी सुरक्षा चाहिए। मैं मांग करता हूं कि ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

श्री पी.आर. दासमुंशी : मैं मांग करता हूं कि जब तक वह हिरासत में हैं तब तक बिना किसी भेदभाव के उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

सभापति महोदय, मुझे यह भी कहना है कि सुश्री जयललिता भारत की एकता के मौजूदा संदर्भ में सिर्फ एक महिला ही नहीं है ...**(व्यवधान)**। अतः मैं मांग करता हूं कि ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप कृपया अपनी सीट पर बैठेंगे? क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

श्री पी.आर. दासमुंशी : महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि जिस राज्य में उन्हें हिरासत में लिया गया है वह अभी भी अनेक लिट्टे आतंकवादियों से भरा पड़ा है। मुझे संदेह है कि वहां वह सुरक्षित भी है या नहीं। अतः यह सुनिश्चित करना भारत के प्रधान मंत्री और गृह मंत्री का कर्तव्य है कि जब तक वह हिरासत में हैं तब तक उन्हें पूरी सुरक्षा दी जानी चाहिए। उन्हें 21 दिसम्बर के बाद जब वह हिरासत से बाहर आएंगी तब भी पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यह मेरी मांग है क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि कोई जीवन सिर्फ राजनैतिक जुल्म के आधार पर खत्म नहीं किया जाना चाहिए।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : सभापति महोदय, मैं यहां उनके खिलाफ की गई कार्यवाही पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। लेकिन जिस तरह इसे पेश किया गया है, जिस तरह से इसे देश के लोगों तथा पूरी दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया गया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि हम एक असभ्य समाज की ओर जा रहे हैं। यह सब रोज हो रहा है और यह असाधारण मामला है। ऐसी तो एक जांच एजेन्सी की प्रवृत्ति रही है। मुझे कहते हुए दुःख हो रहा है कि न्यायपालिका भी थोड़ा बहुत संयम से काम लेना आवश्यक नहीं समझती है। तमिलनाडु में जो घटना हुई है तथा जो व्यवहार सुश्री जयललिता के साथ किया गया है, वह एक शर्मनाक बात है। सरकार द्वारा तथा जो लोग उनकी गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार हैं, उनके द्वारा यह खूब बढ़ाचढ़ाकर बताया गया है कि उन्हें सोने के लिये केवल एक चादर उपलब्ध कराई गई है। फर्श पर सोना पड़ता है और उन्हें वह खाना दिया गया जो साधारण अपराधियों को दिया गया था। अभियुक्त के रूप में वह अपराधी नहीं हैं। इसे अभी साबित किया जाना है कि उन्होंने कोई गलत काम किया है।

इस देश की विधिज्ञता में यह एक नई प्रवृत्ति है कि जब किसी के विरूद्ध कोई शिकायत दर्ज की जाती है, तो उसे न केवल कुछ दिनों और हफ्तों भर के लिए अपितु महीनों तक के लिए जेलों में रखा जाता है और सभी प्रकार के दुष्प्रचार किए जाते हैं। सभापति महोदय, मैं यह कहने के लिए बाध्य हूं कि इस देश में अदालती प्रासंगिक उक्ति भी एक आम बात हो गई है। सबको पता है कि इस शहर में भी एक भूतपूर्व प्रधान मंत्री के साथ क्या हुआ था। मैं नहीं समझता कि इस तरह की क्या बाध्यता थी कि उन्हें अभियुक्त के कटघरे में खड़ा किया जाता लेकिन ऐसा किया गया। मुझे उस पर कुछ नहीं कहना क्योंकि न्यायाधीश सर्वोच्च हैं और उनके बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन थोड़ी बहुत मर्यादा, थोड़ी बहुत शिष्टाचार तथा थोड़ी बहुत अच्छे व्यवहार की आशा समाज में सबसे की जाती है- उन लोगों से तो और जो अधिकार प्राप्त हैं और जिनसे किसी विशेष मामले में बुद्धिमतापूर्वक निर्णय दिए जाने की आशा की जाती है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : सभापति जी, जिस मुद्दे को प्रियरंजन दासमुंशी जी ने उठाया और बहुत ही खूबसूरत शब्दों में अंतर की वेदना व्यक्त करते हुए चन्द्रशेखर जी ने जिसका समर्थन किया, मैं भी उसी विषय का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं।

जिस तरह से जयललिता जी के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उससे मामला करप्शन का नहीं, पोलिटिकल रसीक्यूशन का बन गया है। जिस तरह का तरीका अपनाया गया, जो बातें शायद प्रियरंजन दासमुंशी जी नहीं कह सकते थे, लेकिन मैं कह सकती हूं, मैं पूछना चाहती हूं कि क्या जयललिता का गुनाह नरसिंह राव से भी ज्यादा है, क्या जयललिता का गुनाह लालू यादव से भी ज्यादा है? अगर उन लोगों के ट्रायल, बेल पर हो सकते हैं तो जयललिता को इस तरह से धक्के मारकर बस में चढाना, दो चादरें देकर कहना कि यहां आर्डिनरी क्रिमिनल्स के साथ रहना है और जिस चीज का जिक्र उन्होंने

नहीं किया, कहा कि बाथरूम शाम के छह बजे से सुबह छह बजे तक बन्द रहेगा। बाथरूम की फैसिलिटी भी आप एक महिला को नहीं देते हैं, जबकि अभी केवल शिकायत दाखिल हुई है, वे अभियुक्त नहीं बना दी गई हैं, लेकिन जिस प्रकार का दुर्व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है, उसमें से राजनीतिक दुर्गन्ध आती है कि केवल उनसे बदला लेने के लिए और कुछ लोग जो इस समय केन्द्र की सत्ता में बैठे हुए हैं, अपनी व्यक्तिगत खुंदक निकालने के लिए एक महिला के साथ सारी शालीनता छोड़कर दुर्व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जिस तरह से चन्द्रशेखर जी ने कहा, पूरा का पूरा सदन मुझे लगता है, इस बात पर हेजीटेटिड है, जिस तरह का गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार जयललिता जी के साथ किया जा रहा है, पूरा सदन उसकी निन्दा करता है। जल्दी से जल्दी इस व्यवहार को बन्द किया जाना चाहिए और उनके साथ शालीनता का व्यवहार किया जाना चाहिए।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : और हाउस को रिपोर्ट मिलनी चाहिए। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री पी.आर. दासमुंशी : सभापति महोदय, सरकार को उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। तमिलनाडु में लिट्टे आतंकवादी भरे पड़े हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हिरासत में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। मुझे तमिलनाडु में डी.एम.के. सरकार के बारे में सन्देह है। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : क्या कोई और भी इस विषय पर बोलना चाहता है?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या आपको इसी मुद्दे पर बोलना है?

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : हम श्री दासमुंशी की मांग का समर्थन करते हैं कि जेल में उनके साथ सुसभ्य तरीके से व्यवहार किया जाना चाहिए और उन्हें 'जेड' श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। हमें एक न्यायिक निर्णय और जेल में रहने के मामले के बीच भी फर्क को समझना चाहिए। किसी को जेल में कैसे रखा जाएगा, यह जेल सुधार का मामला है, न कि न्यायिक सक्रियता का। यह तथ्य कि न्यायाधीशों ने निर्णय किया कि उन्हें कैद में रखा जाये, एक ऐसा निर्णय है जिसका हमें समर्थन करना चाहिए।

क्योंकि न्यायाधीशों को किसी के स्तर का ख्याल नहीं रखना होता। अतः हम इस न्यायिक निर्णय का समर्थन करते हैं। लेकिन इसके साथ ही, जैसाकि आपने बहुत सही कहा है, यह जेल की परिस्थितियों का मामला है। किसी एक व्यक्ति को अपराधियों के साथ नहीं भी रखा सकता। हम जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में भी जेल में क्षेणी-ए, श्रेणी-बी और श्रेणी-सी श्रेणियां होती थी।

अब हमें यह देखना चाहिए कि चूंकि हमारा एक सभ्य देश है अतः न्यायिक सुधारों की आवश्यकता इस मायने में है कि लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ न किया जा सके। मैं समझता हूं कि यही मामले का सार है तथा मैं न्यायिक क्रियाकलापों और हमें दिए जाने वाले न्यायिक निर्णयों की आलोचना का समर्थन नहीं करता हूं ...**(व्यवधान)**

श्री रूप चन्द पाल (हुगली) : महोदय, हमारे संविधान में, न्यायपालिका, विधान पालिका और कार्यपालिका को अलग-अलग पूर्ण अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं और यह हमारी सुस्थापित परम्परा रही है कि विधान पालिका और उस मामले में लें तो कार्यपालिका को न्यायपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

इसी तरह न्यायपालिका से भी आशा की जाती है कि वह हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के अन्य विभागों के अधिकार क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

महोदय, हमें आपातकाल के दौरान का अनुभव है जब इस सभा के सदस्यों, महान विभूतियों, महान स्वतंत्रता सेनानियों और देश के नेताओं को सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया था।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री रूप चन्द पाल : हमें अभी भी याद है कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ने वाले इस देश के अनेक नेताओं, मजदूर नेताओं को सलाखों के पीछे धकेल दिया गया था और उनके साथ बहुत ही घृणित तरीके से व्यवहार किया गया । **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : नहीं, ऐसे नहीं। कृपया समाप्त करें।

श्री रूप चन्द पाल : समाचार पत्रों में अनेक प्रमुख खबरें प्रकाशित हुई हैं और इस बात की शिकायत की गई है कि कानून की नजर में सबके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। **(व्यवधान)** यह कहा गया है कि उनके साथ खास तरह से पेश आया गया है; उन्हें अलग सैल (कक्ष) में रखा गया है। तमिलनाडु के एक मंत्री ने बयान दिया है कि उनके साथ विशेष व्यवहार किया जा रहा है। मैं नहीं जानता कि सच क्या है?

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री रूप चन्द पाल : लेकिन हमें आशा करनी चाहिए कि भारत के प्रत्येक नागरिक के साथ चाहे वह किसी भी स्तर का हो, इंसानियत और सभ्य तरीके से पेश आना चाहिए।

[हिन्दी]

डा. गिरिजा व्यास (उदयपुर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्पूर्ण सदन को निवेदन करना चाहती हूं और अपने आपको श्री प्रियरंजन दासमुंशी, चन्द्रशेखर जी और सुषमा स्वराज के साथ जोड़ना चाहती हूं कि जिस तरह का व्यवहार एक भूतपूर्व महिला मुख्य मंत्री के साथ किया गया, उससे पूरा देश सम्बद्ध है। सब तरह से महिलाओं की आवाज उठ रही है। यदि इस तरह का

महिला के साथ होता है तो निश्चित तौर से हमें अपनी संस्कृति को भूलना पड़ेगा। सम्पूर्ण सदन इस बात में एकमत हो कि इस तरह का व्यवहार उनके साथ नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को इस पर मांगी मांगनी चाहिए। यह कहने से काम नहीं चलेगा, जैसा अभी कहा गया, जैसा वैस्ट बंगाल के साथी कह रहे हैं, हो सकता है वहां ममता जी के साथ आए-दिन ऐसा बर्ताव करने के आदी हों, लेकिन यह सदन सम्पूर्ण भारत की संस्कृति को प्रेषित करता है। भारतीय संस्कृति ने हमेशा नारी को पूजा है। एक महिला के साथ ऐसा व्यवहार करना कि शाम छः बजे से सुबह छः बजे तक उसको बाथरूम न मिले, हमें इसकी निंदा करनी चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम कृपया अपनी बात संक्षेप में कहिए। आपको एक मिनट दिया जाता है।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजाबूर) : हमें इसका समर्थन सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए कि वह एक महिला हैं। कानून की निगाह में सब बराबर हैं। संबंधित न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा जमानत के सात आवेदनों को रद्द कर दिया गया था। क्या वे बुरे व्यवहार का समर्थन कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यदि आप कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं तो उसे कह सकते हैं।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम : जिन कैदियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा होता है, न सभी के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है। हम सभी राजनीतिक नेता हैं। हम जानते हैं कि यदि हम श्रेणी-ए और श्रेणी-बी की जेल दिए जाने का अनुरोध करें तो वह हमें दी जाएगी। अनुरोध के बगैर तो वे इसी तरह का सलूक करेंगे। कृपया ...**(व्यवधान)** के खिलाफ आरोप गत लगाएं।

श्री आर. ज्ञानगुरूस्वामी (परियाकुलम) : यह एक राजनैतिक मामला नहीं था।

सभापति महोदय : वह बात खत्म हो गई है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं। मैंने एक सदस्य को अनुमति दी है और वह काफी है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जो कुछ आप कह रहे हैं, उसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : क्या आप अपने स्थान पर बैठेंगे?

श्री आर. ज्ञानगुरूस्वामी : मुझे अपनी पार्टी की ओर से बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैंने आपकी ओर से एक सदस्य को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री आर. ज्ञानगुरूस्वामी : महोदय, मैं तो अपने स्थान पर बैठ ही रहा हूं परन्तु मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्रीपलानीमनिक्कम ने वक्ताओं की सूची में अपना नाम नहीं दिया, फिर भी मैंने उन्हें बोलने का समय दिया। आप कृपया अपनी सीट पर बैठें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : हम इस विषय पर चर्चा नहीं कर सकते। यदि कोई, कोई मुद्दा उठाना चाहता है तो उसको इसकी अनुमति दी जा सकती है।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कुछ भी सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं किया जा रहा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रफुल्ल पटेल (भंडारा) : आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में आज के दिन 9 दिसम्बर को पूरा बन्द रखा जा रहा है ...**(व्यवधान)** समाचार माध्यम कुछ भी कह सकते हैं कि वह पूर्णतया असफल रहा या नहीं परन्तु मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा यह है कि यह एक संवेदनशील विषय है। यह विदर्भ के लोगों के जीवन और उनके कल्याण का मामला है। इस क्षेत्र में नौ जिलों में रहने वाले ढाई करोड़ लोग महाराष्ट्र के पिछड़ेपन और वहां के शासक वर्गों के असमानता के व्यवहार के कारण दुःखी और पीडित है।

मैं क्षेत्रीय असमानता की बात कर रहा हूं 1960 में जब राज्यों का पुर्नगठन हुआ तो विदर्भ के लोगों ने किसी शर्त पर मुख्य धारा में शामिल होना स्वीकार किया था। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रफुल्ल पटेल : महोदय, मुझे बोलने का हक है। उन्हें बोलने का पूरा हक है। ये दोहरे मापदण्ड अपना रहे हैं ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : हां, आपको बोलने का अवसर मिलेगा।

श्री प्रफुल्ल पटेल : भारतीय जनता पार्टी में मेरे मित्रों ने विदेर्भ में लोगों के समर्थन में एक संकल्प पारित किया है और यहां वह इन लोगों से भिड रहे हैं। यह उनके घोषणापत्र में शामिल है, न कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आज प्रत्येक सदस्य को बोलने का अवसर मिलेगा। मैं श्री प्रफुल्ल पटेल को अपना वक्तव्य जारी करने की अनुमति दूंगा। परन्तु पहले श्री सपोंतदार कुछ कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं, मैं आपको इस विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दे रहा। अगर आप कोई अन्य प्रश्न उठाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। श्री पटेल बोल रहे हैं।

श्री मधुकर सपोंतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : यदि श्री प्रफुल्ल पटेल को इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति दी जाती है, तो मुझे कुछ गतिविधियों के विषय में स्पष्टीकरण देने की अनुमति दी जानी चाहिए जो बहुत आवश्यक है। वह महाराष्ट्र राज्य सरकार के विरूद्ध अनावश्यक आरोप लगा रहे हैं।

सभापति महोदय : इस समय यह आवश्यक नहीं। यदि आप इसी समय बोलना चाहते हैं तो आपको इसकी अनुमति नहीं मिलेगी।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप उनके बोलने पर आपत्ति क्यों करते हैं?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या आप अपने स्थान पर बैठेंगे? आप बीच में मत बोलिए, आज सबको बोलने का अवसर मिलेगा।

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे (ठाणे) : महोदय, श्री पटेल आप सदन का बहुमूल्य समय नष्ट कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : नहीं, ऐसा मत कहें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं नहीं, ऐसा मत करें? यह क्या है?

(व्यवधान)

श्री प्रफुल्ल पटेल : उस क्षेत्र में रह रहे ढाई करोड लोग ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया आप बीच मे मत बोलिए। यह प्रशंसनीय नहीं है। आप ऐसी गलती फिर मत दोहराएं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपनी सीट पर बैठें।

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : महोदय, हमें भी बोलने का अवसर दें ...**(व्यवधान)**

श्री ए.सी. जोस : महोदय, श्री पटेल को पहले बोलने की अनुमति दी जाए। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : रूकिए, इन्तजार कीजिए, आपको बोलने का अवसर मिलेगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपना स्थान ग्रहण करें। यह बहुत संवेदनशील मामला है। उन्होंने यह मामला उठाने के लिए पहले नोटिस दिया है। मैं उनको बोलने की अनुमति दे रहा हूं। श्री सपोंतदार ने कहा कि हर सदस्य बोलना चाहता है उन्हें बोलने की अनुमति दी जाए। परन्तु बीच-बीच में व्यवधान मत डालिए। इससे किसी को फायदा नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री प्रफुल्ल पटेल : धन्यवाद। आज बन्द का आयोजन किया गया है। विदर्भ क्षेत्र के लोगों की विकास सम्बन्धी स्थिति इतनी खराब है कि यह बहुत चिन्ता का विषय है।

1960 में संयुक्त महाराष्ट्र का सपना तब पूरा हुआ था जब विदर्भ के लोगों ने एक विशेष समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसे नागपुर समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में इस बात की गारंटी थी कि विदर्भ के लोगों के साथ समानता का जाएगा। हर तरह से क्षेत्रीय असंतुलनों को समाप्त किया जाएगा और व्यवहार किया राज्य के विकास के लिए अतिरिक्त निधियां जुटाई जाएंगी।

आज गांवों में न तो पीने का पानी है और न सड़कें आदि ... **(व्यवधान)** आजकल बेराजेगारी भी बढ़ रही है। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप उन्हें बोलने दीजिए। आपको भी बोलने का अवसर मिलेगा।

श्री प्रफुल्ल पटेल : औद्योगिकीकरण की पूर्णतया उपेक्षा हो रही है। सभी उद्योग मुम्बई क्षेत्र के इर्द-गिर्द ही, और राज्य के पश्चिमी हिस्सों में पनप रहे हैं। मैं पूर्व सरकार के कार्यों को न्यायोचित ठहराने का प्रयास नहीं कर रहा। मेरा तो इतना ही कहना है कि इतने वर्षों में असन्तुलन और पिछड़ापन बढ़ा ही है। इस असन्तुलन को दूर करने के लिए विकास बोर्डों के गठन का प्रस्ताव है। तीन वर्ष पूर्व इन विकास बोर्डों का गठन किया गया था। हमने सोचा था कि स्थिति बदलेगी। कि खाली रिक्तियों को भरने के लिए तथा असन्तुलनों को दूर करने के लिए अधिक धन जुटाया जाएगा। परन्तु एक साल पिछली सरकार के रहते और दो साल वर्तमान सरकार के रहते हमारा अनुभव

तो यही रहा है कि विकास बोर्ड मात्र ढोंग है। धन तो दिया ही नहीं गया; विकास बोर्डों के पास करने को कुछ नहीं है। अब प्रश्न यह है कि विकास बोर्ड बनाए ही क्यों गए हैं?

इन बोर्डों के लिए इतने वर्षों तक लड़ने और उनकी मांग करने के बाद, हमें इस बात की वास्तव में चिंता है कि हमारे भविष्य का क्या होगा।

निष्कर्ष स्वरूप, मैं कहना चाहूंगा कि मौजूदा सरकार ने भी विदर्भ के लोगों के प्रति उपेक्षा का रवैया अपनाया है। भाजपा के हमारे मित्रों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि विदर्भ को एक अलग राज्य बनाया जाना चाहिए। लेकिन मैं भी यह बात समझ सकता हूं कि चुनावी घोषणा पत्र का प्रयोजन केवल चुनावों के लिए ही होता है। जब इन घोषणा पत्रों को लागू करने की बात आती है, तो राज्य में केवल अपनी सरकार बचाने के लिए उन्होंने अस्पष्ट तरीक अपनाए हैं और केवल समय बढ़ाते जा रहे हैं।

हमारे मित्र श्री सर्पोतदार बड़े क्रोध और आवेश में उठकर तन गए थे। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि उनके नेता ने विदर्भ के लोगों के बकाये काम को खत्म करने के लिए दो वर्षों का समय मांगा था। अब दो वर्षों के बाद वह पुनः दो वर्षों का समय और मांग रहे हैं। विदर्भ के लोगों की क्या स्थिति है? वहां के लोगों के पास अलग राज्य की मांग करने के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है।

आज 9 दिसम्बर एक ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन विदर्भ के लोगों ने सम्पूर्ण बन्द की घोषणा की है। यह एक सांकेतिक बन्द है जिसका उद्देश्य देश के लोगों और राज्य के नेताओं को सिर्फ यह बताना है कि विदर्भ के लोग इस अन्याय को सहने के लिए तैयार नहीं है।

अतः, आपके महान पद के माध्यम से मैं समूचे सदन से अनुरोध करता हूं कि वह अलग विदर्भ राज्य के निर्माण के लिए अवाज उठाएं।

सभापति महोदय : श्री मधुकर सर्पोतदार जी, प्रत्येक मुद्दे पर लोग चर्चा कर रहे हैं। अतः अपनी बात संक्षेप में कहें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : वह भी महाराष्ट्र के हैं। हम ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को अनुमति दे रहे हैं।

श्री मधुकर सर्पोतदार : मैं उत्तर नहीं दे रहा हूं। मैंने शुरू-शुरू में इस आपत्ति को सिर्फ इसलिए उठाया है क्योंकि इस विशेष मुद्दे को कम से कम चार मौकों पर उठाया जा चुका है। जो कोई भी मुद्दा माननीय सदस्य उठाते हैं, उसका जवाब हमेशा दिया जाता है और वे इसके लिए अपना पूरा प्रयास कर रहे थे। उनके अनुसार, आज कांग्रेस के एक या दो संसद सदस्यों ने-सभी न नहीं-यह नोटिस दिया है। इसलिए पूरी पार्टी भी उनके साथ नहीं है।

सभापति महोदय : आप कृपया अपनी बात कहिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात कहिए। वहां कोई आन्दोलन चल रहा है और माननीय सदस्य ने

(व्यवधान)

श्री मधुकर सर्पोतदार : वहां कोई आंदोलन नहीं चल रहा है . ..**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : नहीं, नहीं, उन्होंने नोटिस दिया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया स्थिति को समझिए। आप इस तरह क्यों चिल्लाते हैं? माननीय सदस्य ने नोटिस दिया है। इसलिए उन्हें बोलने की अनुमति दी गई है। बिना नोटिस के भी आपको बोलने की अनुमति दी जा रही है और अब श्री राम नाईक को बोलने दिया जाएगा। इसलिए अपनी बात जितना हो सके उतना संक्षेप में कहो। मैं अन्य सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि कृपया एक ही चीज पर अड़े नहीं।

श्री मधुकर सर्पोतदार : महोदय, मैं जो कुछ श्री माननीय सदस्य ने कहा है, उससे संबंधित स्थिति को स्पष्ट कर रहा हूं। पहली बात तो यह है कि विदर्भ में जो कोई भी आन्दोलन उन्होंने छेड़ा है उसे किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं मिला है। सभी लोगों ने इसे पूरी तरह से नकार दिया है। दूसरे, 2000 करोड़ रु. की धनराशि विदर्भ क्षेत्र के लिए मंजूर की गई है और उस धनराशि का उपयोग उस क्षेत्र के लिए किया जाएगा। तीसरे, वे लोग सरकार के खिलाफ जो भी आरोप लगा रहे हैं, वे सब भी निराधार हैं क्योंकि इन लोगों ने वहां 35 वर्षों तक शासन किया लेकिन इस संबंध में उनके द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। आज भी विदर्भ क्षेत्र में उन्हें कोई नहीं पूछ रहा है और वे उसे अनावश्यक रूप से बार-बार उठाने की कोशिश कर रहे हैं तथा इस महान सदन का कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि इसे रोका जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज हम संयोग से संविधन का बड़ा स्वर्ण महोत्सव मना रहे हैं। इसदिन हम लोगों को यह सोचना चाहिए, आज यह बात आवश्यक हो गई है कि राज्यों की पुनर्रचना के बारे में हमें विचार करना चाहिए, यह बहुत आवश्यक बात है। इस भूमिका में विदर्भ राज्य बनना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हैं हमारा उसको समर्थन है। इसके साथ ही साथ वह बात आती है कि विदर्भ में नौ दिसम्बर को क्या हुआ, इसमें हमारी जानकारी यह है कि वह असफल हुआ। अभी यह कहने लगे कि वह सिम्बोलिक है। मैं आपको बताता हूं मराठी में एक कहावत है, "मोले घाटले रडाया।" इसका मैं आपको हिन्दी में अनुवाद करके बताता हूं। इसका मतलब है कि आप पैसे देकर किसी को रोने के लिए बोलते हैं। जैसे कि बोलते हैं कि यह मगरमच्छ के आंसू हैं उस प्रकार का

यह रोना है। अब कांग्रेस विदर्भ में बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना से पिट गई है। इसलिए अब यह रो रहे हैं लेकिन क्या उससे कुछ होने वाला है, यह असफल है। विदर्भ की जो सही मांग है वह पूरी करनी चाहिए और उस पर पुनर्विचार करने का यह योग्य दिन है, यह मुझे इस बारे में कहना है और उस भूमिका में विदर्भ का विकास करना चाहिए। इसमें केन्द्र सरकार को भी योग्य सहयोग देना चाहिए और पुनर्गठन करने की बात भी करनी चाहिए। इस बारे में सरकार क्या सोचती है यह सरकार को कहना चाहिए, ऐसा भी मेरा आग्रह है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, आज जीवन बीमा निगम और साधरण बीमा निगम के सभी कर्मचारी सरकार द्वारा देश के बीमा उद्योग को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खोलने की कोशिश किए जाने के खिलाफ एक दिन की हड़ताल कर रहे हैं। बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खोलने की क्या आवश्यकता है? क्या जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम कार्यकुशल नहीं हैं? क्या यह सच नहीं है कि वर्ष 1956 में, राष्ट्रीयकरण के समय से लेकर अब तक जीवन बीमा निगम ने देश के विकास के लिए 33,000 करोड़ रु. का निवेश किया है? **...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो रासा सिंह रावत (अजमेर) : ये एक तरफ सरकार के साथ हैं और एक तरफ विरोध करते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया, उन्हें बोलने दीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, पिछले वर्ष जीवन बीमा निगम ने 3,000 करोड़ रु. और साधारण बीमा निगम ने 1,135 करोड़ रु. केन्द्र सरकार को लाभांश के रूप में दिए हैं।

महोदय, इन कंपनियों द्वारा दावों का निपटान अमरीका और ब्रिटेन की बीमा कंपनियों के मुकाबले अधिक है। अतः बीमा क्षेत्र को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए खोले जाने की क्या आवश्यकता है? भारत सरकार द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बीमा क्षेत्र में क्यों आमंत्रित किया जाना चाहिए जो सफलतापूर्वक अपना काम कर रही हैं? इस बीमा क्षेत्र को विनियमित करने के लिए एक विधेयक भी लाने की कोशिश की जा रही है। हमने निर्णय किया है कि हम सरकार द्वारा बीमा क्षेत्र को विनियमित करने के लिए कोई विधेयक लाने अथवा बीमा क्षेत्र को निजी कंपनियों या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए खोले जाने के किसी भी प्रयास का विरोध करेंगे। इससे हमारे देश के हितों का नुकसान होगा क्योंकि ये दोनों कंपनियां ढेर सारा काम कर रही हैं। वे कार्यकुशल हैं और इसलिए बीमा क्षेत्र बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए नहीं खोला जाना चाहिए। सरकार द्वारा बीमा क्षेत्र को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए खोलने हेतु कोई कदम नहीं उठाना चाहिए क्योंकि इससे हमारा बीमा क्षेत्र कमजोर होगा **...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : सर, एक तरफ से सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ **...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, आज वे हड़ताल पर है। वे यह तर्क दे रहे हैं कि **...(व्यवधान)** वे बैंकिंग क्षेत्र से तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बैंक संबंधी क्रियाकलापों में विदेशी क्षेत्र भी शामिल हैं। ये दो बिल्कुल भिन्न चीजे है। **...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : हमें सभा का समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। कई अन्य सदस्यों को भी बोलना है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, ये दो बिल्कुल भिन्न चीजें हैं **...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कुमारी उमा भारती, कृपया एक मिनट रूकिए। वह इसी विषय पर बोल रहे हैं। श्री चटर्जी, कृपया एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, वे बैंकिंग क्षेत्र को खोलने की बात करते हैं। हमें बैंक संबंधी कारोबार अमरीका और ब्रिटेन में भी करना होता है। वहां पर हमारे बैंकों की शाखाएं हैं। वह प्रश्न बीमा क्षेत्र के मामले में नहीं उठता है। इसलिए सरकार का इरादा कुछ भी हो, अन्य लोगों को उन्होंने कोई भी संकेत दिया हो, हमें इस बीमा विनियमन विधेयक को लाने का विरोध अवश्य ही करना चाहिए। **...(व्यवधान)**

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, कृपया मुझे बोलने दें **...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठिए। इस तरह से हम काम नहीं कर सकते हैं। बात पहले भी कही जा चुकी है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। यह बात पहले ही दो माननीय सदस्यों द्वारा कही जा चुकी है।

(व्यवधान)

श्री रूप चन्द पाल : महोदय, सरकार को इस सभा को आश्वासन देना चाहिए। **...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आपको बोलने की अनुमति नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, सरकार द्वारा सभा को यह आश्वासन दिया जाना चाहिए कि वह ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी। **...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं जो कुछ कह रहा हूं उसे छोड़कर कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या आप अपने स्थान पर बैठेंगे?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : यह डबल-रोल कैसे चलेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आपने शून्य काल में बोलने का कोई नोटिस नहीं दिया था। उसके बावजूद, आपको वरिष्ठ सदस्य होने के नाते और आपने जो विषय लिया है उसके गंभीर होने के कारण, बोलने की अनुमति दी गई है तथा श्री निर्मल कान्ति चटर्जी को भी बोलने की अनुमति दी गई है। पांच से छः सदस्य बोलना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री रूप चन्द पाल : महोदय, सरकार द्वारा उस सदन को आश्वासन देना चाहिए कि बीमा क्षेत्र के निजीकरण के लिए कोई काम नहीं किया जाएगा। सरकार को लाखों हड़ताली कामगारों के मस्तिष्क से हर तरह की आशंका को दूर करना चाहिए। **...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठिए। मैं खड़ा हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे पास यहां 33 विषय हैं। माननीय सदस्य अपनी बात कहने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई बातें इसी समय पैदा हो रही हैं। विषय की महत्ता को देखते हुए हम कुछेक सदस्यों को अनुमति दे रहे हैं। लेकिन सभी सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए आपको पीठ के साथ सहयोग करना होगा। अब मैं कुमारी उमा भारती को बोलने की अनुमति दे रहा हूं। जो कुछ वह कह रही हैं, उसे छोड़कर कुछ भी कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

श्री रूप चन्द पाल : महोदय, सरकार उत्तर नहीं दे रही है।

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मैंने अभी तक किसी काम में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया है। हमारी पार्टी के विचारों को आपके जरिए कार्यवाही वृतान्त में शामिल किया जाना चाहिए। बीमा का मुद्दा बहुत ही गंभीर है जिसे अन्य माननीय सदस्यों द्वारा भी उठाया गया है। मैं भी सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम से सहमत नहीं हूं। इसमें कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या शामिल है। यह बहुत ही गंभीर मामला है। इस प्रकार का कोई विधेयक लाने से पूर्व सरकार को फिर से सोचना चाहिए **...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : महोदया, आपको बुलाया जाएगा। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : माननीय सभापति जी, मैंने आपके माध्यम से सदन के सामने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है। मेरे पास 'टाइम्स ऑफ इंडिया' की खबर है। श्री पी. चिदम्बरम जो कि वित्त मंत्री हैं, वह लंदन गए और उन्होंने वहां एक वक्तव्य दिया, मैं उस वक्तव्य की दो-तीन लाइनें यहां उद्धृत करूंगी।

माननीय सभापति जी, हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेज लोग आए। उन्होंने 200 साल तक हमारे ऊपर राज किया। भगत सिंह फांसी पर चढे, सुभाष चन्द्र बोस ने जवानी गंवाई और महात्मा गांधी ने पूरा जीवन आजादी के आन्दोलन में लगाया। लाखों लोगों के ऊपर गोलियां चलीं। रानी लक्ष्मी बाई से लेकर कितनों को इसके लिए बलिदान देना पड़ा। बहुत से आन्दोलन भी हुए। आजादी हासिल करने के लिए बहुत से लोगों पर गोलियां चली और बहुत से लोग गोलियों के शिकार हुए, तब कहीं जाकर हमें आजादी मिली लेकिन हमारे देश के वित्त मंत्री ने लंदन में जाकर वहां के ब्रिटिशर्स के बीच भाषण देते हुए जो वक्तव्य दिया, उसकी दो लाइनें रखकर मैं चाहती हूं कि मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एडमिट किया जाए। टाइम्स ऑफ इंडिया एक मान्य पेपर है। मैं उसी की लाइनें यहां उद्धृत कर रही हूं। उन्होंने कहा :

[अनुवाद]

उन्होंन फिर पिछले सप्ताह लंदन में दिए गये एक भाषण में उनकी टिप्पणी का संदर्भ दिया जिसमें उन्होंने ब्रिटिश नेताओं को यह बताया "आप भारत आयें और 200 वर्ष तक ठहरें; आप निवेश करने के लिए तैयार होकर आइएं और अन्य 200 वर्ष ठहरिए और फिर बड़ा पारितोषिक मिलेगा।

[हिन्दी]

इनके वक्तव्य की जितनी निन्दा और भर्त्सना की जाए, उतनी कम है। हमारे देश ने आजादी के लिए क्या-क्या बलिदान नहीं दिए और एक वित्त मंत्री जैसे पद पर बैठा हुआ जिम्मेदार व्यक्ति अगर इस प्रकार का बयान देता है तो उन्हें सदन में आना चाहिए। उन्हें सदन

में आने के लिए कहा जाए। इस सम्बन्ध में जो भी उचित कार्यवाही होती है, वह इस सदन की तरफ से ऐसे व्यक्ति के ऊपर होनी चाहिए। हो सकता है यह कार्यवाही देशद्रोह के अन्तर्गत आती हो। जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाया, उन्हीं के यहां जाकर उन्हें दुबारा आमंत्रण देना कि आइए और 200 साल के लिए फिर आइए, जैसे 200 साल के लिए पहले आए थे। गोरी चमड़ी वाले अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपनी झूठन के रूप में काली चमड़ी के अंग्रेज हमारे लिए छोड़ गए, जो अभी भी इस गुलामी की मानसिकता से मुक्त नहीं हुए ...**(व्यवधान)** ठीक है, माननीय सभापति जी, मैं आपका आदेश मान कर बैठती हूं। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपको अनुमति नहीं दी गई है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइएं। मैं अगले सदस्य को बुला रहा हूं।

श्री टी. गोविन्दन (केसरगोडा) : मैंने भारतीय जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम के कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल पर चर्चा के लिए सूचना दी थी। उक्त मामला पहले ही प्रस्तुत किया गया है और यहां उस पर मौटे तौर से चर्चा हुई है। अतः मैं इस मुद्दे का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : मंत्री जी को बुलाया जाए। वह इस बारे में स्पष्टीकरण दें। उन्होंने ऐसा कहा है तो उसके लिए उन्हें दंडित किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उमा जी, कृपया बैठ जाइएं। इस मामले को उठाने से पूर्व आपको माननीय मंत्री जी को नोटिस देना है। आपको नियमों की अच्छी तरह जानकारी है। मैंने आपको अनुमति दी है। कृपया उससे परे न जाइएं क्योंकि आपको मंत्री को नोटिस देना चाहिए था।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप यह मामला सभा के ध्यान में लाये हैं। यही पर्याप्त है। कृपया संतुष्ट होइएं।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक-दिल्ली) : माननीय सभापति जी, आपको मालूम है कि अभी पर्यावरण के मामले को लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज दिल्ली में बंद करवा दी लेकिन इसके साथ-साथ आज भी ऐसे पोस्ट-मार्टम हाउसेज दिल्ली में और दिल्ली के बाहर शहरों में हैं जो कि बस्तियों में बने हुए हैं, जहां घनी आबादी है, स्कूल हैं, मार्किट हैं। वे रिहायशी इलाकों में बने हैं। बहुत बार कहने के बावजूद इनको वहां से हटाया नहीं जा रहा। जहां आप इतने कदम उठा रहे हैं, वहां इन पोस्ट-मार्टम हाउसेज को वहां से स्थानांतरित करने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? हम उन जगहों को जाकर देखें तो वहां लाशें पड़ी दिखाई देती हैं। उनके बीच से बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या हिन्दुस्तान में ऐसी जगह भी रहेंगी जिन्हें कोई देखने वाला न हो। हम किस प्रकार बच्चों को उन जगहों से अलग कर पाएंगे? आप पोस्ट-मार्टम हाउसेज को वहां से हटा कर दूसरे स्थान पर ले जाएं। आप जहां इतने बड़े-बडे फैसले ले रहे हैं और बसी-बसायी इंडस्ट्रीज को तबदील करके बंद तक करवा रहे हैं तो ऐसे पोस्ट-मार्टम हाउसेज को वहां से हटाने में क्या दिक्कत महसूस कर रहे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप इस बारे में डायरेक्टिव देंगे ताकि इन पोस्ट-मार्टम हाउसेज को फौरन हटाया जा सके।

श्री नीतीश भारद्वाज (जमशेदपुर) : सभापति महोदय, एक लाइन बोलना चाहता हूं। यह आप भी जानते हैं और सारा सदन जानता है कि इस तरह से जो ये लाशें बाहर पड़ी होती हैं इससे न केवल पर्यावरण दूषित होता है बल्कि इससे सिविल एविएशन में भी बर्ड हिट का जो सिलसिला है, वह भी इससे बढ़ता है। अतः इसे गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि जहां पर ये लाशें खुले में पड़ी होती हैं वहां उनके इर्द-गिर्द पक्षी मंडराते रहते हैं और इससे बहुत बड़ी दुर्घटना हमारे सिविल एविएशन सैक्टर में होने की संभावना बढ़ सकती है, इसलिए इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर) : सभापति महोदय, मैंने एक नोटिस दिया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हां, आपको बुलाया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट (दौसा) : सभापति महोदय, हमारे साथी श्री जसवंत सिंह जी ने जो सवाल उठाया, कुछ बातें ऐसी हैं जो यहां पर सदन मे उठाई जाएं और उनको सरकार की तरफ से तभी जवाब आ जाए तो लोगों को तसल्ली होती है और सवाल उठाने का फायदा भी है। रक्षा मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं। केवल यहां कह कर चले जाएं इसीलिए तो सारे एम.पीज. यहां पर नहीं आते क्योंकि हम यहां पर आयें और मामला उठाकर चले जाएं, बस हमारी ड्यूटी पूरी हो गई कि हमने सदन में उठा दिया। आज से 15 दिन पहले हम सबने सदन में एकमत से कहा था कि 16 दिसम्बर को यह सरकार सारी बात राज्य सरकारों से कहे कि 16 दिसम्बर को हर जिले हैडक्वार्टर पर सारे एक्स-सर्विसमैन को जिन्होंने 1971 की लड़ाई में हिस्सा लिया है, उन्हें प्रशासन के डिस्ट्रिक्ट कलक्टर और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर चाय पर बुलायें। उस दिन पासवान जी ने कहा था कि वह सरकार को बता देंगे। आज 9 तारीख हो गई है। एक तो रक्षा मंत्री जी खुद यहां पर बैठे हुए हैं, अगर प्रधान मंत्री जी नहीं लिख सकते हैं तो रक्षा मंत्री सदन का आश्वासन दें कि यह जाते ही सब चीफ मिनिस्टर्स से बात करेंगे ...**(व्यवधान)** रक्षा मंत्री की तरफ से बात की जायेगी तो ठीक है। सब मुख्य मंत्री तैयार हैं। मैंने खुद दो-तीन मुख्य मंत्रियों से बात की है वे सब खुद करने को तैयार हैं। लेकिन यह इनीशिएटिव केन्द्र सरकार की तरफ से होना चाहिए।

दूसरा मुद्दा जसवंत सिंह जी ने बहुत सही उठाया है। जो 25 साल पहले राज्य सरकारों ने वायदे किये थे, वे पूरे नहीं हुए हैं। कल के इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि महावीर चक्र, वीर चक्र जिन लोगों को मिले हैं, सरकार ने खुद ही बयान दिया है कि हम उनको दस एकड़, पांच एकड़ जमीन देंगे, वह उनको आज तक नहीं दी गई है। उनकी चिट्ठी हमारे पास आती है। मेरी रक्षा मंत्री जी से प्रार्थना है कि सब मुख्य मंत्रियों को चिट्ठी लिखें कि जो भी एनाउंसमेंट किये हैं और वे पूरे नहीं हुए हैं, वे आपको इत्तिला करें और आप सदन को बता दें कि इस तारीख तक सबके क्लेम उन्हें या उनकी विडो को मिल गये हैं या नहीं मिले हैं। उससे सदन में एक संतोष आयेगा कि हम उन लोगों के प्रति जिन लोगों ने देश की रक्षा के लिए जानें दी, सरकार कदम उठा रही है, उनके लिए हम भी संतुष्ट होकर रहेंगे।

एक और सवाल जो श्री चंद्रशेखर जी और श्री प्रेमदास मुंशी ने जयललिता जी के बारे में उठाया, मैं उनकी भावना से सहमत हूं कि हमारी एक बहन मुख्य मंत्री रही हैं, उनके साथ गलत बर्ताव हुआ, दुर्व्यवहार हुआ। लेकिन आज सदन को यह भी सोचना पड़ेगा कि उनकी यह हालत क्यों हुई। आज सुबह उपराष्ट्रपति जी ने भाषण दिया था और स्पीकर साहब ने भी अपने भाषण में कहा कि अम्बेडकर जी ने खुद कहा था कि आज के बाद अगर इंस्टीट्यूशंस में गिरावट आयेगी तो हम उसके जिम्मेदार होंगे और खासकर इन सदनों में बैठे हुए लोग जिम्मेदार होंगे। अपने भाषा में अम्बेडकर जी ने कोट किया है "आज अगर राजनीतिक चरित्र में इतनी गिरावट आई है तो उसके जिम्मेदार हम भी हैं।" आज सदन को यह देखना पड़ेगा कि अगर इतनी गिरावट आई है तो उसके कारण क्या हैं? पहले भी ऐस बातें होती थीं। 1952-57 में, लोग दूर से कहा करते थे कि यह ऐसा क्यों हो रहा है। आज पोलिटीशियंस के खिलाफ कोई कदम उठता है, कोई भी बात कही जाती है तो सारी जनता यह कहती है कि बिलकुल ठीक हो रहा है। हमारी इतनी क्रेडिबिलिटी गिर चुकी हैं। इस सदन में बैठकर बात होनी चाहिए, हर पोलिटीकल पार्टी को बैठकर बात करनी चाहिए और पार्टियों से ऊपर उठकर सोचना चाहिए कि अगर की क्रेडिबिलिटी, लेजिस्लेचर की क्रेडिबिलिटी रखनी है तो हमें अपने आपमें सुधार करना पड़ेगा और मौरल वैल्यूज की पोलिटिक्स को वापस लाना पड़ेगा, तभी इस बात का हम जवाब दे पायेंगे। आज किसी इंस्टीट्यूशन को क्रीटिसाइज करके हम जवाब नहीं दे पायेंगे। तो मेरी सदन से प्रार्थना है कि बैठकर बातचीत करें और इस पर सारे सदन को एक होकर बात करनी चाहिए कि आगे के लिए क्या कदम उठाने हैं, जिससे कि हम अपनी इज्जत बचा सकें। आज हमारी इज्जत गिर चुकी है। हम सदन में जो मर्जी करके चले जाएं, लेकिन बाहर आप पब्लिक में जाओगे तो पब्लिक उन सब बातों को एक्शन को सपोर्ट कर रही है जो कि आजकल हो रही है। यह एक सच्चाई है जो मैं सदन में रखना चाहता था।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुलायम सिंह जी, आपके बोलने से पूर्व, मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री जसवंत सिंह ने 1971 के युद्ध के नायकों के संबंद्ध में मुद्दा उठाया था जो श्री राजेश पायलट द्वारा उठाया गया प्रथम प्रश्न था, दूसरे प्रश्न के बारे में नहीं।

[हिन्दी]

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : केवल माननीय जसवंत सिंह जी और राजेश पायलट जी ने जो बात रखी है मैं उसके संबंध में ही कहूंगा।

मुझे इस बात की खुशी है कि जसवंत सिंह जी राजेश पायलट जी ने इस विषय को यहां उठाया।

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : यह तो ठीक है कि आप डिफैंस के लोगों को बुलाएंगे, उसके साथ-साथ बी.एस.एफ के लोगों को भी बुलाएं लेकिन हमें यह जानकारी भी मिलनी चाहिए क्योंकि इंडीपैन्डेंस के समय इंडिया के काफी नौजवानों ने अपनी कुर्बानी दी थी ...**(व्यवधान)** यह बहुत सैंसिटिव ईश्यू है क्योंकि भारत की आजादी कि लिए अनेक नौजवानों ने काम किया, हिस्सा लिया। आपको मालूम है कि मुजीब नगर एक जगह है, जो कूचबिहार जिला के पास है, जिसे पडग्राम भी बोलते हैं, वहां बांग्लादेश को स्वतंत्रता सबसे पहले मिली थी जिसे प्राप्त करने के लिए काफी भारतीय नौजवानों ने 1971 में बलिदान दिया, शहीद हुए । इसलिए जब आप डिफैंस के लोगों और बी.एस.एफ. के लोगों को बुलाएंगे तो उसके साथ ही उन भारतीय लोगों को बुलाना चाहिए जिन्होंने बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया, शहीद हुये तथा उन लोगों के परिवार जनो को भी बुलाना चाहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : जहां तक सभी सवालों के उत्तर देने का संबंध हैं, अध्यक्ष जी के चैम्बर में जैसा निश्चय होता है, उसी के अनुसार सदन चलता है लेकिन यहां माननीय जसवंत सिंह जी और राजेश पायलट जी ने जो सवाल उठाया, वह बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 25 साल बाद, आगामी 16 दिसम्बर हम 'विजय दिवस' के रूप में मनाने जा रहे हैं। अभी दो दिन पहले ही माननीय जसवंत सिंह जी के क्षेत्र की बगल में हम ऐसा ही एक कार्यक्रम करके आए हैं, सम्मान करके आए हैं। जहां तक भूतपूर्व सैनिकों को सवाल है, माननीय सदन को पता होगा कि मैंने इससे पहले सभी मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा था, जब मैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री था, क्योंकि भूतपूर्व सैनिकों की हालत देखकर मुझे खुद अफसोस होता था। जिला प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता, उनके परिवार की जमीन से लेकर कई तरह के उत्पीड़न उनके साथ होते हैं। आज जो लोग सेना में है, उनके साथ भी ऐसा ही होता है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से मैंने सभी मुख्यमंत्रियों को लिखा था, जिसकी जानकारी पत्रों में दी गई थी।

दूसरा सवाल 1971 की लड़ाई के वीरों को सम्मान देने का यहां उठाया गया। यह सही है कि 1971 की लड़ाई में हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। इसलिए जिन वीरों ने उस लड़ाई में भाग लिया, शरीद हुए, हम चाहते हैं कि हर स्तर पर उनका सम्मान होना चाहिए। मैंने जनता से भी अपील की है कि सरकारी कार्यक्रमों से ही केवल उन्हें सम्मानित नहीं किया जा सकता, हमें और आप, स्वयंसेवी संस्थाओं को भी इस

क्षेत्र में आगे आना चाहिए। आपके क्षेत्र में ऐसे जो लोग हों, उन्हें आप भी चाय पर बुलाकर सम्मान प्रदर्शित करें तो अच्छा रहेगा। फिर भी, आपने जो सुझाव दिया है, मैं तत्काल, कल ही सारे मुख्यमंत्रियों को लिखित रूप से निवेदन करूंगा कि 1971 की लड़ाई में भाग लेने वाले या जो शहीद हुए हैं, उन सभी वीरों का जिला मुख्यालय पर, कमिश्नरी लेवल पर, विश्व-विद्यालय स्तर पर सम्मान करें, उन्हें याद करें-यह विश्वास मैं सदन को दिलाना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : उन्हें केवल याद न करें, बल्कि पिछले समय में उन्हें जो आश्वासन दिए गए, एक जगह कहा गया कि 10 एकड़ जमीन उन्हें दी जाएगी, उन सबको पूरा करने का इंतजाम करें ...**(व्यवधान)**

श्री मुलायम सिंह यादव : हमारी बहन जी को हर वक्त राजनीति दिखाई देती है ...**(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : मैंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं, फिर आपको कहां से राजनीति दिखाई दे गई ... **(व्यवधान)** अभी तो मैंने अपना मुंह भी नहीं खोला।

श्री मुलायम सिंह यादव : हम पहले ही कह चुके हैं कि मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख चुके हैं ...**(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं आपको सिर्फ यह याद दिलाने के लिए खड़ी हुई थी कि जब आप यहां नहीं थे ...**(व्यवधान)**

श्री मुलायम सिंह यादव : बहन जी, जो समस्या आप बता रही हैं, उसके संबंध मे सभी मुख्यमंत्रियों को सरकार सजा नहीं दे पाएगी। अगर सजा देने का सवाल है तो सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री को सजा दे डालिए ...**(व्यवधान)** मैंने सारे मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है, उन्हें बुलाकर मीटिंग भी की है। यदि फिर भी कुछ मुख्यमंत्री ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम उन्हें फिर से निर्देश दे देंगे ...**(व्यवधान)**

श्री राजेश पायलट (दौसा) : आप सबसे ब्यौरा मंगवाकर सदन में दीजिए क्योंकि आज हर पार्टी की सरकार किसी न किसी स्टेट में है, जिससे सबको पता चल जाएगा कि कौन ऐसा नहीं कर रहा है।

प्रो. रासा सिंह रावत : अभी रक्षा मंत्री जी ने जो बात कही, उससे मुझे आपत्ति है। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम लेकर कहा कि उन्हें सजा दो।

श्री मुलायम सिंह यादव : आप वहां जाकर पूछिए।

प्रो. रासा सिंह रावत : मैं समझता हूं कि वहां बहुत कुछ किया जा रहा है लेकिन कई राज्यों में कुछ नहीं किया जा रहा है। हमारी आपसे प्रार्थना है, अनुरोध है कि 1971 की लड़ाई में जिन वीरों को पदक आदि से सम्मानित किया गया, उन्हें बाद में जो आश्वासन दिए गए, वे पूरे किए जाएं।

सभापति महोदय : ऐसे नहीं चलेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव : हमने पहले ही कहा है क यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो जसवंत सिंह जी तथा राजेश पायलट जी ने यहां उठाया है।

अपराह्न 4.00 बजे

हर मुख्य मंत्री को मैंने चिट्ठी लिखी है, वह मैं बता चुका हूं। उनको बुलाकर मीटिंग बात की है। आश्वासन सबने दिया है। इसलिए यह सही है कि हर पार्टी के मुख्य मंत्री हैं सरकार में सिवाय हमारी पार्टी के।

श्री राजेश पायलट : आपकी पार्टी के भी मुख्य मंत्री बन जाएंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव : यह भी सही हैं। लेकिन फिर भी हम मुख्य मंत्रियों से बातचीत करेंगे। पत्र भी लिखेंगे और ब्यौरा भी लेंगे और जो आश्वासन दिया है, उसके अनुसार जो वायदा किया है वह पूरा किया है या नहीं, यह भी पूछेंगे। उस संबंध में जो बात सदन तय करेगा, वह करेंगे। न किसी भी मुख्य मंत्री को मजबूर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी डैमोक्रेसी में एक व्यवस्था है और संघीय कार्यपालिका और राजनीति दोनों अलग-अलग चीजें हैं। फिर भी हम सैनिकों के बारे में सरकार की तरफ से सम्मान, इज्जत बढ़ाने का और जमीन से लेकर जो भी उनकी जरूरते हैं, जो उनके अधिकार हैं, वे तो उनको मिलने चाहिए, हम भी उन्हें दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। **(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, मैं मुख्य मंत्रियों की बात नहीं कर रही हूं। ...**(व्यवधान)**

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया उन्हें प्रश्न करने दीजिए। आप कृपया बैठ जाइए। जोशी जी, आप कृपया बैठ जाइए। जोशी जी, आप इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं?

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री ने जितना किया है उतना किसी और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। **(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, मैं जो बात कहना चाहती हूं, वह मुख्य मंत्रियों के बारे में नहीं है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। माननीय सदस्यो कृपया बैठ जाइए। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। कृपया बैठ जाइए। जोशी जी, कृपया बैठ जाइएं। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री मुख्तार अनीस (सीतापुर) : सभापति महोदय, जोशी जी बहुत उम्र के हैं **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइएं।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कृपया बैठ जाइएं। इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप इस तरह अपनी ऊर्जा क्यों व्यर्थ कर रहे हैं। इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप इस तरह अपनी उर्जा क्यों व्यर्थ कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : मान्यवर, भारतीय संस्कृति का नाम लेंगे, इन्हें आपको तहजीब सिखानी पड़ेगी। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : केवल एक जाति को प्रश्रय देते हैं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यह क्या है, जोशी जी? इस प्रकार चिल्लाने का क्या फायदा है? इस पर और चर्चा नहीं होगी।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति जी, बहुत अच्छा सवाल उठाया था और यह सवाल ऐसा था जो राजनीति से ऊपर उठकर था। उसको अगर आप कहना चाहते हैं, तो ठीक है। आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, लेकिन राजनीति में मैं भी नौ बार एम.एल.ए. और एम.एल.सी. रहा हूं। मैं राजनीति में आपसे बहुत बड़ा हूं। **(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, मैं केवल एक बात रक्षा मंत्री जी से कह रही हूं कि आपने जो मुख्य मंत्रियों की बात कही ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सुषमा जी, इस पर और आगे चर्चा नहीं होगी। हम इसे यहीं समाप्त करेंगे। अथवा यह जारी रहेगी।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, आप मेरी बात तो सुन लीजिए, जो मैं कह रही हूं, ...**(व्यवधान)**

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हम इस चर्चा को जारी नहीं रखना चाहते।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति महोदय, मैं सिर्फ यह याद दिला रही हूं कि पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में, **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या आप कृपया बैठेंगे? वरिष्ठ सदस्यों के सहयोग के बिना पीठाध्यक्ष के लिए सदन को चलाना कठिन होगा। कृपया यह समझिए कि हम श्री जसवंत सिंह तथा श्री राजेश पायलट द्वारा उठाये गये मुद्दे को लम्बा नहीं खींचना चाहते और हम एक पक्षीय चर्चा में नहीं जाना चाहते। सरकार ने इस मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान दिया है।

सदन को आशा है कि उचित अनुवर्ती कार्यवाही की जायेगी। अतः हम अगले विषय को लेते हैं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अगर आप कुछ सुझाव देना चाहती हैं, तो मुझे अकेले में आकर दे दीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : ठीक है, मैं दे दूंगी।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : मैं इस सम्माननीय सभा के समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा लाना चाहता हूं। हजारों भारतीय विदेशों में कार्य कर रहे हैं, विशेषकर खाडी देशों में। संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने उन लोगों को सामान्य सार्वजनिक क्षमा दी है जो बिना उचित रिकार्ड वीजा तथा पासपोर्ट के खाड़ी देशों में कार्य कर रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा घोषित इस सार्वजनिक क्षमा के द्वारा हजारों भारतीय इन खाड़ी देशों से विशेषकर संयुक्त अरब अमीरात से आ रहे हैं। वास्तव में वे वहां कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं। आप जानते हैं कि 70 प्रतिशत भारतीय जो विदेश में कार्य कर रहे हैं विशेषकर खाड़ी देशों में केरल से है।

केरल की अर्थव्यवस्था विदेशी मुद्रा पर निर्भर है जो खाड़ी देशों से आती है। प्रत्येक घर से एक या दो लोग विदेश में विशेषकर खाड़ी देशों में कार्य कर रहे हैं।

इस सामान्य सार्वजनिक क्षमा के द्वारा जिसकी संयुक्त अरब अमीरत सरकार द्वारा घोषणा की गई है हजारों परिवार कठिनाई में है। वे अब खाड़ी देशों से वापिस आ रहे हैं और उन्हें काफी परेशानी उठानी पडेगी यहां तक कि मुम्बई तथा गुजरात के तटों पर भी उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

मैं यह प्रश्न उठाना चाहता हूं कि जो लोग खाड़ी देशों से आ रहे हैं उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए। सयुक्त अरब अमीरात की

सरकार कुछ कुशल कामगारों को लेने के लिए तैयार है जो पहले ही सयुक्त अरब अमीरात से भारत आ चुके हैं। अतः विदेश मंत्रालय को उनके खाड़ी देशों में वापसी के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए। जिन लोगों ने पहले संयुक्त अरब अमीरात और अन्य खाड़ी देशों में कतिपय कम्पनियों तथा कारखानों में कार्य किया है उनका वहां उचित रिकार्ड तथा उचित वीजा तथा पासपोर्ट के साथ पुनर्वास किया जा सकता है।

दूसरे, भारत सरकार, विदेश मंत्रालय को अपने पुनर्वास के संबंध में उचित योजना बनानी चाहिए। केरल सरकार ने इस सामान्य सार्वजनिक क्षमा के द्वारा इन खाड़ी देशों से निकाले गये लोगों के पुनर्वास के लिए पहले ही कतिपय योजनाएं तैयार कर ली हैं।

अतः, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि जिन लोगों को संयुक्त अरब अमीरात तथा अन्य खाड़ी देशों से निकाल कर भारत भेजा गया है, उनके पुनर्वास के लिए एक योजना तैयार करनी चाहिए ताकि वे अपनी आजीविका अर्जित कर सकें।

यह एक बहुत गम्भीर मुद्दा है जिसपर भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय द्वारा पर्याप्त उपाय करने की आवश्यकता है। विदेश मंत्रालय को उन लोगों के पुनर्वास के लिए केरल सरकार की सहायता करनी चाहिए जिनको संयुक्त अरब अमीरात से निकाला गया है।

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही गंभीर विषय की ओर इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सौभाग्य से श्री मुलायम सिंह यादव और दूसरे महत्वपूर्ण मंत्री भी यहां बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से इन लोगों से कहूंगा कि अपने प्रभाव का प्रयोग करके इस होने वाले स्कैम से देश को बचाया जाये।

मान्यवर, आज सवेरे माननीय स्पीकर महोदय और उपराष्ट्रपति महोदय ने देश में हो रहे भ्रष्टाचार और उसके कारण हमारी जो संस्थायें कमजोर हो रही हैं, उसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया था। बहुत सामयिक चेतावनी थी। मैं उसी प्रकार का एक विषय आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। 1994 में इस देश में नई नेशनल टेली कम्युनिकेशन पालिसी बनाई गयी थी जिसके द्वारा प्राइवेट सैक्टर को टेलीकॉम सैक्टर में बेसिस सर्विस में आने के लिए निमंत्रण मिला था। यह पालिसी 1994 में बनी थी और उसी के क्रम में जून 1995 को डिपार्टमैंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने सभी राज्यों के लिए बिड्स इन्वॉइट किये थे। जो बिड्स इनवाइट किए जाने थे, उसके लिए टैंडर और टैंडर की कंडीशन्स थी। टैंडर कंडीशन में एक बात साफ-साफ लिखी गई थी कि टैक्नीकल बिड्स में कोई नैगोसिएशन हो सकती है लेकिन फाईनैंशियलन तत्व के अंदर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होगी। बिड्स या तो स्वीकार किए जाएंगे या अस्वीकार किए जाएंगे। टैक्नीकल इवैलूएशन कमेटी ने एक प्रस्तावित रेट्स निकाले थे।

मैं राजस्थान के 'बी' सर्कल के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पिछले दिनों अखबारों में इसके बारे में बहुत कुछ चर्चा हुई है। मैंने भी माननीय लॉ मिनिस्टर को पत्र लिखकर उनका ध्यान आकृष्ट किया था। इसके लिए टैलीलिंक नैटवर्क इंडिया लिमिटेड ने अपने बिड्स दिए थे। टैलीलिंक नैटवर्क एडवांस रेडियो मास्ट्र्स का एक कन्सोर्टियम टाइप हिस्सा है और उसमें चाईनीज का पी.एल.ए. और हैरिस ऑफ यू.एस.ए. भी भागीदारी करते हैं। उन्होंने प्रौबेबल लैवी को, जो 1700 करोड़ रुपये आंकी गई थी, उसके स्थान पर 1100 करोड़ रुपये कोट किया। 600 करोड़ रुपये का घाटा सीधा-सीधा अगले 15 वर्षों में राजस्थान के 'बी' सर्कल में होने वाला है। श्री सुख राम जो इस समय सदन के माननीय सदस्य हैं और पहले मंत्री रह चुके हैं, ने पिछले दिनों ...**(व्यवधान)** आप मुझे अवसर दें। इस विषय पर इस सदन को चिन्ता होनी चाहिए। श्री सुख राम ने यह चाहा था कि किसी तरह से इस कम्पनी को राजस्थान 'बी' सर्कल दे दिया जाए। लेकिन चुनाव आ गए और चुनाव आयोग ने इस बात पर रोक लगा दी ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। अब, आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री सत्यदेव सिंह : नहीं, महोदय, मुझे अभी अपनी बात कहनी है।

सभापति महोदय : आपने राजकोष के 600 करोड़ रुपये के घाटे का प्रश्न उठाया है। आपने पहले ही यह बात कह दी है। कृपया विस्तार में मत जाइएं।

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह : सभापति महोदय, बेसिक प्रश्न यह है कि जो महत्वपूर्ण विषय है, जिसके लिए देश चिंतित है, दसवीं लोक सभा से लेकर ग्यारहवीं लोक सभा तक पूरा राजनैतिक तंत्र आज उस पर लगा हुआ है। कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं। एक से एक स्कैम हुए हैं। 600 करोड़ रुपये का दूसरा स्कैम होने जा रहा है। क्या सदन इसके लिए थोड़ा समय भी नहीं देगा? मैं आपसे अपील करता हूं कि मेरी बात सुन ली जाए। ...**(व्यवधान)** मैं तो आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि इस पर फुल-फ्लैज्ड डिस्कशन की जाए। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उसके बारे में आप नोटिस दे सकते हैं। आप ने राजस्थान टेलीकॉम सर्कल के बारे में पहले ही एक विशेष प्रश्न उठाया है। अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री सत्यदेव सिंह : जो हो रहा है, वह मैं बताना चाहता हूं। पिछली सरकार ने जो धांधली करने की कोशिश की, की। इस समय वर्तमान सरकार भी इसमें सैकिंड ओपिनियन मांग रही है। पहले लीगल डिपार्टमैंट ने साफ-साफ मना कर दिया था कि यह टैंडर

कैंसल होना चाहिए और यह बिड बिलो एक्सपैक्टेड लिमिट ऑफ रेवैन्यू है, इसे भी कैंसल होना चाहिए। इसके बावजूद भी आज फिर से टेलीलिंक नैटवर्क, जिसके एडवांस रैडियो मास्ट्स हैं, सी.बी.आई. की जांच के अंतर्गत है। मैं मुलायम सिंह जी से आग्रह करूंगा, उनके वरिष्ठ सहयोगी और उनके दल के सहयोगी श्री बेनी प्रसाद वर्मा इस समय टैलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं। वे उनको राय दें कि इस देश की 600 करोड़ रुपये की लूट को बचाएं और अपना नाम उस काली सूची में दाखिल न करें जिसमें पूरे देश के राजनैतिक तंत्र पर आज सवाल उठ रहा है। श्री राजेश पायलट ने बड़ी सफाई से कहा कि यहां हम कुछ भी कह लें लेकिन बाहर क्या होता है।

मैं मंत्री जी से यह आश्वासन चाहूंगा कि टैलीलिंक नैटवर्क के बारे में जो टैंडर कंडीशन्स थी, जिसको ऑल्टर किया गया है, उसके पूरे तथ्य और फैक्ट्स सदन के सामने रखेंगे और जब तक सदन को विश्वास में नहीं ले लेंगे कि इसमें घपले नहीं किए जा रहे हैं, 600 करोड़ रुपये की लूट नहीं की जा रही है तब तक इस कम्पनी को किसी प्रकार का कौन्ट्रैक्ट देने की इजाजत नहीं देंगे, लाईसैंस देने की इजाजत नहीं देंगे।

माननीय श्री मुलायम सिंह जी सरकार के रूप में यहां बैठे हुए हैं। सदन में यह आश्वासन आना चाहिए। ...**(व्यवधान)** टैलीकम्युनिकेशन के चेयरमैन महोदय की प्रैस स्टेटमैंट है कि अगले एक हफ्ते में राजस्थान सर्कल के बारे में हम निर्णय ले लेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री सत्यदेव सिंह, क्या आप कृपया अपना भाषण समाप्त करेंगे? आपने अपनी बात कह दी है। आप इसे इस तरह से लम्बा नहीं खींच सकते। आप अभी उत्तर देने का आग्रह नहीं कर सकते।

श्री सत्यदेव सिंह : मैं सभापति महोदय से अनुरोध कर रहा हूं। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं सरकार से उत्तर देने के लिए नहीं कह सकता। लेकिन नियमित तौर पर मैं सरकार से उत्तर देने के लिए कह सकता हूं। कृपया इसे समझिए।

श्री सत्यदेव सिंह : निश्चय ही आप उन्हें उत्तर देने के लिए नहीं कह सकते। लेकिन वे उत्तर क्यों नहीं दे सकते? वे उत्तर दे सकते हैं और कह सकते हैं कि वे राजस्थान 'बी' सर्कल के बारे में निर्णय करने से पूर्व सभी दस्तावेजों को सभापटल पर रख देंगे। उनसे इस तरह का उत्तर मिलना चाहिए। उसमें क्या बुराई है? दूरसंचार आयोग के चैयरमैन समाचार पत्रों से यह कह रहे हैं कि वे उसकी कम्पनी को लाइसेंस दे रहे हैं जो प्रश्नाधीन है।

[हिन्दी]

600 करोड़ रुपये की लूट को आप इस तरह से एलाऊ करने देंगे।

श्री सत्यदेव सिंह : माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं, अगर कुछ कहना चाहें तो कह दें।

श्री मुलायम सिंह यादव : माननीय सत्यदेव सिंह जी के सम्बन्ध में तो मैं नहीं कहना चाहता। अभी माननीय सुषमा स्वराज जी ने और कृष्ण लाल शर्मा जी ने एक सवाल पूछा है, मैं भूल गया था और माननीय सदस्य इसकी वजह से उत्तेजित भी हो गये थे, उन्होंने यह पूछा है कि, क्योंकि यह महत्वपूर्ण सवाल है, मुख्यमंत्रियों के अतिरिक्त केन्द्रीय स्तर पर 16 दिसम्बर 'विजय दिवस' के रूप में मनाया जा रहा है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री मुलायम सिंह जी आप माननीय सदस्य के साथ चर्चा कर सकते हैं क्योंकि सभा ने अब दूसरे विषय पर चर्चा शुरू कर दी है। हम पुनः उसी विषय पर नहीं आ सकते।

श्री मुलायम सिंह यादव : वह नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय स्तर पर भी विजय दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रपति जी, प्रधान मंत्री जी, हम सब मिलकर हिस्सा लेंगे, परेड भी हो रही है, सम्मान भी किया जा रहा है और केन्द्रीय स्तर पर भी भव्य रूप से झांकियां निकालकर पूरा विजय दिवस यहां मनाया जा रहा है, यह मैं आपको और पूरे सदन को बताना चाहता हूं।

श्री सत्यदेव सिंह : मंत्री जी, टेलीलिंक के बारे में तो कुछ कह दीजिए। मैं इनसे फिर कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से आप बैठे हुए हैं, आप क्यों नहीं आश्वासन देते हैं?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री सत्यदेव सिंह, वे आपके द्वारा उठाये गये प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे थे।

श्री सत्यदेव सिंह : मैंने सोचा कि वे मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : यह 600 करोड़ रुपये का मामला है, राजस्थान के पूरे राज्य का सवाल है। अब कम्पनी को दे दिया जाएगा तो फिर सुख राम जी जैसे घपले होंगे इसलिए आपके माध्यम से माननीय सदस्य महोदय ने आपसे प्रार्थना की है, इस सरकार से कहा जाय कि रैस्पोंस दें या जब तक सारे कागज सदन के सामने नहीं रखें, तब तक उस बारे में निर्णय नहीं लिया जाये।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : बेनी प्रसाद जी मुलायम सिंह जी के खास हैं, वे फालतू बदनाम हो जाएंगे, अभी तक उनकी छवि ठीक है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे सभी माननीय सदस्यों के ध्यान में एक बात लानी है। कतिपय ऐसे प्रश्न है जिनके लिए आपको संबद्ध मंत्री को भी सूचना देनी होती है। ऐसे प्रश्नों को मंत्री को सूचना दिए बिना सदन में नहीं उठाया जाना चाहिए विशेषकर जब आरोप लगाया गया हो।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइएं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : जोशी जी, सभा में अव्यवस्था न कीजिए। बहुत हो गया। मैंने इसके बारे में आपको कई बार बताया है। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया पीठाध्यक्ष के साथ सहयोग कीजिए। मैं इस तरह की अनुमति प्रदान नहीं कर सकता। हमने दूसरा विषय ले लिया है। हमें दूसरे सदस्यों को भी अवसर देना है। कृपया सहयोग कीजिए।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर) : महोदय, राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण की सिफारिशों को क्रियान्वित न किए जाने के कारण देश भर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लगभग 70000 कर्मचारी आन्दोलन कर रहे हैं। इस न्यायाधिकरण का गठन माननीय उच्चतम न्यायालय के कहने पर किया गया था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि सरकार इन सिफारिशों को क्रियान्वित क्यों नहीं कर रहीं है। मुख्य सिफारिश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतन राष्ट्रीकृत बैंकों के कर्मचारियों के बराबर वेतन देने के बारे में है। मैं माननीय वित्त मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें ताकि इस हड़ताल से बचा जा सके।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : मान्यवर, उत्तर प्रदेश मे जिस समय से राष्ट्रपति शासन लागू है और प्रधान मंत्री जी ने अलग राज्य बनाने की घोषणा की है, तब से वहां पर जितने उद्योग-धन्धे हैं, उनकी जो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी हे, वह बन्द कर दी गई है जिससे उनका रॉ-मैटीरियल पूरा नहीं पहुंच रहा है तथा हमारे जो इलैक्ट्रानिक्स उद्योग हैं, टेलीट्रानिक्स का उद्योग हैं, इसके अलावा वैक्नीसाइट लिमिटेड और कोआपरेटिव ड्रग फैक्टरी, रानीखेत, ये जो-जो गवर्नमेंट सैक्टर के उद्योग हैं, इनमें भी सारा उत्पादन बन्द है और विशेष रूप से सैंचुरी पेपर एंड पल्प मिल लिमिटेड को नैनीताल जिले में है, उत्तरांचल के अन्दर 17 करोड़ रुपये का उसका कागज का माल गोदाम में डम्प पड़ा हुआ है और हजारों मजदूरों की छंटनी करने के लिए प्रशासन ने और प्रबंधन तंत्र ने पूरा मन बना लिया है और कहा जा रहा है कि मल्टी नेशनल्स का कागज सस्ता आ रहा है।

जहां एक ओर उत्तरांचल को राज्य बनाने की बात आ रही है, इस समय खैर मैं इस बारे में नही जाता, क्योंकि केन्द्र सरकार उस मामले में खामोश हैं, लेकिन राज्य बनाने से पहले वहां का जो पहले का इन्फ्रास्ट्रक्चर था, वह समाप्त हो रहा है। भूखमरी के लिए कहा जा रहा है कि हजारों मजदूरों के परिवार भुखमरी के कगार पर हैं। इतना ही नहीं, एक सरस्वती वूलन मिल्स लिमिटेड है, बी.आई.एफ. आर. तक उसका मामला गया, उसको सारा मामला लटकाकर रखा गया है। उसकी भी सारी कैपीटल की परेशानी है और मजदूर बेकारी के कगार पर हैं।

मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें। इस मिल में वहां के मजदूरों को पुनर्नियोजित करने के लिए और जो आवश्यक कार्यशील पूंजी है, जो भी उसकी वित्तीय सहायता होती है, विशेष योजना देकर उसमें कार्रवाई करवायें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : सभापति जी, ताज को पर्यावरणीय प्रदूषण से बचाने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर पर्यावरण विभाग ने अनवरत एवम् अबाध गति से ताज संरक्षित क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति करने के लिए एक परियोजना न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

यह परियोजना पर्यावरण सचिव ने उत्तर प्रदेश शासन के ऊर्जा विभाग से बनवाई थी। इस योजना को केन्द्र के ऊर्जा मंत्रालय ने भी सहमति प्रदान की थी। इस योजना का समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए केन्द्र के पर्यावरण मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय में एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया और बताया कि इस परियोजना के माध्यम से ताज संरक्षित क्षेत्र को अबाध एवम् निरंतर विद्युत आपूर्ति हो जाएगी। इस परियोजना में ताज संरक्षित क्षेत्र में विद्युत पारेषण प्रणाली विकसित करने की व्यवस्था की गई है। ताज संरक्षित क्षेत्र में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण प्रणाली विकसित करने की व्यवस्था नहीं की गई है और शपथ पत्र के माध्यम से उच्चतम न्यायालय को गलत तथ्य बताए गए हैं कि इससे बिजली की आपूर्ति हर जगह हो जाएगी। ताज को पर्यावरणीय प्रदूषण से बचाने का उद्देश्य इससे पूरा नहीं होगा। विद्युतविहीन क्षेत्रों में सिंचाई, कुटीर उद्योगों व अन्य कार्यों में विद्युत आपूर्ति न होने पर जैनरेटर और डीजल इंजनों का प्रयोग होता रहेगा और प्रदूषण पैदा होता रहेगा। इस विसंगति की ओर शासन के विभिन्न विभागों, योजना आयोग तथा प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित करने के बाद भी कोई विसंगति दूर नहीं की गई है। मेरी शासन से मांग है कि ताज संरक्षित क्षेत्र में सभी गांवों व नगरीय क्षेत्रों के सभी मोहल्लों में अबाध गति से विद्युत वितरण परियोजना भी विकसित की जाए, ताकि ताज की जैनरेटर्स और डीजल इंजनों से रक्षा की जा सके। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने गलत तथ्य देकर प्रस्तुत कर दिया। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि यह मामला आगे बढ़ सकता है इसलिए यह बहुत आवश्यक है।

श्री विजय गोयल (सदर दिल्ली) : सभापति महोदय, दिल्ली में राशन नहीं मिल रहा है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री विजय गोयल जी, आपका नाम सूची में नहीं है। कृपया सूची को समाप्त होने दीजिए। फिर, आपको अपना मुद्दा उठाने का अवसर मिलेगा।

श्री नीतीश भारद्वाज (जमशेदपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं 'आज का भारत' में दूरदर्शन पर दिखाये जा रहे कार्यक्रमों के प्रभावों के बारे अपनी चिन्ता प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

वर्ष 1991 में, डा. मनमोहन सिंह ने अपना आर्थिक उदारीकरण नीति प्रारम्भ की थी और तब से भारत में दूरदर्शन चैनलों; दोनों भारतीय तथा विदेशी चैनलों की बाढ़ सी आ गई है। आज, भारत में इलैक्ट्रानिक माध्यम में इतनी वृद्धि हो गई है कि यह बच्चों के लिए सीखने का वैकल्पिक ढंग बन गया है। एक समाचार पत्र की स्वतन्त्र रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि इलैक्ट्रानिक माध्यम, विशेषकर दूरदर्शन बच्चों के डाइंगरूम तथा बैडरूम में इस तरह से प्रवेश कर गये हैं कि वे प्राकृतिक आश्चर्य के द्वारा वास्तविक जीवन के अनुभवों को सीखने के तरीकों को लगभग भूल गये हैं। वे सभी कुछ दूरदर्शन के माध्यम से सीखते हैं और इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम दूरदर्शन पर जो कुछ दिखाये उसके बारे में पर्याप्त सावधानी बरतें।

माननीय सभापति महोदय, दूरदर्शन चैनलों में यह आकस्मिक वृद्धि हुई है, लेकिन कोई अवसंरचना नहीं है। आज भारत में दूरदर्शन कार्यक्रमों की गुणवत्ता पर नियन्त्रण के लिए कोई नियामक निकाय नहीं है अथवा दूरदर्शन पर क्या दिखाना चाहिए और क्या नहीं दिखाना चाहिए। इसको नियन्त्रित करने के लिए कोई सैंसरशिप निकाय नहीं है। इसी कारण से घटिया कार्यक्रम विशेषकर फिल्मी गानों पर आधारित कार्यक्रमों को अधिसंख्या में दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा है। ये गाने, दुर्भाग्य से आज के फिल्मी गाने औरतों का नंगेपन और अश्लीलता का प्रचार कर रहे है, जिसे हिन्दी में विभीत्सना कहते हैं, विकृति कहते हैं।

इन बातों को दूरदर्शन कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों के दिमाग में बैठाया जा रहा है।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री नीतीश भारद्वाज : सभापति महोदय, यह एक बहुत गम्भीर समस्या है। मैं इस देश के भविष्य के बारे में बात कर रहा हूं।

यदि हम 'स्टार प्लस' चैनल के बारे में बात करें तो यह हिन्दी कार्यक्रमों के संबंध में अपनी नई नीति लाया है, जो मेरे विचार से अच्छी है और मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन साथ ही उन्होंने हिन्दी में एक अश्लील कार्यक्रम 'बे वाच' दिखाना प्रारम्भ किया है और वह भी परिवार के देखने के समय में। 8 बजे परिवार के देखने का समय होता है जब सभी एक साथ बैठकर दूरदर्शन देखते हैं। 'बे वाच' एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे अमेरिका में भी 'अश्लील कार्यक्रम, समझा जाता है और यह केवल औरतों के नंगेपन तथा अश्लीलता के लिए प्रसिद्ध हुआ है जो उस कार्यक्रम में दिखाया जाता है। वह कार्यक्रम अमरीकी सभ्यता के हिसाब से अच्छा हो सकता है परन्तु मैं नहीं समझता कि परिवार के लिए यहां की संस्कृति को देखते हुए वह कार्यक्रम अच्छा ही हो।

मेरे विचार से ये गम्भीर समस्याएं हैं। परन्तु दुर्भाग्य से सूचना और प्रसारण मंत्रालय को आज कल की परिस्थितियों को देखते हुए परामर्शदात्री समिति की एक बैठक बुलाने का भी समय नहीं है। बैठक 1घण्टा और 15 मिनट के लिए बुलाई जाती है जिसमें इलैक्ट्रानिक माध्यमों के भविष्य पर विचार किया जाता है और मुझे तो यह हास्यास्पद लगता है। मैं सरकार और सूचना और प्रसारण मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि वह इलैक्ट्रानिक माध्यमों और आज के भारत के परिप्रेक्ष्य में इनकी संरचना को गम्भीरतापूर्वक लें क्योंकि इनका हमारे बच्चों की मानसिकता पर सीधा प्रभाव पड़ता है और चूंकि बच्चे देश का भविष्य हैं, अतः हमें इन सब बातों को बहुत सहजता से नहीं लेना चाहिए।

सभापति महोदय, हम काफी दिन से सुन रहे हैं कि प्रसार-भारती विधेयक जल्दी ही पेश किये जाना वाला है आदि आदि।

सभापति महोदय : अब आपने अपनी बात कह दी है। अब अपना वक्तव्य समाप्त कीजिए।

श्री नीतीश भारद्वाज : मैं अपने अन्तिम मुद्दे पर आ रहा हूं।

सभापति महोदय : प्रसार-भारती के विषय पर नहीं, परन्तु उस विषय पर आपको बोलना है आपने जिसका नोटिस दिया है। आप वह भी बोल चुके।

श्री नीतीश भारद्वाज : उसका सम्बन्ध टेलिवीजन पर दिखाई जा रही अश्लीलता से है।

सभापति महोदय : आप सम्बद्ध विषयों पर अपना भाषण जारी नहीं रख सकते। कृपया एक ही मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करें और अपना भाषण पूरा करें।

श्री नीतीश भारद्वाज : ठीक हैं, मैं ऐसा ही करूंगा। मुझे सूचना और प्रसारण मंत्रालय को यही आग्रह करना है कि वह अपने मंत्रालय पर पूरा ध्यान दे। उन्हें यह समझना होगा कि न तो यह कोई बम विस्फोट है और न कोई समुद्री तूफान जिसका विनाशकारी प्रभाव तुरन्त दृष्टिगोचर हो। परन्तु यह एक तरह का 'धीमा विष' है जो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं अतः कृपया भविष्य का निर्धारण करने वाली पीढी को इसे धीमे विष की प्रक्रिया की गम्भीरता और दीर्घावधि में इसके सम्भावित परिणामों को समझें और जल्दी से जल्दी समुचित कदम उठाएं।

[हिन्दी]

प्रो. ओमपाल सिंह 'निडर' (जलेसर) : सभापति जी, अभी 6 दिसम्बर के "इंडियन एक्सप्रैस" में खबर पढने को मिली थी कि हमारी सरकार बंगलादेश से गंगाजल पर कोई समझौता करना चाहती है और उसके पीछे वही पुराने तर्क हैं कि अगर यह समझौता नहीं होगा तो शेख हसीना की सरकार वहां नहीं रहेगी और समझौता हो गया तो जो समस्याएं बंगलादेश के साथ हैं, उनका समाधान हो जाएगा। इस संदर्भ में मैं सरकार से एक बात कहना चाहता हूं कि जब तीन बीघा का उन्होंने वहां समझौता किया था तब भी यहीं कहा था और तब शेख हसीना की सरकार नहीं थी। लेकिन इस बार अगर कोई बहुत बड़ी मजबूरी है तो जितने मसले हैं, पहले उनको हल कर लिया जाए। उसमें सबसे बड़ा मसला यह है कि जितने बंगलादेश के विस्थापित हमारे देश में हैं, वे सब के सब बंगलादेश द्वारा वापस ले लिए जाएं तो हम समझौता कर लें। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो हमारा कलकत्ता बंदरगाह है, उसमें पानी की कमी नहीं आए, यह भी ध्यान में रखें क्योंकि बंदरगाह का बना रहना बहुत जरूरी है और तीसरा मामला यह है कि जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, जो हमारे किसान हैं, जो

हमारी जनता है, कहीं उनको पानी की कमी तो नहीं हो जाएगी? मेरे कहने का अर्थ यह है कि हम अपने कैंसर का बचाव न करके अगर दूसरे के जुकाम की चिंता करना शुरू कर देंगे तो यह बहुत बुद्धिमानी का काम नहीं होगा और यह तो राष्ट्रीय हित का प्रश्न है। इसलिए अगर राष्ट्रीय हित की कुर्बानी करके गंगा जल का बंटवारा किया जाता है तो यह बात बिल्कुल गलत होगी और यदि राष्ट्रीय हितों का संवर्धन करके समझौता किया जाता है तो यह बात स्वागत योग्य होगी। हालांकि यह इसलिए जरूरी नहीं है कि सरकार लोक सभा को विश्वास में ले लेकिन अगर यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए विश्वास में ले लिया जाए और यदि चर्चा के बाद वह समझौता करें तो इसका स्वागत किया जाएगा।

श्री एस.पी. जायसवाल (वाराणसी) : सभापति जी, आपने हमको बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि भागीरथी के अथक परिश्रम से जां मां गंगा निकली हैं और अमृत जल इस देश को और विशेषकर उत्तर भारत को मिलता रहा, आज वह गंगा मां प्रदूषित हो चुकी हैं। सरकार की ओर से और बार-बार प्रयत्न करने के बाद गंगा एक्शन प्लान के अन्तर्गत वाराणसी के गंगा जल प्रदूषण को समाप्त करने के लिए 49 करोड़ रुपय का व्यय किया गया। लेकिन गंगा का पानी आज भी प्रदूषण से मुक्त नहीं हो सका और वे सारी योजनायें जो कार्यान्वित हुई हैं, वे दोषपूर्ण रहीं। गंगा उसी तरह वाराणसी के अन्दर प्रदूषित है। वहां से पानी आज भी दानापुर और भगवानपुर में जाता है और प्रदूषित जाता है। जो पानी प्रदूषण से मुक्त होना चाहिए था, वह अभी तक नहीं हो सका है और सारी योजनायें खटाई में पड़ गई हैं। इस नाते मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि गंगा एक्शन प्लान के बारे में जितना रुपया आबंटन हुआ है, उसके बारे में सरकार विचार करे और विचार कर योजना को कार्यान्वित करे, ताकि गंगा का जल प्रदूषण से दूर हो सके।

[अनुवाद]

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : आसाम के हालकाडल जिले में लाला से भैरंगती तक रेल लाइन का विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है।

भैरंगती मिजोरम की सीमा के अन्दर एक छोटा शहरी क्षेत्र है। रेल अधिकारियों द्वारा इस प्रस्तावित विचार का पहले ही सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है परन्तु इस आधार पर इसे छोड़ दिया कि यह आर्थिक रूप से अर्थक्षम नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि रेल अधिकारी किस आधार पर ऐसा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जिस क्षेत्र में विस्तार का प्रस्ताव है वहां पर अधिकतर अनुसूतिच जाति, अनुसूतिच जन-जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लोग रहते हैं। प्रस्तावित विस्तार डेढ़ लाख लोगों के लिए सम्पर्क का एक साधन होगा।

यदि इस रेल लाइन विस्तार किया जाता है, तो इससे मिजोरम और आसाम के बीच जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं का व्यापार सम्भव हो पायेगा। इससे इस पिछड़े हुए क्षेत्र में छोटे और लघु उद्योग लगाने का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

अत: मैं सरकार, विशेषकर रेलवे मंत्रालय से आग्रह करूंगा कि लाला से भैरंगती के प्रस्तावित रेल लाइन विस्तार को जल्दी से जल्दी पूरा करें।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : सभापति जी, भगवान की कृपा है कि आज यह सदन चल रहा है। मुझे लग रहा है कि रेल मंत्री जी उतनी चिन्ता में नहीं है। शुक्रवार और शनिवार की रात को लखनऊ-दिल्ली मेल में जो दुर्घटना हुई है, वह किसी अन्य शक्ति का चमत्कार रहा है, जिसमें 20-25 सांसद और जो प्रमुख लोग थे, किसी को चोट नहीं आई। कुछ दिन पहले, दो-चार दिन पहले, माननीय रेल मंत्री जी ने रेल लाइनों के पुराने होने पर और उसके कमजोर होने पर चिन्ता व्यक्त की थी। लखनऊ-दिल्ली मार्ग बहुत चलने वाला मार्ग है और उसकी ओर ध्यान न दिया जाना चिन्ता का विषय है। उस घटना के बारे में विस्तार से बताने की कोई ज्यादा आवश्यकता मैं नहीं समझता, लेकिन ।। डिब्बे पटरी से उतर गए। डिब्बे पटरी से उतरने के बाद ऐसा हो नहीं सकता कि किसी को चोट न आई हो। इसके बावजूद भी अगर चिन्ता न की जाए, तो यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। मैं पूछना चाहता हूं, देश की जनता की रक्षा हमारे रेल विभाग द्वारा क्या की जा रही है? लोग पहले रेलवे द्वारा चलना सुविधाजनक समझते थे। मैं समझता हूं कि जिस तरह से यह दुर्घटना हुई है, उसमें निश्चित रूप से विचार करना चाहिए कि हम किस दिशा में देश को ले जा रहे हैं। माननीय रेल मंत्री जी थोड़ी देर पहले सदन में उपस्थित थे और मैं चाहता हूं कि उनको इस घटना को गम्भीरता से लेना चाहिए। घटना का जो विवरण अखबारों में आया है, उसमें लिखा है कि भगवान की कृपा से सारे लोग बच गए, लेकिन डिब्बों को देखकर किसी को यह नहीं लगता कि किसी को चोट न आई हो।

दुर्भाग्य की बात यह है कि उसमें रेल विभाग के सबसे बड़े अधिकारी चल रहे थे। रेल के सारे अधिकारी हम सब लोगों को रात को एक बजे छोड़कर चले गए। मुरादाबाद प्रशासन के लोग भी सुबह छह-सात बजे के बाद आए। एक बजे की घटना और छह-सात बजे सक्रियता दिखाना, यह तो ठीक नहीं है। अब यह बात अलग है कि वे रेल के अधिकारी थे इसलिए दो-तीन घंटे में रेल विभाग को कार्यवाही करनी चाहिए थी। मैं चाहता हूं कि रेल मंत्री जी इस बारे में छानबीन करें कि यह सेबोटेज था या कोई और बात थी, क्योंकि उसका इंजन दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है। इंजन के पीछे जो सारे कम्पार्टमेंट थे वे सारे के सारे पटरी से उतर गए। इसलिए निश्चित रूप से इस ओर ध्यान दिया जाए और रेल मंत्री जी इस बारे में एक स्पष्ट जानकारी दें कि ऐसा क्यों हुआ तथा भविष्य में ऐसा न हो, इस दिशा में क्या कदम उठाने जा रहे हैं, यह बताएं। मेरे साथ बहत सारे एम. पीज थे, यहां वे बैठे हैं, सब लोग उस डिब्बे में थे। ...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र बहादुर राय (सुल्तानपुर) : महोदय, छह दिसम्बर की रात को 12 बजकर 55 मिनट पर यह दुर्घटना हुई उसमें श्री कॉ भी थे। उनका सेलून लगा हुआ था। उसके तत्काल घटना के बाद

चिल्लाहट मची। बच्चे और औरतें रोती रहीं। गाड़ी जंगल में खड़ी थी लेकिन श्री कॉ ने एक बार भी किसी को न पूछा, न देखा और वे चुपके से मोके से चले गए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी पदाधिकारी डी.एम.,एस.एस.पी. या उसके नीचे का कोई भी अधिकारी ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उन्होंने यही कहा है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र बहादुर राय : महोदय, मौके पर नहीं गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया इसे दोहराएं नहीं

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र बहादुर राय : महोदय, सेलून मेल ट्रेनों में कभी भी नहीं लगा करता था, आज कल आम यह रिवाज हो गया है कि सेलून मेल ट्रेनों में लगाया जा रहा है इस पर बंदिश होनी चाहिए। छह तारीख को यह एक्सीडेंट लखनऊ मेल में हुआ, सात तारीख को कालका मेल की पांच बोगियां कानपुर से रेलवे पथ से नीचे उतर गई। दो दिन लगातार दुर्घटना हुई। न्याय के आधार पर रेल मंत्री जी त्याग पत्र तो नहीं देंगे क्योंकि ये लोग कुछ नैतिकता नहीं जानते हैं।

सभापति महोदय : श्री गंगवार पहले ही सब मुद्दा रख चुके हैं।

श्री देवेन्द्र बहादुर राय : इसकी कम से कम जांच तो होनी चाहिए और यह जो मुरादाबाद का सिंगल रेलवे ट्रेक है, गाजियाबाद से मुरादाबाद का सिंगल ट्रेक है इसका सुधार होना चाहिए। यहां कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। आखिरकार हम लोग कब तक जिन्दा रहेंगे इसकी भी रेल मंत्री जी गारंटी दे दें। लखनऊ में जाते समय गाजियाबाद, मुरादाबाद जैसी जगह में सिंगल ट्रेक है, इसकी जांच होनी चाहिए ...(व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : सभापति जी, रेल मंत्री जी ने यह आरोप लगाया है कि उनको बदनाम करने के लिए ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसे राजनीतिक चर्चा न बनाएं।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह : रेल मंत्री जी ने यह आरोप लगाया है ...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : माननीय सभापति जी, मध्य प्रदेश में कुकिंग गैस की भारी कमी हो गई है। प्राइवेट एजेंसियों ने 14 किलो ग्राम के सिलेंडर पर 80 रुपए बढ़ा दिए और उपभोक्ताओं को गैस नहीं मिल रही है, पूरे मध्य प्रदेश के साथ-साथ शाजापुर जिला विशेष रूप से प्रभावित है और देवास जिला भी प्रभावित है। शाजापुर जिले में 30-30, 40-40 हजार की आबादी के आगल, सुजालपुर, हाट-पिपलिया, सोनकठ आदि क्षेत्रों में गैस एजेंसियां नहीं हैं। विज्ञप्तियां जारी हुए साल भी हो गया, आवेदकों ने आवेदन कर दिया किन्तु अभी तक उस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मैं शासन से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि मध्य प्रदेश में जो प्राइवेट एजेंसियों ने भाव बढ़ाए हैं, वे कम करवाए जाएं और शाजापुर जिले में गैस एजेंसियां स्थापित कराई जाएं। उपभोक्ताओं को समय पर और सस्ते भाव में गैस उपलब्ध करवाई जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम विषय सं.-11 नियम 377 के अन्तर्गत मामलों पर विचार करेंगे।

अपराह्न 4.40 बजे

[हिन्दी]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) जौनपुर, उत्तर प्रदेश के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 पर रेलवे फाटक पर एक उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री राजकेशर सिंह (जौनपुर) : मैं सरकार एवं रेल मंत्री का ध्यान जौनपुर संसदीय क्षेत्र में स्थित रेलवे द्वार सं. 4बी/ई जो कि राष्ट्रीय स्थित सं. 56 पर ठीक जौनपुर नगर के बाहर स्थित है। जौनपुर वाराणसी मार्ग पर स्थित इस मार्ग द्वारा जौनपुर जनपद के आपातकालीन एवं गंभीर रोगियों को चिकित्सा हेतु वाराणसी ले जाना पड़ता है, प्रायः 45 मिनट से 1 घंटे तक बंद पड़ा रहता है जिससे मरीजों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि उन्हें उचित चिकित्सा सुविधा समय पर नहीं मिल पाती है। प्रमुख ट्रेनें वाराणसी से लखनऊ के लिए इसी मार्ग से ही चलती हैं जिन्हें पकड़ने के लिए उक्त द्वार के बंद होने से यात्री समय से नहीं पहुंच पाते हैं।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि उक्त द्वार पर तत्काल एक ओवर-ब्रिज बनाने का कष्ट करें।

(दो) गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : प्रतिवर्ष गन्ना मिलें अपना गन्ना पेराई सीजन अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आरम्भ करती आई हैं

लेकिन इस वर्ष मिलें देरी से नवम्बर के अंतिम सप्ताह में चालू हुई। गन्ना किसान इस वर्ष गेहूं भी नहीं बो पाया है। इससे न केवल किसानों का नुकसान हुआ है बल्कि राष्ट्र हित को भी क्षति पहुंची है। मिल मालिकों की मनमानी के कारण 20 लाख से अधिक गेहूं के उत्पादन में भी बाधा पहुंची है तथा मिल मालिक सरकार द्वारा निर्धारित 76 रु. प्रति क्विंटल मूल्य किसानों को नहीं दे रहे हैं। अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि गन्ना किसानों की निर्भरता को चीनी मिलों पर कम करने हेतु लघु खण्ड सारी इकाई को अविलम्ब वैक्यूम पैन की अनुमति प्रदान करें ताकि इसकी रिक्वरी 6 प्रतिशत से बढ़कर 9 प्रतिशत हो जाए।

दूसरा, चीनी मिलों की गन्ना क्षमता में वृद्धि हो, और मिल मिालिक तुरंत नई मिल लगाएं, जिसके लिए मेरा सुझाव है कि 31 मार्च, 1994 के बाद जो नये चीनी मिल के लाइसेंस जारी किए गये हैं उनको भी 31 मार्च, 1994 के पहले की तरह लेखा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत लाया जाए।

तीसरा, 1995-96 का गन्ना भुगतान किसानों को अविलम्ब कराएं तथा प्रशासन द्वारा निर्धारित 76 रु. प्रति क्विटल का दाम चीनी मिलों से किसानों को दिलाएं।

[अनुवाद]

(तीन) केरल में विशेषकर शौरनूर और मंगलौर क्षेत्र में रेल पटरियों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए पर्याप्त धनराशि का नियतन किए जाने की आवश्यकता

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर) : रेल दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या ने रेल यात्रियों को चिन्तित किया है। विशेषकर केरल में गाड़ियों के पटरी के उतरने की अनेक घटनाओं की बढ़ती संख्या की ओर मैं सदन का और विशेषकर माननीय रेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिसके फलस्वरूप दक्षिण रेलवे के समय-पालन-सारणियों को बदलना पड़ा और यात्रियों के मन में भय और आशंका फैली। केरल के उत्तरी क्षेत्र में अर्थात कन्नानौर और केसरगढ़ में यह सर्वाधिक दृष्टिगोचर हुआ जहां रेल मार्गों पर खतरनाक दरारें पड़ी दिखाई दे रही हैं। इसका मुख्य कारण समय-समय पर इनकी मरम्मत न करना और रख-रखाव की कमी है।

अतः मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करत हूं कि वह रेल-मार्गों की मरम्मत /रखरखाव विशेषकर शौरनूर और मंगलौर जैसे व्यस्त मार्गों के लिए पर्याप्त निधियों का आबंटन करें। इस क्षेत्र के हजारों यात्रियों की जान-माल की रक्षा की जा सके।

(चार) कृषकों और काजू श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए काजू बोर्ड की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर) : केरल में काजू उद्योग बहुत समय से संकट का सामना कर रहा है। काजू का उत्पादन और उसका प्रसंस्करण केरल का मुख्य उद्योग है। हजारों किसान काजू का उत्पादन कर रहे हैं। लाखों मजदूर काजू के कारखानों और उनके प्रसंस्करण कार्य में लगे हैं।

केरल का कोल्लयम जिला काजू उत्पादन का केन्द्र है। लगभग 150 कारखाने इसी कार्य में लगे हैं। यह मजदूर गरीब परिवारों के होते हैं और उन्हें हर वर्ष पर्याप्त रोजगार नहीं मिलता।

इस समय काजू मजदूरों को अधिकतम 30 से 40 दिनों तक का रोजगार मिलता है। कच्चे काजू की कमी मूल समस्या है। किसानों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि कच्चे काजू की कीमतें बहुत कम हैं। अतः रबर बोर्ड, काफी बोर्ड, चाय बोर्ड, तम्बाकू बोर्ड, कॉयर बोर्ड की भांति वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत काजू बोर्ड के गठन का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

यदि इसका गठन किया जाता है तो काजू उद्योग लाखों काजू उद्योग कामगारों को बचा पाएगा और हजारों किसानों के हितों की रक्षा की जा सकेगी।

केरल सरकार, काजू मजदूरों, संघों और काजू निर्यातकों ने भी काजू बोर्ड का अविलम्ब गठन करने की मांग की है।

अतः मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह काजू बोर्ड के गठन के लिए तुरन्त कदम उठाए।

[हिन्दी]

(पांच) उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट एक बाई-पास पुल के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता

कुंवर सर्वराज सिंह (आंवला) : माननीय सभापति जी, वाराणसी एक प्राचीनतम धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगरी है जहां पर देश और विदेश से लाखों दर्शनार्थी एवं पर्यटक प्रति वर्ष आते हैं लेकिन पुरानी तंग एवं संकरी सड़कों के कारण आए दिन दो घंटे से चार घंटे तक सड़क जाम होने से जहां आम जनता एवं देशी विदेशी पर्यटकों को परेशानी होती है वही करोड़ों रुपए का कीमती पैट्रोल एवं डीजल बर्बाद होता है। पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने जन्म भूमि की जनता की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए जी.टी. रोड का बाई-पास एवं गंगा नदी पर पुल बनवाने का आश्वासन दिया था। उसी के अनुसार जी.टी. रोड मोहन सराय से मुगल सराय तक बाई-पास एवं गंगा नदी पर पुल का काम आरम्भ किया गया। इसका सारा खर्च विश्व बैंक दे रहा था लेकिन कार्य की शिथिलता एवं सरकार की उदासीनता के कारण विश्व बैंक ने 31.12.1992 से सहायता देना बंद कर दिया क्योंकि इस परियोजना को 31.12.1991 को पूरा हो जाना था। अब इस परियोजना को सीमा सड़क संगठन बना रहा है लेकिन आज तक आधा काम भी पूरा नहीं हो पाया। लागत खर्च कई गुना बढ़ चुकी है। इस सड़क एवं पुल के बन जाने से जहां जनता एवं विदेशी पयंटकों को राहत मिलेगी, वहीं करोड़ों रुपए का कीमती डीजल एवं पैट्रोल की बचत होगी तथा कलकत्ता तक की यात्रा में लगभग तीन घंटे की बचत होगी। मैं सरकार से इस परियोजना को तत्काल पूरा कराने की मांग करता हूं।

(छह) आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में समुद्री तूफान से प्रभावित झींगा मछली पकड़ने वाले मछुआरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध किये जाने की आवश्यकता

डा. एम. जगन्नाथ (नागरकुरनूल) : महोदय, पूर्वी गोदावरी जिले में समुद्री तूफान से झींगा पकड़ने वालों को 65 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है जिसमें छोटे और मझौले किसान ऋण के जाल में फंस गए हैं। प्रत्येक किसान को बांधों के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम 1.5 लाख रुपये तथा कार्यपूंजी के रूप में । लाख रुपये की आवश्यकता होगी। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार पानी से घिरे 12 मंडलों में 6303 हैक्टेयर क्षेत्र में से लगभग 3505 हैक्टेयर क्षेत्र तूफान से प्रभावित हुआ है। आगे के अनुमान में कहा गया है कि 1041 हैक्टेयर क्षेत्र में झींगा मछली के उत्पादन की 13 करोड़ रुपये की फसल प्रभावित हुई है। यदि फरवरी में आगामी फसल के मौसम तक यदि प्रभावित क्षेत्र को ठीक नहीं किया गया, बेकार जाएगा और इसके परिणामस्वरूप 102 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ेगा। अधिकांश फार्म समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण या राज्य सरकार के खारा पानी मत्स्यन विकास एजैंसी के अंतर्गत पंजीकृत हैं। वर्ष 1994 में एम एम वी बी बीमारी के कारण झींगा मछली की मृत्यु दर में वृद्धि के कटु अनुभव के बाद वर्ष 1995 में झींगा मछली का उत्पादन का पुनरूद्धार किया गया।

आम तौर से आंध्र प्रदेश में झींगा मछली उद्योग से 600 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। कृष्णा जिले में झींगा मछली का उत्पादन लगभग 30,000 हैक्टेयर में, पश्चिम गोदावरी में 10,000 हैक्टेयर, पूर्वी गोदावरी जिले में 8,000 हैक्टेयर में तथा नेल्लौर जिले में 5000 हैक्टेयर में होता है। समुद्र तटीय जिले प्राकृतिक अनिश्चितता विशेषकर तूफान से प्रभावित रहते हैं।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि प्रत्येक किसान को तुरन्त सहायता उपलब्ध कराई जाए अन्यथा वे अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने लगेंगे जिससे देश को काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा का नुकसान होगा।

(सात) उत्तरी बंगाल की तीस्ता बैराज परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : महोदय, तीस्ता बैराज परियोजना एक सिंचाई एवं विद्युत परियोजना है तथा उत्तरी बंगाल मुख्य आधार है। इसकी सिंचाई क्षमता 14.65 लाख हैक्टेयर भूमि तथा पन बिजली उत्पादन क्षमता 10,006,80 मेगावाट है। कृषि आर्थिक विशेषज्ञ के मतानुसार यदि इस परियोजना से पूरा कर लिया जाए तो 60 लाख मीट्रिक टन अधिक खाद्यान्न का उत्पादन किया जा सकेगा और 65 लाख मानवदिवसों से अधिक का सृजन किया जा सकता है।

यह परियोजना 1976 में प्रारम्भ हुई थी। लेकिन पिछले बीस वर्ष से अधिक समय के दौरान परियोजना अपनी क्षमता के विपरीत सिंचाई के लिए पांच प्रतिशत पानी तक ही प्रदान कर सकी है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा अपने सीमित संसाधनों में से लगभग 400 करोड़ रुपये इस परियोजना पर अब तक व्यय किए जा चुके हैं। शेष 100 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना को ऋण सहायता के रूप में लिए गए हैं। यह बहुत साफ है कि पिछले 20 वर्षों के दौरान राज्य सरकार के पास धन की कमी के कारण परियोजना को पूरा नहीं किया जा सका है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें और इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए बिना विलंब के इसको शीघ्र पूरा करने हेतु पर्याप्त धन उपलब्ध कराएं।

[हिन्दी]

(आठ) पृथक उत्तरांचल राज्य की स्थापना के लिए कार्यवाही आरम्भ करने की आवश्यकता

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोडा) : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों को मिलाकर अलग उत्तरांचल राज्य गठित करने की मांग पिछले कई वर्षों से की जा रही है। उत्तर प्रदेश की विधान सभा द्वारा अलग उत्तरांचल राज्य का प्रस्ताव पारित कर दो बार केन्द्र सरकार के पास भेजा जा चुका है।

जनता द्वारा इस मांग को लेकर विशाल आन्दोलन किया गया, जिसमें व्यापक जन-धन की हानि हुई।

15 अगस्त 1996 को माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा लाल किले से अलग उत्तरांचल राज्य के गठन की घोषणा की गई थी। इस संबंध में अनेक घोषणायें करने के बावजूद केन्द्र सरकार द्वारा अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने से उत्तरांचल क्षेत्र की जनता में तीव्र आक्रोष उत्पन्न हो रहा है, जो कभी भी उग्र रूप धारण कर सकता है।

अतः मेरा प्रधानमंत्री जी और केन्द्र सरकर से विनम्र आग्रह है कि वह विषय की गंभीरता को देखते हुए इसी सत्र में उत्तरांचल राज्य के गठन की कार्यवाही करें।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अधीन मामले की प्रक्रिया के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

जब भी मैंने नियम 377 के अधीन कोई मामला उठाया, मुझे सूचना कार्यालय द्वारा सलाह दी गई कि राज्य के विकास के बारे में केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने वाला कोई भी मामला नहीं उठाया जा सकता है।

अब केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने वाले राज्यों से संबंधित कई मामलों को स्वीकृति दी गई है। लेकिन मेरे मामले में पिछले दो सत्रों से जब भी शहरी विकास संबंधी विशेष उल्लेख के लिए मैंने कोई सूचना दी तो टेबल आफिस सूचना कार्यालय ने मुझे सलाह दी कि इसे नहीं रख सकता क्योंकि यह राज्य से संबंधित मामला है और केन्द्र सरकार का इससे कोई सरोकार नहीं है।

मैं इस दोहरी सोच को समझ नहीं पाया हूं। अतः स्पष्ट निदेश दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : ठीक है। मैं इस पर कोई विनिर्णय नहीं दे रहा हूं। आपने सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। संबंधित लोग इसका ध्यान रखेंगे। अब हम दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक पर आगे चर्चा जारी रखेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अपराह्न 4.45 बजे

दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक—जारी

श्री जगमोहन (नई दिल्ली) : महोदय, जब सभा स्थगित हुई थी तब मैं आपके तथा माननीय मंत्री और प्रधान मंत्री, जो उस समय उपस्थित थे, के माध्यम से सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था कि कैसे इस महान और एतिहासिक शहर का निहित स्वार्थों के लिए लूटपाट और विनाश किया जा रहा था। मैं प्रधान मंत्री का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों विशेषकर पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने दिल्ली के सुनियोजित विकास में सक्रिय रूचि ली थी। वे मास्टर प्लान तथा उस समय तैयार किए गए सभी दस्तावेजों के प्रेरणा स्रोत थे। मेरा आशय प्रधान मंत्री के ध्यान में कुछ तथ्य लाने का था। क्योंकि उपचारात्मक उपाय किए जा सकते हैं ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया शान्त रहिए। श्री जगमोहन कृपया सभापति को सम्बोधित कीजिए।

श्री जगमोहन : महोदय, जब मैं बोल रहा था, तब मैं प्रधान मंत्री का ध्यान किसी अहं से ग्रस्त होकर अपितु इस कारण आकर्षित कर रहा था क्योंकि केवल वे ही उपचारात्मक उपाय कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे शहरों में आर्थिक सुधारों में बहुत गिरावट आई है। इसके प्रतिकूल प्रभाव आज हर व्यक्ति पर दिखाई देते हैं। प्रदूषण की दर बहुत अधिक है। सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ गई है जबकि सड़कें चौड़ी नहीं की जा रही हैं। इन सभी समस्याओं से केवल प्रधान मंत्री ही निपट सकते हैं। एक समय था जबकि पंडित जवाहर लाल नेहरू राजधानी की आवश्यकताओं के बारे में बहुत चिंतित रहते थे। इसका कारण यह था कि दिल्ली राष्ट्रीय पुनरूत्थान का प्रतीक थी तथा यह भारतीय इतिहास का प्रतिरूप थी।

इस संदर्भ में, आपका ध्यान-ऐसा लगता है हम सब इसे भूल चुके हैं—पंडित जी के दिल्ली के बारे में लिखी गई बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। किस दृढ़ता, काव्यात्मकता और भावुकता के साथ उन्होंने इसे महसूस किया। मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली के पहले मास्टर प्लान के समय उन्होंने क्या लिखा था।

डी.डी.ए. विधेयक इस योजना को एक सांविधिक आधार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसमें क्या है? मैं सारा तो नहीं पढ़ूंगा, बस थोड़ा सा उदाहरण दूंगा। उन्होंने लिखा है :—

"यह दिल्ली शहर है। जो पुराने और नए भारत का प्रतीक है। यह बहुत से पहलुओं का सार है—कुछ उजले और कुछ अँधियारे—जो इन लम्बे वर्षों में भारतीय जीवन पद्धति और सोच को प्रतिबिम्बित करते हैं। यहां के पत्थर भी अतीत की कहानी कहते हैं और जिस वायु में हम सांस लेते हैं उसमें अतीत की धूल और खुशबू भी है और वर्तमान की ताजगी भी। यह कितनी जीवन्त कहानी है। हर कदम पर प्राचीन सभ्यता के रिवाज हमें चारों ओर से घेरे रखते हैं और असंख्य बीती पीढ़ियों का जलसा हमारी दृष्टि के आगे घूम जाता है।"

दिल्ली जैसी ऐतिहासिक नगरी, उसकी उदासी और उसकी कविता के प्रति ऐसे उद्गार उन्होंने अभिव्यक्त किए और वे इसे एक गणराज्य बनने हेतु एक नर्सरी के रूप में मानते थे। दुर्भाग्य से कोई भी अब इस नगरी के दुःखों और पीड़ा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मैं इस बड़ी त्रासदी की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आज सदन की खाली सीटें इस बात का प्रमाण हैं कि हम राष्ट्रीय पुनरूत्थान के प्रतीक की ओर कितना ध्यान देते हैं।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का ध्यान इसलिए इस तरफ दिलाना चाहता हूं क्योंकि वही यह कार्य कर सकते हैं परन्तु वह समस्याओं पर विचार-विमर्श करने में व्यस्त थे। मैं उन्हें दोष नहीं देता क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस अपेक्षा और उपेक्षा को अनदेखा नहीं कर सकता जिससे सारा देश घिर चुका है। कोई इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता चाहे वह न्यायपालिका या कार्यपालिका या संसद। हम करोड़ों लोगों की वास्तविक परेशानियों के प्रति असंवेदनशील हो गए हैं। प्रतिदिन लापरवाही के कारण दिल्ली की सड़कों पर ही अकेले कितने लोग मर जाते है; क्योंकि हम प्रदूषित वायु में सांस लेते हैं। कलकत्ता में हालत इतनी खराब है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट में इसे 'पर्यावरणीय महासंकट' की संज्ञा दी गयी है। यही हालत मुम्बई की है इस देश में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह उन मामलों पर अपना ध्यान केन्द्रित करें जो भविष्य में हजारो लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली है।

दूसरे, दिल्ली की समस्याएं करोड़ों लोगों की समस्याएं हैं; उनको समस्याओं के समाधान के लिए अत्यन्त गतिशील दृष्टिकोण एक अत्यन्त संयोजित विचार पद्धति की आवश्यकता है। दिल्ली की व्यवस्था किस प्रकार की है? हमारी व्यवस्था बहुत घटकों और टुकड़ों में बंटी है। दिल्ली की नगर विकास सम्बन्धी समस्याओं में किसी एक पर भी आप जबरदस्त वार नहीं कर सकते यह इसलिए है क्योंकि एक छिन्न-भिन्न व्यवस्था को संरचना के लिए हमने विशेषकर संकुचित राजनीतिक विचारों से एक व्यवस्था बनाई है।

अपराह्न 5.00 बजे

इतनी गहन किस्म की समस्याएं ऐसी नष्ट-भ्रष्ट संरचना के द्वारा कैसे सुलझाई जा सकती है। केवल प्रधानमंत्री ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण जो माननीय मंत्री जी के साथ है। नगर निगम स्थानीय सरकार के साथ है। दिल्ली परिवहन निगम किसी और के साथ है और पुलिस कहीं और। इन सबके बीच में कोई संयोजन नहीं है।

जैसा कि मैंने पहले भी 5 दिसम्बर को कहा था। हमने इस बात पर विशेष ध्यान दिया है कि अधिकतम प्रयासों और संसाधनों से अधिकतम परिणाम प्राप्त किए जाएं। इसी कारण दिल्ली में और इसके आस-पास जमीन पर इतना अधिक अवैध कब्जा है। इससे मुझे दिल्ली के उन 1306 झुग्गी झोंपडियों की याद आ गई जिनमें 19 लाख लोग रहते हैं। उनके कल्याण के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है क्योंकि जिस भूमि पर वह रह रहे हैं वह या तो सार्वजनिक भूमि है अथवा शहरी विकास मंत्रालय या सी वी डब्ल्यू डो की। पता नहीं कैसी अव्यावहारिक योजना बनाई गई है जिसके द्वारा तब तक कोई सुधार नहीं किया जा सकता जब तक भूमि के प्राधिकरण अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं दे देते।

भूमि का स्वामी कोई अधिकरण ऐसा प्रमाण पत्र नहीं देता। लोग भूमि पर अनाधिकार निवास कर रहे हैं और सालों से उस भूमि पर रह रहे हैं। जिस भूमि पर वह अनाधिकार निवास कर रहे हैं वह किसी सार्वजनिक परियोजना के लिए आरक्षित होती है।

अपराह्न 5.02 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैं राजीव गांधी कैम्प के विषय में जानता हूं जिसमें कुछ इमारतों के बनाने की लागत के रूप में आपने 28 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया। ऐसी अनेक इमारतें हैं और यह मूल्य कई हजार करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा क्योंकि कोई भी इमारत अनाधिकृत निवासों की वजह से समय पर पूरी नहीं की जा सकती। यह पैसा किसे देना पड़ता है? मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह बताएं कि परियोजनाओं के समय पर न पूरा होने की वजह से राजकोष को कितना नुकसान उठाना पड़ता है। मैं यह भी कहूंगा कि परियोजनाओं का काम समय पर शुरू न होने का कारण मात्र वहां अनाधिकृत झुग्गी झोंपड़ियां है। न कि यह कि सरकार यह निर्णय लेने में समर्थ नहीं थी कि क्या उनका पुर्नवास किया जाए या उन्हें अन्यत्र भेजा जाए या इस सम्बन्ध में कुछ और किया जाए।

इन गंदी बस्तियों के कारण सभी तरह की बीमारियां हो रही हैं। डेंगू फैलने के बावजूद हमने कुछ नहीं सीखा है। प्लेग फैलने के बावजूद भी हमने कुछ नहीं सीखा। अब भी उसी पुराने ढंग से चल रहा है। उस बारे में दो दिन चर्चा होती है और तीसरे दिन फिर वही बात होती है जिसमें इसकी स्वास्थ्य लागत का उल्लेख किया गया है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण, 40000 असामयिक मौतें होती हैं और अस्पतालों में श्वसन संबंधी बीमारियों के कारण 170 लाख लोग अस्पताल में भर्ती होते है। दिल्ली के आस पास बनी झुग्गियों से इतना अधिक प्रदूषण होता हैं कि बच्चों को अस्थमा हो जाता है और उन्हें अस्पताल जाना पड़ता है। अतः यदि आप रोकथाम संबंधी उपाय करें तथा उचित नियोजन करें, तो 170 लाख रोगियों को अस्पताल नहीं जाना पड़े। इसी तरह देश में 1.2 बिलियन कार्य दिवसों की हानि पर्यावरणीय अधोपतन के कारण अस्वस्थता से होती है और इनमें से 40 प्रतिशत मौतें केवल दिल्ली, कलकत्ता तथा मुम्बई में होती है। दिल्ली का इसमें 19 प्रतिशत हिस्सा है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह समस्या कितनी बड़ी है, कितनी विकट है और इसके कितने बुरे प्रभाव हैं किन्तु इस बारे में कोई विचार नहीं कर रहा है।

मैं स्वयं दिल्ली विकास प्राधिकरण में रहा हूं। मैंने सेवानिवृत होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एक योजना तैयार की थी। जो सरकारी कर्मचारी जो पांच वर्ष के भीतर सेवानिवृत हो रहे हैं, वे सेवानिवृति से ठीक पहले अपना पंजीकरण करवा सकते हैं ताकि जिस समय तक उन्हें सरकारी मकान खाली करना पड़े, डी डी ए तब तक उनको फ्लैटस प्रदान कर सके। इसके परिणामस्वरूप, उनके बच्चों की शिक्षा में व्यवधान नहीं पड़ेगा। मंत्रालय को सूचनाएं जारी करनी होती है और इसके कारण, इतनी अधिक समस्याएं उत्पन्न होती है। इस योजना को अलग रख दिया गया है। मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस योजना पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। यह मंत्रालय के लिए भी लाभदायक होगी क्योंकि वे मकान जल्दी ही खाली कर देंगे और उन्हें न्यायालयों में जाने जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुझे वे बातें यहां दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

दूसरा आज उल्लेख किया गया था इसे रविवार के **द इण्डियन एक्सप्रेस** में भी प्रकाशित किया गया था कि जिन लोगों ने वीरता पुरस्कार प्राप्त किए, जो लोग देश के लिए लड़े, जिनके लिए दिल्ली में भूमि आबंटन किया जाना था, उनको कई वचन दिए गय थे। डी. डी.ए, द्वारा उन सैनिकों की विधवाओं को प्लॉट दिए गए थे जो 1971-72 के युद्ध में जम्मू-कश्मीर में कार्यवाही के दौरान या अन्य युद्ध में मारे गये थे। उन सभी का उस योजना के अन्तर्गत पुनर्वास किया गया था। मान लीजिए यदि किसी अधिकारी की, जैसे कि उपसचिव की दुर्भाग्य से मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को तुरन्त डी.डी.ए. फ्लैट प्रदान किया जाता है ताकि उसका परिवार तथा बच्चों की शिक्षा में व्यवधान न पड़े। उसे रोक दिया गया है। हमें तुरन्त अनुकम्पा के आधार पर फ्लैट्स तथा प्लाट उन लोगों को देने चाहिए जो विपदा में हैं ताकि निरन्तरता को बनाए रखा जा सके और उनके परिवारों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

आज ही, बी.एस.एफ के एक कमान्डैन्ड की विधवा का हृदय-विदारक मामला मेरे ध्यान में लाया गया था। कमान्डैन्ट 1992 में कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ता हुआ मारा गया। उसे राष्ट्रपति द्वार वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया। उक्त विधवा ने मेरे पास आकर कहा कि उसे उच्चतम न्यायालय से एक नोटिस मिला है कि वह कारण बतायें कि उससे मकान क्यों नहीं खाली करवाया जाये। उसने एक अनुरोध किया है कि उसे उस मकान में बने रहने की अनुमति दी जाये क्योंकि उसके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। यह बहुत साधारण सी बात है। एक अधिकारी की सेवानिवृत्ति की आयु तक आबंटन को प्रभावी बनाया जाये और यह मामला नियमित हो जायेगा। इस तरह के मामलों का उच्चतम न्यायालय में जाने जैसी कोई समस्या नहीं होगी। यदि कोई डी डी ए की योजना है, तो आप कह सकते हैं "ठीक है, आप एक डी.डी.ए फ्लैट ले लें, भुगतान करे और इसे प्राप्त करें और जाकर वहां रहें। यह उद्देश्य था जिसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो सरकारी सेवा से सेवानिवृत हो रहे हैं और जो देश के लिए लड़े हैं। उनको उचित आवास प्रदान करके उचित ढंग से उनका पुनर्वास किया जाये ताकि उनको कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

भूमि के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण मामला और है। एक युग ऐसा भी था जब भूमि को एक संसाधन माना जाता था। नागरिक

अधिकारियों ने पानी, बिजली और अन्य उपायों के रूप में उसे समस्त संरचनात्मक निवेश का फल भोग लिया। अब हम न तो भूमि का अधिग्रहण कर रहे हैं और न व्यापक स्तर पर भूमि का विकास कर पा रहे हैं। हमें अधिग्रहण, विकास और भूमि के आबंटन और फिर लोगों की आवश्यकता के अनुसार उसके आबंटन के लिए एक वृहत योजना तैयार करनी होगी—अर्थात निम्न आय वर्ग के के लोगों के लिए एक निर्धारित मूल्य पर, और उससे कुछ अधिक मूल्य पर मध्यम आय वर्ग के लिए, उच्च वर्ग के लोगों के लिए नीलामी के जरिए और एक निर्धारित मूल्य पर संस्थाओं के लिए। यदि आप इसके व्यावसायिक तत्व को मान्यता प्रदान करें तो आपको भूमि पर पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होंगे और नागरिक अधिकारियों द्वारा किए गए निवेश वापिस आ जायेगा। मैं आपको योजना को व्यापक स्तर पर पुनः शुरू करने की सलाह दूंगा ताकि भूमि का अधिग्रहण किया जा सके। संसाधन के रूप में भूमि को सोने जैसा मानना चाहिए अब हम इसका पूर्ण उपयोग नहीं कर रहे हैं। वास्तव में, इससे उल्टा हो रहा है। वह काला-बाजारी करने वाले लोगों के हाथ में जा रही है।

सरकार को परिवहन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए कुछ करना होगा। दिल्ली की सड़कों पर लगभग 4,000 बसें चल रही हैं परन्तु यातायात सम्बन्धी कोई सुचारू प्रणाली नहीं है। यहां समुचित मोड़ वही बने, यातायात के आवागमन का उचित प्रबन्धन नहीं है और सड़कों के निर्माण सम्बन्धी कोई सही प्रणाली भी नहीं है। मैं आपको वह आंकड़े दे रहा हूं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि यदि दिल्ली की सड़कों पर यातायात का परिगमन उचित, द्रुत और सुचारू हो तो कितना वायु प्रदूषण बचाया जा सकता है। खड़े हुए वाहन बहुत सा धुआं उगलते हैं यदि यातायात सुचारू रूप से चले, चौराहे ठीक से बने हों और यातायात का तकनीकी प्रबन्ध सही हो तो बहुत से वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। इन व्यवस्थाओं के अभाव में 2,65,000 कार्बन मोनोक्साईड दिल्ली की हवा में शामिल हो जाती है। यदि यातायात की सही तकनीक अपनाई जाए तो इससे बचा जा सकता है। हवा में शामिल होने वाली सल्फर आदि के सम्बन्ध में आंकड़े भी मेरे पास विद्यमान हैं लेकिन अब मैं उनको पढ़ना नहीं चाहता।

मेरा सुझाव यह है कि दिल्ली की समस्याओं का समाधान करने हेतु एक समेकित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। हमें देखना होगा कि इस नई नीति की क्या खमियां है जिनके कारण मुसीबतें आ रही हैं। आपके पास जो भूमि और जो घर उपलब्ध हैं उनकी कीमतें बहुत ऊंची हैं। आम आदमी इतना अधिक मूल्य नहीं दे सकता। एक घर का मूल्य 50 से 60 लाख रुपये है। शहरों की भूमि पर माफिया का कब्जा है। कोई ऐसी एक संस्था नहीं है। आप समस्त शक्तियां डी.डी.ए. को दे दें, और डी.डी.ए. दिल्ली की योजना और विकास सम्बन्धी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक समेकित दृष्टिकोण अपनाने के लिए राज्यों के पास जाए। उत्तरदायित्व उनका भी होना चाहिए। उत्तरदायित्व की भावना उनमें भी आनी चाहिए।

इसी प्रकार, पुलिस के कुछ पहलू उन तक भी पहुंचने चाहिए, विशेषकर यातायात नियंत्रण के सम्बन्ध में। आपने मारूति कार में सवार एक परिवार के पांच सदस्यों की, ब्लू लाइन बस टकराने, से हुई मौत का हृदयविदारक चित्र तो देखा होगा। दुर्भाग्य से बस का चालक भी गिरफ्तार नहीं किया गया है।

दिल्ली की यातायात अव्यवस्था के लिए कोई न कोई कदम अवश्य उठाना चाहिए। आपको हर प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए कदम उठाने चाहिए। यही कारण है कि मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं। चूंकि वही पुलिस को निर्देश दे सकते हैं, वही यातायात पुलिस की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं और वही यह देख सकते हैं कि दिल्ली की सब व्यवस्थाएं समेकित हों। इन शब्दों के साथ, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावडा) : दिल्ली में 14 खेल के मैदान हैं। पिछले 40 चालीस वर्षों के दौरान 13 खेल के मैदानों पर घर बनाने के लिए निर्माताओं ने कब्जा कर लिया। एक ही मैदान बाकी बचा है—अम्बेडकर स्टेडियम। शेष सभी मैदानों पर कब्जा किया जा चुका है।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली विकास संशोधन विधेयक, 1996 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री दिलीप संधानी (अमरेली) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में गणपूर्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : घण्टी बजायी जा रही है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब कोरम हो गया है। श्री राय अपना वक्तव्य जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली विकास संशोधन विधेयक, 1996 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मंत्री जी ने दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 में संशोधन के लिए यह बिल यहां प्रस्तुत किया है। पहले दिल्ली महानगर परिषद के सदस्यों का चयन डी.डी.ए. में हुआ करता था। अब दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बन जाने से यहां राज्य के रूप में विधान सभा गठित हो गई है। इसलिए विधायकों का उसमें चयन करने के लिए यह संशोधन विधेयक हमारे सामने है। मैं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से इसका समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं। अभी आदरणीय जगमोहन जी ने उसका जिक्र भी किया था। दिल्ली की आबादी 94 लाख से ऊपर हो गई है, यानि एक करोड़ होने को है। यहां पर गरीब लोग और कम आय वाले लोग भी रहते हैं, जो अधिकतर अनधिकृत कालोनियों में रहते हैं। अनधिकृत कालोनियों की संख्या 1210 है। इन बस्तियों में ये लोग फटेहाल और परेशानी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं इसलिए कि इन बस्तियों को

नियमित नहीं किया गया है। जिस कारण से उन्हें सरकारी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी और राशन कार्ड न होने की वजह से राशन नहीं मिल पाता।

पिछले दिनों जंतर-मंतर के पास इन बस्तियों के हजारों लोगों ने 49 दिन तक धरना भी दिया था। एक रोज ऐसा भी आया कि कम से कम पांच हजार परिवार अपने बाल-बच्चों के साथ ठंड में वहां पड़े रहे। यह मंत्री जी के संज्ञान में भी है।

पर्यावरण राज्य मंत्री कैप्टन जय नारायण निषाद उनके प्रतिनिधिमंडल को प्रधान मंत्री जी के पास ले गए और उनको आश्वासन मिला कि हम उस पर कार्यवाही करेंगे। यह भी आश्वासन मिला कि अनधिकृत बस्तियों को अधिकृत किए जाने की कार्यवाही होगी। लेकिन उस बात को बीते एक महीना हो गया है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि गरीब, मध्यम वर्ग के लोग इन 1210 बस्तियों में परेशान है, जिन्हें बिजली, पानी और राशन नहीं मिल रहा है। उनकी जो परिस्थिति है, उसको देखते हुए क्या सरकार इसी महीने में संसद के इसी सत्र में ऐसी व्यवस्था करेगी कि उन बस्तियों को अधिकृत रूप में नियमित कर दिया जाए। उन्हें बिजली तथा पानी का कनैक्शन मिले, राशन कार्ड मिले, यह मैं कहना चाहता हूं। 1977 की सरकार में आप भी हिस्सेदार थ, उस समय आप भी इस सदन के माननीय सदस्य थे। उस समय झुग्गी-झोपड़ी में जो लोग रहते थे, उनके लिए सोचा गया था। यहां पर माननीय शहरी विकास राज्य मंत्री जी बैठे हैं, 1989 में श्री वी.पी. सिंह जी की सरकार में झुग्गी-झोंपड़ी के लोगों को राशन-कार्ड मुहैया कराया गया था। मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अनधिकृत कॉलोनीज के लोगों को सरकारी सुविधा मुहैया नहीं करायी जाती, परंतु उसके बिल्कुल विपरीत लाखों रुपए की बिजली चोरी से इन अनधिकृत कॉलोनीज में चली जाती है। उन्हें पानी मिल रहा होता है, चाहे कुछ लोगों को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है परंतु यदि इन अनधिकृत कॉलोनीज को नियमित कर दिया जाए तो "डेसू" विभाग जो नियमित रूप से घाटे में चल रहा है, वह घाटे में नहीं जाएगा। पानी सप्लाई करने की स्थिति भी खराब है। यदि 1210 अनधिकृत कॉलोनीज को नियमित कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से वह सब रुक जाएगा और दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनीज में जो "डेंगू" जैसे रोग का प्रकोप होता है, तमाम रोग फैलते हैं, पर्यावरण की स्थिति खराब हो रही है तथा इस सदन में भी बराबर इस बारे में आवाज उठाई जाती रही है, इस प्रकार से इन अनधिकृत कॉलोनीज को नियमित कर देने से ये समस्याएं दूर हो जाएंगी।

श्री महेन्द्र यादव, एडवोकेट के नेतृत्व में 49 दिन तक जो धरना चला था, उस डेलीगेशन को प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि संसद सत्र की इसी अवधि में ही सरकार द्वारा इस संबंध में अहम फैसला ले लिया जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर हम उल्लेख करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से दिल्ली महानगर परिषद के सदस्य इस डी.डी.ए. की समिति में हुआ करते थे, उनकी जगह अब राजधानी दिल्ली के लिए जो संशोधन विधेयक आया है, इसका हम जोरदार समर्थन करते हैं लेकिन वहीं पर यह भी मांग करना चाहते हैं कि सरकार को दिल्ली महानगर परिषद के सदस्यों को प्रतिनिधित्व भी इसमें जारी रखना चाहिए ताकि वे भी इसमें भाग ले सकें और उनकी इसमें भागीदारी हो सके। मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं कि डी.डी.ए. के माध्यम से दिल्ली के स्कूल कॉलेज की सोसायटीज को जमीन दी जा रही है, मैं यहां पर उल्लेख करना चाहता हूं कि जो प्राईवेट स्कूल हैं, जिनमें ऊंची दरों से पढ़ाई की व्यवस्था होती है, जिनमें बड़े-बड़े लोग ही अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं, अधिकतर ऐसे ही विद्यालयों को जमीन दी गई।

मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि जो झुग्गी-झोंपड़ियां हैं और गरीबों के मुहल्ले हैं, जहां पर विद्यालय नहीं है, वहां छोटे स्तर पर या तो विद्यालय खोले जाएं या कम फीस पर बच्चों की पढ़ाई हो सके, ऐसी कोई व्यवस्था कर दी जानी चाहिए।

इसके साथ ही अंत में मैं एक और मांग करना चाहता हूं कि हमारा भारतवर्ष गरीबों का देश है। यहां गरीबी रेखा के नीचे चालीस फीसदी लोग रहते हैं। यहां पर शहरी राज्य विकास मंत्री भी बैठे हैं, मैं उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब लोग रहते हैं, उनके लिए इंदिरा आवास योजना पहले से चल रही है जिसके अन्तर्गत 20,000 रुपये देकर पक्का मकान आर.सी.सी. बनाकर दिया जा रहा है लेकिन शहरों में यह सुविधा नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है। दिल्ली में भी हजारों लाखों की संख्या में ऐसे लोग रहते हैं जो मकान मालिक से इजाजत लेकर जीने में अपनी जिंदगी गुजर-बसर करने पर मजबूर हैं। हम आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से गांवों में रहने वाले लोगों के लिए इंदिरा आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 20,000 रुपया देकर आर.सी.सी. बनाने की व्यवस्था की गई है, उसी प्रकार से दिल्ली से लेकर छोटे और बड़े सभी शहरों में जो म्युनिसिपल एरिया में आता है, नगर पंचायत में आता है, मुनिसिपैलिटी में आता है और महानगर परिषद में आता है, उन सभी शहरों में इंदिरा आवास योजना की तर्ज पर बिल्कुल गरीब तथा भूमिहीन लोग जिनके पास कोई आसरा नहीं है। उनके लिए एक आवास योजनायें सरकारी खर्च पर चलाई जानी चाहिए। मैं अनुरोध करता हूं, छः दिसम्बर को देश में बाबासाहेब अम्बेडकर पुनर्निर्माण दिवस मनाया गया है, कि सरकार उनके नाम पर योजना लाए। पूरे देश में गरीब लोग रहते हैं, मैं चाहता हूं कि अम्बेडकर आवास योजना के नाम पर योजना संचालित की जाए। यह हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं। दिल्ली में जो स्थायी निवासी रहते हैं, जो किसान रहे हैं, जिनके खेत ले लिए गए हैं और यहां पर डी.डी.ए. से लेकर सी.पी.डब्ल्यु.डी. द्वारा जो व्यवस्था की गई है, उनकी ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। पिछली सरकार ने किराया कानून पास किया। जो लोग गरीब हैं या जो किसान हैं, जिनकी जमीनें ले ली गई हैं और जिसकी वजह से वे बेरोजगार हो गए हैं, उनकी समस्यायें हल तो हुई, लेकिन पिछले एक साल से किराया कानून लम्बित है। इस कानून को लागू करने के लिए दिल्ली के नागरिकों ने आन्दोलन भी किए, लेकिन पिछली सरकार द्वारा पारित किराया कानून सरकार के पास आज भी लम्बित पड़ा हुआ है, वह लागू नहीं हुआ है। हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो नया किराया कानून पारित हुआ है, उसको तुरन्त इस सत्र के 20 तारीख को समाप्त होने के पहले लागू होना चाहिए, ताकि जो दिल्ली के गांवों में रहने वाले लोग हैं, जिनकी जमीनें ले ली गई थीं, जिनके मकान आज भी दो रुपए से लेकर दो सौ रुपए तक किराये पर हैं, जो खाने

तक के लिए मोहताज हैं, उनकी समस्या हल हो सके। मैं चाहता हूं कि यह नया किराया कानून जल्दी से लागू हो।

इतना कहकर, मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक-दिल्ली) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, वहीं दिल्ली में एसेम्बली आने से वहां के तीन चुने हुए सदस्यों को डी.डी.ए. की समिति में लिया जाएगा और वहां की जो हालत है, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं।

मंत्री जी सदन में मौजूद हैं, मैं और मेरा साथी, श्री विजय गोयल, हम दोनों डी.डी.ए. की एडवाजरी कमेटी के मैम्बर हैं, हमको इस सदन ने चुनकर भेजा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले चार सालों में इस एडवाजरी कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हुई है। मंत्रालय कोई रहा हो, कोई सरकार रही हो, लेकिन डी.डी.ए. उस मंत्रालय के अन्तर्गत आता है और किसी ने भी इस बारे में जानने की कोशिश नहीं की। इस संसद से सदस्य चुनकर गए, लेकिन एडवाजरी कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हुई। उसके चयेरमैन दिल्ली के लैफ्टिनेट गवर्नर है, लेकिन उन्होंने भी यह कभी जानने की कोशिश नहीं की कि मीटिंग को बुलाया जाए। मैं पूछता हूं, क्या उस मीटिंग को सरकारी आफिसर ही चलाते रहेंगे? जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनकी कोई राय नहीं ली जाती और सारे फैसले वहां हो जाते हैं, क्या वही फैसले जनता के हक में है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं, मुझे मालूम नहीं है कि आप सजा दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, लेकिन पिछले चार सालों से मीटिंग नहीं हुई है, वह क्यों नहीं हुई है, इसकी जांच की जानी चाहिए। जो भी आदमी उसके लिए जिम्मेदार हैं, चाहे डी.डी.ए. के आफिसर जिम्मेदार हों, जिन्होंने कि मीटिंग नहीं बुलाई या दिल्ली के लैफ्टिनेंट गवर्नर जिम्मेदार हों, उनके खिलाफ आपको कार्यवाही करनी चाहिए। ऐसे लोग जो इस तरह की शरारत करते हैं और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको फैसलों से दूर रखते हैं। आपको आश्चर्य होगा, दिल्ली में जो एल.आई.जी. और एम.आई.जी. स्कीम्स के तहत फ्लैट्स दिए जाते हैं, इस स्कीम के लिए 260 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। वह प्लानिंग किसी की व्यक्तिगत नहीं थी, वह तो किसी पेपर पर हुई होगी कि हाउसिंग के लिए 260 करोड़ रुपए खर्च करने हैं, कितने मकान बनाने हैं और कहां से पैसा आएगा और पैसे का इस्तेमाल कैसे होगा, यह सब देखना है। स्थिति यह है कि नवम्बर बीत चुका है।

मंत्री जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ 50 करोड़ रुपए उस स्कीम में अभी तक सिर्फ खर्च हुए हैं। दो सो करोड़ रुपए अब अगले तीन महीने में खर्च होने वाले नहीं हैं। इसका मतलब है कि जो स्कीम इन्होंने बनाई कि 20 हजार मकान दिल्ली वालों को दिए जाएंगे या दिल्ली में आने वालों को दिए जाएंगे या एल.आई.जी., एम. आई.जी. की स्कीम में जो मकान दिए जाएंगे वे मकान मिलने वाले नहीं है।

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जिस डी.डी.ए. में आप चुने हुए प्रतिनिधि भेजने के लिए यहां बिल लाए हैं क्या वह सिर्फ सरकारी ऑफिसरों की एक मशीनरी है कि जो जैसा चाहे वैसे चला ले या जो भी कार्यवाही वह चाहे उसमें करता रहे। ऐसी कोई एजेंसी नहीं है, ऐसा माध्यम नहीं है जिसे यह जानकारी हो कि यह डी. डी.ए. का पिटारा क्या है, कौन लोग हैं, क्यों इस तरह चलाना चाहते हैं। उनका मकसद क्या है यह धोखा क्यों देते हैं। अगर ढाई सौ करोड़ रुपया प्लानिंग में रखा गया तो 50 करोड़ क्यों खर्च हुए? ऐसी कोई तो एजेंसी होगी, कोई ऐसे लोग होंगे जो यह देखते हों कि भई यह पैसा हमने प्लानिंग में रखा। हमने किस स्कीम के तहत 20 हजार मकान देने का वायदा किया। अगर वह 20 हजार मकान की जगह पांच हजार मकान बनते हैं या एक हजार मकान बनते हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। वह पैसा क्यों खर्च नहीं हुआ? अगर उनके पास इतने साधन नहीं थे तो उस पैसे को आप दूसरी जगह खर्च करते। ढाई सौ करोड़ रुपए रख कर बैठ जाएं और 50 करोड़ खर्च हों तो मैं जानना चाहता हूं कि पिछले चार साल में क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले चार साल में भी इसी तरह धोखा देते रहे हों। डी.डी.ए. के फ्लैटों को देने का वायदा करते रहे हों और फ्लैट दिए न गए हों और इसीलिए ब्लैक मार्केट में जो डी.डी.ए. के फ्लेटों के दाम हो गए वह 30 लाख से 35 लाख रुपए हैं, उस फ्लेट को हासिल करने के लिए लोग दलालों को पैसा देते हो जो डी.डी.ए. से संबंधित हो, डी.डी.ए. के ऑफिसरों से मिले हुए हो। आप इस पर जरूर इंकवायरी करें और यह जानने की कोशिश करें कि पिछले चार साल में दिल्ली के अंदर कितने मकान बने, डी.डी.ए. ने कितने मकान बनाए, कितने अलॉटी हैं, कितने लोगों की मांग थी और कितने बाकी हैं और कितना पैसा बचा है उस कार्यवाही को आप जरूर देखें तथा यह जानें कि कौन ऐसे लोग हैं जो इसके लिए जिम्मेदार है।

महोदय, डी.डी.ए. के अलॉटमेंट्स में जो लोगों की शिकायतें हैं मैं यह चाहता हूं कि आप उस ओर भी ध्यान दें। अखबारों में बार-बार आता है कि कोई आदमी पैसा दे देता है। उसकी एक किश्त बाकी रह जाती है तो उसके फ्लेट को कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद वह चक्कर लगाता है। अगर वह पैसा देने में बीच में किसी को कामयाब हो जाता है तो उसके फ्लेट को रेस्टोर कर देते हैं वरना किसी दूसरे के नाम में अलॉट कर देते हैं। मेरे पास ऐसे केस हैं कि जो फ्लेट उसके नाम में अलॉट हुआ है वह वैसे का वैसा किसी दूसरे को पोजेशन दे दिया। कई जगह ऐसा हुआ है कि जिसका पैसा आपके यहां जमा है वह पैसा उसको रिफंड नहीं करता, दूसरे के नाम में जमा करते हैं। फिर उससे कहते हैं कि अपने सारे कागज लेकर आओ तब हम बताएंगे कि यह फ्लेट कैसे दिया जाएगा। यह एक हद तक चोरी है और यह चोरी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। यह पैसा किसी ऑफिसर का नहीं बल्कि जनता का पैसा है। डी.डी.ए. एक हाउसिंग सोसायटी नहीं थी, यह प्लानिंग सोसायटी थी। यहां जगमोहन जी मौजूद हैं इनके टाइम में डी.डी.ए. ने प्लानिंग की थी कि दिल्ली को कैसे बसाया जाए लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ। उसको तब्दील करके हाउसिंग सोसायटी में बदल दिया गया और दिल्ली का विकास करने के बजाय। हाउसिंग सोसायटी में लग गए कि हम बढ़ती हुई दिल्ली को कैसे समझें। कहां से लोग आ रहे हैं, उनको कैसे बसाया जाए। इनका हम दिल्ली में कैसे संरक्षण कर सकते हैं। इस तरफ ध्यान देने की बजाय हमारा दिमाग पैसा कमाने की ओर चला गया।

महोदय, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। आपके यहां हुडको की स्कीम है वह पैसा 20 साल, 10 साल के लोन पर देती है। उस

पैसे को डी.डी.ए. इस्तेमाल करता है जब कि और जगह जितनी सरकारी एजेंसियां हैं वे उस पैसे का इस्तेमाल करती हैं, डी.डी.ए. क्यों नहीं इस्तेमाल करती। इसलिए कि हुडको एक रेस्ट्रीकशन लगाती है कि आप इससे ज्यादा पैसे में फ्लेट नहीं दे सकते हैं। अगर एल.आई.जी. में सिर्फ चार प्रतिशत इंटरेस्ट पर हुडको पैसा देती है, डी.डी.ए. वह पैसा नहीं लेता, क्योंकि 10-10, 12-12 लाख रुपए में फ्लैट देते हैं। एक एल.आई.जी., एम.आई.जी. वाले को अगर फ्लेट देना हो तो आप हुडको से पैसा लेकर 20 साल का लोन ले, चार परसैंट इंटरेस्ट दें। वह 5-6-3 या दो लाख, जितने का भी फ्लेट बनता है वह देना चाहिए। यह फैसला डी.डी.ए. के ऑफिसरों ने अपने आप कैसे ले लिया?

वह निर्णय इसलिए ले लिया क्योंकि कोई चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं था, जिसका दिल इस बात के लिए धड़कता हो कि कम दामों में उन लोगों को फ्लैट मिले। गरीब आदमियों को अगर हम छत देना चाहते हैं तो वह छत एक, दो या चार लाख में दी जा सकती हैं। जब सरकार जानती है कि पैसा देने वाले हैं तो पैसा लेने मे एतराज क्यों? ...**(व्यवधान)** क्यों इस पॉलिसी को बदला गया? कौन लोग इसको बदलने वाले हैं, अगर आपकी मिनिस्टरी के अंदर डी.डी.ए. है तो आप बुलाकर पूछिये कि अगर सरकारी पैसा मिलता है तो उस पैसे का इस्तेमाल कम पैसे में फ्लैट बनाकर देने में क्यों नहीं किया जा सकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों नहीं किया गया?

दिल्ली का एक मास्टर-प्लॉन बना। दिल्ली के मास्टर प्लॉन का इतना शोर आज है कि सुप्रीम-कोर्ट भी फैसला करती है कि मास्टर प्लॉन के मुताबिक दिल्ली में इंडस्ट्रीज बंद कर दी जाएं। एक तरफ फैसला हो रहा है, सरकार उसे मानना चाहती है कि दिल्ली की 30 हजार इंडस्ट्रीज बंद कर दी जाएं। मैं जानना चाहता हूं कि जो आपके आवासीय फ्लैट्स हैं उन फ्लैट्स को कैसे कमर्शियल में तब्दील कर दिया गया। आज सारे डी.डी.ए. फ्लैटों में कमर्शियल एक्टीविटीज हो रही हैं। जहां आप दूसरों पर रोक लगा रहे हैं वहां आप अपने फ्लैटों पर रोक क्यों नहीं लगाते? कौन लोग हैं जो वहां पर गैर-रिहायशी काम करा रहे हैं। वहां जो एरिया इंचार्ज हैं उसके होते हुए भी कमर्शियल एक्टीवेटीज हो रही है। आपके फ्लैटों का ऊपर से लेकर नीचे तक नक्शा ही बदल दिया गया है। फ्लैटों की कीमतों को करोड़ों रुपयों में तब्दील कर दिया गया है। अगर कोई छोटा आदमी एक छत और बना लेता है तो आपके सारे अफसर पुलिस लेकर, 200 आदमियों की फौज लेकर उसे तोड़ने पहुंच जाते हैं लेकिन जिस आदमी ने डी.डी.ए. के फ्लैट को पूरा ही कमर्शियल बना दिया है। उसके खिलाफ इंक्वारी नहीं होती है। ...**(व्यवधान)** उसको कोई पूछने वाला नहीं है। आप उन लोगों के खिलाफ जरूर कोई कदम उठाएं ताकि दूसरे ऐसे लोगों को भी डर रहे। दिल्ली को जंगल बनने से रोकिये। आपके द्वारा लोगों को रहने के लिए छत मिलनी चाहिए, लोग यहां आकर बसें और हम उनको संरक्षण दे सकें, इस ओर हमारा ध्यान होना चाहिए।

मैं आशा करता हूं कि इस तरह की जो गलत कार्रवाइयां हो रही हैं, जो डी.डी.ए. की जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं उन्हें रोका जाए। अगर कोई गरीब आदमी आपके प्लॉट पर झुग्गी बनाकर बैठ जाता है तो उसकी झुग्गी तोड़ दी जाती है, मकान तोड़ दिया जाता है, उनके बर्तन उठाकर सड़क पर फैंक दिये जाते हैं, पुलिस को कहकर उनको जेल भिजवा दिया जाता है लेकिन जहां आपकी जमीन पर बिल्डिंग बन गयी, करोड़ों रुपयों का हेर-फेर हो गया, वहां कोई पूछने वाला नहीं है कि रातों-रात यह बिल्डिंग किसके कहने से बनी, किसने बनाई, उसका कोई पैसा डी.डी.ए. को नहीं मिला ...**(व्यवधान)** जो इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है। गरीब आदमी एक झुग्गी बना ले तो उसको सब मारते हैं, लेकिन अगर गरीबों के लिए रहमदिल हो, लेकिन पैसे वाले पेशेवर लोगों के लिए आपको रहमदिल नहीं होना चाहिए जो दिल्ली को कंकरीट में बदलना चाहते हैं जो बिल्डिंग डेढ़ या ढाई मंजिली बननी चाहिए थी वह पांच मंजिली कैसे बन जाती है। यह सारा काम बेईमानी से हो रहा है लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। डी.डी.ए. के ऑफिसर एयर-कंडीशन कमरों में बैठकर फैसला ले लेते हैं कि झुग्गी वालों को साफ कर दो क्योंकि वह जगह किसी और को देनी होती है, जिसके साथ उनका हिसाब-किताब सही होता है। आपके रहते हुए यह जो हालात डी.डी.ए. के हो रहे हैं इस पर रोक लगानी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप कोई ऐसी कार्रवाई करेंगे ताकि जो ऑफिसर ऐसा करते हैं उनके दिल में डर रहे कि डी.डी.ए. उनकी सम्पत्ति नहीं है, डी.डी.ए. जनता की सम्पत्ति है तथा जिस प्लॉन के तहत डी.डी.ए. बना था वह काम दिल्ली में वह करें।

अभी नवल किशोर राय जी ने कहा कि दिल्ली की जे.जे. कॉलोनियों में 30 परसैंट लोग रहते हैं। इसी हाउस में एक फैसला श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के जमाने में हुअ था कि दिल्ली में जो लोग झुग्गी-झोपड़ियों मे रहते हैं, उनको खर्रजे बनाकर दिए जाएंगे,पानी, बिजली देंगे और जन सुविधाएं देंगे। यही काम पिछले कुछ सालों में हुआ लेकिन पिछले 2-3 सालों से इस काम को बंद कर दिया गया है। वह व्यक्ति जो दिल्ली में आकर रहता है जिसके पास कोई पैसा नहीं है कि कोई महंगी जमीन खरीद कर रह सकें, वे नर्क में रहते हैं। झुग्गियों में जो रहते हैं, आप उनकी हालत जाकर देखें। सरमायेदारों के लिए फैसला लेने में डर हो सकता है लेकिन वह डर किस काम का जो किसी व्यक्ति को जिसके पास कोई साधन नहीं है, पैसा नहीं है और वह खुद कमाकर आधी रोटी अपने बच्चों को खिलाता है, वह नर्क में रहता है। उनके मकान कच्ची मिट्टी से बने होते हैं और प्लास्टिक की तिरपाल से ढके रहते हैं। उसको पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं मिलता। आप कहते हैं कि 500 झुग्गियों में एक पानी का नल लगाएंगे। उनके मकानों में बिजली नहीं होती। आपने कई बार फैसला लिया और कहा कि हम झुग्गी वालों को बिजली देंगे। फिर क्या परेशानी है? आप इतनी बड़ी-बड़ी प्लानिंग करते हैं और फाइव इअर प्लानिंग करते हैं लेकिन उन लोगों के लिए कोई प्लानिंग नहीं करते। वे आज आप लोगों की तरफ खुली निगाह से देख रहे हैं। क्या इस सरकार का कोई फर्ज नहीं है कि वह उनको बिजली, पानी और जन सुविधाएं दे। मैं आशा करता हूं कि आप उन लोगों के बारे में फैसला लेंगे और उनको बिजली देंगे। हर झुग्गी में एक बिजली का कनैक्शन दिया जाए। अगर वे पैसा देकर नल लगाना चाहते हैं तो वहां नल लगाया जाए। ये बेसिक एमेनिटीज हैं। यह आदमी की भूख है जो किसी सूरत में उसे मिलनी चाहिए। अगर कोई झुग्गी में रहता है

और अपनी जिन्दगी से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है तो उसकी पेरशानी दूर की जाए। बारिश होती है तो वह मरता है और धूप होती है तो वह मरता है। आज वक्त फैसला लेने का है। आप गरीब आदमी को समझें, उसके दिल को समझें और उसे महसूस करें कि वे कितनी परेशानी में हैं। जो पैसा बड़ी-बड़ी प्लानिंग में लगता है अगर उसका थोड़ा हिस्सा उनको देकर छोटे-मोटे फैसले लिए जाएगे तो उन्हें राहत मिलेगी। मैं आशा करता हूं कि आप यह फैसला जरूर लेंगे।

जगमोहन जी के समय में एक फैसला लिया गया था। मैं बार-बार उनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि उन्होंने दिल्ली को बहुत नजदीक से देखा, उसे बदलने की कोशिश की। पुरानी दिल्ली जिसको शाहजहानाबाद कहा जाता है, उन्होंने उसके लिए एक रूपरेखा बनायी थी और कहा कि हम उसे स्लम में तबदील नहीं होने देंगे। दिल्ली में अगर कोई पुरानी जगह है तो वह शाहजहानाबाद है। यह चार दीवारी के अन्दर आती है जिसमें चांदनी चौक, लाल किला, फतहपुरी और जामा मस्जिद भी है लेकिन मालूम नहीं वह कौन सी फाइल में बंद करके रख दी गई। आज पुरानी दिल्ली की बहुत बुरी हालत है। जगमोहन जी के समय में शाहजहानाबाद का एक ब्लू प्रिन्ट बना था। उस स्कीम को दुबारा निकाला जाए। उसमें तय हुआ था कि जहां स्लम कटरे है उनको जन सुविधाएं सरकार की ओर से दी जाएंगी। स्लम कटरों में जहां दो-दो रुपए किराए पर लोग रहते हैं, 200-200 आदमी एक मकान में रहते हैं, एक कमरे में मां-बाप तथा बेटे शिफ्टों में रहते हैं काम भी करते हैं, उनके लिए एक स्कीम बनी थी। इस स्कीम के तहत उन कटरों में बहुत सारा काम हुआ था लेकिन वह काम बंद कर दिया गया। मुझे मालूम नहीं वह किस ने बद करवाया। हमने वहां फिर से काम करवाने के लिए कहा लेकिन कहा गया कि हमारे पास फंड नहीं है। मैं आशा करता हूं कि आप इसे दुबारा चालू कराएंगे। 200-200 आदमी जिस मकान में रहते हैं जिसको स्लम कटरा कहते हैं, उनमें सरकार की तरफ से पहले जो जन सुविधाएं दी जाती थीं और पैसा खर्च होता था, उसको दुबारा से लागू करें ताकि उन्हें राहत मिल सके।

दूसरा, शाहजहानाबाद स्कीम में यह फैसला हुआ था कि वहां की बड़ी-बड़ी मार्किट को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जायेगा ताकि वहां रहने वाले लोगों को सुविधायें मिल सकें। पुरानी दिल्ली में ट्रैफिक जॉम रहता है और एक-एक घंटे तक खड़ा रहना पड़ता है तो इसलिये यह तय हुआ था कि वे लोग वहां से शिफ्ट कर दिये जायेंगे लेकिन अभी तक यह क्यों नहीं हो रहा है। आप जमीन दें, तय करें और कोशिश करें कि वे जल्द ही वहां से शिफ्ट हों। पुरानी दिल्ली में लोग बसे रहें, वहां काम हो सके, ऐसा तय करना चाहिये। अभी श्री राय जी ने दिल्ली रैंट कंट्रोल एक्ट का जिक्र किया। पुरानी सरकार के समय में यह बिल आया था तो उस समय दिल्ली में रहने वाले किरायेदार और दुकानदार खफा थे। उन लोगों ने कई बार ऐजीटेशन किये और इस एक्ट में अमेंडमेंट करने का सुझाव भी आया। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस बिल को पास नहीं होने देगी। इसको नोटिफाई नहीं करेगी। लगभग 90 प्रतिशत लोग इसमें अमेंडमेंड करना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि इसमें अधूरी बातें रह गयी हैं, उनमें तबदीली आनी चाहिए ताकि दिल्ली वालों को राहत मिल सके। इसके बारे में प्रधानमंत्री जी या किसी सीनीयर मिनिस्टर ने कहा था कि इस एक्ट में तबदीली होगी ताकि दिल्ली वालों को पेरशानी न हो। मुझे आशा है कि आपके समय में यह अमेंडमेंट जरूर होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया कनक्लूड कीजिये।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, बस एक-दो पाइंट है। आप जिस तरह से पर्यावरण की बात कर रहे हैं, वह इंडस्ट्री को बंद करके नहीं हो सकता बल्कि जो जमीन डी.डी.ए.या कारपोरेशन के पास है, वहां पर पार्क को डैवलेप करके पर्यावरण में मदद की जा सकती है। वहां पर पेड़-पौधे लगाये जा सकते हैं। जो डी.डी.ए. की स्कीम है, उसके तहत पैसा ज्यादा खर्च करना होगा। जो पार्क बनें, उनको अच्छी तरह से मेनटेन किया जाये और जो नये पार्क बनें, उसके लिये ज्यादा पैसा दिया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, डी.डी.ए. में सुधार के लिये एक मास्टर प्लान बना था जो किसी भी स्थिति में दिल्ली में लागू नहीं किया जा सकता। वह एक ऐसा पेपर है जिसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। आज देखा जाये तो दिल्ली के 60 प्रतिशत लोग मास्टर प्लान के बिना बसे हुये हैं। शायद यह ख्याल किसी मंत्री या आफिसर के दिमाग में आया है। उसमें अमेंडमेंट हुआ और आज दिल्ली में उससे अलग लोग बसे हुये हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इस मास्टर प्लान को फिर से रिव्यु करेंगे। बार-बार अमेंड करके कि यह रेजिडेंटल या कामर्शियल है या ओपन स्पेस है लेकिन मैं चाहता हूं कि आप दिल्ली की स्थिति के अनुसार अमेंड करें ताकि लोगों को परेशानी न हो। आज एक नया सिलसिला शुरू हुआ है जिसके अनुसार 30000 उद्योगों को दिल्ली से बाहर जाने होंगे या बंद करने होंगे। यहां दिल्ली पहले से बसी हुई है और नीचे काम होता है और ऊपर रिहायश है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ताले लगा दो। यह सरकार रोजगार देने के लिये है या बेरोजगार करने के लिये है? सरकार की गलत पालिसी के कारण कई लोग बेरोजगार होते हैं तो ऐसे मास्टर प्लान को लेकर क्या करना है? ऐसी स्थिति में सरकार से कहूंगा कि पालिसी वहां होनी चाहिए जिससे लोगों को परेशानी न हो और इसलिये मास्टर प्लान को रिव्यु करें। इसके लिये एक रिव्यु कमेटी बनायी जाये जिसमें चुने हुये प्रतिनधि भी हों और बैठकर एक साथ फैसला करें कि इसमें कैसे अमेंडमेंट किया जा सकता है और जो खामियां हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। लोगों को राहत मिल सके, ऐसा काम करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ मुख्य बातों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है, मैं आशा करता हूं कि सरकार उनकी तरफ ध्यान देगी और शीघ्र ही कोई फैसला करेगी।

आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

[अनुवाद]

डा. असीम बाला (नवद्वीप) : महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इससे पूर्व दिल्ली नगर निगम में दिल्ली विकास प्राधिकरण के तीन सदस्य थे। अब दिल्ली की विधानसभा में

दिल्ली विकास प्राधिकरण के तीन प्रतिनिधि हैं-जिनमें से दो शासक वर्ग के और एक विरोधी पक्ष का है। इसका मतलब है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण में जन समुदाय के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है।

दिल्ली देश की राजधानी है और यह व्यवस्थित और अच्छी तरह से प्रबन्धित होनी चाहिए। दिल्ली में 90 लाख लोग रहते हैं जिनमें से 30 प्रतिशत झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं। दिल्ली की जनसंख्या दिन प्रति दिन बढ़ रही है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यरकण पर श्री जय प्रकाश अग्रवाल ने अच्छा प्रकाश डाला है। मेरा भी यही अनुभव है। रिश्वत दिए बिना डी.डी.ए. में कोई काम नहीं करवाया जा सकता। हमें डी.डी.ए. में कोई भी काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। यदि बिजली का मीटर भी लगवाना है तो भी कुछ धन तो रिश्वत के रूप में देना ही पड़ता है। यदि शौचालयों में पानी की पाइपें भी लगवानी हों, तब भी कुछ रिश्वत देनी ही पड़ती है। रिश्वत देना अब सामान्य व्यवहार हो गया है। किसी भी प्रकार का कार्य करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है।

कूड़े का निकास बड़ी-बड़ी कालोनियों में तो बहुत बढ़िया ढंग से होत है परन्तु झुग्गी झोंपड़ियों में नहीं। श्री जय प्रकाश अग्रवाल ने झुग्गी झोंपडियों की दशा का बहुत अच्छा चित्रण किया गया है, मेरा अनुभव भी यही कहता है। दिल्ली के झुग्गी झोंपड़ियों का इलाका बहुत गंदा और अस्वस्थ है और इसको ठीक करने वाला कोई नहीं है। कोई निकास व्यवस्था नहीं है। 1950 में उचित निकास व्यवस्था के अभाव में वर्षा से ही दिल्ली में बाढ़े आ गई।

विशेषकर यमुनापार ईलाकों में, घर बहुत गंदे हैं। हम कहते हैं कि दिल्ली देश की राजधानी है परन्तु कभी-कभी यह कहने में बहुत संकोच होता है। केवल दिल्ली ही नहीं अपितु और राज्यों की राजधानियां जैसे चेन्नई, मुम्बई, कलकत्ता, आदि तथा अन्य महानगर चाहे वहां सही प्रबन्ध नहीं है। वहां की जनंसख्या बढ़ रही है और सड़कों पर यातायात के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। इन शहरों में और भी अनेक समस्याएं हैं।

संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार विश्व की एक तिहाई जनसंख्या का रहन-सहन का स्तर विभिन्न देशों की राजधानियों व दिल्ली में सही नहीं हैं और वहां की जनंसख्या दिन प्रति दिन बढ़ती ही जा रही है जैसा कि माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है। दिल्ली में प्रदूषण सर्वाधिक है और विश्व में इसका स्थान दूसरा है। इस दिशा में कोई विशेष योजना कार्यान्वित नहीं हो रही है और प्रदूषण से बचाव का कोई कार्यक्रम नहीं है। इस समस्या का समुचित समाधान किया जाना चाहिए।

एक और बात है। इसका सम्बन्ध औद्योगिकीकरण से है। दिल्ली में घूमने से पता चलता है कि यहां उद्योग बड़ी तेजी से लगाए जा रहे हैं। परन्तु इनमें से अधिकतर उद्योग औद्योगिक विधेयक का पालन नहीं कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रदूषण विरोधी यन्त्र है ही नहीं। औद्योगिक कूड़े के निष्कासन के लिए कोई उचित विकास व्यवस्था नहीं है। अतः दिल्ली में निकास प्रणाली का भी अभाव है।

यह तो हमें वैसे ही पता है कि दिल्ली में बिजली और पानी की समस्याएं हैं। हर रोज हमें इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दिल्ली में सब प्रकार की मुसीबतें और पेरशानियां हैं। मैं श्री जय प्रकाश अग्रवाल के इस कथन से पूर्णतया सहमत हूं कि पुरानी दिल्ली का इलाका आज भी वैसा है जैसा वह काफी पुराने समय में था। पुरानी दिल्ली के इलाकों में कोई सुधार नहीं हुआ। मैं केन्द्रीय सरकार और दिल्ली सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस हेतु कोई विशेष कार्यक्रम तैयार करें। उन्हें पुरानी दिल्ली के इलाकों के विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

मेरा अगला विषय है, बीच से जुड़ी सड़कें कभी-कभी मैं धौला कुंआ की तरफ से भी आता हूं। अतः मैं इसका उल्लेख कर सकता हूं। वहां बहुत देर तक यातायात रूका रहता है जिसे पार करने में दस मिनट लग जाते हैं। यदि आपको वह क्षेत्र पार करना है, विशेषकर कार्यालय समय के दौरान तो आपको कम से कम दस मिनट लगेंगे। अतः उस समस्या को भी सुलझाया जाना चाहिए।

पर्यावरण को सुधारने के लिए, पार्क और खुले मैदान होने चाहिए। वृक्ष भी होने चाहिए। परन्तु इसके बावजूद प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली के व्यवस्थित इलाकों में हर इलाके में तीन या चार पार्क होने चाहिए। इसके साथ-साथ खेलों के लिए पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए, बच्चों के पार्क भी होने चाहिए। यह परमावश्यक है क्योंकि अच्छा पर्यावरण लोगों के दिमाग में अच्छा चित्र देगा। अच्छी और साफ हवा भी परमावश्यक है।

शिक्षा के विषय में, मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा प्रणाली में भी सुधार की आवश्यकता है। दिल्ली में सभी प्रातों के लोग रहते हैं। अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले लोग भिन्न-भिन्न प्रान्तों से यहां आते हैं। अतः उनके विकास के लिए यह आवश्यक है कि अलग-अलग स्कूल बनाए जाएं या इन स्कूलों में विशेष भाषाएं शुरू की जाएं।

एक और बात है। अभी-2 हम पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई मास्टर प्लान के बारे में सुन रहे थे परन्तु ऐसी कोई योजना नहीं है। हमारे सामने तो ऐसी कोई मास्टर प्लान या मेगा प्लान नहीं है। यह केवल दिल्ली में ही नहीं परन्तु दूसरे शहरों के लिए भी होना चाहिए क्योंकि शहरों की जनसंख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देश के सभी शहरों को विकास की आवश्यकता है आप उसे चाहें मास्टर प्लान कहें या मेगा प्लान। परन्तु वह अच्छी तरह व्यवस्थित होनी है और विकसित होनी चाहिए।

अपराह्न 6.00 बजे

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण पूरा करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मंगलावार 10 दिसम्बर, 1996 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 10 दिसम्बर, 1996/ 19 अग्रहायण, 1918(शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।